राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क ५] तृतीय विधान सभा के पञ्चम् सत्र १९६४ का १४ वां दिवस [संख्या ६

बृहस्पतिवार दिनांक मार्च ५, १९६४

विधानसभा की बैठक म० प० ८-०० बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

(कृषि, सिंचाई, राजस्व, चिकित्सा, अकाल सहायता स्वायत्त शासन एवं गृह विभाग

कृषि फार्म के लिए प्रदत्त रकम की वसूली-ग्राम नमाना

१८७. **श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि बूंदी जिले के नमाना ग्राममें भी तापड़ियाका एक कृषिफार्म है ?

(२) क्या यह सही है कि श्री तापड़िया ने सरकार से तकाबी, बीज, खाद आदि के नामों से हजारों रूपये ले रखे हैं ?

(३) यदि हां, तो रकम की कुल तादाद कितनी है व कितने वर्ष की बकाया चली आ रही है ? तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(४) क्या यह सही है कि अब भी श्री तापड़िया को विभाग के द्वारा बिना पूर्ण वसूली के पुनः तकावी, खाद, बीज आदि उधार दिये जाते हैं ?

(५) क्या सरकार उक्त रकम की बकाया को शीघ्र वसूल करने की कार्यवाही करेगी ?

उप मन्त्री कृषि (श्री भीमसिंह) : (१) जी हां ।

(२) जी हां ।

(३) कुल बकाया रकम ३५,५२७) रू० हैं । यह बकाया रकम सन् १९५६-५७ लगायत १९६१--६२ तक हैं । तालिका संलग्न है ।

(४) जी नहीं ।

(५) जी हां । वसूली की कार्यवाही जारी है ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिए)

श्री हरिप्रसाद शर्मा : यह जब इतने हजार रुपये की रकम बकाया है तो बार-बार क्यों तकावी दी और क्यों बीज दिया गया ?

श्री भीमसिंह : पहले सरकार देती रही और फिर पंचायत समिति देती रही

(श्री भीमसिंह)

है और रकम जमा भी होती रही है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : जो तालिका दी है उसमें हजारों रूपया बकाया है प्रत्येक साल में बकाया रहता रहा है फिर भी बार बार लोन मिलता है और तकावी मिलती रही है तो क्या यह सरकार के रूल्स और रेग्युलेशन्स के विपरीत नहीं है ?

श्री भीमसिंह : यह प्रगतिशील काश्तकार थे और हरेक साल में काफी तादाद में फर्टीलाइजर काम में लेते हैं और रूपया लेते भी रहे हैं और देते भी रहे हैं।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : क्या प्रगति की है ?

श्री भीमसिंह : आप इससे यह अन्दाजा लगा सकते हैं कि कई टन फर्टीलाइजर हर साल वे काम में लेते रहे हैं और काफी आउटपुट किया है और अच्छे सीड और फर्टीलाइजर काम में लेते हैं तो प्रोग्रेसिव काश्तकार हैं।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : चम्बल प्रोजेक्ट एरिया में और भी काश्तकार हैं और वे अगर लोन की मांग करते हैं तो उनको नहीं दिया जाता है। एक ही फार्म को क्यों दिया जाता है।

श्री भीमसिंह : ऐसे केसेज सामने नहीं आये हैं। अगर माननीय सदस्य उनकी सूचना देंगे तो बन्दोबस्त किया जायगा।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : हजारों रूपया की बकाया हरसाल रहता है तो क्या उनसे जमा कराना उचित नहीं है ?

श्री भीमसिंह : उचित अवश्य है और रूपया जमा नहीं कराया है तो उसके लिए कार्यवाही जारी है।

श्री महेन्द्रसिंह (दीगोद) : क्या यह सही है कि कोई भी सरकारी रकम बकाया हो तो नया ऋण नहीं दिया जा सकता है ?

श्री भीमसिंह : मैने निवेदन किया है ६१-६२ के बाद नहीं दिया गया है।

श्री महेन्द्रसिंह : मैने यह पूछा है कि क्या सरकारी ऋण बकाया होते हु भी नया ऋण दिया जा सकता है ?

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : लोन दिया जाता है बीज और फर्टीलाइजर का, उसमें यह पाबन्दी नहीं है। किसी भी किसान की किसी भी वर्ष में फसल खराब होजाय तो एक साल के बाद भी जमा कराने की गुंजायश है। यह कलेक्टर्स को अधिकार है कि उसके बाद भी अगले साल बीज और फर्टीलाइजर दे दे।

श्री महेन्द्रसिंह : तो यह जो लोन दिया गया है यह कलेक्टर की आज्ञा से दिया गया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उनको अधिकार है उस समय तो उन्होंने दिया है और अब तीन साल से तो पंचायत समिति ने दिया है। ५७-५८ और ५८-५९ में तो एडमिनिस्ट्रेशन ने डील किया है और बाकी के सालों का मामला पंचायत समिति ने डील

(श्री नाथूराम मिर्धा)

किया है। पंचायत समिति भी इस बात को ध्यान में रखती है कि सीड और फर्टीलाइजर एक साल में कोई किसान रिटर्न की पोजीशन में नहीं हो, फसल खराब होने की वजह से, तो अगले साल भी उसको दे सकती है और एक साथ ही वसूल कर सकती है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : क्या यह सही है कि इस तरह से बीज और फर्टीलाइजर दूसरे किसानों ने एक साल जमा नहीं कराया तो दुबारा उनको बीज और फर्टीलाजर बकाया होने के कारण नहीं दिया गया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ऐसी बात नहीं है। यह जो डिस्क्रीशन है वह देने वाली अथोरिटी पर है। पंचायत समिति ही सारी इन चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन करती है और पंचायत समिति कई किसानों मे बकाया होते हुए भी देती है, क्योंकि हो सकता है कि एक साल की फसल किसी कारण से चाहे वे इन्सैक्ट हों या बरसात की कमी हो, उसकी वजह से फसल खराब हो गई हो तो उस साल में नहीं दे सकता है तो अगले साल के लिए बकाया स्टे कर सकते हैं और फिर भी अगले साल के लिए दिया जा सकता है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : क्या यह सही है कि कृषि विभाग में आग लगने के कारण से १४ लाख रूपये की रिकवरी जो बकाया थी वह वसूल नहीं हो सकी है और उसमें यह २० हजार रुपये भी है।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह गलत है।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

रिडमलसर मण्डी

१८८. श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा :(रायसिंहनगर) [श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) द्वारा पूछा गया] : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(१) क्या यह सही है कि रिडमलसर (एल० एन० पी० नहर एरिया) क्षेत्र तहसील पदमपुर के किसानों को अपनी फसल बीस पच्चीस मील दूर स्थित मण्डी रायसिंहनगर या मण्डी पदमपुर में कच्चे मार्गों द्वारा बेचने के लिए लेजानी पड़ती है या ट्रकों का भारी किराया देना पड़ता है ?

(२) क्या यह सही है कि बीकानेर रियासत के समय में रिडमलसर को मण्डी बनाने का प्लान था ?

(३) क्या यह सही है कि ग्रामपंचायत रिडमलसर ने किसानों की उपरोक्त कठिनाइयों को देखते हुए रिडमलसर ग्राम की आबादी क्षेत्र में एक पक्की मण्डी का निर्माण करके सरकार को कई वर्ष हुए उपरोक्त मण्डी की बाकायदा स्वीकृति के लिए लिखा था ?

(४) क्या मण्डी की स्वीकृति सरकार द्वारा देदी गई है ? यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

(५) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत रिडमलसर के विकास एवं निर्माण कार्य तथा रिडमलसर मंडी के निर्माण कार्यों में ईंटे सप्लाई करने वाला रिडमलसर का एकमात्र भट्टा जिला अधिकारियों

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

द्वारा बन्द कर दिया गया है तथा अब इस क्षेत्र के लोगों को एवं पंचायत को ईटें गंगानगर या रायसिंहनगर या पदमपुर के भट्टों से लानी पड़ती है जिसका मूल्य ८०) या ९० रु० प्रति हजार ईटें पड़ता है जिसके कारण उपरोक्त क्षेत्र के तथा पंचायत के समस्त निर्माण कार्य बन्द हो गये हैं ?

(६) क्या सरकार भट्टे के बन्द किये जाने का कारण बताती हुई उसे तुरन्त चालू किये जाने का आदेश देगी ?

उप मन्त्री राजस्व(श्री रामप्रसादलड्ढा) : (१) यह पूर्णतया सत्य नहीं है कि रिडमलसर क्षेत्र के किसानों को अपनी फसल पच्चीसमील दूर स्थित मंडी रायसिंहनगर या पदमपुर में लेजाना पड़ता है क्योंकि ग्राम रिडमलसर पंचायत की ओर से बिना मंजूरी मंडी कायम करली।

(२) रियासत बीकानेर के समय में रिडमलसर को मण्डी बनाने के प्लान के सम्बन्ध में कोई प्रमाण इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। वर्तमान सरपंच रिडमलसर के कथनानुसार यह योजना उस की अपनी है और सन् १९५६ के बाद की है।

(३) व (४) विकास अधिकारी पंचायत समिति के कथनानुसार ग्रामपंचायत रिडमलसर द्वारा राज्य सरकार को सन् १९५७ के जून माह में सर्व प्रथम लिखा जाना बतलाया जाता है, परन्तु इस विषय में राज्य सरकार द्वारा कोई स्वीकृति नहीं हुई।

(५) यह सही है कि रिडमलसर का भट्टा इस कार्यालय द्वारा दिनांक १-११-६१ को बन्द कर दिया था क्योंकि यह भट्टा बिना मन्जूरी श्मशान भूमि में चालू किया गया था। जो नियमानुसार नहीं चलाया जा सकता था। अलावा इसके इस विषय में भट्टे के मालिक द्वारा हाईकोर्ट, राजस्थान, जोधपुर में रिट पेश की गई है व उक्त भट्टे का काम हाईकोर्ट से स्टे आर्डर हासिल करने की वजह से चालू है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सरकार इस मण्डी को शीघ्रता देने के बारे में क्या कहती है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया है कि हमारे यहां इस प्रकार के कोई कागजात चालू नहीं है। विकास अधिकारी ने ऐसा बताया है, उनसे अभी जो जवाब मांगा हैं उसके कथनानुसार राज्य सरकार को भेजे हैं, लेकिन मैने यहां पता लगाया है तो मालूम हुआ है कि इस प्रकार के कोई कागजात यहां पर पेंडिग नहीं है। नियमानुसार उनका प्रस्ताव आने पर इसके संबंध में उचित कार्यवाही की जायगी। माननीय सदस्य की जानकारी के लिए मै यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने जारपताल में मण्डी बसाली उसका क्या किया जाय, क्या नहीं किया जाय तो वहां का प्रस्ताव आने पर कुछ विचार किया जा सकेगा। अभी मै इसके सम्बन्ध मे कुछ नहीं कह सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

भूदान बोर्ड द्वारा काश्त के लिए दी गई भूमि

१८९. श्री शंकरलाल (सादड़ी): क्या राजस्व

(श्री शंकरलाल)

मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(१) क्या यह सही है कि जिला चित्तौड़गढ़ तहसील बड़ी सादड़ी के गांव माता नगरी व गांव मोटा महूड़ा के अठारह परिवार आदिवासियों को काश्त करने के लिए कुछ भूमि भूदान बोर्ड द्वारा दी गई है ?

(२) यदि हां, तो क्या उनको कब्जा भी दिलाया गया था ?

(३) क्या यह सही है कि उन व्यक्तियों से लगान वसूल किया जा रहा है ?

(४) क्या यह सही है कि दो वर्ष तक उन व्यक्तियों ने उक्त आराजी भूमि पर काश्त भी की थी ?

(५) यदि हां, तो क्या उक्त भूमि अब उनसे वापिस छीनी जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

उपमन्त्री राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) जी हां।

(४) सम्वत २०१७ में २० बीघा भूमि में मक्का काश्त की थी।

(५) तहसील- द्वारा जमीन वापस नहीं ली जा रही है। वन विभाग द्वारा काश्तकारान को काश्त करने से रोक की जानी जाहिर आया है।

श्री उपाध्यक्ष : Next question.

श्री शंकरलाल : क्या सरकार जो वन विभाग के कब्जे में है उसको दिलायेगी।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : फौरेस्ट डिपार्टमेन्ट ने रोका है। मेरी सूचना के आधार पर जाहिर आया कि वन विभाग कम्पीटेन्ट है वैसे तहसील के द्वारा एलाट की गई है और उनको कर्जा भी दिया गया है और उन्होंने लगान भी जमा कराया है।

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट।

लेडी हैल्थ विजिटर्स एम्पलोईज स्टेट इन्श्योरेन्स स्कीम

१६०. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चून्डावत** (भीम) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे ?

(१) क्या यह सही है कि एम्प्लोईज स्टेट इन्श्योरेन्स स्कीम में लेडी हैल्थ विजिटर की पोस्ट तोड़ दी गई है

(२) यदि हां तो किन कारणों से ?

उपमन्त्री स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत: कुल कितनी पोस्ट्स है और कितने हैल्थ विजिटर्स काम कर रहे हैं ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : १६ पोस्ट्स है और १ काम कर रहो है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत: पोस्ट्स १६ है और काम १ ही क्यों कर रही है ?

Page No.6

श्रीमती प्रभा मिश्रा : उपलब्ध नहीं है क्या किया जाय।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : केवल उपलब्ध नहीं होने के कारण ही नहीं है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जी हां। जितने तरीके सरकार इस्तेमाल कर सकती थी उतने किये जिससे कि वे मिल सकें लेकिन नहीं मिल सकीं, इसलिए खाली है। आपकी जानकारीके लिये बतादूं कि अभी २, ३ दिन पहले एक विधेयक इसलिये पास किया है कि ज्यादा से ज्यादा लेडी हैल्थ विजीटर्स मिल सकें और खाली जगह की पूर्ति हो सके।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : क्या यह सही है कि प्राइमरी हैल्थ सैन्टर्स में लेडी हैल्थ विजीटर्स हैं और जहां मजदूरों को सहायता मिलनी चाहिये वहां नहीं है ?

स्वास्थ्यमन्त्री (श्री बरकतुल्लाखां) : ऐसा है उपाध्यक्ष महोदय, प्राइमरी हैल्थ सैन्टर्स में लेडी हैल्थ विजीटर्स रखना इसलिये जरूरी हैं कि सैन्टरसे जो सहायता मिलनी है वह मिल सके। अगर वहां ये नहीं हों तो मोटर नहीं मिलती है, दवाइयां नहीं मिलती हैं, रेफ्रीजरेटर नहीं मिलता है, इन्स्ट्रूमैन्टस नहीं मिलते हैं इसलिये हम यह कोशिश करते हैं कि प्राइमरी हैल्थ सैन्टर्स चलते रहे।

अंडर ग्राउन्ड जल बोर्ड द्वारा बोरिंग ग्राम डबाल

१९१ **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(१) क्या यह सच है कि अंडर ग्राउन्ड जल बोर्ड द्वारा डबाल ग्राम तहसील सांचोर में बोरिंग किया गया था ? अगर हां, तो उसका नतीजा क्या हुआ ?

(२) क्या बोरिंग करने के बाद पानी का टेस्ट किया गया और फिर बेरा सम्पूर्ण कर चार्ज किसी को दिया गया ? अगर चार्ज नहीं दिया गया, तो क्यों ?

(३) क्या सरकार अब इस बेरे का चार्ज गांव वालों को देने का विचार रखता है ? यदि हां, तो कब तक ?

उपमन्त्री कृषि (श्री भीमसिंह) : (१) वाटर वर्क्स विभाग के लिए एक बोरिंग किया गया था। नलकूप के पानी का डिसचार्ज ८००० गैलन प्रति घण्टा था।

(२) टैस्ट करने पर विदित हुआ कि पानी खारा था। नल कूप का चार्ज वाटर वर्क्स विभाग को दे दिया गया।

(३) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री रघुनाथ विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, यह चार्ज किसी वाटर वर्क्स को नहीं दिया यह बोरिंग दूसरे गांव में किया होगा, मैने डबाल गांव के बारे में पूछा था आप शायद दूसरे गांव की जानकारी दे रहे हैं। यह कुआ किसी के सुपुर्द नहीं किया है। वहां पानी खारा निकलेगा इसलिये उसको यों ही छोड़ दिया गया। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जितना पानी खारा है उसको ठीक करके गांव वालों के चार्ज में दिया जाय।

श्री भीमसिंह : आपने डबाल गांव के

(श्री भीमसिंह)

बारे में पूछा है और मेरे पास सूचना भी उसी गांव के बारे में आई है फिर आप कह रहे हैं कि दूसरे गाव की सूचना है तो फिर जानकारी कर लूंगा।

बांध का सर्वे ग्राम सिमर

१९२ वैद्य श्री गोविन्दसहाय (गंगापुर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(१) क्या यह सही है कि सपोटरा तहसील में सिमर ग्राम के पास नदी खोह रामदे पर बांध बनाने के लिये सर्वे हो चुका है? यदि हां, तो उस स्कीम पर सरकार क्या विचार कर रही है?

(२) क्या सरकार को विदित है कि उक्त बांध के बनने से करीब दस हजार बीघे जमीन की सिंचाई हो सकती है।

उप मन्त्री सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी : (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न नहीं उठता?

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : क्या यह सही है कि अधिक अन्न उपजाऊ डिविजन कायम किया या उस समय सारे राजस्थान का सर्वे कराकर कायम किया था उस समय क्या इसका भी सर्वे कराया था और एस्टीमेट्स बने थे?

श्री दिनेशराय डांगी : ऐसा हो सकता है लेकिन वहां भूपेन्द्रनगर बांध है उसके कैचमेंट में आता है तो उसकी स्कीम हाथ में है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : आपने कहा है कि सर्वे नहीं हुआ?

श्री दिनेशराय डांगी : मै यह नहीं कहता कि इसका सर्वे हुआ है। मैने कहा है कि ऐसा हो सकता है क्योंकि कैचमैन्ट एरिया में आता है इसलिये नहीं लिया जा सकता।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : आप अपनी जानकारी बताइये।

श्री दिनेशराय डांगी : मैने अपनी जानकारी बताई है।

श्री सदस्य : माननीय मन्त्री महोदय को सही जानकारी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी ने कहा है कि कैचमैन्ट एरिया में आता है।

गिरदावरी स्लिप्स, फार्म्स तथा रजिस्टर्स

१९३. **श्री तेजाराम गहलोत** (सोजत) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) सन् १९५६-५७ से १९६२-६३ तक जिलाधीश पाली को कब कब व कितनी कितनी निम्नलिखित सप्लाईज की गई?

(अ) गिरदावरी स्लिप्स, (ब) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट और लेन्ड रेवेन्यू एक्ट तथा उनके अन्तर्गत बने नियमों में प्रावधानित फार्म्स (स) कौन कौन से रजिस्टर्स एज प्रोवाइडेड इन रेवेन्यू कोर्टस मैन्यूअलव

(श्रीतेजाराम गहलोत)

लेण्ड रेकार्ड मेन्युग्रल।

(२) क्या नियमानुसार हर रेवेन्यू कोर्ट के लिए प्रश्न भाग नं० (१) में बताये हुए फार्म्स व रजिस्टर जिलाधीश द्वारा सप्लाई किये गये और नहीं तो नियमों की अनुपालना उक्त अदालत द्वारा कैसे की गई ?

(३) क्या पाली जिले में लैन्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा ९१ के नोटिस फार्म हर तहसील में सप्लाई किये गये और नहीं तो क्या हर ट्रेसपासर को नियमानुसार नोटिस दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

• (४) क्या पाली जिले में फार्मस व रजिस्टर्स सप्लाई न करने की वजह से रेवेन्यू वर्क सुचारु रूप से नहीं चल रहा है ?

(५) क्या यह भी सच है कि फार्म्स व रजिस्टर न होने की वजह से लैन्ड रिकार्ड मैनुग्रल और रेवेन्यू कोर्ट मैनुग्रल की ग्रनुपालना नहीं हो रही है।

उपमन्त्री राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : गिरदावरी स्लिप्स की सप्लाई की गई उसका व्यौरा निम्न है।

(ग्र)	२१.१०.५६	५०,०००--
	१३.११.५७	५०,०००--
	१५.११.५८	३५,०००--
	११.८.५९	४९,०००--
	१२.९.६०	६६,०००--
	२५.११.६१	५०,०००--
	२५.४.६२	५०,०००--
	२३.१०.६२	२४,०००--
	२५.११.६२	२,००,०००
		५,७४,०००

(ब) राजस्थान टिनन्सी एक्ट ग्रोर लैंड रेवेन्यू एक्ट तथा उनके ग्रन्तर्गत बने नियमों में प्रावधानिक फोर्म प्राप्त नहीं हुए हैं।

(स) रेवेन्यू कोर्ट मैन्युग्रल व लैंड रेकार्ड मैन्युग्रल के तहत प्रोवाईडेड रजिस्टर प्राप्त नही हुए हैं।

लैंड रेवेन्यू रूल्स के ग्रनुसार फार्म प्राप्त होते रहते हैं ग्रौर रजिस्टरों के ग्रभाव से फार्मस द्वारा रजिस्टर तैयार करवाये जाते हैं रेवेन्यू कोर्ट मैन्युग्रल के ग्रनुसार फार्मस के ग्रभाव में मैनुस्क्रीप्ट फार्म तैयार कर नियमों की ग्रनुपालना हो रही है।

(३) जी नहीं। मैनुस्क्रीप्ट फार्मस तैयार करवा कर ट्रेस पासर्स को नियमानुसार नोटिस दिये जाते हैं।

(४) ग्रधिकांश फार्म व रजिस्टर सप्लाई न होने के कारण मैनुस्क्रीप्ट फार्म तैयार करवा कर ट्रेसपासर्स को नियमानुसार नोटिस दिये जाते हैं।

(५) ग्रधिकांश फार्म्स व रजिस्टर सप्लाई न होने के कारण मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्म तैयार कर काम पूरा करने का भरसक प्रयत्न किया जा रहा है।

(६) फार्मस, रजिस्टर्स की कमी होते

Page No.9

(श्री उपमन्त्री राजस्व)

हुए भी लैन्ड रेकार्डस मैनुग्रल ग्रौर रेवेन्यू कोर्ट मैनुग्रल का पालन नियमानुसार हो रहा है।

श्री तेजाराम गहलोत : मै यह पूछना चाहता हूं कि जब लैन्ड रेवेन्यू एक्ट, १९५६ लागू हो चुका है ग्रौर नियम बन चुके हैं तो क्या कारण है कि प्रेसक्राइब्ड फार्मस ग्रौर रजिस्टर्स उपलब्ध नहीं किये जा सके जिसके कारण लैंड रेवेन्यू का काम ठप्प है' रजिस्टर मैन्टेन नही होते हैं जो रूल्स की तहत मैन्टेन करना जरूरी हैं। जैसा कि मन्त्रीजी ने बताया फोर्म्स ग्रौर रजिस्टर्स सप्लाई नहीं किये तो तहसील में रेकार्ड कैसे मैन्टेन होते हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ये फार्म्स गवर्नमेन्ट प्रेस से सप्लाई होते हैं। मैने ध्यानपूर्वक देखा है कि जब जब इन्डेन्टस वहां ग्राये उन्होने या तो उपलब्ध नहीं होने से सप्लाई नहीं किये या कमी होने से कम सप्लाई किये ग्रौर कुछ उपलब्ध नहीं थे इस कारण फार्मस नही पहुंचे हैं या देरी से पहुंचे हैं। कलेक्टोरेट पाली में ग्रौर वहां के सबोर्डिनेट ग्रोफिसेज में। हम प्रयत्न करेगे कि गवर्ननेट प्रेस नियमित रूप से प्रेसक्राइब्ड फॉर्मस जहां जहां ग्रावश्यकता हो दे सकें।

बस्सी डिस्पेन्सरी की इमारत

१९४. श्री चतुर्भुज उपाध्याय (चित्तौड़गढ़) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) क्या यह सही है कि बस्सी डिस्पेन्सरी की इमारत जनता द्वारा राज्य सरकार को सौंपी गई है ? ग्रगर हां, तो किस शर्त पर ग्रौर कब से ?

(२) क्या सरकार कम से कम १० खाटें (पलंग) की व्यवस्था उन गरीबों के लिए करने का विचार रखती है जो बाहर से ग्रावें ग्रौर इन्डौर मरीज बन कर इलाज लेना चाहें।

(३) क्या सरकार इस डिस्पेन्सरी के लिये कोई दूसरी इमारत बनाने की कोई योजना बना चुकी है ? ग्रगर हां, तो कब तक ग्रौर नहीं तो क्यों ?

उपमन्त्री, स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) बस्सी डिस्पेन्सरी (जिला चित्तौड़गढ़) एक किराये के भवन में चल रही है जिसका किराया पंचायत समिति ही देती है।

(२) वर्तमान डिस्पेन्सरी भवन में रोग शैयाएं रखने को कोई स्थान नहीं है।

(३) धन राशि के ग्रभाव के कारण ऐसी कोई योजना सरकार के पास फिलहाल नहीं है।

श्री चतुर्भुज उपाध्याय : ग्रापकी सूचना सही नहीं है कि पंचायत समिति किराया देती है। यह तो पब्लिक की ग्रोर से डिपार्टमेंट को दी गई है। इसका किराया नही दिया जाता है।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जनता के किराया देने का सवाल नहीं है। पंचायत समिति उसका किराया देता है।

श्री ग्रब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : प्रश्न यह है कि क्या यह जनता द्वारा दान

(श्री अब्दुल जब्बार)

स्वरूप दी गई है। आपने कहा कि किराया दिया जाता है लेकिन यह कैसे मुमकिन है जब कि दान में दी गई है।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : इसके लिये मैने बताया कि किराये के भवन में चल रही है जिसका किराया पंचायत समिति देती है।

श्री अब्दुल जब्बार : दान में दी हुई बिल्डिंग है फिर भी किराये में चल रही है क्या ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : किराये की बिल्डिंग में चल रही है। जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं वैसी बात है तो जांच करा लेंगे।

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बरकतुल्लाखां) : मैं अर्ज करू' कि प्रीज्यूम यह किया जाता है कि पंचायत समिति नॉमीनल किराया देती है तो दान में दी हुई नहीं होगी।

खरताणा तालाब योजना तहसील मावली

१९५. **श्री सम्पत्तिलाल बोहरा** (मावली) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सनवाड़ के पास (तहसील मावली) खरताणा तालाब बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

(२) यदि हां, तो यह योजना कब तक बन जायेगी व कार्य कब से शुरू हो जायेगा ?

(३) इस योजना में क्या बाधाएं आ रही हैं और इनको कब तक हल कर लिया जायेगा ?

उपमन्त्री सिंचाई, (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) जी हां, इस तालाब को ऊंचा बनाने की योजना विचाराधीन है।

(२) इसका तखमीना अब तैयार किया जा रहा है। यदि स्कीम ठीक पाई गई तो अगले वित्तीय वर्ष में इसकी स्वीकृति सम्भव हो सकेगी।

(३) अभी योजना की रिपोर्ट तैयार नहीं है इस कारण बाधाओं का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : क्या यह सच है कि इस तालाब को बनाने की योजना है वहां सरकार और जागीरदार के बीच झगड़ा है इस कारण से देरी हो रही।

सिंचाई मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : वहां ऐसा कोई झगड़ा नहीं हैं और न देरी हो रही है। इसका सर्वे फाइनल किया जा रहा है। पहले जो स्कीम बन रही थी वह बड़ी थी जिस पर १५ लाख रु० की लागत थी और उसका रिर्टन कम आ रहा था ७ पर्सेन्ट इसलिये इसको मोडिफाई कर रहे हैं। कम धनराशि में बनावें और रिटर्न ठीक बैठे इस दृष्टिकोण से इसको मोडिफाई कर रहे हैं।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : कितने वर्ष लग जायेंगे स्कीम तैयार होने में ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वर्ष लगने का प्रश्न नहीं है महीनों का ही प्रश्न है।

(प्रश्न संख्या १९६)

श्री उपाध्याय : श्री भोमसेन ।

(अनुपस्थित)

श्री उपाध्याय : श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल :

डिस्पेन्सरी भवन, सिकराय

१९७. **श्री लक्ष्मण प्रसाद पटेल** (सिकराय) : क्या चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि सिकराय में डिस्पेन्सरी किराये के भवन में चल रही है ?

(२) क्या सरकार वहां डिस्पेन्सरी भवन बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? और यदि नहीं, तो क्यों ?

उपमन्त्री, स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) जी हां ।

(२) आर्थिक कठिनाइयों के कारण डिस्पेन्सरी के लिए नये भवन बनाना फिलहाल स्थगित कर रखा है । साधन उपलब्ध होने पर इस बारे में विचार किया जायेगा ।

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल : उपाध्यक्ष महोदय, जो पहले सवाल का उत्तर बताया है 'जी नहीं' तो वह कहां चल रही है ? किराये के मकान में नहीं तो कहां चल रही है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : पहले प्रश्न का उत्तर जी हां है ।

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल : कब तक बनाने का विचार है ? क्या सरकार आश्वासन देगी कि कब तक बनना दिया जायगा ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : मैंने निवेदन किया कि अर्थाभाव के कारण यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है । जब अर्थ समस्या हल जायगी तब विचार किया जायगा

श्री हरिप्रसाद शर्मा : कितना किराया देना पड़ता है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : अलग अलग जगह के लिये अलग अलग है ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : जिसके लिये पूछा गया है वहां कितना किराया देना पड़ता है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : पी० डब्ल्यू० डी० जो असैस करता है वह दिया जाता है ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : आपकी जानकारी के लिये बताऊं कि.......

श्री उपाध्यक्ष : वह सूचना नहीं है ।

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल : वहां बारह महीने से डाक्टर नहीं हैं, तो डाक्टर की व्यवस्था तो हो जायगी ? वहां वही डाक्टर था जो गोली से मरा था ।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : मेरी समझ में नहीं आया ।

श्री उपाध्यक्ष ; डाक्टर की व्यवस्था कब तक हो जायगी ?

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : डाक्टर भी वहां नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : डाक्टर भी नहीं है, इसकी व्यवस्था कब तक हो जायगी ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बरकतुल्लाखां) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में छः सौ डॉक्टरों की कमी है । डाक्टरों की जहां बिल्कुल कमी है वहां लगाना चाहते हैं और

जैसे जैसे डॉक्टर मिलते जायें वैसे वैसे कमी को पूरा करते जायेंगे।

श्री जयनारायण सालोदिया : वहां की डिस्पेन्सरी में एक भी डॉक्टर नहीं है। जहां ज्यादा हैं वहां आप कम कर दीजिये।

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : क्या सही है कि पहले वहां डॉक्टर था, अब नहीं है।

प्रश्न संख्या १९८

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरदत्तसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री जुझारसिंह।

वाटर सेस-तहसील चेचट

१९९. श्री जुझारसिंह (चेचट) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जिला कोटा की तहसील चेचट में ऐसे कितने काश्तकार हैं जिनके निजी कुए सैटलमेंट में सरकारी दर्ज कर दिए गए हैं और उन पर वाटर-सेस लगा दिया गया है?

(२) क्या यह सही है कि ये कुए सम्वत् १९९२ के सैटलमेंट में निजी सम्पत्ति दर्ज हो चुके थे और उन पर कोई वाटर-सेस अब तक नहीं लिया जाता था?

(३) क्या सरकार इन कुओं पर लगाये गये वाटर-सैस को बन्द करने का आदेश जारी करेगी?

उपमन्त्री, राजस्व (श्री राम प्रसाद लड्ढा) : (१) पिछले सेटिलमेंट सं० १९८४ में तहसील चेचट में कुल ५२ कुए सरकारी दर्ज थे। इसके विपरीत सैटिलमेंट सं० २०१२ में ७६८ कुए सरकारी दर्ज किए गए हैं इसलिए लगभग ७१६ काश्तकारान से वाटर-सेस वसूल किया जाना है किन्तु अभी वाटर-सेस वसूल नहीं किया जा रहा है।

(२) जी हां। सम्वत् १९९२ के सैटिलमेंट में जो कुए काश्तकारान के निजी सम्पत्ति दर्ज किए गए थे उन पर कोई वाटर सैस नहीं लिया जाता है।

(३) यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

श्री जुझार सिंह : जब यह बात एस्टेब्लिश हो गई है कि ये कुए पर्सनल प्रॉपर्टी थे कल्टीवेटर्स के तो विचाराधीन का क्या प्रश्न रहता है?

श्री उपाध्यक्ष : उसके तथ्यातथ्य पर विचार किया जायगा।

श्री जुझार सिंह : जब यह ओरीजिनल कुए काश्तकारों के द्वारा बनाये गए— यह बात सरकार के सामने एस्टेब्लिश हो गई उसके बाद सैटिलमेंट ने उन्हे गवर्नमेंट के कुए एन्टर कर दिया। यह फेक्टस एस्टेब्लिश हो जाते हैं और दो तीन साल पहले हो जाते हैं तो विचाराधीन रहने की स्टेज खत्म होनी चाहिए।

श्री राम प्रसाद लड्ढा : उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में इस प्रकार की स्टेज हो गई

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

है तो सेटिलमेंट ऑपरेशन के नियमों के अनुसार काश्तकारों को इसके लिए एतराजात का अपील करनी चाहिए। वह तरीका अपनाया नहीं गया। अब इसके बारे में सरकार को निर्णय लेना है। यह कुओं की संख्या आई है। यह क्वेश्चन के आधार पर मंगवाई है। अब इसके प्रपोजल्स वहां से आने पर विचार किया जायगा और जो वाटर-सेस का प्रश्न है उस पर विचार करेंगे। वाटर-सेस इस समय वसूल भी नहीं किया जा रहा है इसलिए काश्तकारों के ऊपर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। इस पर सरकार जल्दी निर्णय ले लेगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरव लाल 'कालाबादल'।

सेकन्डरी हैल्थ सेन्टर

२००. **श्री भैरवलाल 'कालाबादल'** (अकलेरा) : क्या चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) पंचायत अकलेरा, जिला झालावाड़ द्वारा ५,०००) रु० की धनराशि, सैकन्डरी हेल्थ सेन्टर निर्माण हेतु किस तारीख को सहकारी बैंक अकलेरा में जमा की गई थी ?

(२) सरकार ने अब तक सेकन्डरी हैल्थ सैन्टर खोलने के बारे में क्या प्रगति की है ?

(३) क्या सरकार को यह विदित है कि पंचायत द्वारा सेकन्डरी हैल्थ सैन्टर के अभाव में जच्चाखाना खोले जाने के प्रस्ताव पास किये हैं ?

(४) पंचायत द्वारा भेजे गये प्रस्तावों का सरकार ने क्या उत्तर दिया है और किस-किस तारीख को ?

उपमन्त्री, चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) किस तारीख को पैसा जमा किया गया, वह सूचना मेरे पास नहीं है।

(२) सरकार के समक्ष सेकन्डरी हैल्थ सेन्टर खोलने की कोई योजना नहीं है। अतः प्रगति का प्रश्न नहीं उठता है।

(३) प्रस्ताव के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है। हां, विकास अधिकारी पंचायत समिति, मनोहर थाना के पत्र द्वारा यह अवश्य सूचित किया था कि ग्राम पंचायत अकलेरा ने ५,०००) रु० स्थानीय बैंक में अकलेरा में एक मेटरनिटी व चाइल्ड वेल्फेअर सेन्टर खोलने के लिए जमा करा दिया है।

(४) विकास अधिकारी को दिनांक २२-११-६३ को उपरोक्त पत्र के उत्तर में सूचित किया जा चुका है कि चूंकि अकलेरा में सरकारी डिस्पेन्सरी पहले से ही मौजूद है ऐसी हालत में सरकार के लिए उस स्थान पर एक मेटरनिटी व चाइल्ड वेल्फेअर सेन्टर खोलना सम्भव नहीं है।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : आपकी जब योजना में यह था कि सेकेन्डरी हैल्थ सेन्टर खोलेंगे और उस योजना के अन्तर्गत वहां की जनता ने रुपया जमा करा दिया, अब बाद में कहते हैं कि ऐसी योजना नहीं

(श्री भैरवलाल कालाबादल)

है । तो क्या योजना बनाना, बिगाड़ना कोई हंसी-खेल का काम है । यह समझ में नहीं आया । जब योजना थी कि सेकेन्डरी हैल्थ सेन्टर खोलेंगे तो जनता ने पैसा इकट्ठा कर दिया । अब कहते हैं कि योजना नहीं है जो योजना आपने पहले बनाई उसको आप भूल जायं और नई योजना के लिए कहें नहीं है तो यह समझ में नहीं आया ।

वित्तमन्त्री (श्री बालकृष्ण कौल) : समझ तो है नहीं ।

श्री रामकिशन (वैर) : आप बैठे हुए क्यों है वहां ?

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : जनता ने क्यों पैसा इकट्ठा किया । उसै बुखार चढ़ा था क्या ?

स्वास्थ्यमन्त्री (श्री बरकतुल्लाखां) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्लीअर करना चाहता हूं, जो सही बात है वह बताना चाहता हूं । सरकार से न तो यह डिमान्ड की गई और न योजना में रखा था कि सेकन्डरी हैल्थ सैन्टर खोला जाय और प्राइमरी हैल्थ सेन्टर वहां ऑल डी मौजूद है । उसके बाद वहां की जनता ने पांच हजार रुपया जमा करके बैंक में रख दिया और हमें इन्फार्म कर दिया । राजस्थान सरकार के मेडीकिल डिपार्टमेंट से जवाब गया कि हमने ऐसी योजना प्रसारित की नहीं थी । आपने जो रुपया जमा कर दिया है वह कैसे कर दिया है ? हम खोल नहीं सकते । साथ ही यह भी जवाब दिया कि मेटरनिटी व चाइल्ड वेल्फेअर सेन्टर खोलने के लिए कहते हैं वह भी सरकार की योजना में नहीं है इसलिए यह भी नहीं खोल सकते । इसके लिए कोई कमिटमेंट सरकार ने पहले न किया था और न लिख कर दिया था । अब अगर उन्होंने अपनी तरफ से रुपया जमा करा दिया है तो डिपार्टमेंट बाउन्ड नहीं हो जाता है कि वह खोले ।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : क्या सरकार यह उचित समझती है कि जनता अगर इच्छुक है तो वहां सेकन्डरी हैल्थ सेन्टर खोल दिया जाय ? जनता ने रुपया जमा करा दिया है तो सरकार क्या आश्वासन दे सकती है कि भविष्य में इसकी आवश्यकता महसूस करते हुए व्यवस्था की जायगी ?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : जनता की इच्छाओं से सरकार बाउन्ड नहीं है ?

श्री बरकतुल्लाखां : जनता की इच्छाओं को सरकार ध्यान में रखती है । मेरे दोस्त कम्युनिस्ट सदस्य कहते हैं कि सरकार जनता की इच्छाओं का ध्यान नहीं रखती; लेकिन योजना का मतलब फिक्सेशन ऑफ प्रायोरिटी होता है, वर्ना योजना नहीं होती है । कल कोई रुपया जमा करा दे और कहे कि फलां जंगल में एक कैन्सर का हॉस्पीटल खोलना चाहते हैं तो क्या सरकार खोल दे ? इसकी आवश्यकता आदि को देखते हुए विचार किया जायगा ।

श्री भैरवलाल 'काला बादल' : जिस जगह आपने सैन्टर खोले हैं वहां की जनता ने मांग नहीं की थी वैसे भी जब तक रुपया जमा नहीं करा दें तब तक आप नहीं

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

खोलेंगे। लेकिन यहां की जनता ने रुपया इकट्ठा कर दिया फिर भी नहीं खोलते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रभुलाल सेन्टर।

भीम सागर बांध में आई भूमि का मुआवजा

२०१. श्री प्रभुलाल 'सेन्टर' (खानपुर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) भीम सागर बांध का, जो पंचायत समिति खानपुर में है, निर्माण कब तक पूरा होगा तथा इससे सिंचाई कब से शुरू हो जावेगी?

(२) भीमसागर बांध एवं काली सिन्ध बांध में आई हुई भूमि का मुआवजा काश्तकारों को कब तक मिल जाने की उम्मीद है?

श्री उपमन्त्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी : (१) भीम सागर बांध का रिवाइज्ड एस्टीमेट प्लानिंग कमीशन के पास जांच के लिए विचाराधीन है, अतएव सिंचाई शुरू होने की कोई निश्चित अवधि नहीं बताई जा सकती।

(२) भीम सागर बांध में जो जमीन अब तक भी ली जा चुकी है उसके मुआवजे की कार्यवाही शुरू करने के बाबत कलेक्टर झालावाड़ से अप्राप्त की गई भूमि के बारे में डिटेल्स मंगवाये गये हैं। काली सिन्ध बांध की नहरों एवं सहायक नहरों की भूमि का मुआवजा भूमि अवाप्ति अधिकारी, झालावाड़ (जिलाधीश) से एवार्ड प्राप्त होने पर किया जायगा। अभी तक ७६० एकड़ जमीन में से २२३.७१ एकड़ जमीन के मुआवजे का चुकारा कर दिया गया है। शेष मुआवजे की रकम एवार्ड प्राप्त होने पर चुका दी जावेगी।

श्री प्रभुलाल 'सेन्टर' : भीम सागर बांध का काम कब से शुरू हुआ है?

श्री दिनेशराय डांगी : मैं उत्तर में बता चुका हूं कि निश्चित अवधि नहीं है।

श्री भैरवलाल 'काला बादल' : मेरी समझ में विधान सभा में कितनी बार यह क्वेश्चन आ चुका है। १९५३ से कई दफा आ चुका है। अध्यक्ष महोदय, ने रूलिंग दी है। मन्त्री महोदय बिना पीछे वाले जवाब को देखे हुए कह देते हैं। आप विधान-सभा की कार्यवाही को देखें। यह प्रश्न १९५३ से चला आ रहा है और हर साल यही बात आ रही है। आज भी कहते हैं कि कलेक्टर को भेज दिया गया है। कितनी बार कलेक्टर से पूछेंगे?

श्री दिनेशराय डांगी : उपाध्यक्ष महोदय, यह पहले १८ लाख का था, लेकिन रिवाज्ड एस्टीमेट ७० लाख का होगया है। प्लॉनिंग कमीशन से इसकी मन्जूरी नहीं आ जाती है तब तक यह काम में नहीं लिया जा सकता है।

श्री प्रभुलाल 'सेन्टर' : प्रश्न यह नहीं है कि भीम सागर का रिवाइज्ड एस्टीमेट दिया है। प्रश्न यह है कि मुआवजा कब

(श्री प्रभूलाल 'सेन्टर')

मिलेगा। आपने जमीन ले ली है उसका प्लानिंग कमीशन से सम्बन्ध नहीं है। जमीन का मुआवजा देने के लिए निश्चित तरीका होना चाहिए। उनकी जमीन एक्वायर किये हुए दस साल हो गये।

श्री दिनेशराय डांगी : भीम सागर मुआवजा देने के लिए डिटेल्स मंगवाई गई है। काली सिंध का चुकारा कर दिया गया है।

एक माननीय सदस्य : जो गांव डूब में आने वाले हैं उनको मुआवजा देने के लिए सरकार कब तक सोचती है ?

श्री दिनेशराय डांगी : यह तो सरकार की पॉलिसी है कि जल्दी से जल्दी चुकारा कर दिया जाय।

श्री प्रभुलाल 'सेन्टर' : केबिनेट की मीटिंग हुई थी झालावाड़ में उस समय मुख्य मन्त्रीजी ने सम्बन्धित चीफ इन्जीनियर को कहा था कि जल्दी मुआवजा चुका दें। उस बात को दो-तीन साल होगये, लेकिन अभी तक मुआवजा नहीं चुकाया गया। जो जमीन ली गई है उसको लिये हुए आठ-दस साल हो गये, उसका लगान वसूल होरहा है जो गई सील बन्द हुआ है।

श्री दिनेशराय डांगी : अगर मेरे नोटिस में इस सम्बन्ध में कोई चीज लाई जावेगी तो रफा-दफा की जावेगी।

श्री प्रभुलाल 'सैन्टर' :यह रोजाना का काम है।

श्री दिनेशराय डांगी : आप कोई परटीक्युलर केस बतावें कि उनको मुआवजा नहीं दिया गया है........

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): आपको जब यह भी मालूम नहीं है कि कितनों को मुआवजा देना है और कितनों को दिया गया है तो आप किस का उत्तर दे रहे हैं।

सिंचाई मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : इसमें दो बांध-एक भीम सागर और दूसरा कालीसिन्ध बांध के मुआवजे का सवाल है। मैं यह बताना चाहता हूं कि कालीसिन्ध का आधा मुआवजा चुका दिया है और बाकी अभी तक एवार्ड ही तय नहीं हुआ है। जब तक एवार्ड नहीं हो जावे तब तक पैसा नहीं चुकाया जा सकता। इसलिये हम लैंड एक्विजिशन ऑफिसर से तकाजा कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी एवार्ड करें और लगान के बारे में कहा गया है उसके लिये जिन लोगों की जमीन एक्वायर की गई है उनके मामले को मैं खुद पर्सनली देखूंगा कि उनसे वसूली नहीं की जावे और जिनको मुआवजा नहीं मिला है उनको पैसा जल्दी दिया जाए।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : वसूली पहले से कर रहे हैं उसके बारे में उनको वापिस दिलाने की कार्यवाही की जाएगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : पहले जैसा कहा गया है, भीमसागर बांध है उसका काम माइनर स्कीम के रूप में शुरू हुआ था और अब मीडियम स्कीम में हो रहा है। मैं यह कहूंगा कि जिन लोगों की जमीन पर हमने कब्जा कर लिया है और वहां पर गड्ढे

(श्री नाथूराम मिर्धा)

खोद दिये गये हैं ऐसी जमीन का मुआवजा तो देना ही है और अगर उनका लगान ले लिया गया है तो उसको मुआवजे के साथ किस तरह से रिफन्ड करना है इसके लिये एडजस्टमेंट कर देंगे। और जिनकी जमीन का हमने खराब नहीं की है मगर उन पर गड्ढे हमने नहीं खोदे हैं और वह जमीन अभी तक पजेशन में है और किसान ही उन जमीनों को उपयोग मे ले रहे हैं, ऐसी जमीनों के देन-लेन का कोई सवाल ही नहीं है। उन जमीनों पर उन्हीं किसानों का कब्जा माना जावेगा।

श्री प्रभुलाल 'सेन्टर' : ऐसी कार्यवाही कब से चल रही है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न सदन मे कई बार उठाया गया है। कब्जा किसानों से छुड़ाया जाने के बाद भी उनको कितना अर्सा हो गया है मगर फिर भी उन लोगों से लगान वसूल होता है। इसके अलावा उनको कितने ही वर्षों तक मुआवजा नहीं दिया जा सका है। वह सब लैंड एक्वीजिशन ऑफिसर की लापरवाही के कारण है। मेरा यह आरोप है कि किसानों को कई वर्षों से उनकी जमीन तो ले ली गई है मगर मुआवजा नहीं मिल रहा है वह जल्दी मिलना चाहिये। इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करूंगा कि शासन की ओर से भी इस सम्बन्ध में निर्देश दिया था कि सरकार इस पर सोच-विचार करके कोई ऐसा तरीका निकाले जिससे उन लोगों को जिनकी जमीनें एक्वायर की गई हैं जल्दी मुआवजा मिल सके। इस सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि सरकार को नियमों में भी यदि कोई परिवर्तन करना पढ़े तो करना जरूरी है। ऐसा करें कि ज्योंही तहसीलदार जमीन एक्वायर करे उसके साथ ही साथ इफ सो फेक्टो लगान बन्द हो जावे। दूसरी बात यह है कि उनके मुआवजे की कोई तारीख मुकर्रर होनी चाहिये कि फलां तारीख तक मुआवजा दे दिया जावेगा। इसके लिये प्रावधान होना चाहिये। यह मामला वर्षों तक चलता रहता है।

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : उपाध्यक्ष महोदय, में स्वयं इस बात से सहमत हूं और इस प्रकार की शिकायतें मेरे पास भी कई जगहों से आई कि जिनकी जमीनें एक्वायर की गई उनको वक्त पर कम्पेन्सेशन पे नहीं किया गया है और कई जगह लगान भी लिया जा रहा है। इस बात को हम स्वयं सिन्सियरली कन्सीडर करते हैं। गवर्नमेंट ने जहां तक लगान का प्रश्न है, यह आदेश जारी किये है कि जहां भी जमीन एक्वायर की जावे उस जमीन का लगान तत्काल बन्द कर दिया जावे। जब मेरे पास शिकायतें आई तो मै यह कहूंगा कि मेंने खुद ने किसानों के सम्मेलन में कहा था कि जहां तक उस जमीन का लगान का सम्बन्ध है जिसको सरकार ने एक्वायर कर ली है उसका लगान वे न दें। क्योंकि कोई भी व्यक्ति गलती करता है तो वह गैरवाजिब है। इस बारे में हमने फिर भी केबिनेट में विचार करके इरिगेशन और पी. डब्ल्यू. डी. को कहा कि जल्दी से जल्दी इसका फैसला होना चाहिये। इसके लिये डिपार्टमेंट के साथ एक ऑफिसर नियुक्त कर दिया है जिससे जिम्मेदारी एक ही एजेन्सी पर आ जावे और आज यह शिकायत है कि एवार्ड

Page No.18

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

देने वाली रेवेन्यू एजेन्सी है और कन्सट्रक्शन करने वाली दूसरी एजेन्सी होती है। इसलिये एक ही डिपार्टमेंट इसका जिम्मेदार हो और वह एक्वायर करके, एवार्ड देना हो वह देकर रेवेन्यू डिपार्टमेंट को लिख कर साइमलटेनियसली भेज दे, ताकि पटवारी उस जमीन का लगान खारिज कर दे। हम स्वयं इसके बारे में सचेत हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि अब जो भी कमियें नजर आ रही हैं वे समाप्त हो जायेंगी।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : अभी माननीय चीफ मिनिस्टर ने कहा, उसकी हमें प्रसन्नता है। लेकिन चम्बल प्रोजेक्ट.....

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order, please !

मैं समझता हूं कि····

(शोरगुल)

Order, please !

वे स्वयं इस बात को मानते हैं कि भूमि अवाप्त करने के बाद में लगान वसूल नहीं होना चाहिये और जो कुछ कहा गया है वह पर्याप्त है।

श्री प्रभुलाल 'सेन्टर' : उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा में माननीय चीफ मिनिस्टर का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि कोटा में अभी आब्जिदअली को भेज कर काश्तकारों से जबरन १५)रु. बीघा का मुआवजा वसूल किया गया था। मैं यह कहूंगा कि वहां पर कोई जमीन ऐसी नहीं है जिसका लगान १५) रु. बीघा हो। इसलिये इसमें न्याय फरमाते जावें।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे विश्वास है कि सरकार जल्दी ही कदम उठावेगी।

श्री प्रभूलाल 'सेन्टर' : डिमान्ड जारी होने से पहले कोई भी मुआवजा नहीं चुकाया जा सकता।

प्रश्न संख्या २०२

श्री उपाध्यक्ष : श्री विजयसिंह झाला।

(अनुपस्थित)

श्री अब्दुल जब्बार : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत इम्पॉरटेन्ट प्रश्न है····

श्री उपाध्यक्ष : श्री मजलिस खां।

नल योजना-कस्बा कामां व पहाड़ी

२०३. **श्री मजलिस खां** (कामां) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि कस्बा कामां और कस्बा पहाड़ी को नल-योजना का सर्वे करा लिया गया है ? यदि हां, तो यह सर्वे कब कराया गया ? और दोनों कस्बों की अलग-अलग कितनी-कितनी लागत की स्कीम तैयार की गई है ?

(२) यदि स्कीम तैयार है, तो क्या सरकार उपरोक्त कस्बों को उनके हिस्से की रकम दाखिल कराने की आज्ञा देने का विचार रखती है ?

(श्री मजलिस खां)

(३) यदि हिस्से की रकम दाखिल कर दी जावे तो क्या सरकार वर्ष ६३-६४ में ही उपरोक्त दोनों कस्बों में नल योजना का कार्य शुरू कर देगी ?

उपमंत्री, स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) नल योजना का सर्वे करवा दिया गया है। कामां की स्कीम ७,१६,७००, रु० की व पहाडी की ६५,०००) रु. की है।

(२) यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

(३) उपरोक्त दोनों स्कीमें भारत सरकार की सेवा में स्वीकृति के लिये भेजी जावेगी। स्वीकृत प्राप्त होने पर ही इस मामले में निश्चित रूप से कहा जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

झलमली बन्ध--तहसील दौसा

२०३. **श्री मूलचन्द चौधरी** (दौसा) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे,

(१) दौसा तहसील मे झलमली बन्ध जो ग्राम बड़ा गाव मे है उसमें कितना फुट पानी है, और कितना पानी सिंचाई के काम में आता है, और कितने एकड़ में ?

(२) इस पानी की सिंचाई से सरकार को सालाना कितनी आमद होती है ?

(३) जो भूमि बन्ध के भराव में आ गई है उसमें पहिले कितनी एकड़ भूमि में खेती होती थी तथा सरकार को कितना लगान वसूल होता था ?

(४) यदि इस बंध में सिंचाई के अलावा फालतू पानी रहता है तो सरकार उस फालतू पानी को क्यों नही निकाल देती जिससे वहां उस खाल पड़ी हुई जमीन में खेती हो सके ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) इस बन्ध का १३ फुट ६ इन्च का पूरा भराव है। १९५८ से १९६१ तक इसका करीब आधा पानी काम में आता रहा है। १९६२ तक इसका करीब सारा। १९६३ में $\frac{2}{3}$ और इस साल पूरा। अत्यधिक सिंचाई १३८५ एकड़, १९६२ में हुई।

(२) अब तक करीब ७,०००) रु० वार्षिक।

(३) करीब ८०० एकड़ में जिसका लगान करीब २५,००) रु० होगा।

(४) इस सुझाव को अवश्य ध्यान में रखा जावेगा।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न संख्या २०५। श्री रावतराम।

चौधरियों से लगान

२०५. **श्री रावतराम** (सादुलपुर) : क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान में चौधरी--प्रथा समाप्त करने के बाद भूतपूर्व चौधरियों से पिछले पांच सालों का लगान एक मुश्त इस साल वसूल किया जा रहा है ? यदि

(श्री रावतराम)

हां, तो इसका क्या कारण है ? यदि नहीं, तो जिन चौधरियों से पांच साल का लगान वसूल किया गया है क्या उसे सरकार वापिस देने की कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(२) भूतपूर्व चौधरियों को पिचोतरा देने के अलावा सरकार उनके कब्जे की जमीन का कितना लगान माफ करती थी ?

(३) भूतपूर्व चौधरियों को यदि लगान में छूट थी तो अब उनसे वसूल क्यों किया जा रहा है ?

उपमंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : माननीय उपाध्यक्षजी, इस प्रश्न का उत्तर ८, १० पेज का लम्बा-चौड़ा है क्योंकि इन्फोमेशन हीं इस प्रकार की मांगी गई थी। उत्तर मैं सदन की मेज पर रख देता हूं, माननीय सदस्य चाहें तो एक कॉपी माननीय सदस्य को भेज दूंगा।

श्री रावतराम : माननीय उपाध्यक्ष,....

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : लिस्ट न सुनाइये पर उत्तर तो सुनाइये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : लिस्ट नहीं है, किस जिले में चौधरियों की क्या प्रथा थी, उनको क्या क्या कन्सेशन्स थे, हर डिस्ट्रिक्ट के दो-दो तीन-तीन पॉइन्ट थे उनके ऊपर स्पष्टीकरण, या रिप्लाई मैंने दिया है, दस बारह पेज में इसका उत्तर है। खाने भी तीन हैं, इसलिये मैने यह निवेदन किया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ा इम्पॉर्टेन्ट प्रश्न है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कोई इम्पॉर्टेन्ट नहीं है। माननीय सदस्य को गलत फहमी है कि यह लम्बरदारी प्रथा से सम्बन्धित है, यह चौधरी प्रथा सेसम्बन्धित है जो कि भूतपूर्व बीकानेर की कुछ डिस्ट्रिक्ट्स और पिड़ावा में थी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह तो नाम का फर्क है, कोई चौधरी कहते हैं, कोई नम्बर दार कहते हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वह प्रश्नकर्ता का मतलब मै समझता हूं। दोनों को मिक्स मत कीजिये, दोनों अलग-अलग हैं।

श्री रावतराम : मेरे प्रश्न संख्या (३) का उत्तर दिया जाय।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने अर्ज किया न कि हर डिस्ट्रिक्ट के लिये खानेवार लिखा है।

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल (बयाना) : श्री उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या (३) में पूछा गया है कि भूतपूर्व चौधरियों को यदि लगान में छूट थी तो अब उनसे वसूल क्यों किया जा रहा है ? इसका जवाब दे दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : आप संक्षेप में कह दें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : संक्षेप में यह है कि भूतपूर्व चौधरियों को लगान की छूट के सम्बन्ध में जहां तक जानकारी मेरे पास उपलब्ध हुई है २३ डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसी प्रथा नहीं थी जहां भूतपूर्व चौधरियों को लगान के अन्दर

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

किसी किस्म की कोई छूट हो। जो सूचना प्राप्त हुई है उसके आधार पर बीकानेर के ३ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां किसी न किसी रूप में चौधर प्रथा थी जिसके अन्दर उनको जमीन के लगान पर कुछ छूट थी, वह छूट वसूल की जा रही है। इसका मूल कारण यह है कि लैंड रेवेन्यू एक्ट के लागू हो जाने के बाद अब कोई प्रावधान ऐसा नहीं रहा कि जिससे किसी जमीन पर लगान की छूट हो। अगर वह माफी की तारीफ में आता है तो १-७-५८ से माफी भी समाप्त हो गई। उस कारण से अब रेंट फ्री ग्रान्ट नहीं रही। इस वजह से और साथ ही जो ड्यूटीज सर्विस ग्रान्ट के रूप में लागू थीं उन सर्विसेज को करने की आवश्यकता नहीं रही इसलिये इन दिनों में रकम वसूली का सवाल सरकार के सामने है।

(उत्तर विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : चौधरी रहे उस अर्से का भी लगान वसूल किया जा रहा है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : लम्बरदारी प्रथा और चौधर में फर्क है; ये दोनों एक नहीं हैं, इनको मिक्स मत कीजिये। लम्बरदारी प्रथा भी अब समाप्त हो गई है। ५ प्रतिशत वसूल की गई रकम का देने का सिस्टम था जिसे पिचोतरा सिस्टम कहते हैं वह भी समाप्त हो गया।

श्री रामकिशन (वैर) : चौधरी प्रथा समाप्त कहां हुई? अब भी चौधरी कुम्भाराम, चौधरी रामचन्द्र कहलाते हैं। लीगली समाप्त नहीं हुई है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : लम्बरदारी प्रथा से ४ साल पहले चौधरी प्रथा समाप्त हो गई है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न संख्या २०६, श्री मुरलीधर व्यास!

पोस्टमार्टम की रिपोर्ट

२०६. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सत्य है कि बीकानेर अस्पताल में दि० १६-५-६२ को एक कैदी बलवंतसिंह को रात को भरती कराने के लिये लाया गया था? यदि हां, तो कब व कितने बजे व किस के द्वारा?

(२) जिस समय कैदी लाया गया उस समय डॉक्टर ड्यूटी पर कौन था? उसने कैदी को देख कर क्या रिपोर्ट दी?

(३) क्या इसी कैदी का दि० २०-५-६२ को पोस्ट मार्टम किया गया था? क्या पोस्ट मार्टम करने के पहिले सम्बन्धित डॉक्टर ने उस लाश की सूचना पी. एम. ओ. या सुपरिन्टेन्डेन्ट, पुलिस को दी थी? यदि नहीं तो क्यों? पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट क्या है? उसे सदन की मेज पर रखें।

उपमन्त्री, स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा): (१) जी हां। ता० १८-५-६२ (ता० १६ को नहीं) एक कैदी बलवंतसिंह को करीबन रात को ११ बजे लाया गया था। साथ में डा० प्रेम आधार, मेडीकल ऑफीसर जेल भी थे।

Page No.22

(श्रीमती प्रभा मिश्रा)

(२) जिस समय कैदी लाया गया उस समय डा० यू. के. सत्संगी ड्यूटी पर थे। जब उन्होंने कैदी का मुआयना किया तो वह मरा हुआ पाया गया तब उन्होंने लाश को मुर्दाखाना भिजवा दिया।

(३) पोस्टमार्टम ता० १९-५-६२ प्रातः काल किया गया। ता० २० को नहीं। डा० प्रेम आधार जो जेल का डाक्टर था कैदी के साथ आया था अतः उसकी मृत्यु की सूचना ड्यूटी डॉक्टर द्वारा जेल सुपरिन्टेन्डेन्डेंट् को देने की जरूरत नही थी। सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस को सूचना देने की तब ही आवश्यकता होती है कि जब कोई अप्राकृतिक मृत्यु होने का कारण होता है। पोस्ट मार्टम भी एम. एण्ड. एच. ओ. के ऑर्डर से हुआ था यों तो पोस्ट मार्टम अस्पताल का ज्युरिस्ट करता है मगर खासकर इस केस के अन्दर श्री रामचन्द्र एस. डी. एम. ने पोस्ट मार्टम को मेडिकल बोर्ड से कराने को कहा तब पी. एम. एण्ड एच. ओ. की आज्ञा द्वारा पोस्ट मार्टम बोर्ड से कराया। पोस्ट मार्टम रिपोर्ट सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची अधिक विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री मुरलीधर व्यास : आपने कहा कि अस्पताल लाया गया उस वक्त मरा हुआ था, तो जो लोग लाये थे उनको पता नहीं था कि यह मरा हुआ है इसको हॉस्पीटल कैसे ले जायें ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : आपने ध्यान से नही सुना मैने यह कहा है कि मुआयना किया उस समय मरा हुआ पाया गया। मरा हुआ या तब ले जाया गया यह मैंने नहीं कहा है।

श्री मुरलीधर व्यास : जो जेल से लाये उनको पता नहीं था कि यह मरा हुआ है या नहीं। यह प्रश्न मैं इसलिए कर रहा हूं कि वह जेल में मर चुका था फिर हॉस्पिटल में भर्ती करवाने की कोशिश की गई थी, यह छुपाने के लिये कि जेल में नहीं मरा हॉस्पिटल में भर्ती करवाने के बाद हॉस्पिटल में मरा।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : यह प्रश्न आप जेल विभाग से कर सकते हैं। मेडिकल विभाग के पास तो यह सूचना है कि जब हॉस्पीटल में उनका मुआयना किया गया तो वह मरा हुआ पाया गया।

श्री मुरलीधर व्यास : रास्ते में मर गया और जो लोग ले गये थे उनको पता नहीं चला कि वह मर गया है ?

(विराम)

जवाब दीजिये।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जवाब दे दिया गया है।

श्री मुरलीधर व्यास : मेरा प्रश्न यह भी था कि उसको कौन ले गये थे ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जवाब दे दिया गया कि डॉक्टर।

Page No.23

(श्री मुरलीधर व्यास)

श्री मुरलीधर व्यास : डॉक्टर साथ में था तो क्या डॉक्टर भी नहीं समझ सका कि हस्पिटल में प्रवेश दे रहे हैं जब कि यह मरा हुआ है। डाक्टर जांच नहीं कर सके कि मरा है या जिंदा है।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : प्रश्न यह है कि उसको भर्ती किया गया या नहीं ? भर्ती किया गया तो क्या जिस तरह बाकायदा भर्ती करते हैं उस तरह भर्ती हुआ है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बरकतउल्ला खां) : माननीय उपाध्यक्ष, जब एक आदमी अस्पताल में लाया गया, जैसे इस पर्टीक्यूलर केस में कैदी अस्पताल में लाया गया तो अस्पताल वालों ने मुआयना किया तो पता चला कि वह मरा हुआ है। साथ में जो आये थे उनको पता था या नहीं कि वह मर गया है या जिंदा है, इसकी जानकारी मेडिकल विभाग के पास नहीं है। जब लाश लाई गई तो वह मरा हुआ था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : लाश लाई गई ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : भर्ती किया गया या नहीं ?

श्री बरकतउल्ला खां : भर्ती तो मुर्दा खाने में किया गया।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या यह सही है कि इस घटना के बारे में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने मेजिस्टीरियल इन्क्वायरी कराई और ३ जेल के कर्मचारी सस्पेन्ड हो रहे हैं, और उन पर केस चल रहा है ?

श्री बरकतउल्ला खां: मेडिकल डिपार्टमेंट को इसकी जानकारी नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपने कहा कि नेचरल डेथ थी। इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखके के बाद कहते हैं कि नेचुरल डेथ हुई।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कहा है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : पोस्टमार्टम के आधार पर ही ३०७ और ३२६ में केस चल रहा है।

श्री मथुरादास माथुर : कोई दूसरी रिपोर्ट होगी, वह केस दूसरा है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : वही केस है, वही रिपोर्ट है, आज भी जेल के ३ कर्मचारियों पर मुकदमा चल रहा।

श्री बरकतउल्ला खां : जहां तक मेडिकल डिपार्टमेंट का ताल्लुक है जब उसे हॉस्पिटल में लाया गया और जांच की गई तो पता चला कि मरा हुआ है और उसे मुर्दाखाने में भेजा गया। मेडीकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सदन की मेज पर रख दी। कौन सस्पेन्ड हुआ कौन नहीं हुआ; इसकी मेडीकल डिपार्टमेंट के पास जानकारी नहीं है।

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या जेल में जो डॉक्टर्स हैं वे मेडिकल डिपार्टमेंट के नही हैं?

श्री बरकतुल्लाखां : वह ठीक है लेकिन सवाल यह है कि जिस वक्त उसे अस्पताल में लाया गया वह मुर्दा पाया गया।

श्री मानिकचन्द सुराणा : जिस वक्त वह अस्पताल में लाया गया, उस वक्त मेडिकल ऑफिसर भी उसके साथ था। यदि लाश मर चुकी होती……

श्री बालकृष्ण कौल : क्या कभी लाश भी मरती है? आदमी मरता है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप जरा समझने की कोशिश कीजिये। इससे वित्त विभाग का कोई ताल्लुक नहीं है। मेडिकल डॉक्टर को क्या आवश्यकता थी कि एकम्पनी करता। तो उस डॉक्टर के खिलाफ इस गैर कानूनी कार्यवाही के लिये और पुलिस की सहायता करने के लिए और जेल के कर्मचारियों को ढकने के लिए अस्पताल में भर्ती किया अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिये। तो इस अबेटमेंट के लिए उस डॉक्टर के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : इस सिलसिले में कोई गैरकानूनी कार्यवाही नहीं हुई है। मरीज जेल से अस्पताल डॉक्टर द्वारा लाया गया, इसमें कोई सन्देह नहीं। अगर मरा हुआ होता तो नहीं लाया जाता। मरीज लाया गया, वहां एग्जामिन किया। यह कहना कि रास्ते में मर गया……..

श्री मुरलीधर व्यास : प्रश्न यह नहीं है। जिसको आप कहते हैं कि मर गया था, वह तो मर जाने के बावजूद भी डॉक्टर जो ड्यूटी पर था उसने कहा कि इसे भर्ती किया जाय।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय पर काफी बहस हो चुकी है।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल (बयाना): चेयर को गाइड करने वाला कोई नहीं हो सकता।

श्री मुरलीधर व्यास : उसके साथ जो डॉक्टर था उसने अस्पताल के डॉक्टर से, जो ड्यूटी पर था, कहा कि इसको भर्ती किया जाय। डॉक्टर तो वहां से चला गया, परन्तु मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं झूठ कभी नहीं बोलता हूं, उस आदमी को जिसकी लाश वहां पर थी उसे जगह-जगह पर चोटें थीं, उसकी हड्डियां टूटी हुई थीं, उसको लोहे की सीखों से मारा गया था,

(शेम, शेम)

उसके सिर पर चोट थी। उसको बुरी तरह से मारा गया था। एक आदमी नहीं, पांच आदमी जो जेल के अन्दर बंद थे पांचों आदमियों को मारा गया। आज भी बाकी ४ मौजूद हैं। आप देखिए जो आदमी जेल की कस्टडी में हों, आप उसको वहां बुरी

Page No.25

(श्री मुरलीधर व्यास)

तरह से मारें और उसकी मौत हो जाय और डॉक्टर का ऐसा सार्टिफिकेट हो तो उसकी जांच होनी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : Order please Next Question.

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं तथ्यों के आधार पर.........

(कई माननीय सदस्यों के उठने पर)

श्री उपाध्यक्ष : One at a time.

श्री मानिकचन्द सुराणा : इसकी जांच की जाय। मेजिस्टीरियल एन्क्वायरी से साफ जाहिर हो चुका है कि यह मौत बिल्कुल अननेचुरल है। मन्त्री महोदय और उपमन्त्री कहते हैं कि यह नेचुरल डेथ हुई। यदि इस सर्टिफिकेट के आधार पर कोई भी डॉक्टर यह कह दे कि नेचुरल डैथ हुई है तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं वर्ना मंत्री महोदय को इस्तीफा देना पड़ेगा।

श्री बरकतुल्ला खां : पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी गई है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप कैसे कहते हैं कि यह नेचुरल डैथ हुई ?

श्री बरकतुल्ला खां : अब बाकी क्या चीज रह गई ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं जवाब चाहता हूं। आपने कहा कि नैचुरल डेथ हुई। आपको गलत बात कहते हुए शर्म आनी चाहिए।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पोस्टमार्टम रिपोर्ट सदन में पढ़ी जाय। सरकार को इसे छिपाने में कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : मैं एक पोर्शन पढ़कर सुनाता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : और भी कई माननीय सदस्यों के प्रश्न हैं। इसे फिर पृथक रूप में उठाया जाय।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं इस जेल के डॉक्टर के खिलाफ मैजिस्टीरियल जांच का आश्वासन चाहता हूं।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चून्डावत : Point of Order sir इसके ऊपर केस चल रहा है। इस केस में वकील कौन है ?

श्री उपाध्यक्ष : यह अलग प्रश्न है।

श्रीमती सुमित्रा : (झुंझनूं) कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य हैं।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : क्या शासन का फर्ज नहीं है कि उसकी रिप्लाइ रिलेवन्ट आए। मुर्दा भर्ती हो सकता है क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, प्लीज। अगर विभाग के पास.........

(श्री बरकतुल्ला खां)

श्री बरकतुल्ला खां : जब किसी को एडमिट किया जाता है इन दी प्रोसेस ऑफ एडमिशन उस आदमी को एग्जामिन किया जाता है। इस प्रोसेस के अन्दर जब इसको एग्जामिन किया तो पता लगा कि वह मर चुका है। मरीज अलग-अलग हालत में आते हैं। कोई कॉन्श्यस होता है, कोई सेमी कॉन्श्यस होता है, यह एक नेचुरल और नॉरमर्ल रूटीन है। जब उसको एग्जामिन किया तो पता लगा कि उसकी डेथ हो चुकी है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : इसका मतलब वह भर्ती नहीं हुआ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं इस विषय में अधिक समय नहीं दे सकता।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) क्या मैं जान सकता हूं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को इस सदन में पढ़कर सुनाने में कोई एतराज है? यह मामल संगीन है। सदन की जानकारी के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट यदि मंत्री महोदय पढ़ कर सुनाएं तो ठीक होगा।

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझता हूं कि अब इस जगह पर पढ़ कर सुनाने की बात नहीं है। मेज पर पहिले ही रख दी गई है।

(अनेक माननीय सदस्यों के उठने पर)

The Chair is on its legs.

श्री बरकतुल्ला खां : यह है पोस्टमार्टम रिपोर्ट सुपरिन्टेन्डेट आफ जेल्स बीकानेर, डिस्ट्रक्ट बीकानेर की है।

(९.०० म. पू.)

"District: Bikaner
Dated: 19.5.1962.

Body brought by:	Shri Rekh Singh Jailer, Bikaner.
Body identified by:	Shri Rekh Singh Jailer, Bikaner, and Shri Malam Singh, Warder, Jail Bikaner.
Name, sex and caste:	Balwant Singh--Male--Hindu.
Whence brought, Village Thana:	Central Jail, Bikaner.
Date and hour of Death :	11.40. P.M. on 18.5.62.
Examination of body.	: 8.45 A M. 19-5-62.
Despatch of matter to Chemical Examiner:	On 19.5.62.
Appearance of symptoms of poison or disease:	: Nil.
Symptoms observed before death:	Severe precordial pain was complained of since 8.30 P. M.

(श्रीबरकतुल्ला खां)

Information furnished by-Police:	He was dyspnoic and had cold and clammy perspiration. This information has been furnished by M.O., I/c. Jail.

EXTERNAL APPEARANCE

1. Condition of subject:	Well built subject-Rigor mortis persent all over the body. There is oedma on both feet probably due to hypostasis. "...

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : क्या यह............

श्री उपाध्यक्ष : आप पहले सुन लीजिये ।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : Order please ! Order please ! !

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! Order please !!

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : एक व्यवस्था का सवाल है ।

(सरकारी पक्ष द्वारा व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप पहले यह सुन लीजिए ।

श्री मुकुट बिहारींलाल गोयल : एक व्यवस्था का सवाल है । सदन की प्रतिष्ठा का सवाल है ।

(सरकारी पक्ष द्वारा व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : (विपक्ष से) क्या आप सुनना नहीं चाहते रिपोर्ट को ?

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : एक व्यवस्था का प्रश्न है, उपाध्यक्ष महोदय । हाउस को कन्ट्रोल उधर से (आसन से) किया जा रहा है या इधर से (सरकारी पक्ष की ओर से) किया जा रहा है ?

श्री उपाध्यक्ष: Order please!Order please. !! कृपया सुन लीजिए ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : हम सुनना नहीं चाहते माननीय सदस्य को ।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! माननीय सदस्यगण व्यवस्थित रहें ।

श्री उपाध्यक्ष महोदय : Order please !

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : अगर यही परम्परा जारी रही तो कोई नहीं बोल सकता ।

(सरकारी पक्ष द्वारा मेज थपथपाना)

Page No.28

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

हम भी मेजें खड़खड़ाना जानते है

(सरकारी पक्ष द्वारा पुनः मेजें थपथपाना)

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! How can you hear it ?

श्री रामकिशन वैर : उपाध्यक्ष महोदय, इस भीड़ को समझा दिया जाय। सदस्य नहीं हैं, भीड़ है।

श्री उपाध्यक्ष : Is the House in a mood to hear the report ?

अनेक माननीय सदस्य : Yes, yes.

श्री बरकतुल्ला खां : Wounds,-position, size and character :- Nil

Bruises :	One bruise 2" x 1½" on the left side of frontal and temporal region. Caused by plunt object. Antemortem in nature.
Mark of ligature on neck, dissection etc. :	Nil
Condition of pupils :	Dilated."

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : Very fishy.

श्री बरकतउल्ला खां : "1. Scalp, skull and vertebrae :

(i) Subcutaneous bruise on the left frontal region of the scalp.

(ii) Skull healthy.

(tii) Vertebrae Healthy.

2. Memberanes: Healthy

3. Arain and spinal cord : Healthy

THORAX

1.	Walls, ribs and cartilages :	Healthy
2.	Pleurae :	Partial pleurae densely adherent to the lung on both sides.
3,	Larynx and tracheae:	Healthy
4.	Right lung:	Both lungs conjusted and oedmatous.
5.	Left lung:	
6.	Pericardium:	Healthy
7.	Heart:	Small thrombi seen in the smaller tributarias of the coronary vessels. No clot of thrombi seen in the main coronary vessels. Small

Page No.29

(श्री बरकतुल्ला खां)

areas of myocardial infarction seen in the wall of heart.

8. Large vessels: Healthy.

ABDOMEN

1. Walls: Healthy

2. Peritaneum Healthy.

3. Mouth, Pharynx and Esophague: Healthy.

4. Stomach and its contents: About 10 ozs. of straw coloured fluid present.

5. Small intestines and their contents : Greenish, yellow semi solid material present.

6. Large intestines and their contents : Fecal matter and gases.

7. Liver : Healthy-Gall bladder full of bile.

8. Spleen : Healthy.

9. Kidneys : Healthy.

10. Bladder : Empty.

11. Organs of generation, external and internal : Healthy,

REMARKS BY MEDICAL OFFICER

In our opinion the probable cause of death of deceased Balwant Singh is 'Myocardial infarction with ventricular fibrilation and pulmonary oedma. The viscera have been preserved and are being sent to the Chemical Examiner, Rajasthan, Jaipur to exclude the evidence of any poison. No Particalar Poison is suspected. Sd./ Dr. R. K Bhargava. Sd./ Dr. G. D. Maru Sd·/ Dr.R. K. Sharma'

श्री मुरलीधर व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं। मेडिकल रिपोर्ट में यह है कि जेल के डॉक्टर ने बताया कि उसके सिर में दर्द था और अस्पताल ले गये और दूसरे डॉक्टर की रिपोर्ट में यह है कि उसके सिर में भयानक चोट थी। जेल के डॉक्टर को यह पता नहीं था कि उसके सिर में भयानक चोट थी ? जेल के डॉक्टर की और उस डाक्टर की दोनों की रिपोर्ट में यह डिफरेन्स ऑफ ओपोनियन क्यों है ? यह वाइटल पार्ट है। पूरे शरीर पर चोट नहीं लगती है। पेन कह कर ले जाते हैं। दोनों की रिपोर्ट में इस प्रकार का फर्क क्यों है इसका जबाब दीजिये ?

श्री बरकतुल्ला खां : उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री बरकतुल्ला खां)

यह तो अदालत फैसला करेगी क्योंकि कोर्ट में यह मामला आ गया है। मैं इस विषय में अधिक कुछ नहीं कह सकता।

श्री मुरलीधर व्यास : आप क्यों नहीं कहेंगे ?

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

इसके विषय में माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि इसके विषय में अधिक वाद-विवाद करने की आवश्यकता हो तो विभिन्न प्रकार की बहस उठा ली जाय ।

प्रश्न का समय बढ़ाने सम्बन्धी वाद-विवाद

जब चूंकि प्रश्न का घन्टा समाप्त हो गया है इसलिये दूसरी कार्यवाही ली जाती है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : मेरा निवेदन है कि इस घंटे को आध घंटे से और बढ़ा दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : मै माननीय सदस्यों से यह जानना चाहता हूं कि क्या इसको बढ़ाया जाय ?

श्री उपाध्यक्ष (सरकारी पक्ष) : No, Sir

श्री मानसिंह महार (आमेर) : आधा घन्टा बढ़ा दिया जाय ।

कई माननीय सदस्य : समय बढ़ा दिया जाय ।

श्री रामप्रसाद लड्डा (उपमंत्री,राजस्व) उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से समय बढ़ाने से अन्य कार्यों में विलम्ब हो जाता है ।

श्री उपाध्यक्ष : बिजेनेस अधिक है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : दोनों बिलों को पास कर देंगे ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार जयपुर) : दोनों बिल हो जावेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : आधे घन्टे का समय बढ़ा देने पर भी यदि दुसरे माननीय सदस्य नहीं बोल सकेंगे तो उनको एहसास हो जायगा । इसलिए आधा घन्टा नही बढा सकता ।

(विराम)

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा समय ही बढा दिया जाय ।

(शेष तारांकित प्रश्नों के लिए कृपया परिशिष्ट २ देखिए)

(९.१९ म. पू.)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

अजान व कनुआ बांध से सिंचाई

६९. **श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंह नगर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

Page No.31

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

१. क्या यह सही है कि सन् १९५२ में अजान व खनुआ बांध जिला भरतपुर से राजस्थान में सिंचाई न होकर सरहद पर मिले आगरा तथा उत्तर प्रदेश के उत्त, धारौली, दाउदपुर, सावरा, मेहमदपुर, अतसार, खेरों, सोनोठी, धिलोई, चोमा, बंडपुरा आदि गांवों की सिंचाई कर दी गई थी ?

२. क्या यह सही है कि इस कार्य के लिए चिकसाना नहर की बैंक जगह जगह काटी गई तथा चिकसाना नहर में ग्राम चोकीपुरा तहसील भरतपुर के पास करीब ५० फीट का नाका किया गया ?

(३) क्या यह सही है कि अजान बंध के १० व २७ मोरों को खोल कर पानी उत्तर प्रदेश में निकाला गया ?

४. क्या यह सही है कि उपरोक्त कार्य से भरतपुर जिले के पंचायत क्षेत्र बछामदी, बहुनेरा, सुवारी, चिवाना, मलांह मुरवारा आदि सिंचाई के बिना रह गये जिससे हजारों एकड़ उपजाऊ धरती बिजाई के बिना रह गई जिससे कृषि की उपज को भारी हानि हुई ?

५. क्या यह सही है कि उपरोक्त काण्ड की सूचना कलेक्टर भरतपुर को लिखित में दी गई ?

६. कलेक्टर को इस सम्बन्ध में क्या रिपोर्ट है ? कृपया रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

७. क्या यह सही है कि भरतपुर की उपरोक्त पंचायत क्षेत्रों में १९५६ से १९६१ तक पानी से भारी क्षति हुई थी तथा फसलें पूर्ण रूप से तबाह हो गई थीं ?

८. क्या यह सही है कि इस बरबादी के बावजूद भी १.२० न. पै. आबयाना वसूल किया जा रहा है ? क्या ऐसे क्षेत्र से जो एक बार पानी की अधिकता से और दूसरी बार पानी की कमी से बरबाद है, उपरोक्त रकम की वसूली उचित है ? क्या सरकार इस समस्त मामले की जांच कराकर सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

१. जी नहीं ।

२. जी नहीं ।

३. जी नहीं ।

४. जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

५. जी हां, ऐसी सूचना कलेक्टर को दी गई है ।

६. एडिशनल कलेक्टर को रिपोर्ट का सारांश सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

७. जी नहीं ।

८. जी नहीं । आबयाना केवल उन्हीं खेतों पर लगाया गया जिनमें फसलों को पानी से लाभ हुआ । अतः आगे कोई कार्यवाहीं की आवश्यकता नहीं है ।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिए)

नहरों मे कनर्वट की गई भूमि का मुआवजा

७०. कु. श्री महेन्द्रसिंह (दिगोद) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

१. तहसील दीगोद, बड़ोद व लाडपुरा, जिला कोटा में चम्बल बांध से कितनी मेन कैनाल डिस्ट्रीव्यूटरों व माइनर निकली है ? इन सम्पूर्ण नहरों में कितनी भूमि कनर्वट की गई है ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे । उक्त माइनर डिस्ट्रीयूव्टरी को निकले कितना अर्सा हुआ ?

२. आज तक इस कमान्डेड एरिया के कितने ग्रामों के ग्रामवासियों को मुआवजा भूमि व फसल का दे दिया गया है व कितनों को देना अभी बाकी है ? सम्पूर्ण जानकारी की सूची सदन की मेज पर पर रखी जावे ।

३. बाकी ग्रामवासियों को भूमि व फसल का मुआवजा अभी तक नहीं दिये जाने का क्या कारण है व कब तक दे दिया जावेगा ।

उत्तर

१. तहसील लाडपुरा व दीगोद बड़ौद अब तहसील नहीं है । चम्बल बांध से २ मुख्य नहरें इ. ३ ब्रांच, १५ डिस्ट्रब्यूटरो व १४३ माइनर्स निकलीं है, उन सम्पूर्ण नहरों में १२४६६ बीघा भूमि अवाप्त की गई है। प्रत्येक डिस्ट्रब्यूटरी व माइनर को खोदने का अलग-अलग समय है। अधिकतर नहरें सन् १९५९ से १९६१ खोदी गई है सूची संलग्न है ।

२. फरवरी ६४ तक कमान्डेड एरिया के १४० ग्रामों के ग्रामवासियों को मुआवजा भूमि (सूची संलग्न है) व ६५ ग्रामों के ग्राम वासियों को मुआवजा फसल दिया गया है (सूची संलग्न है), एवं ८१ ग्रामो के ग्रामवासियों को भूमि का मुआवजा अभी देना बाकी है (सूची सलग्न है) अब तक ५४ ग्रामों के ग्रामवासियो को मुआवजा फसल देना बाकी है (सूची संलग्न है)

३. शेष ग्रामवासियों को भूमि व फसलों का मुआवजा अब तक न मिलने का मुख्य कारण यह है कि भूमि अवाप्ति नियम को विभिन्न धाराओं में नहरों के प्रकाशनार्थ बहुत समय लग जाता है । नहरों को खोदने से पहले इन नहरों में आने वाले खेतों की अनुमानित क्षेत्रफल की सूचियां व नक्शा भूमि अवाप्ति अधिकारी कोटा के पास भेजा जाता है और वहां से यह सूचियां धारा ४ में प्रकाशनार्थ सहायक सचिव, सिंचाई विभाग राजस्थान, जयपुर के पास भेजी जाती हैं । यहां से यह सूचियां राजकीय मुद्रणालय में प्रकाशनार्थ जाती है। इसके बाद भूमि अवाप्ति अधिकारी के यहां से सर्वे पार्टी मौके पर भेजी जाती है । सर्वे के बाद धारा ६ के अन्तर्गत खेतों के सही क्षेत्र फल का प्रकाशन होता है। इसके बाद धारा ९ (१) के अन्तर्गत सम्बन्धित खेतों के कृषकों को एक जनरल नोटिस दिया जाता है कि उक्त भूमि उक्त नहर के लिए ली जावेगी । धारा ९ (२) के अन्तर्गत प्रत्येक खातेदार के बयान लिये जाकर भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा उस भूमि का अवार्ड जारी किया जाता है ।

Page No.33

(कु० महेन्द्रसिंह)

इस अवार्ड की जांच सिंचाई कार्यालय में होती है। और फिर यह अवार्ड चीफ अकाउन्ट आफीसर, चम्बल परियोजना कोटा के यहां भेजा जाता है। वहां से मुआवजे के चेक बन कर आता है। और यह चेक सम्बन्धित व्यक्ति को तहसील हैड क्वार्टर पर सम्बन्धित सहायक अभियन्ता द्वारा दे दिया जाता है। मुआवजा देने में कितना समय लगेगा इसकी जानकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी, कोटा से प्राप्त करके भेजी जावेगी।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

तावान वसूली

७१. श्री भीमसेन (लूणकरणसर): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:

सन् १९५५ से अब तक अनआँथोराइज्ड टीनेन्ट्स अथवा इम्पलाइड कन्सेन्ट ऑफ स्टेट से काश्त करने वाले व्यक्तियों से तावान वसूल करने सम्बन्धी क्या क्या आदेश अथवा नोटिफिकेशन्स अब तक राज्य सरकार अथवा राजस्व मण्डल द्वारा जारी किये गये हैं उक्त आदेशों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

जितने भी नोटिफिकेशन्स राज्य सरकार अथवा राजस्व मंडल द्वारा जारी किये गये हैं उनकी ६ प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(सूची अधिक विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

लैन्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा ९१ के तहत मुकदमे—जिला टौंक

७२. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

टौंक जिले में लैन्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा ९१ के तहत गत पांच सालों में कितने मुकदमे बने तथा उनमें से कितनों के फैसले किये गये व कितने विचाराधीन हैं? सालवार आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

टौंक जिले में लैन्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा ९१ के तहत का ५ वर्षों में जो मुकदमे दायर हुए उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिए)

किसानों से मतालबा—तहसील कामां

श्री मजलिस खां (कामां): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:

१. क्या यह सही है कि कामां तहसील के ग्रामों में अभी भी पानी भरा हुआ है और किसानों से मतालबा बराबर वसूल किया जाता है?

२. यदि हां, तो किन-किन ग्रामों में कितने कितने रकबे में पानी भरा हुआ है?

(श्री मजलिस खां)

३. क्या सरकार उन किसानों का मुतालबा माफ करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो यह आदेश कब तक तहसीलों को भेज दिये जावेंगे ?

उत्तर

१. जी हां, पानी भरा हुआ है। उन किसानों से फसल खरीफ सम्वत् २०२० का मतालबा पूरा वसूल कर लिया गया है कोई खाम या छूट नहीं की गई।

२.

क्रम सं.	नाम ग्राम	रकबा आंकड़ों में
१.	कस्बा कामा	११२०
२.	बर्फ रा	१८०
३.	नन्दोला	१००
४.	ताना	४०
५.	अकाला	२९०
६.	राधानगरी	६०
७.	जरेहडी	३०
८.	जुरेहरा	७०
	योग	१८९०

३. नियमानुसार जांच की जा रही है।

भरतपुर जिले की अदालतों मे जमीन सम्बन्धी मामले

७४. श्री रामकिशन (वैर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भरतपुर जिले की अदालतों में जमीन सम्बन्धी रेवेन्यू के झगड़ों के कितने मामले इस समय विचाराधीन हैं ?

(ख) कितने मामले ऐसे हैं जो कि एक साल से अधिक समय से विचाराधीन हैं ?

उत्तर

(क) ३,६१७ मामले इस समय विचाराधीन हैं।

(ख) ८३२ मामले एक साल से अधिक समय से विचाराधीन हैं।

सहरिया परिवार को दी गई भूमि--बस्ती परानिया

७५. श्रीमती नगेन्द्रबाला, (छबड़ा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि सन् १९६२ व ६३ में तहसील किशनगंज की परानिया बस्ती में कुछ सहरिया परिवार बसे हैं ?

(२) यदि हां तो, कुल कितने परिवार आज तक उक्त स्थान पर बसाये गये हैं ?

(३) क्या यह भी सही है कि परानिया बस्ती में बसाये गये सहरिया परिवारों को काबिल काश्त भूमि सरकार द्वारा दी गई है ? यदि हां, तो प्रति परिवार कितनी भूमि दी गई और कुल कितने परिवारों को दी गई ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

Page No.35

(श्रीमती नगेन्द्रबाला)

(४) क्या यह सही है कि जो भूमि प्रति परिवार दी गई है वह एक परिवार के भरण-पोषण के लिये पर्याप्त नहीं है ? यदि हां, तो सरकार इस विषय में क्या विचार करती है ?

उत्तर

१. जी नहीं। (ग्राम परानिया में सहरिया परिवार नहीं है अलबत्ता समीप के ग्राम गोरधनपुरा कॉलोनी में सहरियान अवश्य बसे हैं)

२. प्रश्न ही नहीं उठता।

३. प्रश्न ही नहीं उठता।

४. प्रश्न ही नहीं उठता।

पक्की गंग नहर क्षेत्र का रकबा

७९. **श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) पक्की गंगनहर क्षेत्र, जिला गंगानगर में कितना रकबा सरकारी है ? आंकड़े छः मासी रकबे, बारहमासी रकबे तथा बारानी रकबे से अलग-अलग दें।

(२) इनमें के कितना रकबा परमानेन्ट अलॉट हो चुका है, कितना बोली पर है, तथा कितना आरजी पर है। तहसीलवार आंकड़े दें।

(३) क्या इन सारे किसानों को जिन्हें रकबा अलॉट हुआ है अलॉट-शुदा रकबे का कब्जा दिला दिया गया है ? यदि नहीं, तो ऐसे कितने किसान हैं जिन्हें रकबा नहीं दिलाया गया ? तहसीलवार लिस्ट सदन की मेज पर रखें। सरकार ऐसे किसानों को रकबा दिलाने के लिये क्या कर रही है ? तहसीलवार ऐसे कितने किसान हैं जिन्होंने किश्तें अदा करदी लेकिन उन्हें रकबा नहीं दिया गया ?

उत्तर

१. गंगनहर क्षेत्र जिला गंगानगर में कुल सरकारी रकबा २५९८१८ बीघा १७ बिस्वा है।

जिसमें से	बीघा	बिस्वा
छः मासी रकबा	३५७०३	१०
बारहमासी रकबा	७५९२०	११
बैरानी रकबा	१४८१९४	१६

२.	परमानेन्ट अलॉटमेन्ट	बोली पर	आरॉजी काश्त	बकाया
गंगानगर	४१७.१७	३७९८.११	१३७९.१२	
करनपुर	१०१९७.००	१३४३१.००	९४५८.००	४०५.००
अनूपगढ़	८४८८.००	४२३४.००	९४४३.००	१७८०.००
रायसिंहनगर	३१२९७.००	४९६३८.००	९८११८.००	
पदमपुर	२३१९९.१३	१२८७७.००	१४७१७.०३	

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

३. जिन किसानों को रकबा अलॉट हुआ है उन सब किसानो को अलॉटशुदा रकबा का कब्जा दिया जा चुका है। लेकिन तहसील करनपुर में १५; पदमपुर में ५ किसान ऐसे हैं जिन्हें अलॉटशुदा रकबे का कब्जा नहीं मिला, क्योंकि यह रकबा पहले से आराजी काश्त पर था, जिनके पास से रकबा आराजी काश्त पर था उन्होंने अपील करके स्टे लिये हुए हैं। बाद फैसला अपील इनको अलॉटशुदा रकबे का कब्जा दिलाया जावेगा या दूसरा रकबा दिया जावेगा। तहसील करनपुर में ५ और तहसील रायसिंह नगर में २ किसान ऐसे हैं जिन्होंने किश्तें दाखिल करदी है और उनको कब्जा नहीं मिला। सूची सदन की मेज पर रखदी गई है। कब्जा दिलाने की कार्यवाही जारी है।

(सूचि विस्तृत होने से विधानसभा पुस्तकालय मे रखी गई)

पंचायत समितियों में कृषि फार्म

७७. श्री भगराज चौधरी(रानीवाड़ा): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(१) किन-किन जिलों और कौन-कौनसी पंचायत समितियों में कृषि फार्म चलाये जा रहे हैं? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(२) उपरोक्त कृषि फार्मों में से कितने ऐसे हैं जो फायदे में चल रहे हैं और कितने घाटे में? प्रत्येक कृषि फार्म की वार्षिक एवं व्यय के पिछले तीन साल के आंकड़ों की सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(३) किस उद्देश्य पूर्ति से इन कृषि फार्मों को चलाया जा रहा है और उसकी कहां तक पूर्ति हुई है?

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

चीनी का कोटा—पंचायत समिति दूदू

७८. श्री अमरसिंह : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(अ) मौजूदा चीनी-वितरण की व्यवस्था प्रारम्भ होने के बाद से ३१-१२-६३ तक पंचायत समिति दुदु को कुल कितनी चीनी मिली?

(ब) समिति के प्रत्येक सेन्टर पर कितनी कितनी चीनी किस-किस महीने में दी गई? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(अ) चीनी-वितरण की वर्तमान व्यवस्था जून ६३ से ३१-१२-६३ तक पंचायत समिति दुदु को कुल ११६० बोरी चीनी दी गई।

(ब) सूची सदन में प्रस्तुत करदी है।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिए)

खान मालिकों पर बकाया—जिला भीलवाड़ा

७९. श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:

१. जिला भीलवाड़ा के खान मालिकों में

(श्री तेजाराम गहलोत)

कितना रुपया किस-किस में नीचे लिखे मुद्दों का कब-कब से बकाया है।

१. रॉयल्टी
२. लोन
३. डेड रेन्ट
४. रेन्ट आफ मशीनरी, एण्ड
५. सेल्स-टैक्स

२. भीलवाड़ा के खान मालिकों को कितना-कितना रुपया किन शर्तो पर कब उधार दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

३. प्रश्न के भाग १ व २ में बताये गये किन-किन खान मालिकों के विरुद्ध शर्तनामे की शर्तों व नियमानुसार वसूली ओवरड्यू होने पर क्या-क्या कार्यवाही की गई और जिनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई उसका क्या कारण है ?

उत्तर

१. सूची सदन की मेज पर रखदी गई है सेल्सटैक्स का इस विभाग से कोई सम्बन्ध नहीं है।

२. सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

३. सरकारी रकम बकाया की सूची के रिमार्क्स के खाने में विवरण दे दिया गया है।

(सूची अधिक विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

प्राईमरी हैल्थ सेन्टर, खानपुर

८० श्री प्रभुलाल सेन्टर (खानपुर) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

प्राईमरी हैल्थ सेन्टर, खानपुर में कौन-कौन से पद स्वीकृत हैं और साल भर से कौन-कौन से पद रिक्त रहे हैं ? रिक्त रहने का कारण क्या है ?

उत्तर

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खानपुर में निम्न लिखित स्टाफ स्वीकृत है जो कार्य कर रहा है:—

	स्वीकृत स्टाफ	मौजूदा स्टाफ
१. सिविल एसिस्टेन्ट सर्जन	१	१
२. कम्पाउन्डर ग्रेड २	२	२
३. कम्पाउन्डर ग्रेड ३	२	२
४. लेडी हैल्थ विजीटर	१	—
५. सेनेटरी इन्सपेक्टर	१	१
६. मिडवाइफ	४	४
७. ड्राईवर	१	१
८. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	८	७

अनुसूचित जाति के लोगों के मकानों के पट्टे—बीकानेर

८१. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(श्री भीमसैन)

(क) बीकानेर शहर में अनुसूचित जाति के कौन कौन से मौहल्ले हैं जिनमें उनके पक्के मकानात हैं लेकिन उन मकानों के पट्टे बने हुए नहीं हैं ? ऐसे पुराने आबादकार अनुसूचित जाति के लोगों को पट्टा देने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ताकि इस गम्भीर समस्या का समाधान हो सके ?

(ख) उपरोक्त जाति के लोगों के अलावा ऐसे कुल कितने मकानात हैं जो जायज नहीं कहे जा सकते हैं ?

(ग) क्या यह सही है कि आवास भूमि बिक्री करने की असंतोष जनक नीति के कारण प्रति वर्ष नाजायज कब्जेदारों की संख्या बढ़ रही है ? अगर हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में व्यवहारिक नीति क्यों नहीं अपनाती ?

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

जोधपुर व बीकानेर सेनीटेशन प्लान

८२. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सत्य है कि राज्य सरकार ने जोधपुर सैनीटेशन प्लान के लिए ४ लाख की स्वीकृति दी है ? यदि हां, तो कब ? इस प्लान के अन्तर्गत क्या क्या कार्य होगा ?

(२) क्या इसी प्रकार की कोई योजना सरकार ने अन्य स्थान बीकानेर आदि के लिये भी बनाई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(३) क्या बीकानेर ने भी इसी कार्य के लिये लम्बे अर्से से रकम मांग रखी है ? यदि हां, तो फिर वहां के लिये अब तक स्वीकृति क्यों नहीं दी गई ?

उत्तर

(१) दो लाख रुपये का ऋण दिनांक २५-३-६० को एवं एक लाख रुपये का ऋण दिनांक १५-५-६१ को स्वीकृत किया गया। इस स्वीकृति के अन्तर्गत सीवेज लाइन की मरम्मत एवं रिप्लेसमेंट का कार्य होगा।

(२) जी हां। बीकानेर के लिये बनाई थी।

(३) इस वर्ष स्वीकृति देने के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है। पालिका ने पूर्व में अपने हिस्से की राशि देने हेतु सहमति नहीं दी थी, अब सहमति प्राप्त हो गई है।

नई बस्ती, उदयपुर

८३. श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे ;

(१) क्या यह सही है कि उदयपुर में कोई नई बस्ती बसाने की स्कीम सिटी इम्प्रूवमेन्ट उदयपुर की ओर से चल रही है ? यदि हां, तो उसमें कितने नये मकान तथा कितने नये बाजार होंगे ?

(२) इस बस्ती के लिये प्लाट्स का वितरण कैसे तथा कब से होगा ?

श्री विजयसिंह भाला)

उत्तर

१. जी हां।
नये मकान इत्यादि कि संख्या अभी निर्धारित नहीं की गई। मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

२. वितरण नियमानुसार होगा। वितरण के समय का प्रश्न नहीं उठता। योजना विचाराधीन है।

मुन्दर्जा रेकार्ड शुदा भूमि का अलॉटमेंट-असावरा

८४. श्री ए. जब्बार (निम्बाहेड़ा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि असावरा (तहसील भदेसर), जिला चित्तौड़गढ़ से कुछ खातेदारों की जमीन मुन्दर्जा रेकार्ड रेवेन्यू एलॉटमेन्ट कमेटी द्वारा एलॉट करदी गई है ?

(२) क्या यह भी सही है कि उनके पास रेवेन्यू बोर्ड के फैसले भी हैं और तहसील भदेसर उन पर अमल नहीं कर रही है ? यदि हां, तो क्यों ? कृपया ऐसे व्यक्तियों की सूची जिन्होंने इस सम्बन्ध में आवेदन--पत्र दिये हैं, सदन की मेज पर रखने की कृपा करें तथा ऐसे मामलों में कुल कितना बीघा भूमि अन्तर्ग्रस्त है, बताने की कृपा करें।

उत्तर

१. जी नहीं।

२. प्रश्न ही नहीं उठता।

जागीरदारों द्वारा रिजम्पशन वर्ष में लगान की वसूली—सोजत सब-डिवीजन

८५. श्री तेजाराम गहलोत (सोजत): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) सोजत सब-डिवीजन में किन-किन जागीर गांवों में रिजम्पशन की साल काश्तकारों से लगान जागीरदार या उसके रिप्रेजेन्टेटिव द्वारा वसूल किया गया ?

(२) उपरोक्त जागीर गांव की रिजम्प्शन के वर्ष की डिमांड सबसे पहले तहसील द्वारा कब बनाई गई ? रिजम्प्शन का साल व तारीख देते हुए गांववार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) प्रश्न के भाग नं० २ में बतायी गई डिमाण्ड बनाने से पहले तहसील अधिकारियों ने क्या यह जानने की कोशिश की कि रेन्ट की किश्त ड्यू रिजम्पशन की तारीख से पहले हो चुकी है या नहीं, और जागीरदार ने किन-किन कृषकों से लगान वसूल किया ? गांववार बताया जावे और ऐसा न करने के बावजूद डिमांड बनाने का क्या आधार है ?

(४) उपरोक्त गांवों के जागीरदारों के मुआवजे तय करते वक्त किन-किन जागीरों में जागीर रिजम्प्शन एक्ट की धारा ३४ की अनुपालना की गई और किन-किन में नहीं

(तेजाराम गेहलोत)

और ऐसा नहीं करने की जिम्मेदारी किन किन अधिकारियों पर है व सरकार ने उनकी दुरुस्ती के बाबत क्या-क्या कदम उठाये हैं ?

उत्तर

१. सोजत सब डिवीजन में जागीरदारों या उनके रिप्रेजेन्टेटिव द्वारा जागीर रिजम्प्शन की साल जिन-जिन गांवों में वसूली की थी उन गांवों की सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

२. यह सूचना उक्त सूची में दर्ज है।

३. ऊपर बताई हुई जागीरों की तारीख पुनर्ग्रहण से मालूम होगा कि जो जागीर पहली जुलाई के बाद पुनर्ग्रहण की गई है उसके रेन्ट की जागीर पुनर्ग्रहण होने के पहले किश्त ड्यू हो गई थी और कुछ जागीरों का चार्ज समय पर नहीं लिया गया था। उन जागीरों के जागीरदारों ने रेन्ट वसूल कर लिया था। डिमान्ड पूरे साल का तहसील द्वारा बनाया गया था और जिन काश्तकारान ने तहसील को सूचना दे दी थी कि लगान जागीरदार ने वसूल कर लिया है, उन जागीरदारों से यह रकम उनके मुआवजें में से घटाने की कार्यवाही की गई। जागीरदार नयावास, कामावास, बनला, बानल, सीनला भींमालाया, नया गांव, चोंकड़िया फुलादेव, गोदावास से रकम वसूल कर ली गई है। बकाया जागीरदारों को अभी मुआवजा देना है उनके खिलाफ वसूली की कार्यवाही जारी है जागीरदारो के खाते जागीर उनकी नं दार व गैर खातेदारान से रकम वसूल की है, अतः उनका फर्ज था कि वो तहसील को इत्तला करते कि उनसे रकम वसूल करली है। इसके अलावा सब काश्तकारान को मालूम हो चुका था कि जागीर पुनर्ग्रहण हो चुकी है, लगान जागीरदार को नहीं देना चाहिये था।

४. इस प्रश्न का उत्तर प्रश्न संख्या ३ में दे दिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिए)

होम गार्ड्स ट्रेनिंग व राईफल ट्रेनिंग सेंटर्स

८६. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

राज्य सरकार की ओर से होम गार्ड्स ट्रेनिंग व राइफल ट्रेनिंग सैन्टर्स इस समय कहां-कहां चल रहे हैं तथा अब तक कितने होम गार्डस तैयार हो चुके है तथा कितने लोग कहां-कहां पर राईफल ट्रेनिंग पा चुके हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

१. राज्य सरकार की ओर से राजस्थान के समस्त जिलों में होम गार्ड्स तथा राईफल प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है, किन्तु इस समय होम गार्ड्स का प्रशिक्षण जयपुर सीकर झुंझुनू, कोटा, बांसवाड़ा, सिरोही, तथा डूंगरपुर केन्द्रों पर चालू है एवं राईफल प्रशिक्षण अजमेर, भरतपुर, जैसलमेर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, कोटा, डूंगरपुर, बीकानेर जिलों में चालू है। अब तक कुल मिलाकर ७००५ होम गार्ड्स तैयार हो चुके हैं। राई-

Page No.41

(श्री मुरलधर व्यास)

फल प्रशिक्षण १३९९९ व्यक्ति प्राप्त कर चुके हैं। दोनों के जिलेवार आंकड़े संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट ७ देखिए)

मोटर एक्सीडेन्ट्स से हत्यायें

८७. श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

सन् १९६३ में मोटर एक्सीन्डेट्स से उदयपुर व जयपुर डिविजन में कुल कितनी हत्यायें हुई ? इस प्रकार की हत्याओं का एवरेज तीन वर्ष में कितना है ?

उत्तर

१. जयपुर डिविजन में सन् १९६३ में मोटर एक्सीडेंट से १५२ व्यक्ति मरे तथा उदयपुर डिविजन में ५४। तीन साल की औसत जयपुर डिविजन की लगभग १३५ तथा जयपुर डिविजन की लगभग ४६ है।

भारत सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तारियां

८८. श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) क्या मह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में भारत सुरक्षा कानून के अन्तर्गत कितनी गिरफ्तारियां की गई है ?

(ख) इन गिरफ्तारियों में से कितने को सजा हुई तथा कितने व्यक्तियों को गिरफ्तारी के बाद छोड़ दिया गया है ? अब कितने जेल में हैं ?

उत्तर

(क) राजस्थान में भारतीय सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अपराधियों के लिए दिनांक १०-२-६४ तक २८९ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये एवं ४१ व्यक्ति नजरबन्द किये गये।

(ख) गिरफ्तार हुए व्यक्तियों में से ६४ को सजा हुई जिसमें से एक अभी तक जेल में सजा भुगत रहा है, और २४ को जा० फो० की धारा १९९ के अन्तर्गत छोड़ दिया गया। ७ व्यक्तियों को अदालत द्वारा रिहा या बरी कर दिया गया। १९४ व्यक्ति जमानत पर हैं उनके मुकदमे जेर तफतीश या अदालत में विचाराधीन हैं। नजरबन्द हुए व्यक्तियों में से ९ को छोड़ दिया गया है ६, पैरोल पर है और २६ व्यक्ति जेल में हैं।

डकैती की घटनाएं--धौलपुर सब-डिविजन में

८९. श्री रामकिशन (वैर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) धौलपुर सब-डिविजन में सन् १९५९ से १९६२ तक डकैती की कितनी घटनाएं हुई हैं और उनमें कुल कितना माल गया है ?

(२) डकैती के कितने मामलों में माल बरामद हुआ है, और कितना हुआ है ?

(३) डकैती के कितने मामलों का अदालत में चालान पेश हुआ और कितनों के मुलजिम सजायाब हुए ?

Page No.42

(श्री रामकिशन)

(४) डकैती के कितने मामले अभी विचाराधीन हैं ?

(५) डकैती में कितनी हत्यायें हुई हैं और कितने लोग घायल हुए हैं ?

उत्तर

१. कुल २४ डकैती की घटनाएं हुई। जिनमें कुल ३३७५६३,२५ न० पै० का माल लूटा गया।

२. कुल ७ डकैती के मुकदमात में ३३८० रुपये का माल बरामद हुआ।

३. २० मुकदमों का चालान किया गया। जिनमें से ५ मुकदमों में सजा हो चुकी है।

४. ५ मुकदमात जैर तजबीज अदालत हैं एवं ७ मुकदमात में मुलाजिमान फरार हैं। अतः इनमें ५१२ की कार्यवाही की गई।

५. एक व्यक्ति की हत्या हुई और एक व्यक्ति घायल हुआ।

नकबजनी की घटनाएं-जिला भरतपुर

९०. **श्री रामकिशन** (वैर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) सन् १९६० से आज तक भरतपुर जिले में नकबजनी की कितनी घटनाएं पुलिस थानों में दर्ज हुई हैं ?

(२) नकबजनी के कितने मामलों में चालान पेश हुए हैं और कितनों में मुलजिम सजायाब हुए हैं ?

(३) नकबजनी के कितने मामलों में थानेदारों ने अपनी फाइनल रिपोर्ट लगाई है ?

(४) थानेदारों द्वारा फाइनल रिपोर्ट लगाने के बाद कितने मामलों में सर्किलों के सी. आई. तथा डिप्टी एस. पी. ने अपनी तफतीश द्वारा वर्क आउट किया ?

उत्तर

१. भरतपुर जिले में सन् १९६० से आखिर जनवरी १९६४ तक कुल १७८८ नकबजनी की घटनाएं दर्ज हुई।

२. इनमें से ३९६ के चालान पेश किये गये और उनमें से अब तक १५६ में मुलजिम सजायाब हुए हैं।

३. कुल १७८८ रिपोर्टों में से १३११ में फाईनल रिपोर्ट दी गई।

४. केवल एक।

(९.०९ म० पू०)

प्रकाश हैंडलूम फैक्टरी, अजमेर के मजदूरों द्वारा भूख हड़ताल सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा ने प्रकाश हैंडलूम फैक्टरी, अजमेर के मजदूरों द्वारा भूख हड़ताल किये जाने से उत्पन्न स्थिति के बारे में एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना दी है। यह मामला इतने अविलम्बनीय लोक महत्व

Page No.43

का नहीं है कि सदन की पूर्व निश्चित कार्य-वाही स्थगित की जाकर आज इस पर विचार किया जाये। अतः मैं इसे सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता हूं।

मैं यह अवश्य चाहूंगा कि माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये माननीय श्रम मंत्री जी इस विषय मे स्थिति को स्पष्ट करते हुए एक वक्तव्य देने की कृपा करें।

श्री भीखाभाई (श्रम मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति इस प्रकार है कि सर्व श्री भोजराज एवम् पूनमचन्द, जो हैंडलूम मजदूर यूनियन अजमेर के खजांची एवम् मंत्री है, दिनांक २५.२.६४ से प्रकाश हैन्डलूम फैक्टरी के अजमेर के बाहर भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। ये दोनों श्रमिक इस फैक्ट्री के कामगार भी नहींहैं। कानून व व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से इन दोनों श्रमिकों को पुलिस द्वारा तारीख ३.३.६४ की शाम को गिरफ्तार कर वहां से हटा दिया गया है। तारीख ४.३.६४ से प्रकाश हैंडलूम फैक्ट्री और एक और हैंडलूम फैक्ट्री के लगभग ७०-७५ श्रमिकों ने हड़ताल भी प्रारम्भ कर दी है।

भूख--हड़ताल, मंहगाई भत्ते की मांग को लेकर की गई है। राजस्थान श्रम सलाह-कार मंडल की विशेष बैठक जो ता० १८.२.६४ को हुई थी, इस विषय पर विचारार्थ बुलाई गई थी। इस बैठक में राज्य सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों को मजदूरी में ५ रू० माहवार की अन्तरिम वृद्धि की घोषणा की थी और एक एक्सपर्ट कमेटी का निर्माण किया है जो मंहगाई भत्ते को मूल्य देशनांक से जोड़ने के बारे में सिफ़ा-रिश करेगी, और यह आशा प्रकट की थी कि निजी क्षेत्र के उद्योग भी अपने श्रमिकों की मजदूरी में इसी प्रकार की वृद्धि करेंगे। इस सम्बन्ध में निजी उद्योगों के प्रतिनिधियों की एक बैठक आज ता० ५.३.६४ को इस अन्तरिम वृद्धि को लागू करने के बारे में बुलाई गई है। सरकार इस फैसले को निजी क्षेत्र में भी आपसी बातचीत द्वारा लागू करवाने के बारे में जागरूक तथा प्रयत्न-शील है।

हैंडलूम फैक्ट्री मजदूर यूनियन अजमेर द्वारा प्रस्तुत मांग पत्र लगभग उसी प्रकार का है, जो कई श्रमिक संघों द्वारा १८ फर-वरी के पूर्व दिया गया था। श्रम सलाहकार मंडल की विशेष बैठक के बाद श्रमिकों संघों ने अपने हड़ताल के नोटिस भी वापिस ले लिये थे। समझौता अधिकारी, अजमेर ने फिर भी इन मांगों पर हैंडलूम फैक्ट्रीज के व्यवस्थापकों से बातचीत कर समझौते के प्रयत्न किये पर कोई सफलता न मिलने से फेल्योर की रिपोर्ट श्रम आयुक्त को भेज दी। श्रम आयुक्त ने उच्च स्तरीय समझौता वार्ता के लिये हैन्डलूम फैक्ट्रीज के मालिकों को आज जयपुर बुलाया है। सरकार की यह नीति रही है कि जहां तक सम्भव हो, आपसी समझौतों द्वारा श्रम विवादों का निपटारा किया जाय। यदि उच्च स्तरीय समझौता वार्ता भी असफल रही, तो इन्ड-स्ट्रियल डिसप्यूट्स एक्ट के अन्तर्गत उचित कार्यवाही की जायगी।

(श्री भीखाभाई)

हैन्डलूम फैक्ट्रीज मजदूर यूनियन अजमेर द्वारा भूख हड़ताल व हड़ताल का कदम जल्दबाजी से भरा हुआ तथा अनुचित है। यह कदम उद्योग अनुशासन संहिता तथा इन्डस्ट्रियल ट्रूस रिजोल्यूशन के भी विरुद्ध है। जब तक समझौता-वार्ता समाप्त नही होती और सरकार उस पर निर्णय नहीं लेती, इस प्रकार के कदमों से औद्योगिक शान्ति भंग करना उचित नहीं है। मैं श्रमिकों से अब भी अपील करूंगा कि वे अपनी हड़ताल अविलम्ब समाप्त कर दें। आगे की स्थिति से सदन को अवगत कर दिया जायगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय श्रम मंत्री ने जो अभी अपना वक्तव्य दिया उससे यह साफ स्थिति है कि जो मजदूरों ने भूख हड़ताल की हैं, इस मांग को लेकर कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने १८ तारीख को महंगाई भत्ते के सम्बन्ध मे ५ रुपये की वृद्धि का सरकारी उद्योगों के सम्बन्ध में घोषणा की और निजी उद्योगों के मालिकों से यह अपील की थी कि वे भी इसी बुनियाद पर लागू करके महंगाई भत्ता मजदूरों को दें। जो वहां के मजदूरों ने भूख हड़ताल की उस महंगाई भत्ते को निजी उद्योगों में लागू करने के लिये पहले मांग की। श्रम मंत्रालय ने माना है कि भूख हड़ताल के लिये कन्सी-लियेशन प्रोसीडिंग की गई। बावजूद इसके कोशिश के, मुख्यमंत्री की अपील के, मालिकों ने उस बात को स्वीकार नहीं किया। कन्सी-लियेशन फेल हुआ उसके बाद मजदूरों के सामने कोई रास्ता नहीं रह गया था और श्रम मंत्रालय ने कोई ऐसा कदम भी नहीं उठाया मुख्य मंत्री महोदय की अपील को कानून द्वारा लागू करवाने के लिये····

श्री निरन्जननाथ आचार्य (उपमंत्री शिक्षा) : Is this a counter-statement, Sir ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो स्टेटमेंट श्रम मन्त्री ने दिया है, जो सरकार की नीति कन्सीलियेशन की है वह सदन के सामने ला रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, बावजूद सरकार ने अपनी नीति घोषित की निजी उद्योगों में लागू करने के लिये कि वह भी मंहगाई भत्ते में उतनी ही वृद्धि करें, श्रम मंत्रालय द्वारा कन्सीलियेशन की कोशिश नही हुई। कानूनी तौर पर उन पर दबाव डालते और श्रमिकों से यह कहते कि यदि मालिक महंगाई भत्ता मजदूरों को नहीं देते तो सरकार कानून द्वारा उनको दिलवायेगी। जब इस प्रकार का आश्वासन नहीं मिला तो श्रमिकों को भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा। यह उनको अधिकार है। बजाय उनकी मदद करने के सरकार ने उनको गिरफ्तार किया। पुलिस द्वारा जबरदस्ती से उनको हटाया गया।

श्री भीखाभाई : उपाध्यक्ष महोदय जो बातें मैंने कहीं वे ही कह रहे हैं चीप पॉपुलेरिटी गेन करने के लिए।

श्री रामानन्द अग्रवाल : चीप पॉपु-लेरिटी नहीं, आपकी जो मजदूर-विरोधी नीति है उसको एक्सपोज कर रहा हूं।

(श्री भीखाभाई)

श्री भीखाभाई : आपका जो आॅर्गे-नाइजेशन है उसके साथ राज्य सरकार ने जो व्यवहार किया है वह दूसरे राज्यों की अपेक्षा बड़ा सहृदयतापूर्ण व्यवहार किया है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : On a point of order, Sir. उपाध्यक्ष महोदय, अभी श्रम मन्त्री ने यह फरमाया कि हमारी श्रम-नीति अन्य राज्यों से ए० आई० टी० यू० सी० के साथ बहुत सहृदयता-पूर्ण रही है, मैं समझता हूं दूसरे राज्यों से इस प्रकार का कम्पेरिजन नहीं किया जा सकता। उसका रेफरेन्स नहीं दिया जा सकता।

श्री उपाध्यक्ष : Point of order ruled out.

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : आपने तीन साल तक ट्रिब्यूनल का जज मुकर्रर नहीं किया, यही आपकी श्रम नीति है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक तरफ आश्वासन दिया कि निजी उद्योगों में भी....

श्री उपाध्यक्ष : कोई विशेष बात पूछना चाहें तो पूछिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सरकार का कन्सीलियेशन फेल हो गया फिर मजदूरों को विश्वास में लेकर इस मामले को सुलझाने की क्या कोशिश की ? क्या सरकार ने भूख हड़ताल पर बैठने से पहिले या भूख हड़ताल जारी करने के बाद मजदूरों को यह आश्वासन दिया कि आप इस तरह का कदम मत उठाइये हम मालिकों को बुलाते हैं अगर मालिक नहीं मानेंगे तो उनको कानून के जरिये मनवायेंगे और आपको ५ रुपये दिलवायेंगे ?

दूसरा इसको करने के बजाय कौनसी ऐसी घटना हो गई जिसमें लॉ एन्ड आर्डर टूट गया जो मजदूरों को गिरफ्तार किया जो भूख हड़ताल पर थे ? क्या इस प्रकार हड़-ताल करना गैर कानूनी था ?....

श्री निरंजननाथ आचार्य : On a point of order, Sir. उपाध्यक्ष महोदय मै आपका ध्यान स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में जो हमारे यहां के आॅबजरवेंशन्स हैं उनकी ओर दिलाना चाहता हूं। श्री मान-सिंह के आपत्ति करने पर नियम २४१ के अन्तर्गत वक्तव्य के पश्चात किसी सदस्य को बोलने का अधिकार नही है। No debate is allowed, no argum-ents are given and, no further dis-cussion will take place...

श्री रामानंद अग्रवाल : मैं क्लेरि-फिकेशन ले रहा हूं माननीय श्रम मन्त्री महोदय ने एक प्रकार से मजदूरों को धमकी दी है। मैं उनसे कहना चाहता हूं सरकार ने मालिकों से अपील की उसका कोई रेस्पोन्स मालिकों ने नहीं किया। उसके बाद २१ तारीख की हड़ताल वापिस ली गई। सरकार का रवैया जो रहा है भूख हड़तालियों के साथ एक तरफ तो आप मालिकों से महंगाई भत्ता दिलवाने के लिए कानून का उपयोग नहीं कर

Page No.46

(श्री रामानंद अग्रवाल)

सकते दूसरी तरफ जब मजदूर अपने हक के लिये लड़ते है वहां पुलिस का उपयोग करते है य ह साफ जाहिर करता कि आपकी और मालिकों की मिली-भगत है। मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि आपकी यही नीति रही तो मजदूर हमेशा अपने अधिकारों के लिये लड़ा है, लड़ना जानता है और लड़ेगा। मजदूरों के लिये आप यदि कुछ करते हैं तो यह कोई उन पर महरबानी नहीं है....

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कन्सीलियेशन फेल हो जाने के बाद सरकार द्वारा क्या कार्यमाही की गई ?

श्री भीखाभाई : (बोलने खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : आपके वक्तव्य के बाद कोई प्रश्न नहीं उठेगा।

श्री भीखाभाई : समझौतावार्ता फेल होने पर सरकार ने क्या किया यह माननीय सदस्य ने पूछा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह हड़ताल जैसा मैंने कल निवेदन किया कि इन्डस्ट्रियल ट्रूस और कोड ऑफ डिसिप्लिन के खिलाफ हुई। हमने इस प्रकार का निर्णय ऑल इण्डिया लेबर कान्फ्रेन्स में लिया भी था। इसलिये निवेदन किया कि २४ फरवरी को हिन्दुस्तान टाइम्स में मिनिस्ट्री आफ लेबर एण्ड एम्पलॉयमेन्ट ने स्टेटमेन्ट दिया और कहा था उन्होंने।

"A spokeman of the Union Ministry of labour and Employment today declared that the labour agitaion organised by the A. I. T. U. C. through hunger strikes, demonstrations and late attendance was in breach of both the Code of Discipline and the Industrial Truce Resolution."

उसके बाद में, उपाध्यक्ष महोदय फिर उन्होंने कहा: "He emphasised that the A. I. T. U. C.. like other Central Trade Union Organisations, was committed to aide by the proivisions of the Tripartite Agreements which advocated settlement af all disputes, differences and grievances by constitutional means and not by direct action. He pointed out thatt he Truce Resolution was categorically against any interruption in or slowing down of production of goods and services under any circumstances."

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) प्रश्न यह नहीं है। आपने क्या कार्यवाही की इसका प्रश्न है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : बिलकुल गलत बात आप कह रहे हैं। मजदूरों ने कोड ऑफ कन्डक्ट को माना है। अगर किसी ने तोड़ा है इसे तो मालिकों ने तोड़ा है। और अगर मजदूरों ने तोड़ा है तो फिर कन्सीलियेशन आप किस बात का करा रहे

(श्री रामानंद अग्रवाल)

थे ? आप मुद्दे को टालना चाहते हैं इस तरह से कह कर। मैं सीधा सवाल संक्षेप में पूछ रहा हूं कि कन्सीलियेशन के फेल होने के बाद आपने क्या कार्यवाही की ? यह आप नहीं बताते। लॉ और आॅर्डर के ब्रेक होने का बहाना लेकर आप मूल प्रश्न को छिपाने की कोशिश करते हैं। आप इस तरह से मालिकों की दलाली करते हैं यहां पर बैठकर।

श्री भीखाभाई : लॉ और आर्डर को तय करना हमारा काम नहीं था, मजिस्ट्रेट का काम था। हमने पूर्ण प्रयत्न किया है। परसों समझौता-वार्ता खत्म हुई। आज हमने उनको यहां बुलाया है। मैंने आपसे कहा था कि हम इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। निजी उद्योगों में सरकार की नीति समझौते की है, अपील करने की है, अनुनय-विनय करने की है। सरकार किसी तरह अपनी नीति से हटने वाली नहीं है। सरकार चाहती है कि किसी से प्रोडक्शन बढ़ेगा और मज़दूर और मालिक के संबंध अच्छे रहेंगे।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : यह सरकार तो आज पूंजीपतियों की एजेन्ट होगई है।

श्री रामकिशन (वैर) : उपाध्यक्ष महोदय...............

श्री उपाध्यक्ष : No, I will not allow. Order please ! Order. !!

(अनेक माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

(शोरगुल)

श्री भीखाभाई : उनको बुला लिया गया है।

श्री रामकिशन : आपने सूचना दी मजदूरों को ?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : यह मामूली बात नहीं है। पुलिस में उनको देने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी ? आपके कहने के अनुसार अगर यह गैर-कानूनी हड़ताल थी तो कन्सीलियेशन की क्या ज़रूरत पड़ी और अगर जरूरत समझी तो उसके फेल होने के बाद मामला ट्रिब्यूनल में देना था। आपने ट्रिब्यूनल में क्यों नहीं दिया यह मामला ? बजाय ट्रिब्यूनल में देने के आपने मज़दूरों को गिरफ्तार किया। यही क्या आपकी, सरकार की नीति थी।

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! Order !!

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, इस बात की जानकारी देनी चाहिये थी कि माननीय मन्त्री महोदय को कि क्या कौनसी लॉ और आर्डर की ऐसी विकट स्थिति हो गई थी कि उनको पुलिस का इस्तेमाल करना पड़ा जो आपने लोगों को आज बुलाया है, वह अगर भूख हड़ताल करने से पहले बुलाया तो यह स्थिति पैदा नहीं होती। फिर भी कन्सीलियेशन के फेल होने के बाद आपने क्यों नहीं बुलाया ?

श्री भीखाभाई : फेल होने की रिपोर्ट कल ही मिली है हमें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : और लॉ एन्ड ऑर्डर के बिगड़ने की सूचना आपको बहुत तुरन्त मिल गई ?

श्री भीखाभाई : यह तो मजिस्ट्रेट का काम था, उसने किया। उसके लिये मिनिस्टर क्या करता ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, कन्सीलियेशन के फेल होने की सूचना आपके पास कल आई और लॉ आर्डर के ब्रेक होने की सूचना, जो कि मजिस्ट्रेट का काम ये बताते हैं, इनके पास बहुत पहले आ गई। यह नीति है इस सरकार की ? इसे यह सरकार कहां तक उपयुक्त समझती है यह वही सोचे। और उन्होंने जो पुलिस एक्शन इसमें लिया है इसका औचित्य किसी तरह से भी ये सिद्ध नहीं कर सकते।

श्री उपाध्यक्ष : Order p'eas ! Order! !

श्री रामानन्द अग्रवाल : हम सरकार की इस नीति के, जिसमें उन्होंने आश्वासन दिया था, उस आश्वासन को यह पूरा नहो कर सकी और उसके बजाय मजदूरों को कुचलने के लिये पुलिस का इस्तेमाल करती है और मालिकों के एजेन्ट के रूप में सामने आती है, मैं इसके प्रौटेस्ट में, इसके विरोध में, सरकार की इस नीति के विरोध में सदन से वॉक आउट करता हूं।

श्री भीखाभाई : मैं तो मजदूर वर्ग में से आया हूं।

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! Order !! Next adjournment motion.

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे मजदूरों के हित के मामलों में भी अगर सरकार अपने आश्वासनों को पूरा नहीं करती, मजदूर विरोधी रवैया अख्तियार करती है और सन्तोषजनक उत्तर नहीं मिलता बल्कि, उसे दबाने की कोशिश की जाती है, जबकि कांग्रेस के स्वयं के एम० एल० ए० कहते हैं कि गिरफ्तार करना वाजिब नहीं था और कन्सीलियेशन के फेल होने के बाद ट्रिब्यूनल में देना था, पर इसके बावजूद मजदूरों का दमन किया जाता है, उनको गिरफ्तार किया जाता है और सारे मामले मालिकों के हक में दबाने की मन्त्री महोदय कोशिश पूरी करते हैं, पूरा सही-सही जवाब नहीं देते, तो ऐसी स्थिति में उनके इस मजदूर-विरोधी रवैये के खिलाफ हम भी सदन से वाक आउट करते हैं।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : अगर यह सरकार इसी तरह से मजदूरों का दमन करती रही तो राजस्थान में शान्ति नहीं रह सकेगी और राजस्थान में उत्पादन का स्तर नहीं बढ़ाया जा सकता। मैं भी सरकार की इस मजदूर विरोधी नीति के विरोध में वॉक आउट करता हूं।

श्री हीरा भाई (कुशलगढ़) : हम भी वॉक आउट करते हैं। मजदूरों के साथ इन्साफ नहीं किया गया।

Page No.49

श्री मान्धातासिंह (महुवा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज मजदूरों को तकलीफ हो रही है। इसकी पूरी छानबीन करनी चाहिये। वर्ना ये इस सरकार को ढा देंगे जिनकी बदौलत यह सरकार यहां पर आकर बैठी है। यह सरकार जो यह कहती है कि वह मजदूरों की नुमाइन्दा है, इसके कारनामों से जाहिर होता है साफ कि यह मजदूरों की गवर्नमेन्ट नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट।

(६. २६ म. पू.)

राजस्थान की सीमा पर पाकिस्तान की ओर से लूट-खसोट इत्यादि सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष : पाकिस्तान की ओर से राजस्थान की सीमा पर लूट-खसोट, चोरी आदि के कारण उत्पन्न स्थिति से सम्बन्धित एक स्थगन प्रस्ताव कीसूचना श्रीकृष्णाकुमार गोयल, सदस्य, विधान सभा ने दी है। यह विषय इतना अविलम्बनीय लोक-महत्व का नहीं है कि इस सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही स्थगित की जाकर आज विचार किया जाय। अतः मैं इसे सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता हूं।

मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये यह अवश्य चाहूंगा कि माननीय गृहमन्त्री जी स्थिति के स्पष्टीकरण हेतु एक वक्तव्य आज या कल दें।

उपमंत्री गृह (श्री निरंजननाथ आचार्य) : There can be on querries after the Chair has given its observations.

श्री कृष्णाकुमार गोयल (कोटा) : कृपया हिन्दी में कहें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि यह नेशनल बाउन्ड्री का प्रश्न है। पब्लिक इन्ट्रेस्ट में नहीं होगा इसका उत्तर देना।

श्री उपाध्यक्ष : इस विषय में लॉ और आॅर्डर का प्रश्न स्टेट का है। इस विषय में भी वक्तव्य दिये गये हैं। यह डिफेन्स या सिक्योरिटी का प्रश्न नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : पुराने गृहमन्त्री जी की परम्परा को ये थोड़े ही मानेंगे। फिर उनकी बात ही क्या रही मान लें तो।

श्री उपाध्यक्ष : दूसरा स्थगन प्रस्ताव।

(६. २८ म. पू.)

जिला टोंक मे खरीफ एवं रबी की फसलें नष्ट होने सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष : जिला टोंक में खरीफ एवं रबी की फसलें कम तथा देर से वर्षा होने के कारण खराब हो जाने से सम्बन्धित एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री जयनारायण सालोदिया ने दी है। यह मामला इतने अविल-

(श्री उपाध्यक्ष)

म्त्रनीय लोक महत्व का नहीं है कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही स्थगित की जाकर आज इस पर विचार किया जाय। उन्हें इस विषय में आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद के समय अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। अत: उन्हें मैं प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता हूं।

(विराम)

राम प्रसाद लड्ढा ।

सदन की मेज पर रखे गये नियम

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उपमंत्री,) राजस्व) : मैं निम्नोक्त नियम सदन की मेज पर रखता हूं :

(क) राजस्थान टीनेन्सी (भूमि का अधिकतम क्षेत्र निर्धारण) (सरकारी) नियम, १९६४।

(ख) अजमेर शामलात कमेटियां (विघटन) नियम, १९६४।

(राजस्व बी विभाग की अधिसूचना संख्या एफ (८) रेवेन्यू बी ६० (।) तथा ६ (८) रेवेन्यू बी ६० (।।) दिनांक १२ फरवरी, १९६४ के द्वारा प्रकाशित)

(ग) राजस्व बी विभाग की अधिसूचना संख्या एफ ६ (८०) रेवेन्यू बी. जी. आर.१/६३ दिनांक २७ नवम्बर, १९६३ जिसके द्वारा राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (लैण्ड रेकार्ड) नियम, १९५७ में किये गये संशोधन।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : ये माननीय उपमन्त्री जी जानकर धीरे बोल रहे हैं। सुन न सके। जरा जोर से बोल दें। माइक से आवाज नहीं आ रही है। माननीय उपमन्त्री जी से कहा जाय कि वे फिर से दुबारा पढ़ दें।

श्री उपाध्यक्ष : मैं बता दूं। तीन तरह के रूल्स सदन की मेज पर रखे गये हैं।

(१) राजस्थान टीनेन्सी (भूमि का अधिकतम क्षेत्र निर्धारण) (सरकारी) नियम, १९६३ (२) अजमेर शामलात कमेटियां (विघटन नियम, १९६४) व (३) राजस्व बी विभाग की अधिसूचना संख्या एफ ६ (८०) रेवेन्यू बी. जी. आर. १/ ६३ दिनांक २७ नवम्बर, १९६३ जिसके द्वारा राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (लैण्ड रेकार्ड) नियम, १९५७ में किये गये संशोधन।

श्री मानसिंह महार : फिर जिनका गला ही नहीं चलता, उनको उपमन्त्री क्यों बनाया जाता है? आपको यह कष्ट करना पड़ता है तो उनको हटा दिया जाना चाहिए उपमन्त्री पद से।

अनुपूरक अनुदानों की मांगे (१९६३-६४) के विवरण

(सदन की मेज पर रखना)

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : मैं अनुपूरक अनुदानों की मांगें १९६३-६४ (द्वितीय खण्ड) के विवरण सदन की मेज पर रखता हूं।

Page No.51

श्री उपाध्यक्ष : विधायी कार्य, श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (जौहरी बाजार, जयपुर) उपाध्यक्ष महोदय........

आगे की कार्यवाही के संचालन सम्बन्धो व्यवस्था

श्री उपाध्यक्ष ; इसके पहिले की सभा की कार्यवाही प्रारम्भ हो है सदन को सूचित कर देना चाहता हूं कि कार्य सलाहकार समिति के निर्णयानुसार हमें तीन बिल दो दिनों में पास करने हैं और इस दृष्टि से यहां इतने सहयोग की प्रार्थना मैं सभी माननीय सदस्यों से करूंगा कि आज कम से कम दो बिल हो सकें तो कल तीसरा बिल ले सकेंगे और उसके अनुसार यदि समय पर कार्यवाही पूरी नही हो सकी तो समय भी बढ़ाने की अनुमति मिलेगी।

जोधपुर विश्व विद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६४

(अध्यादेश सम्बन्धी संकल्प, विधेयक पर विचार-विमर्श एवं उसका पारण)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर यूनिवर्सिटी के सिलसिले में सरकार ने जो ऑर्डिनेन्स जारी किया है और उस आर्डिनेन्स को रि-वलीडेट करने के सम्बन्ध में यहां पर एक बिल पेश किया गया है। आपने, उपाध्यक्ष महोदय, जो यह कहा है कि दो विधेयक आज सदन द्वारा पारित कर दिये जायें और इसके सम्बन्ध में सहयोग की कामना की है और मै समझता हूं कि शासन से माननीय सदस्यों से सहयोग मांगा जाये और वह न दें यह नहीं हो सकता। कम से कम इस पक्ष के बैठने वाले माननीय सदस्यों का सहयोग अवश्य मिलेगा। उधर के बारे में मैं नही कह सकता। बहरहाल, मैं माननोय शिक्षा मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि जिससे कि वादविवाद बहुत समिति रह जाये कि वह उन कारणों पर प्रकाश डालें जिनके कारण से यह ऑर्डिनिन्स जारी करना आवश्यक हुआ। विशेष रूप से दो तो-तीन बातों की ओर मैं खास तौर से कहना चाहूंगा कि यह बात जरूर बता दें। शर्त यह है कि उप-शिक्षा मंत्री महोदय इसका जवाब न दें शिक्षा मंत्री जी की मौजूदगी में वर्ना यह दासाहब आपकी बेइज्जती होगी कि आपके अण्डर का मिनिस्टर आपके होते हुए उत्तर दे।

आपका कहना ज्यादा ऑथोरेटेटिव होगा। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि १२ जून, ६२ के बाद एक साल तक डिफिकल्टीज रिमूवल ऑर्डर के तहत जिसे जारी करने का आपको अधिकार यानी १२ जून, ६३ तक आप कर सकते थे। अब सवाल यह है कि वह अधिकार दो साल के लिये चाहते है और १२ जून, ६४ तक वह अधिकार आपको दे दिये जायें, ऐसा आप चाहते हैं। तो आप कृपया बतावें कि १२ जून, ६३ और ६४ के बीच में यानी कम से कम आज से पहले जो यूनिवर्सिटी ने गलत काम कर दिये हैं, गलत कार्यवाहियां कर दी हैं उनको वेलीडेट

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

करने के लिए रिट्रोस्पेक्टिवली आपने इसको लागू किया तो २९ अक्टूबर, ६३ और १२ जून, ६३ के बीच में यानी इसके अतिरिक्त विश्व विद्यालय की कौनसी गलत कार्यवाहियां हुई जिनको वेलीडेट करने के लिये आप सदन से चाहते हैं कि वह वेलीडेट की जायें। कौन-कौन से ऐसे प्रसंग हैं और कब-कब आपने डिफिकल्टीज रिमूवल ऑर्डर १२ जून, ६३ के बाद जारी कर दिये जो कि करने के अधिकार आपको नहीं थे। १२ जून, ६३ के बाद डिफिकल्टीज रिमूवल ऑर्डर जिसकी को धारा २९ है इसके तहत कब कब सरकार ने आज्ञायें प्रसारित की जो कि उनके अधिकार में नहीं था। जब तक आर्डिनिन्स जारी नहीं किया वह आज्ञायें कब-कब जारी की गयीं और कौन-कौन सी कार्यवाही जो गलत हो गयी और जिनको वेलीडेट कराने के बारे में यह ऑर्डिनिन्स जारी किया और यह विधेयक आज आप यहां पर प्रस्तुत करना चाहते हैं, इसके बारे में कृपया, दा साहब, आप प्रकाश डालें।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उपमन्त्री, शिक्षा) उपाध्यक्ष महोदय, इसी धारा पर....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : शिक्षा मन्त्री उपस्थित हैं। वही इस पर प्रकाश डालें तो अच्छा है।

श्री निरंजननाथ आचार्य उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय इस पर रिप्लाई होगा उस समय में सारा क्लेरीफिकेशन कर दूंगा। न तो यह पॉइन्ट आफ ऑर्डर है और न कोई कॉन्स्टीट्यूशनल इश्यू है। आप अपने भाषण में गलतियां हमें बता दें, उनका क्लेरीफिकेशन एक साथ हो जायेगा। We are not bound to explain it at the very outset.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरी मन्शा वे समझे नहीं हैं। मैं तो इसलिए यह चाहता था कि वाद-विवाद का समय बच जाये। अगर आप चाहते हैं कि हम घन्टों बोलें तो हमारे पास मसाले की कमी नहीं है। सवाल यह है कि सदन का समय बच जाये और सदन को जानकारी हो जाये कि ऑर्डिनेन्स जारी करने का क्या मकसद था? आपने १२ जून, ६३ के बाद आदेश जारी कर दिये जिनका आपको अधिकार नहीं था। अगर आपने आदेश जारी ही न किये हों तो हम वाद-विवाद में ही क्यों पड़ें?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह सारी स्थिति आपकी जानकारी में है और आप स्वयं महसूस करेंगे कि सारी स्थिति को अपने भाषण के दौरान में रखेंगे और उन गलतियों को बतायेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि रिप्लाई के टाइम पर सारी स्थिति का क्लेरीफिकेशन मैं कर दूंगा और उस समय संक्षेप में कह दूंगा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : Mr. Dy. Speaker, Sir, this is a very legitimate and reasonable demand. Will the Hon. Minister not get up and say what is the justification for introducing this Bill?

श्री उपाध्यक्ष : Hon Minister will say at the proper time

श्री सतीचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो १० मिनट भी नहीं बोलता अगर आप उनसे थोड़ा सा प्रकाश डलवा देते। लेकिन आसन इतना एकोमोडेटिंग है और मंत्री महोदय इतने रत हैं कि मैं नहीं समझता कि वे आसन की ओर से दिये गये आदेशों की अवहेलना क्यों करते हैं ? आसन कहे कि प्रकाश डाला जाय और वे नहीं डालें।

यह जोधपुर विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में जो एक ऑर्डिनेन्स राज्य सरकार ने जारी किया २९ अक्टूबर, ६३ को उसको नीरस्त करने के बारे में मैं अपना संकल्प प्रस्तुत करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, अभी पिछले ३ दिनों से इस सदन में जितने भी विचार इस ऑर्डिनेन्सेस के बारे मे हुए उनमें से एक मेडिकल डिपार्टमेंट से संबंधित था, दो पंचायतों से संबंधित थे और एक एक्साइज और टक्सेशन डिपार्टमेंट से संबंधित था। यह ४ विभाग हैं जिनसे संबंधित अध्यादेशों पर इस सदन ने विचार किया और सदन के सभी माननीय सदस्यों ने लगभग एक स्वर से इस बात की मांग की कि यह अध्यादेशों का राज्य चल नहीं सकता। राजस्थान की सरकार जो अध्यादेशों के बूते पर चलना चाहती है, राजस्थान की सरकार जो संविधान में दिये हुए अधिकारों का इस प्रकार से दुरुपयोग करना चाहती है, यह ज्यादा दिन बरदाश्त नहीं किया जा सकता। आखिर इस राजस्थान की विधान सभा में हम कोई कानून बनाते हैं, कानून बनाने के पीछे, उपाध्यक्ष महोदय, एक पवित्रता की भावना होती है। राजस्थान की विधान सभा एक लेजेस्लेटिव बॉड़ी है कानून। बनाने का उसका अधिकार है और कानून बनाने के अधिकार के दायरे में विधान सभा में बैठ कर उन विधेयकों पर विचार करते हैं और विधान सभा की हम उस पर मुहर लगाते हैं। कानून बनाने के बाद अगर कोई खामी रह जाये, गलती रह जाये कानून में कोई त्रुटि रह जाये तो उसके बाद राज्यपाल महोदय या राष्ट्रपति के पास वह कानून जाता है जो कि विधान सभा द्वारा पारित होता है और वह उसका अध्ययन करने के बाद उस पर अपनी मोहर लगाते हैं और यदि उस कानून में कोई खामियां रह जाती हैं तो वह उस कानून को वापिस विधान सभा के विचार के लिए भेज सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इतने सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद, कानून विभाग में ड्राफ्टिंग होने के बाद, राजस्थान सरकार में विचार होने के बाद, विधान सभा की सिलेक्ट कमेटी मे विचार होने के बाद और राजस्थान की विधान सभा के सदस्यों के द्वारा खुले रूप में विचार होने के बाद, राज्यपाल महोदय के द्वारा अवलोकन होने के बाद वह कानून अमल में लाया जाता है, और वह कानून जब अमल में लाया जाता है तो उस कानून के पीछे कितनी पवित्रता की भावना होनी चाहिए ! आज इस दुनियां के देशों में इस बात की मांग की जा रही है कि दुनियां में कानून का राज्य हो। स्टेट ऑफ लॉ हो, न्याय का राज्य हो, लाठी का राज्य नहीं हो। कानून को लुंगो लगा कर बलाये ताक रखकर मन चाहे जिस प्रकार से करने वाले देश हैं उनके प्रति आज संयुक्त राष्ट्रसंघ में किस प्रकार की भावनायें रखते हैं और

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

दुनियां में मांग की जा रही है कि हर सभ्य देश में कानून का राज्य हो। सभ्य देश वही हैं जहां कानून का राज्य होगा और जहां कानून का राज्य नहीं होता जहां मनचाही कलम होती है वह सभ्य देश नहीं होता वह असभ्य देश होता है असभ्य समाज होता है। वहां का शासन असभ्य कहलायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, हमने एक कानून बनाया और उसमें व्यवस्थायें दीं। उन व्यवस्थाओं में बड़े भारी अधिकार राज्य सरकार को दिये कि अगर कानून विधान सभा में पास होने के बाद भी यदि आवश्यकता हो जोधपुर में नया विश्व विद्यालय बना है, राजस्थान विश्वविद्यालय के परिवर्तन के बीच में यदि आपको प्रावधानों को लागू करने में कोई दिक्कत हो तो डिफिकल्टीज रिमूवल ऑर्डर की धारा २६ के तहत कार्यवाही करके जोधपुर विश्वविद्यालय की स्थापना करके उसके कार्य का संचालन कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ी भारी एक्स्ट्राआर्डिनरी पॉवर थी। यह सारे असाधारण अधिकार हमने राजस्थान की राज्य सरकार को दिये। मैं राज्य सरकार से पूछना चाहता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय को जब एक साल के अन्दर जोधपुर विश्वविद्यालय को पूर्ण प्रकार से गठन करने का अधिकार दिया गया, उसकी सारी व्यवस्था कानून में करदी गई कि यदि साल भर में कोई दिक्कत हो तो उसको दूर करके उसका गठन कर सकते हैं, तो ऐसी कौनसी बड़ी वजह थी कि एक साल के अन्दर वे उसका गठन पूर्ण रूप से नहीं कर सके।

विधान सभा में जिस समय जोधपुर विश्व विद्यालय का कानून आया कानून आया था तो इस पर अनेकों खामियों की ओर माननीय सदस्यों ने ध्यान दिलाया था और मैंने कहा था कि जल्दी में कानून पास मत करो। कानून की पूरी खामियों पर विचार होकर कानून पास होना चाहिए। जोधपुर में विश्वविद्यालय बने उसका हमने समर्थन किया, लेकिन कानून सही ढंग से बनाया जाय और कानून में जो खामियां हैं उनको दूर कर दिया जाय। कानून पर विधान सभा की मोहर लगती है। वह कानून न्यायालयों में जायगा और उसको न्यायाधीश पढ़ेंगे तो विधानसभा के बारे में क्या सोचेंगे? लेकिन राज्य सरकार ने, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे सख्त अफसोस है कि सदन की इन बातों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और उसी तरह से सदन में क्षमा-याचना की स्थिति में खड़ा होना पड़ता है जैसा कि कल सदन के सामने खड़ा होना पड़ा, और सरकार को माफी मांगनी पड़ी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमने एक साल का अधिकार दिया। डिफिकल्टीज रिमूवल ऑर्डर का वहां पर प्रोवीजन था कि जोधपुर विश्व विद्यालय कानून की जो धाराएं है, जो उसके प्रावधान हैं, उनमें संशोधन कर सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ने १२ महीनों में विश्व विद्यालय का गठन पूरा नहीं किया। विश्वविद्यालय कानून में जो ट्रान्जिटरी प्रोवीजन्स दिये हुए हैं उनके अनुसार जो उनको करना चाहिए था वह क्यों नहीं किया? १२ जून ६४ के पश्चात् आपने गलत आज्ञाएं

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

जारी की। जिनका कानून में आपको अधिकार नहीं था वे आज्ञाएं जारी कीं। जब आपको अधिकार था उस समय आपने नहीं की। उसके बाद में सारी व्यवस्था या एमेंडमेंट करने की आज्ञाएं जारी करने का अधिकार नहीं था, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, हुआ क्या कि सब आज्ञाएं जारी करदी गईं। राजस्थान मे कानून का राज्य नही है। आप कानून को लुंगी लगाकर इस प्रकार से आज्ञाएं जारी करते हैं जिनका कि कानून में आपको कोई अधिकार नही है। २९ अक्तूबर के आस-पास, उपाध्यक्ष महोदय, वही सवाल कल वाला यहां खड़ा होता है। सितम्बर में विधान सभा का सैशन था। अगर आपने आज्ञाएं जारी की हैं तो कौन--कौन सी तारीखों को की हैं उनको सदन के सामने रखें। १२ जून, ६३ के बाद आपको आज्ञाएं जारी करने का अधिकार नहीं था। माननीय मन्त्री महोदय अपने उत्तर में बतायेंगे वे तारीखें जिनमें कि धारा २९ के आधीन डिफिकल्टीज रिमूवल ऑर्डर जारी किये गये गये। इसके बाद विधान सभा का जो अधिवेशन सितम्बर में हुआ था तो उस प्रकार का कानून विधान सभा के सामने क्यों नही पेश किया गया? यदि वे कानून पास करना चाहते थे तो विधानसभा को विश्वास में लेना चाहिए था और विधान सभा को बताना चाहिए था कि इन १२ महीनों मे यह कमियां रह गई थीं इसलिए इस कानून को इस प्रकार से लागू नहीं कर सके। तो इस प्रका एमेंडिंग बिल सदन के सामने पेश करना चाहिए था। उपाध्यक्ष महोदय, वह कुछ नहीं किया। राजस्थान का शिक्षा विभाग क्या कर सकता है? देश के जिस भविष्य के बारे में हम कल्पना करते हैं तो वह बच्चों पर निर्भर करता है और देश के बच्चों का भविष्य वह शिक्षा विभाग के स्तर पर निर्भर करता है।

मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि, आज राजस्थान में अगर कोई सबसे निकम्मा विभाग है, सबसे निखट्टू विभाग है तो वह शिक्षा विभाग बन गया है। अध्यापकों की क्या हालत है? उनकी तनख्वाह नहीं, उनका फिक्सेशन हो नहीं पाता। विद्यार्थियों का स्तर गिरता जा रहा है शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट उठा कर देख लें उसमें बराबर इस बात की ओर संकेत किया जाता है कि राजस्थान में बराबर शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। आई० ए० एस० के एक्जामिनेशन्स में राजस्थान के लोग कम आते देखेंगे। ऑल इण्डिया कम्पीटिटिव एक्जामिनेशन्स में राजस्थान का बहुत कम हिस्सा होता है। राजस्थान की एज्यूकेशन का स्टैण्डर्ड गिरता जा रहा है, और शिक्षा का जो स्तर है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन में केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि आप प्राईमरी एज्यूकेशन, सैकण्डरी एज्यूकेशन और हायर एज्यूकेशन की बातों को छोड़ दें, जो युनिवर्सिटी एज्यूकेशन है, जो विश्वविद्यालय के स्तर के विद्यार्थी हैं उनके सोचने का तरीका, उनके तौर-तरीके हैं वे किस तरह के रह गये हैं। आज, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, अगर छोटे स्कूलों के बच्चे, हाई स्कूलों के बच्चे यदि उस प्रकार की हरकतें करें तो बात समझ में आ सकती है, लेकिन

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

जो हायर एज्यूकेशन में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनका एक मिसाल तो बीकानेर मेडिकल कालेज की हमारे सामने आई है कि मेडीकल कालेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी राज्य सरकार के कारण किस तरह से कार्य करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वैसा ही हाल जोधपुर में जोधपुर विश्वविद्यालय का है। वहां पर इतने सारे झगड़े हुए, मैं उन सारे झगड़ों में जाना नहीं चाहता, यूनियन के चुनावों के समय झगड़े हुए, किस प्रकार से मारपीट हुई, किस प्रकार की वहां पर पैम्फ्लेट बाजी हुई ? मैं समझता हूं कि उप--मन्त्री जी जो जोधपुर में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, वे जानते हैं। जोधपुर विश्वविद्यालय कायम किया गया है तो वहां की शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने की दृष्टि से पार्टीबाजी न हो, संघर्ष न हो, कलह न हो, ईर्ष्या न हो, द्वेष न हो और पढाई में मन लगा सकें और अपनी शिक्षा पूरी करके ऑल इण्डिया कम्पीटिशन में राजस्थान का नाम ऊंचा कर सकें, उस दृष्टि से वहां पर प्रयत्न नहीं होता है। उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर विद्यार्थियों का स्तर मैं कहना चाहूंगा कि किस प्रकार का रह गया है। आज, उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर कुछ पैम्फ्लेट बाजी हुई। मैं केवल एक पैम्फलेट के कुछ अंश इस सदन में पढ़कर सुनाता हूं कि किस प्रकार से वहां पर होता है और उसको रोकने में हमारी सरकार मजबूर है। इसमें विद्यार्थियों का दोष नहीं है। विद्यार्थी नौजवान है, विद्यार्थियों की अपरिपक्व अवस्था है। उनको किस प्रकार की गाइडेन्स देकर चलाया जाय, यह काम शिक्षाधिकारियों का है। शिक्षा के अधिकारी यदि यह नहीं करते हैं तो यह शिक्षा मन्त्री का दोष है। यह पैम्फ्लेट है, इसमें लिखा है।

"क्या यह कुबड़े के कण्ठ की आवाज है या लूले के हाथ की करामात है.........या यह गन्जे के नंगे सिर की, या कुतिया के आंखों की करामात....."और आगे कहा गया है, "कौन वह ज़लील अथवा कमीना कुत्ता है जो सत्य का दुश्मन है........"

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तो इसके पढ़ने में भी संकोच होता है। मैं इसको नहीं पढ़ता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जोधपुर के विद्यार्थी इस स्तर पर उतर आये हैं। यह कहना पड़ेगा कि "यथा राजा तथा प्रजा"। जैसे शिक्षा के अधिकारी हैं वैसे यह लोग, जैसा गुरु वैसा चेला। जब वह यह देखते हैं कि शिक्षा मन्त्री और शिक्षा उपमन्त्री में नहीं बनती है तो वह कैसे यह सबक सीख सकते हैं ?

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : यह कैसे प्रिज्यूम करते हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह संस्कार नहीं पड़ता है। उपाध्यक्ष महोदय, वह विद्यार्थी भी ऐसे ही हो जाते हैं। जब शिक्षा उपमन्त्री शिक्षा मन्त्री पर हावी हो सकते हैं तो हम भी गुरु पर हावी क्यों न हो ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : I controvert it, Sir.

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : He is enjoying it.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : In his heart लेकिन दा साहब यह जानते हैं कि यह सही है कि बचपन में उद्दण्डता होती है। जो इस सदन में सबसे सीधे आदमी दिखाई देते हैं किसी से भी पूछ लें, इधर से पूछें या उधर से पूछें, वह दा साहब हैं। सबसे सीधे हैं बिल्कुल। कोई कितनी ही आलोचना करे वे नहीं बोलते हैं, सुनते नहीं और बुरा होता रहे तो देखते नहीं हैं। मन में कुछ आये तो बोलते नहीं हैं। जैसे गांधी जी के तीन बन्दर थे, उपाध्यक्ष महोदय, वह बुराई सुनते नहीं थे, बुराई देखते नहीं थे, और बुरा बोलते नहीं थे, उनकी कहीं साक्षात् मूर्ति बिराजमान है तो वह दा साहब हैं। सबसे सीधे हैं। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं दा साहब को बधाई दूं। पहले तो, उनको इस बात के लिए बधाई देता हूं कि आज उनकी सालगिरह है। उसके बाद में मैं कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, आज दा साहब इतने सीधे लगते हैं, लेकिन बचपन में इनका नाम बदरिया बण्ड था। इनका नाम था बद्रीनाथ और बण्ड कहते हैं बदमाश को, वो उद्दण्ड होता है, शैतान होता है।....

श्री निरंजननाथ आचार्य : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य ने जो यहां, कहा है 'बण्ड' शब्द वह असंसदीय प्रणाली का शब्द है। उसको यहां दा साहब के लिए कहा गया है। वह उनसे अपेक्षा नहीं की जाती है कि ऐसे शब्द का प्रयोग करें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरा केवल इतना ही मतलब था........

श्री उपाध्यक्ष : यह शब्द अनुचित है और उसको........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह तो एक आर्टिकल निकला है और खुद दा साहब ने अपने बारे में उसको बताया है। उसको स्वयं को पता नहीं था और मुझे भी कुछ पता नहीं था।

श्री उपाध्यक्ष : उसको आप कोट कर रहे हैं क्या ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह अखबार में लिखा है। उसमें लिखा है कि बचपन में इनका नाम बद्रीनाथ था और बचपन में आप इतने उद्दण्ड और शैतान थे कि लोग इनको बदरिया बंड कहा करते थे। यदि गलत हो तो दा साहब बतादें।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मन्त्री महोदय को इससे कोई आपत्ति नहीं है। मैंने उनको बधाई दी है। लेकिन उप मन्त्री महोदय यह बताना चाहते हैं कि मेरी कितनी सहानुभूति है दा साहब के साथ। लेकिन दा साहब यह जानते हैं कि आपकी कितनी सहानुभूति है ? उनके ऑर्डर पर आप लिख देते हैं कि in supersession of the order passed by the minister.

श्री निरंजननाथ आचार्य : निराधार।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं मानता

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

हूं कि आप ज्यादा योग्य हैं, लेकिन आपकी योग्यता जबतक सुखाड़िया जी स्वीकार नहीं करें तब तक मैं कोई मदद नहीं कर सकता ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जोधपुर विश्व विद्यालय के सम्बन्ध में मैं समझता हूं कल राजस्थान विश्व विद्यालय का मामला भी यहां आयेगा उस समय सारे विचार रखे जायेंगे । जोधपुर विश्व विद्यालय एक्ट के सम्बन्ध में एक क्लाज हमारे सामने विचारणीय है । और राजस्थान सरकार ने उसके लिए डिफिकल्टी रिमूवल ऑर्डिनेन्स जारी किया है, जिसको जारी करने का उनको अधिकार नहीं था, लागू नही करना चाहिये था । और यदि जरूरी था तो पिछले सत्र में संशोधन विधेयक लाना था । संशोधन विधेयक नहीं लाया गया और ऑर्डिनेन्स जारी कर दिया । इस परम्परा का सदन में पिछले ३ दिनों में कितना प्रतिकार किया गया है यह सभी जानते हैं । मैं समझता हूं यदि मन्त्री महोदय जोधपुर विश्व विद्यालय का हित चाहते हैं तो ऑर्डिनेन्स के रेक्टिफिकेशन से काम नहीं चलेगा । जोधपुर विश्व विद्यालय में इतना अधिक असंतोष व्याप्त है, वहां के लेक्चरार्स, रीडर्स, प्रोफेसर्स के सिलेक्शन में इतनी गड़बड़ियें और धांधलियां हुई है कि जिनके कारण वहां के प्राध्यापकों और विद्यार्थियों में तीव्र असंतोष व्याप्त है लखनऊ, इलाहबाद और गोरखपुर से लोगों को लाकर तीन-तीन सौ रुपये देकर यहां भर्ती किया गया । राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले प्राध्यापक जो प्राध्यापक या रीडर ही की पोस्ट्स पर बैठे हैं उनका प्रोफेसर्स या रीडर्स की जगह पर सिलेक्शन्स नहीं किये गये । मैं यह नहीं कहता कि कौन काबिल है और कौन नही है, लेकिन राजस्थान मे शिक्षा का अनुभव रखने वाले लोगों को कोई तरक्की नहीं दी गई । सदन के माननीय सदस्य और गृह मन्त्रीजी जानते हैं प्रोफेसर देराशी को । वे कितने काबिल हैं लेकिन वे आज रीडर ही बने रहे और प्रोफेसर के लिये उनको रिजेक्ट कर दियाजाय बाहर के आदमियोको भर्ती करके जैसे राजस्थान कोई धर्मशाला हो, पंचायत का केन्द्र हो जहां बाहर से लोगों को लाकर यहां भर्ती किया जाय । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज उस विश्व विद्यालय में अनेक गड़बड़ियां हो रहा हैं । बजट नहीं बनता, ऑर्डर जारी नहीं होते, आज्ञायें ठीक ढंग से नहीं निकलती । प्रोफेसर्स और रीडर्स का सिलेक्शन गलत ढंग से होता है । जब तक जोधपुर विश्व विद्यालय का इलाज ठीक ढंग से नहीं होगा, जब तक उसमें से बीमारी बाहर नहीं निकलेगी तब तक भला नही हो सकता । न जोधपुर का भला होगा, न विश्वविद्यालय का भला होगा, न अध्यापकों का भला होगा, और अंततोगत्वा न राजस्थान का भला होगा । जोधपुर विश्वविद्यालय में हुई गड़बड़ियों, धांधलियों और गलत नियुक्तियों को आप सहन नहीं करना चाहते । मैं नहीं चाहता और यह हाउस नही चाहता कि वहां की गड़बड़ियों को इसी तरह से रहने दिया जाय । इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि आप एक हाई पॉवर

Page No.59

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कमीशन बैठावें जो वहां हुई सारी गड़बडियो की जांच करे और फैली हुई बीमारी को प्रारम्भ में ही सरजीकल ऑपरेशन के जरिये निकाल दें। इस विश्व विद्यालय की बीमारी वहुत बढ़ चुकी है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ओर मिनिस्टरों की निष्क्रियता के कारण बढ़ गई है। इसलिए मैं चाहता हूं जोधपुर की विश्वविद्यालय की जांच करने के लिये एक हाई पॉवर कमीशन बैठाया जाय और वहा की गन्दगी को दूर करके वहां पर स्वच्छ वातावरण तैयार करके राजस्थान की भावी पीढी को तैयार करने में जोधपुर विश्वविद्यालय अपना योगदान दे सके।

मैं यह विश्वास करता हुआ अपना संकल्प प्रस्तुत करता हूं। यदि सरकार आश्वासन देगी कि हाई पॉवर कमीशन वह बैठायगी तो मैं प्रारम्भ मे ही अपने भाषण में कह देता हूं कि इस प्रकार का आश्वासन आने पर मैं इसको वापिस ले लूंगा। मैं यह सुझाव दे रहा हूं राजस्थान विश्व विद्यालय के हित में वहां की गन्दगी दूर करने के लिए जांच कमीशन की नियुक्ति आवश्यक है। जांच के द्वारा गन्दगी दूर करना जरूरी है। इस भावना से प्रेरित होकर मैंने अपना संकल्प सदन में प्रस्तुत किया है।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जोधपुर यूनिवर्सिटी (अमेन्डमेन्ट) बिल, १९६४ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : Motion moved.

(विराम)

Shri Yogendra Nath Handa.

(अनुपस्थिति)

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : सिर्फ दस मिनट।

श्री दुर्गालाल बाढदार (हवामहल, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्षजी, जोधपुर युनिवर्सिटी अमेन्डमेंट बिल आज हमारे सामने विचार के लिये रखा हुआ है। गये तीन दिनों से राजस्थान सरकार की ओर से जो ऑर्डिनेन्सेज बिल के रूप में सदन के सामने आये हैं उन पर काफी चर्चा हो चुकी है और काफी चर्चा के बाद यहां बार-बार माननीय सभी सदस्यों के द्वारा इस बात पर पूरा जोर दिया गया है कि जिस प्रकार एक प्रजातंत्रात्मक शासन-प्रणाली में सद्-भावनाओं को मानते हुए राज्य सरकार को जनता पर ऑर्डिनेन्स नहीं थोपने चाहिये। लेकिन इन सारी बातों का प्रतिकार करते हुए राज्य सरकार जो ऑर्डिनेन्स द्वारा हकूमत करने की भावना आज तक रखती है, वहां सद्भावना का प्रश्न नहीं हो सकता। अभी जोधपुर युनिवर्सिटी के सिलसिले में आर्डिनेन्स बनाया गया और उसके बाद बिल के रूप में विचारार्थ रख दिया जाता है, लेकिन इसको बनाने की क्या जरूरत थी? क्यों वह आवश्यक था? क्या परिस्थितियां थीं? जिनके कारण संविधान का उल्लंघन किया गया। संविधान की धारा २१३ के अंदर पहली कंडीशन यह होती है कि गवर्नर को इस बात का

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

सैटिस्फेक्शन होना चाहिये, सन्तोष होना चाहिये, कि ऐसी परम आवश्यकता वास्तव में है जिसके कारण ऑर्डिनेन्स बनाना निहायत जरूरी है। अभी प्रश्न पूछा गया उसका राज्य सरकार ने कोई उत्तर नहीं दिया। प्रश्न वास्तव में बड़ा महत्वपूर्ण था और ऐसा भी नहीं था, जिसका उत्तर देने में संकोच होना चाहिये था लेकिन उसका उत्तर नही देते और जब यह कहा जाता है कि संविधान की २१३ धारा की तहत गवर्नर को इस बात का सैटिस्फेक्शन होना चाहिये कि ऑर्डिनेन्स लाने की वास्तव में जरूरत है तो उसका उत्तर जैसा दिया दिया जाता है वह यह दिया जाता है कि केवल आवश्यकता समझी जाय तो कानून बनाना चाहिये। एक साल के अर्से के बाद ही आप इस विश्वविद्यालय विधेयक में संशोधन चाहते हैं उसमें यह चाहतेहैं कि जो आज्ञाएं आप इस एक वर्ष में नहीं कर सके इस कारण एक वर्ष की अवधि और बढ़ा दी जाय ताकि उनके लिये आज्ञा-जारी की जा सकें। मैं यह कहना चाहता हूं कि अनुचित ढंग से राज्य सरकार ने अपने दिमाग में जब यह नक्शा बना लिया है कि आपने आदमियों को किस प्रकार से धंधा देना चाहिए अब इसका नक्शा राज्य सरकार के दिमाग में बैठ गया कि इस प्रकार की गड़बड़ियां करने के लिये एक साल की अवधि और बढ़ाना चाहिये तो ऑर्डिनेन्स के जरिये वह बढ़ाई जाती है। और वह अवधि भी बढ़ाई जाती हैं और ऑर्डिनेन्स के द्वारा वह बढ़ाई जाती है। इस सदन में बैठने वाले सारे माननीय सदस्यों की कोई राय नहीं लेते हुए हुए एक ऑर्डिनेन्स के द्वारा एक कानून थोपा जाता है। मैं निवेदन करूंगा कि जो यह सत्र चल रहा है इससे पहले भी यह संविधान की धाराओं का किसी प्रकार मे भी ठीक रूप से पारिपालन नहीं किया गया है। मैं यहां तक कहूंगा कि जो गया सत्र था, उस गये सत्र में भी राज्य सरकार छोटे-मोटे रूप में ला सकती थी। क्या राज्य सरकार यह बताने के लिए तैयार है कि कौनसी ऐसी आवश्यकता थी, कौनसी ऐसी बात थी जिसके कारण यह ऑर्डिनेन्स हमारे ऊपर थोपने को आवश्यकता पड़ी ? मैं समझता हूं कि यह तो एक प्रकार का राज्य सरकार का स्वभाव पड़ गया है। जैसा बताया गया, शिक्षा विभाग, जिसके ऊपर हमारे सारे देश की संस्कृति निर्भर है, शिक्षा का वह क्षेत्र है जिसके द्वारा हमारे देश की उन्नति बहुत कुछ हद तक डिपेन्ड करती है। लेकिन शिक्षा विभाग में जितना विकास उत्पन्न हुआ है, जिस प्रकार की इस विभाग के अन्दर विकृति उत्पन्न हुई है उस विकृति से असंतोष है और किसी व्यक्ति को भी संतोष नहीं हो सकता। मैं एक बात यह बताना चाहूंगा। कि हम यह आशा करते है कि शिक्षा विभाग मे सुधार होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा मंत्री उपाध्याय हैं और उपशिक्षा मंत्री आचार्य हैं। जहां उपाध्याय और आचार्य हैं, जिनका शास्त्र-सम्मत अर्थ लगाया जाय तो दोनों शब्दों का बहुत बड़ा महत्व है लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उपाध्याय भी रह गये और आचार्य भी रह गये। और जोपरिणाम शिक्षा के क्षेत्र में निकलता है, जो इन्टरव्यूज़ हुए थे, जिसमें जो स्नातक निकले थे यूनिवर्सिटी से; उनसे प्रश्न पूछा जाता है और जो वे उत्तर

Page No.61

(श्री दुर्गालाल बाढदार)

देते हैं उनको सुन कर हर्ष भी होता है और एक प्रकार से क्षोभ भी होता है। साथ ही साथ हृदय में दया भी उत्पन्न होती है कि यह सरकार कितनी निष्क्रिय है जो इस महान दान से देश को वंचित करे, यह प्रश्न उपस्थित हो रहा है। यह दुःख के साथ कहना पड़ता हैं कि ये दया के पात्र हैं और इन्हें क्षमा करना चाहिए। इसमे दोष देने का प्रश्न उत्पन्न नही होता। आखिर दोष दें किसको, बात कहें किसको? जिसमें सुनने की शक्ति हो उसको कहें। वैसे इनमें भी सुनने की बहुत शक्ति है और इतनी आदत पड़ गई है गालियां सुनते सुनते कि प्रभाव नहीं होता है....

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री): आपकी आदत पड़ गई है कहने की।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार: जैसे पत्थर के ऊपर कोई असर नहीं होता है। वैसे ही इन पर असर नहीं होता है। मैं कहता हूं कि आप बात को सुनिये और सुनने के बाद समझने की चेष्टा करिये। और समझने से ही काम नही चलेगा। उसके बाद उतना करने की चेष्टा कीजिये और जो कर्त्तव्य का भार आपके कन्धों पर पड़ा है, जो उत्तरदायित्व आपके कन्धों पर पड़ा है उसको निभाने की कोशिश कीजिये। आप शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने की चेष्टा कीजिये। विकार करने की चेष्टा मत कीजिये। मैं निवेदन कर रहा था, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह बताया जाय कि इस संशोधन विधेयक के जरिये ऐसा कौनसा महत्वपूर्ण प्रश्न इनके सामने आ गया था जिसको पूरा करने के लिए इनको आर्डिनेन्स निकालने की आवश्यकता पड़ी। कोई उत्तर इसका नही आ रहा है। आज यह देखते हैं कि जो शिक्षा का क्षेत्र है उसमें ऐसा यह कानून पास करना चाहते हैं, जैसा कि एक दूसरा महत्वपूर्ण बिल आ रहा है यह राजस्थान यूनीवर्सिटी के बारे में है। इस सरकार की एक आदत सी पड़ गई है कि यह आर्डिनेन्स बनाये। कोई आदमी किसी अदालत में इस सरकार के बनाये हुए कानून को चैलैंज करता है और अदालत उसको निरस्त कर देती है। लेकिन राज्य सरकार के पास सबसे बड़ी शक्ति है वह यह है। इस शक्ति का आप सदुपयोग नहीं करते हैं बल्कि दुरुपयोग करते हैं।

मैं यहां तक निवेदन करना चाहूंगा कि हमें अदालतों का सम्मान करना चाहिए। राज्य सरकार लॉ एण्ड आर्डर की व्यवस्था करने के लिए अपना पहला कर्त्तव्य रखती है। अगर उनके विरुद्ध कोई निर्णय न्यायालय द्वारा दिया जाता है तो कानून ऐसा बनाती है कि उसको निर्णय के साथ मान्यता नहीं रहती और कानून के द्वारा अपना उल्लू सीधा करना चाहती है। मैं कहूंगा कि जनता के अन्दर न्याय के प्रति श्रद्धा कैसे पैदा होगी जबकि राज्य सरकार के द्वारा न्याय के प्रति अविश्वास पहले ही उत्पन्न होगा। इसका दोष है वह किसके ऊपर डाला जा सकता है। मै समझता हूं कि यह केबिनेट मिनिस्टरों पर ही डाला जा सकता है। आप जो कार्य करना चाहते हैं उसके करने मे गलतियां आप कर जाते हैं। उसमें इस बात का ध्यान नहीं रहता है कि जो कानून बनाने जा रहे हैं वह सही है या गलत है। जब न्यायालय में उसका पिष्ट पेषण होता है, हेअर स्प्लिटिंग होता है,

(श्री दुर्गालाल बाढदार)

उसके बाद न्यायालय निर्णय दे देती है और तय कर देती है कि कानून में यह कमी रखी है, गलतियां की हैं। आपसे कानून बनाने में यह चूक हो गई। लेकिन सबका असर आप पर बहुत थोड़ा होता है। आप जो चाहते हैं वह करते हैं। जैसी कि कहावत है—पंचों का हुकम सिर माथे पर लेकिन परनाला यही गिरेगा। हम न्यायालय का सम्मान करते हैं वह इसी-लिए सम्मान करते है ? मैं यहां तक कहूंगा कि हम सम्मान नहीं करते और कानून ऐसा बनाते हैं जो अदालत के निर्णय के विरुद्ध होता है। इसके ऊपर कन्टेम्प्ट आफ कोर्ट का मामला बन सकता है और सम्भवतः जेल के सींखचों के पीछे बन्द किया जा सकता है। इसलिए जो थोड़ा बहुत आप सम्मान करते है वह इसी भय के कारण करते हैं। वैसे आपकी भावना नहीं है, सिर्फ कन्टेम्प्ट आफ कोर्ट के भय से इस प्रकार दूसरा कानून बना देते हैं। इस तरह जो न्याय की व्यवस्था दी जाती है उसका आप सम्मान नहीं करते। तो इस प्रकार न्याय की व्यवस्था के प्रति सद्भावना जनता में नहीं है, यदि असंतोष जनता में फैला हुआ है उसका मूल कारण एकमात्र यही है कि आपकी कार्य पद्धति इस प्रकार की चल रही है, कानून बनाने का तरीका इस प्रकार का चल रहा है कि आर्डिनेन्स का तरीका अपना कानून थोप सकते हैं दुनियां के ऊपर।

आप बिल बना कर, सही तरीके पर उनके सामने रख कर, सही तरीके से जनमत जानने के बाद कानून बनाना नहीं चाहते बल्कि मर्जी के अनुसार कानून बना देना चाहते हैं, थोपना चाहते हैं। यही कारण है कि बड़ा भारी असंतोष फैला हुआ है। मेरा संशोधन इस प्रकार का है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, मैं मंत्री महोदय और उप मंत्री महोदय, दोनों को यह निवेदन करूंगा कि थोड़ा आप विचार कीजिये, थोड़ी सद्भावना अपने अन्दर पैदा कीजिये, अपने आपमें आस्था उत्पन्न करने की कोशिश कीजिये—इसमें आपको विशेष नुकसान नहीं होने वाला है। मेरा संशोधन इतना सा है कि इसे आप सिलेक्ट कमेटी को रेफर कर दीजिये। सिलेक्ट कमेटी के अन्दर बहुत से व्यक्ति ऐसे आएंगे जो आपके बारे में भी जानते है और शासन के बारे में भी जानते हैं, आपके दिल में कौनसा राज छुपा हुआ है यह भी जानते हैं, आप कौनसी आज्ञायें प्रसारित करना चाहते हैं, यह भी जानते हैं। आप इसकी मियाद एक साल के लिए क्यों बढ़ाना चाहते है—इसके बारे में लोग अच्छी तरह से जानते हैं। आप ऐसा अविश्वास मत कीजिये कि सिलेक्ट कमेटी में आपके साथ असहयोग होगा। ऐसा न मानिये कि सिलेक्ट कमेटी के मेम्बर होंगे वे आपसे सहयोग नहीं करेंगे आप विश्वास रखिये, आपका वहां मार्ग दर्शन होगा और आपको सही रास्ता बताया जायगा। जो दिक्कतें आती हैं उनको हल करने के लिए एक सही रास्ता निकालने के लिए आपको सुझाव भी मिल सकते हैं। यदि आप उन सुझावों को लेकर आप जनता की भावनाओं और जनता की आवाज को सम्मानित करना चाहते हैं तो उनके प्रति पहले आस्था रखनी चाहिए। इस दृष्टिकोण से आपको कोई नुकसान नहीं होता हैं। जो आक्षेप, लांछन तीन दिन से बराबर

(श्री दुर्गालाल बाददार)

राज्य सरकार के प्रति लगाये जा रहे हैं वह, इसलिए कि राजस्थान सरकार जनता की भावना का सम्मान नहीं करती है और आर्डिनेन्स के द्वारा हुकूमत करना चाहती है। तो कम से कम तीन दिन से यह जो बराबर कालिख पोती जा रही है, उस कालिख को उजला करने की चेष्टा कीजिये, कालिख को कम करने की चेष्टा कीजिये। आप ऐसा काम मत करिये। चूंकि समय नहीं है इसलिए मैं ज्यादा नही कहना चाहता, वैसे मैं बहुत सी बातें कहना चाहता था, अब अन्त में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आप विचार कीजिये, इस संशोधन प्रस्ताव से आपको नुकसान नहीं होने वाला है बल्कि इसके द्वारा हर प्रकार का सिलेक्ट कमेटी की सहयोग मिलेगा और आपको इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए। इसलिए इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को रेफर किया जाय जो अपना प्रतिवेदन आपके सामने पेश करे।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाय। दो तीन दिन के वादविवाद से यह स्पष्ट है कि राजस्थान सरकार छोटी छोटी बातों के लिए आर्डिनेन्स निकाल कर जनतंत्र की हत्या करती हैं, किस प्रकार छोटी छोटी बातों के लिए कानून बनाकर जन भावनाओं को ठेस पहुंचाती हैं। जिस समय जोधपुर यूनीवर्सिटी का बिलआया था, उस समय मैंने कहा था कि इतनी जल्दी बिल नहीं बनाया जाय और इसे सिलेक्ट कमेटी को सौंपा जाय जो सारी बातों की निगरानी रखे और अपनी रिपोर्ट दे। उस वक्त इस प्रस्ताव को नहीं माना गया और इसीलिए एक साल बाद फिर अमेंडमेंट ला रहे है। इसके पहले भी सरकार को आर्डिनेन्स निकालने की जरूरत पड़ी जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता श्री सतीशचन्द्रजी ने कहा कि जोधपुर यूनिवर्सिटी की हालत किस प्रकार बिगड़ रही है और इसके लिए इन्क्वायरी की जरूरत है। इस संबंध में मैं भी कुछ बातें आपके समक्ष रखना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि वहां पर किस प्रकार से एल. डी. सी. आर यू. डी. सी. के अपोइन्टमेंट्स होते हैं। वहां पर एल. डी. सी. और यू. डी. सी. के अपोइन्टमेन्ट एम्पलोयमेंट एक्सचेंज के जरिये नहीं होते। वहां तो अपनी मर्जी से जिनका चाहे उनका अपोइन्टमेन्ट कर लिया जाता है।

दूसरी बात, मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस समय डा० कपूर का अपोइन्टमेन्ट हुआ उस समय एक सिलेक्शन कमेटी बैठाई गई थी और जिस वक्त मे इन्टरव्यूज हुए उस समय डा० कपूर इंगलेन्ड में थे। जब आपने डा० कपूर को लेना पहले ही तय कर लिया था तो इस प्रकार की कमेटी बैठाने और खर्चा करने की क्या आवश्यकता थी? डा० कपूर के अपोइन्टमेन्ट हो जाने के बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसने क्या किया? डा. कपूर ने एक कमेटी का सदस्य अपने लड़के को बनाया जो काश्मीर में मेजर था, और वह किस लिए, सिर्फ इसलिये कि वह अपने पिता के पास कुछ दिन रह सके। अगर आप इस सम्बन्ध मे इन्क्वारी करायेंगे तो इस प्रकार की कई कार्यवाहियां आपके सामने आयेंगी।

(श्री सम्पत्तिलाल वोहरा)

इस प्रकार किस तरह से धन का दुरुपयोग हो रहा है। आप देखेंगे कि जोधपुर में पानी की स्केअरसिटी है, वहां पर १० लाख गैलन प्रति माह पानी खर्च होता है। इतना ही नहीं जितने भी अपोइन्टमेंट्स किये जाते हैं। बाहर के लोग लिए जाते हैं। क्लर्क आदि तो क्या चपरासी तक को बाहर से अपोइन्ट किया जाता है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या राजस्थान में चपरासी के काबिल भी लोग नहीं है। आप रेकार्ड उठाकर देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि मार्च ६३ तक चपरासी तक बाहर से बुलाये गये थे। क्या राजस्थान में लोग चपरासी की पोस्ट के काबिल भी नहीं हैं?

इसी तरह से वहां की लाईब्रेरी की पुस्तकें और अन्य सामान खरीदा गया वह भी बाहर से मंगाया गया और यहां के लोगों को पूछा तक नहीं गया। यदि सारी बातों को देखें तो आपको मालूम होगा कि किस प्रकार से उन्होंने सत्ता और धन का दुरुपयोग किया। आप देखेंगे कि जी. आई. बकेट्स १२॥) रु० में खरीदी गई। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इसकी जांच के लिए इन्क्वायरी कमेटी बिठाई जावे तो सारी बातों का हाल निकल आवेगा। और इस यूनिवर्सिटी के बारे में विद्यार्थी, एल. डी. सी. व यू. डी. सी. में जिस प्रकार का असंतोष है समाप्त हो जावेगा और देश में शिक्षा का जो स्तर है उसको घटने नहीं दिया जावेगा।

(१०.५ म. प.)

(श्री केसरीसिंह, सभापति, पदासीन)

आज हमारे बच्चों की पढ़ाई ठीक नहीं होगी जब तक वहां का स्टाफ-एल.डी.सी. और यू.डी.सी. असंतुष्ट होंगे और उसको चलाने वाले असंतुष्ट होंगे तो काम कैसे चलेगा। जब वहां के एल. डी. सी. और यू. डी. सी. ध्यान से काम नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा। इसलिये मेरा प्रस्ताव है कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जावे और इस पर जो सुझाव आयेंगे उन पर सिलेक्ट कमेटी दो तीन दिन में पूर्ण रुप से विचार कर लेगी कि आज तक कितने ऑर्डिनेन्स निकाले और क्या उन ऑर्डिनेन्स को बिना निकाले भी काम चल सकता था। इन सारी बातों पर विचार करने के लिए मेरा यह प्रस्ताव है कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाय।

श्री केदारनाथ(गंगानगर): श्री सभापति महोदय, हमारे यहां मौजूदा समय से तीन यूनिवर्सिटी काम कर रही हैं? उनके स्टेन्डर्ड पर बोलने का मुझे आज मौका मिला है और विशेष तौर पर जोधपुर यूनिवर्सिटी के बारे में मैं कुछ कहूंगा। इस सम्बन्ध में मुझे एक सेन्टेन्स प्रोफेसर मेशफील्ड (Mesefield) का याद आता है जब उन्होंने खास तौर से किसी यूनीवर्सिटी में अपना भाषण करते हुए कहा था। उन्होंने बताया कि क्या नेशनल लाइफ मे, क्या इन्टलेक्चुअल एक्टीविटीज में, क्या फेकल्टीज में, सब में स्टुडेण्टलाइफ का बड़ा भारी असर पड़ता है। उन्होंने यह भी बताया कि यूनिवर्सिटी में टीचर्स और प्रोफेसर्स का क्या स्टेटस होना चाहिये। उन्होंने एक बड़ा

(श्री केदारनाथ)

लम्बा चौड़ा भाषण दिया था उसमें उन्होने ये शब्द कहे : There are few earthly things more beautiful than a University, इसके बाद और बहुत बड़ा पैराग्राफ है जिसको मैं नही चाहता कि आपको पढ़ कर सुनाऊं ।

हिन्दुस्तान में यूनीवर्सिटीज गिनती में ५४ हैं और राजस्थान में ३ अभी मौजूदा समय में हैं और शायद एक ६ महीने बाद और बन जावेगी । मगर मैं देखता हूं कि हमारी यूनीवर्सिटीज को जो शिक्षा के सम्बन्ध में नेशनल रोल और पार्ट प्ले करना चाहिये था वह हमारी आजादी के बाद आज तक नहीं कर सकी हैं । इसमें कोई शक नहीं है कि अंग-रेजों के समय में यह देखते थे कि शिक्षा जो हमको दी जाती थी वह सरकारी नौकरियों के लिये दी जाती थी । मगर अंग्रेजों के चले जाने के बाद में भी वही शिक्षा हमको दी जाना कहां तक ठीक है । इस पर हमारी नहीं सरकार और शिक्षा शास्त्रियों ने कोई ध्यान दिया कि यह नई नई जिम्मेदारी हमारे पर आई है उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाए । मगर आज तक पोलिटीशियन्स, एज्युकेशनिस्ट या साइन्टिस्ट कुछ नहीं कर सके हैं । मैं इसके बारे में एक बात अर्ज करना चाहता हूं । चाहे यह जोधपुर यूनिवर्सिटी का सवाल हो चाहे राजस्थान यूनिवर्सिटी का सवाल हो, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन इस दिमाग का है कि यूनि-वर्सिटी के टीचर्स हैं वे उनके एम्पलाइज हैं जैसा कोमन पेटर्न पहले अंग्रेजों के समय से चला आ रहा था, वही आज भी चला आ रहा है । इससे हर आदमी को पूरी फ्रीडम अपने थोट्स और रिचर्स में नहीं मिलती । यह फ्रीडम होनी चाहिये । मगर हमारे यहां नहीं है । एडमिनिस्ट्रेशन चाहे वाइस चान्सलर का हो चाहे रजिस्ट्रार का हो वे यह समझते हैं कि रीडर्स, प्रोफेसर्स आदि हमारे एम्पलोइज हैं, हमारे सबार्डीनेट हैं । वैसा ही हाल हमारे यहां जोधपुर यूनिवर्सिटी का है । हम जिस चीज को करना चाहते हैं और जिसके लिये हम लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं वह हमारे राजस्थान में आने वाली नहीं है ।

दूसरी चीज, मैं कहना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी में रिसर्च आदि के लिये नीड्स के मुताबिक फेसिलिटी दी जावे । आप यह कह सकते हैं कि यह एक ओटोनोमस बाडी है मगर इसके एडमिनिस्ट्रेशन की कैसी हालत है यह मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं ।

हमारे छागला साहब एज्युकेशन मिनिस्टर बने और उन्होंने इस बात को महसूस किया कि हमारी शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है । उन्होंने स्लोगन दिया कि सारी यूनिवर्सिटीज का एक स्टेन्डर्ड हो । हमें शिक्षा में इम्प्रूवमेंट करनी चाहिये । मगर अभी तक हम यूनिवर्सिटी का एक स्टेन्डर्ड नहीं कर सके हैं । उनकी यह भी मंशा है कि कोन्स-टीट्यूशन में एमेन्डमेंट लायें । मैं समझता हूं कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट के पास पॉवर हैं और वह स्टेट को भी इस सम्बन्ध में डाइरेक्शन दे सकती है । मैं नहीं समझता कि इस संबंध में कोई कोन्सटीट्यूशन में एमेन्डमेंट आवे । सारे हिन्दुस्तान में केवल ५४ यूनिवर्सिटीज का सवाल है । उन सब का स्टेन्डर्ड हम गिरता हुआ देख रहे हैं । हमारे यहां का स्टेन्डर्ड क्यों गिरा इसका कारण यह है कि

(श्री केदारनाथ)

हमारे यहां पुराना पेटर्न है और प्रिन्सीपल की बात तो अलग है। मगर अधिकारी यह समझते हैं कि फेलोज टीचर्स और प्रोफेसर्स आदि है वे सब उनके सबोरडीनेट एम्पलोइज की हैसियत से काम करें और उनको फैसिलिटीज जो स्वतन्त्रता के बाद में मिलनी चाहिये नहीं दी जावे। इसके अलावा Herold Lasky ने कहा है अगर यूनिर्वसिटीज हैं तो यूनिर्वसिटीज के टीचर्स में है। एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं और इसके साथ में यह कहा है कि The University is a Society and not a public service ये बातें, पोलिसी की बातें हमारी सेन्टर और स्टेट गवर्न-मेंट के कोआर्डिनेशन के लेवल पर हो। जितने सेमिनार हुए, जितनी मीटिंगें हुई और जितने फैसले हुए उनके मुताबिक हमारी सरकार कार्य नही करती।

हमारे यहां के वाइसचान्सलर को बाहर से लाया गया है। Regionalism' हमारी यूनिर्वसिटीज में कतई नहीं होना चाहिये। यह मैं नहीं चाहता। मगर हमारा यह भी मकसद नहीं होना चाहिये कि हमारे यहां के जो इनटैलेक्चुअल्स हैं उनको हम इस्तेमाल न करें और बाहर से इम्पोर्ट करें और वे इम्पोर्टेड वाइस चान्सलर यहां आकर ऐसी हालत पैदा करदें कि सारे के सारे दोस्तों को बाहर से लाए आकर यहां आकर डिवाइड एण्ड रूल की पॉलिसी से पार्टप्ले करें।

आनरेबल झा साहब पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रह चुके हैं, गोरखपुर यूनिव-र्सिटी में काम कर चुके हैं, वहां उनका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं रहा, उनके एडमिनिस्ट्रेशन से वहां झगड़े पैदा हुए, स्टुडेन्ट्स और प्रोफेसर्स में झगड़े हुए। उनको हमारे यहां चान्स दिया तो यहां सरकार ने दूरन्देशी में काम नही लिया। यह सरकार की गलती है। इनके आते ही आते मिस्टर कपूर और दिमाशला में झगड़ा हुआ और वे इसके पीछे पार्टप्ले करते रहे, डिवाइड एण्ड रूल की पोलिसी को काम में लिया, हिन्दी हिस्ट्री में प्रोफेसर्स को अपोइन्टमेंट करने पर ज्यादा सेलेरी दी। इस तरह प्रोमोशन, सेलेरी और अपोइन्टमेंट में पक्षपात किया। अलग अलग विभागों में फ्रीडम आफ थोट नही दी गई। फिर यह देखा जाय कि आन-रेबल झा ने एक साल में कितने दिन आफिस में ड्यूटी दी। घर बैठे रहे और कागजों पर दस्तखत किये, यदि बीमारी की हालत थी तो उनको छुट्टी लेनी चाहिये थी। यही इन्जीनियरिंग कालेज में हुआ। प्रिंसिपल की इन्टेग्रिटी और काबलियत को सब जानते है, उनको वहां से इस्तीफा दे कर यहां आना पड़ा।

तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर जोधपुर यूनिवर्सिटी की इन्टरनल हालत को देखा जाय तो बड़ी खराब हो रही है। इस पर भी हमारी स्टेट यह कर चुप रहे कि यह ओटोनोमस बोडी है, तो मैं कहता हूं कि आप अपनी जिम्मेदारी कतई नही निभा रहे हैं। वाइस चान्सलर ठीक नहीं है। हमारे राजस्थान में टेलेन्टेड आदमी पड़े हुए हैं। उनकी आप कद्र नही करते है और बाहर के आदमियों को हम पर थोपा जाता

(श्री केदारनाथ)

है। यही वजह है कि हमारी स्टेट में इन्टेलेक्चुअल लाइफ में यूनिवर्सिटी को जो लीड देना चाहिए वह यूनिवर्सिटी नहीं दे सकी है, यह सरकार पर मेरा खुला चार्ज है।

क्योंकि समय कम है, कल और यूनिवर्सिटी के बारे में बहस होनी है, मुझे बाकी बातें कल कहनी हैं। आर्डिनेन्सेज के बारे में भी कल मुझे बहुत सी बातें कहनी हैं। ब्रिटिश पार्लियामेन्ट में हमें कभी इस प्रकार देखने को नहीं मिला। हमने अपना कान्स्टीट्यूशन बनाया है। छोटी छोटी चीजों के लिये आर्डिनेन्सेज जारी करना कहां तक उचित है, इस सब पर मुझे कल कहना है।

इसलिए आखिरी यही बात कहते हुए कि अगर आप चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी के डल आफ दी नेशन का काम करे, अगर आप चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी टेम्पल आफ लर्निंग का काम करे, हमारी स्टेट की एज्यूकेशनल लाइफ में पार्ट अदा करे, इन्टेलेक्च्युअल लाइफ में लीडरशिप का काम करे, स्टुडेन्ट्स और टीचर्स के चरित्र ऊंचे हों तो आपको यूनिवर्सिटी के इन्टरनल हालात में दखल देने के लिये काफी वजूहात हैं, और आपको दखल देना चाहिये। मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा।

(अनुपस्थित

श्री रामानन्द अग्रवाल

(अनुपस्थित

श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : माननीय सभापति महोदय, यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल के बारे में जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बारे में जो आर्डिनेन्स निकाला है, उसको निरस्त करने का संकल्प रखा है और इस सम्बन्ध में उन्होंने अपने विचार सदन के समक्ष व्यक्त किये। मैंने भी इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

जोधपुर यूनिवर्सिटी बनाने के बाद यूनिवर्सिटी के बारे में जो भी डिफिकल्टीज हों, उनको रिमूव करने के लिये पहले इस हाउस के द्वारा एक साल की अवधि रखी थी। परन्तु बाद में इसी चीज के लिये दूसरा आर्डिनेन्स सरकार को जारी करना पड़ा। इसकी परिस्थितियों से हम वाकिफ नहीं हैं, उसके बारे में मन्त्री महोदय जानकारी देंगे। मेरी यह स्पष्ट धारणा है कि ऐसे छोटे मामलों में ट्राइफल मेटर्स में हर वक्त आर्डिनेन्स जारी करना उचित नही है। सेप्टेम्बर में सेशन आया उस समय धारणा यदि ऐसी थी कि और समय बढाया जाय तो समय बढ़ाया जा सकता था। जब दूसरा सेशन दिसम्बर में होने वाला था, वह किसी कारण से नही हो सका तो इसी कारण आर्डिनेन्स जारी करना पड़ा। पर आर्डिनेन्स में रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, यूनिवर्सिटी में जो आर्डर्स जारी किये गये उनको वेलिडेट करने के पावर्स लिये हैं, मैं जानना चाहता हूं कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट को इसमे डालने की क्या आवश्यकता थी ? जो अवधि निर्धारित की उसमें आर्डर जारी नहीं किये, ऐसी लापरवाही

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

क्यों बरती गई, जिससे कि रिस्ट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लाने की आवश्यकता पड़ी । नई यूनिवर्सिटी स्थापित की गई, एक्ट लागू किया गया। हो सकता है कि कई डाउट्स रिमूव करने के लिये कुछ डिफिकल्टीज हो सकती थीं। तो उसके लिये सदन ने एक साल की अवधि दे दी। फिर क्या आवश्यकता महसूस हुई कि आर्डिनेन्स जारी करना पड़ा ? बिल लाना पड़ा और अब दो साल की अवधि चाही गई। अब भी ऐसी परिस्थिति पैदा हो सकती है। दो साल की अवधि कम है या ज्यादा है, इस प्रकार के और भी कई मुद्दे हो सकते हैं। उन सबकी पृष्ठभूमि में जाकर यूनिवर्सिटी के एड्मिनिस्ट्रेशन के बारे में पूरी जानकारी हॉसिल करने के लिये और कई दूसरे कारण हो सकते हैं, जिन पर विचार किया जाना आवश्यक है कि यह अवधि सफिसियेन्ट है या नहीं, इन सबकी जांच के लिये एक सिलेक्ट कमेटी को जो चाहे १० दिन के लिये, चाहे १५ दिन के लिये इस बिल को रेफर कर दिया जाय और वहां इन सारे मुद्दों पर विचार करने का मौका दिया जाय तो बहुत अच्छी बात होगी। नहीं तो एक साल के पीरियड में दूसरा आर्डिनेन्स और बिल लाने की आवश्यकता नहीं पड़ जाय।

इसके अलावा, माननीय सदस्यों ने यूनिवर्सिटी के इन्टर्नल एड्मिनिस्ट्रेशन के बारे में बातें कही है। मैं मानता हूं कि इस यूनिवर्सिटी के इन्टरनल एड्मिनिस्ट्रेशन के अन्दर प्रवेश करने की आवश्यकता है

श्री निरंजननाथ आचार्य (उपमन्त्री, शिक्षा) : On a Point of Order, Sir. मैं यह आपत्ति उठाना चाहता हूं कि क्योंकि यूनिवर्सिटी ओटोनोमस बोडी है, वह अपने इन्टरनल एड्मिनिस्ट्रेशन में इन्टर्नल अफेअर्स में ओटोनोमस है उस सम्बन्ध में न आप और न हम विचार-विनिमय कर सकते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी संशोधन बिल पेश हुआ था तब भी यह आपत्ति उठाई थी। आप भले ही कहें पर मैं जानना चाहता हूं कि किन परिस्थितियों में किस कानून के आधार पर राजस्थान सरकार यूनिवर्सिटी के इन्टरनल मामलों में हस्तक्षेप कर सकती हैं ?

श्री रघुनाथ विश्नोई :

सभापति महोदय, मैं इस बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा। सरकार से आपके जरिये यही निवेदन करूंगा कि जो भी उसके पास्ट एक्सपीरियेन्सेज हों, उनको मद्देनजर रखते हुए आगे भविष्य के बारे में सतर्कता बरती जाय ताकि एडिमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो और यूनिवर्सिटी बहुत कान्जीनियल एटमासफीयर में काम करे और वहां के एजूकेशन के स्टेन्डर्ड के बारे में सरकार सक्रिय कदम जरूर उठाये। उनके इन्टरनल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में मुझे यही कहना है कि कानून सदन द्वारा पारित किया जाता है और उसके बारे में जब जब आवश्यकता महसूस होती है, यूनिवर्सिटी के खुद के आग्रह पर या राज्य सरकार की एजूकेशन पालिसी के जरिये, समय समय पर अमेंडमेंट्स मूव होते हैं, और आवश्यकतानुसार अगर कोई चेंजेज़ करने की जरुरत हो तो यहां की जा सकती हैं। तो इन सारे मुद्दों को देखने के लिये और परिस्थितियों को एग्जामिन करने के

Page No.69

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

लिए, दूसरी यूनीवर्सिटीज के जो अनुभव हैं, उन सबको एग्जामिन करने के लिए यह बिल सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाय जो इन सारे पहलुओं को देखकर एग्जामिन कर ले तो अति उत्तम होगा ताकि फिर दूसरा बिल लाकर इस अवधि को और भी न बढ़ाना पड़े ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : सभापति महोदय, जोधपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक १९६४ के सम्बन्ध में मैंने एक प्रस्ताव किया था कि इसको एक सप्ताह के लिए प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय ताकि उस संबंध में प्रवर समिति अपने सुझाव इस सदन के सामने प्रस्तुत कर सके। जो मुद्दा इसमें रखा गया है, जिस सेक्शन को इस बिल के द्वारा अमेंड किया जा रहा है वह सेक्शन ३९ है और जो गलतियां की गई हैं उनको वेलीडेट करने के लिए यह किया गया है । जो अवधि एक साल की थी उसको दो साल किया जा सके, इस संबंध में यह अमेंडमेंट लाया गया है । बहुत से मुद्दे इस संबंध में उठाये गये हैं । जैसे कहा गया है कि दिन प्रतिदिन शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा रहा है। प्राईमरी, हायर सेकन्डरी और हायर एजूकेशन के सम्बन्ध में जिस प्रकार से माननीय सदस्यों के द्वारा विवरण दिये गए हैं, वह वाकई एक गम्भीर स्थिति है । शिक्षा का स्तर गिरता जाय और हम उस सम्बन्ध में कोई प्रयास न करें तो वास्तव वह गम्भीर प्रश्न है । जिस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए । हम अपने नागरिकों का स्तर इस एज्यूकेशन के द्वारा ही उठा सकते हैं । जब हमारा एज्यूकेशन दिन पर दिन गिरता जाता है तब हम जो भी इस दिशा में प्रयास करना चाहते हैं वे निष्फल जायेंगे । इस चीज को हरेक महसूस करता है कि शिक्षा का जो पहले स्तर था उसमें काफी तब्दीली आ गई है तो इसके लिये विशेष तौर से प्रयत्न करना चाहिए और प्रयत्न करके इस प्रकार की जो कठिनाइयां हैं उनको हमें दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए ।

जोधपुर यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में एक दो बातें कही गई । यहां के जो प्रोफेसर्स है, रीडर्स और हैड्स आफ डिपार्टमेंट्स हैं, उनके सिलेक्शन में जो घोटाले हुए हैं या और कई रकमों के सम्बन्ध में जो खर्चे हुए हैं, जो भी बातें बताई गई हैं, उनके लिए एक एन्क्वायरी कमेटी बिठाने का जो सुझाव दिया गया है, मेरे खयाल से इस प्रकार को कमेटी ऐसी ऑटोनोमस बाडी, जिसके सम्बन्ध में हम कुछ नहीं कर सकते, बिठाना ठीक नहीं होगा । उसके लिए एक प्रावधान इस एक्ट में मौजूद है । हम उन डिफिकल्टीज को रिमूव कर सकते हैं । सेक्शन १० जो इस यूनिवर्सिटी के एक्ट का है उसके तहत हमारे गवर्नर जो चांसलर होते हैं, उनके द्वारा इन सब गड़बड़ियों और खर्चों की जांच कराकर इन्सपेक्शन हो, तो सब खराबियां मिट सकती हैं । इस प्रकार की पार्टी पोलिटिक्स या आपस में पक्षपात या ऐसी कोई भी बात हो जिसके द्वारा हमारी यूनीवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन खराब हो या पढ़ाई में गिरावट आई हो तो राज्य सरकार

Page No.70

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

विशेष ध्यान देकर राज्यपाल महोदय को एड्वाइज दे कि इस यूनिवर्सिटी का जल्दी से जल्दी इन्सपेक्शन करके जो भी खराबियां हों उनको दूर कराया जाय ताकि यूनिवर्सिटी का काम अच्छी तरह से चल सके।

कहते हैं कि वहां मनमुटाव चल रहा है। वाइस चांसलर और प्रिन्सीपल्स का झगड़ा है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि यदि इस प्रकार के मनमुटाव और झगड़े चलते रहे तो हमारी एजूकेशन का स्तर दिन ब दिन गिरता जायगा। वहां के इन्जीनियरिंग कालेज के प्रिन्सीपल का वहां के कालेज को छोड़कर दूसरे स्थान पर चला जाना और दूसरे जितने भी काबिल अधिकारी हैं, रीडर्स और हैड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं जिनका छुट्टी पर चला जाना, नौकरी छोड़कर अलग हो जाना, बहुत विचारणीय स्थिति है। इसके लिए आवश्यक कदम उठाना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से कहा गया कि वाइस चांसलर के बाहर के होने की वजह से वह दूसरे लोगों को बाहर से ला रहे हैं और उनकी वजह से हमारे यहां के जो प्रोफेसर्स हैं, रीडर्स प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स हैं उनमें बड़ा असंतोष है जो कि काबिल होते हुए भी दूसरे लोगों को बाहर से उच्च पद के लिये लाया जाय तो ऐसा प्रयत्न हमारा नहीं होना चाहिए। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ज्यादा से ज्यादा ध्यान देकर राज्यपाल महोदय के द्वारा, जितनी भी ऐसी खराबियां हैं उनको दूर कराने का प्रयत्न करना चाहिए। यह एक आवश्यक चीज है कि नई नई यूनीवर्सिटी बनी है उसमें कुछ न कुछ इस प्रकार की खामियां रह जाती हैं जिन्हें दूर करना नितांत आवश्यक है, इसके लिए समय की भी आवश्यकता है। जिस प्रकार से बिल के एम्स और ऑब्जेक्टस में भी लिखा है कि जो कठिनाइयां हमारे सामने नई नई आई हैं उनका निराकरण हम एक वर्ष में नहीं कर सकते। मैं समझता हूं कि इस प्रकार का अमेंडमेंट लाने में कोई बुरी चीज नहीं है। फिर भी जिन कठिनाइयों का माननीय सदस्यों द्वारा विवरण किया गया है उनका निवारण होना भी अति आवश्यक है। इसलिए मैं राज्य सरकार को सुझाव दूंगा कि वह राज्यपाल महोदय से यह रिक्वेस्ट करे कि इस यूनीवर्सिटी का जल्दी से जल्दी इन्सपेक्शन कराए जिससे कि जो गड़बड़ियां और घोटाले वहां चल रहे हैं वे जल्दी से जल्दी समाप्त हो जायं ताकि लड़कों के अन्दर आपसी फूट, लड़ाई, झगड़ा और प्रोफेसर्स और रीडर्स का झगड़ा और उनके सिलेक्शन के अन्दर जो गड़बड़ियां हुई हैं, प्रोमोशन्स हुए हैं, इस प्रकार के जितने भी कार्य हुए हैं उनको समय पर रोक सके और हमारी यूनीवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी तरह से चल सके। अगर यह कदम जल्दी नहीं उठाया गया तो आपने जो दो साल की अवधि मांगी है उससे भी कुछ नहीं होने वाला है। इसमें जल्दी कार्य करने की आवश्यकता है ताकि हमारी एजुकेशन का स्तर जो दिन ब दिन आपसी फूट से, आपसी लड़ाई झगड़ों से, पार्टीबाजी फैलने से गिरता जा रहा है उसमें कुछ रुकावट आ सके।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : सभापति महोदय।

Page No.71

श्री सभापति : श्री फूलचन्द जैन इनके बाद आप (श्री ज्वाला प्रसाद) बोल देना।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : सभापति महोदय, जोधपुर विश्व विद्यालय की जो स्थिति है उसकी गम्भीरता और उसके अन्दर जिस प्रकार की अनियमिततायें की जा रही हैं उस सारी स्थिति को देखते हुए मैंने जो विधेयक राज्य सरकार ला रही है उसके लिए, एक प्रस्ताव पेश किया है कि जोधपुर विश्व विद्यालय संशोधन विधेयक को दो सप्ताह के लिए प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

सभापति महोदय, मैं सबसे पहले तो इस बात का विरोध करता हूं और सख्त आपत्ति अपनी ओर से प्रस्तुत करता हूं कि अध्यादेश के द्वारा इस प्रकार के बिल्स लाये जाने की जो परम्परा है इसको हमको बिलकुल बन्द देना चाहिये।

अब मैं वहां की यूनीवर्सिटी के सम्बन्ध में किस प्रकार से अभी वहां पर हालात चल रहे हैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय। इसके पहले मैं यह निवेदन कर दूं कि अभी हमारे माननीय उप-मंत्रीजी ने एक व्यवस्था के द्वारा बात कही है वह यह है कि इन्टरनल मेटर्स में यहां बात नहीं करनी चाहिये। मैं नहीं समझता कि इसके सम्बन्ध में क्या उनका सिद्धान्त है, क्या कारण है, परन्तु मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो स्थिति वहां पर चल रही है और उसके जो गम्भीर परिणाम सामने आ सकते हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमें जोधपुर विश्व विद्यालय की स्थिति पर विचार करना पड़ेगा :

सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि एक प्रकार की अनियमितता नहीं है। उसका जो वर्किंग है उसके सभी क्षेत्रों में अनियमिततायें बरती जा रही हैं। हमें उन पर गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा।

मैं, सबसे पहले यह निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर स्टुडेन्ट्स जो इन्डिसिप्लिन की प्रवृत्ति पैदा हो रही है वह क्यों हो रही है माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं कि वहां पर जो लेक्चरार्स और प्रोफेसर्स का अपोइन्टमेन्ट होता है उनके अन्दर ही इस प्रकार की प्रवृत्ति से अनियमितताओं के कारण स्थिति पैदा करने की कोशिश कर दी है कि आगे जाकर उसका स्टुडेन्ट्स के ऊपर असर पड़ता है।

एक आई. ई. एस. लेक्चरार्स सिलेक्शन कमेटी बिठायी। उस कमेटी ने ९ लेक्चरार्स को बिना किसी कारण के निकाल दिया गया। कोई कारण नहीं बताया गया। उसके साथ ही साथ जिन लेक्चरार्स का अपॉइन्टमेन्ट किया गया, आपके मार्फत मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, उनके अन्दर भी निष्पक्षता नहीं बरती गयी। सभापति महोदय मैं इस बात को मानता हूं और एतराज नहीं करता हूं कि हमें राजस्थान से बाहर के लेक्चरार्स को यहां पर नहीं रखना चाहिये। लेकिन मैं इस बात पर जोर देकर आपत्ति और रोष प्रकट करना चाहता हूं कि इन्टेंशनली बाहर के

Page No.72

(श्री फूलचन्द जैन)

आदमियों को यहां रखा जाय और यहां के आदमियों को निकाला जाय वह आपत्ति-जनक है। यह आपत्तिजनक है उस हालत मे जब कि राजस्थान का टेलेन्ट मौजूद हो। इसके साथ साथ उस समय यह एक गम्भीर प्रश्न पैदा हो जाता है कि कम तन्ख्वाह में अच्छा टेलेन्ट, अच्छे टेलेन्ट के लेक्चरार्स उपलब्ध हों और बिना किसी कारण के उनको हटा दिया जाय और दूसरी स्टेट्स के लेक्चरार्स को ऊंची तन्ख्वाहों पर यहां पर इम्पोर्ट किया जाय। यह चाहे किसी की भी ज्युरिस्डिक्शन की बात हो यह बर्दाश्त नही की जा सकती।

सभापति महोदय, आप अगर मुझे इजाजत दें तो मैं उन सारे लेक्चरार्स का नाम पढ कर सुना दूं।

श्री सभापति : नहीं, उनको रहने दीजिये।

श्री फूलचन्द जैन : सभापति महोदय, मैं पहले ही यह जानता था कि आप मुझे इसके लिए समय नहीं देंगे। इसीलिए मैंने पहले ही उनके नाम नहीं सुनाये और केवल इजाजत मांगी। लेकिन सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि मैं सारी सूची लेक्चरार्स की आपके सामने रख सकता हूं कि किस किस लेक्चरार को किस किस जगह पर अपोइन्ट किया गया है, कहां कहां अपोइन्ट किया गया है और जिसके कारण जोधपुर युनिवर्सीटी में एक भयंकर असंतोष व्याप्त है।

सभापति महोदय, इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करूं कि स्टुडेन्ट्स के साथ में क्या हालात बरते जा रहे हैं। २३ सब्जेक्ट्स का सिलेबस एकदम अभी-अभी बदल दिया जा गया और आश्चर्य तो यह है कि कुछ सिलेबस को जनवरी १९६४ तक पब्लिश नहीं किया गया जब कि सदन और माननीय सदस्य जानते हैं कि परिक्षायें मार्च और अप्रेल में होती है। जब मार्क और अप्रेल में परीक्षाओं का समय होता हैं उस समय सिलेबस को बदल देना और पब्लिश नही करना इसका स्टुडेन्ट्स पर कितना असर पड़ता है यह सदन और राज्य सरकार विचार कर सकते हैं।

इसके साथ-साथ, सभापति महोदय, हमारे यहां जोधपुर यूनिवर्सिटी के टीचिंग का जो स्टेन्डर्ड है वह भी बहुत गिरता जा रहा है और इसके सम्बन्ध में भी मैं आपके सामने फेक्ट्स प्रस्तुत कर सकता हूं कि किस प्रकार स्टेन्डर्ड डाउन किया गया है। लेकिन इसके सम्बन्ध में एक बहुत ही महत्व पूर्ण बात है कि जिस पर विचार करना पड़ेगा कि टीचिंग का यह स्टेन्डर्ड क्यों गिरता जा रहा है? मुख्य कारण है वह यह है कि वहां पर जो लेक्चरार्स हैं उनकी ड्यूटीज क्या है? उनकी ड्यूटीज यह है कि वर्किंग आवर्स में वाइस चान्सलर के घर पर हाजरी दें और उनकी सेवा-सुश्रषा करे। उनकी ड्यूटीज यह नही है कि वर्किंग आवर्स में पढ़ायें और टीचिंग का स्टेन्डर्ड ऊंचा करे।

इस तरीके से स्टूडेन्ट्स में उन सारी परिस्थितियों के कारण इनडिसिप्लिन का वातारण बनता है उसकी ओर सदन का ध्यान आपकी मार्फत आकर्षित करना चाहूंगा। स्टुडेटस् यूनियन में पिछली बार इलेक्शन हुए

Page No.73

(श्री फूलचन्द जैन)

और जो हालत बने सारा सदन उस सारी स्थिति को जानता है और उसके कुछ फेक्ट्स राज्य सरकार के सामने लाये जाने पर भी आज तक कार्यवाही नही की जा सकी। यह एक सोचने और विचारने की बात है कि इस प्रकार की इनडिसिप्लिन की बातों पर सख्त कार्यवाही नहीं करते हैं तो उसका इनडिसिप्लिन करने वालों पर क्या असर पड़ता है?

इसके साथ ही साथ यह भी निवेदन करूंगा कि युनिवर्सिटी का बजट नहीं बना है और बिना बजट के ही युनिवर्सिटी काम कर रही है।

इस प्रकार की स्थिति चलती हो और इसके बारे में यह कह कर संतोष कर लेना चाहते हैं कि युनिवर्सिटी एक ऑटोनोमस बॉडी है इसलिए हमारे ज्युरिस्डिक्शन में नहीं है और हम उन मेटर्स पर डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि इस प्रकार का एटीच्यूड रहा और यही स्थिति जारी रहने दी गई तो इसके बड़े गम्भीर परिणाम सामने आ सकते हैं। सभापति महोदय, बहुत ही गम्भीर स्थिति है।

श्री सभापति: आप यह बता दें कि ये बातें इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजने से किस प्रकार मिट सकेंगी और हल हो सकेंगी?

श्री फूलचन्द जैन: मैं कुछ फेक्ट्स सामने रख रहा हूं। पी. एच. डी. की डिग्री एवार्ड की गई। जिसमें कुछ अनियमितायें बरती गई जिससे एक गम्भीर स्थिति पैदा होने की आशंका है।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा) मैं किस स्थिति में उत्तर दे सकूंगा? वाइस चान्सलर के बारे में, It will go undefended.

श्री सभापति: यह उत्तर के समय कह दें।

श्री फूलचन्द जैन: सभापति महोदय, उपमंत्री जी यह चाहते हैं कि किस प्रकार डिग्री दे दी गई तो सुन लीजिये। "The University awarded Ph. D. to two students who had not put the minimum academic requirements of doing work under the Supervisor for twenty months. Shri Mahabir Singh Gehlot and (Miss) Sindhu Kahate are such candidates....

श्री सभापति: यह सब कहने से क्या फायदा?

श्री फूलचन्द जैन:.... It is reported that Miss Kahate submitted her Ph. D. thesis under Dr. Mulay of Pilani to the University of Rajasthan. She was asked to revise and submit the thesis. This very thesis with minor changes has been submitted under Dr. Chatterji, Dean of Science Faculty. The Academic Council wss also never convened to approve the award of these Ph. D. degrees, which is very serious.

और इसी तरह से अन्य फैक्ट्स भी रखने को तैयार हूं।

श्री सभापति : आप इसको सिलेक्ट कमेटी में क्यों भेजा जाय, वह बतायें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : सभापति महोदय, सदन में यह बड़ी इम्पॉर्टेन्ट बात उठायी गई है। बड़ी इम्पॉर्टेन्ट बात है। डाक्टरेट इस तरह दे दी जाय इसको पूरी तरह से देखना चाहिये। डाक्टरेट एक खुशामद का तरीका बन गया है। घूंस और करप्शन का तरीका बन गया है। युनिवर्सिटी में इस तरह की बात होवे। या तो इसको डिनाई किया जाय कि यह सही नहीं है और सही हैं तो इसकी जांच की जाय कि इस तरह से डाक्टरेट कैसे दी गई ?

श्री सभापति : इसके लिए दो घन्टे का डिस्कशन मांग लिया जाय तो उचित होगा। इसको बिल में लाने से क्या फायदा हो सकेगा ? मेरी समझ में यह नहीं आता।

श्री फूलचन्द्र जैन : सभापति महोदय, मैंने एक बात कही है कि बिना बजट के युनिवर्सिटी का काम चल रहा है। उपमंत्री जी मुझे आश्वासन दें तो मैं उनके सामने फैक्ट्स रख सकता हूं किस प्रकार बजट के अलग-अलग आंकड़े बनाये गये, बढ़ोतरी हुई। सारे स्टेटिस्टिक्स रख सकता हूं।

सभापति महोदय, इन सारी परिस्थितियों के आधार पर मैं आपकी मार्फत यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिन कारणों को लेकर राज्य सरकार अध्यादेश जारी करती है, इसमें बताया गया है कि 'विश्वविद्यालय के कतिपय कार्यों, जिनकी वैधता पर कुछ सन्देह प्रतीत हुए, का वैधकरण करने हेतु यह भी आवश्यक पाया गया कि उक्त रुपेण कोई आज्ञा किसी ऐसी तारीख से, जो अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से पूर्ववर्ती न हो, भूत लक्षी बनाई जा सके। अतः इन बातों का प्रावधान करते हुए एक अध्यादेश जारी किया गया था।''

मैं आपसे निवेदन करता हूं कि वहां पर ऐसी स्थिति है कि जो फैक्ट्स मैंने सामने रखे हैं किस प्रकार से डिग्रियां बांटी जाती है, किस प्रकार अपोइन्टमेंटस होते हैं, किस प्रकार बजट इस्टीमेट्स में इर्रेगुलेरिटीज हो रही है और किस प्रकार से बिना बजट एस्टीमेट के वाइस चान्सलर मनमानी कर रहे हैं। उन सारी बातों को देखते हुए, इन सारी इर्रेगुलेरिटीज को देखते हुए मैं यह चाहता हूं कि यह बिल सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाय। इस कारण मैंने यह प्रस्ताव रखा है क्योंकि यह अपूर्ण विधेयक है, सिलेक्ट कमेटी में जाकर ही इसकी अपूर्णता को दूर किया जा सकता है। वहां की यूनिवर्सिटी में आज की हालात में पूरी तरह काबू नहीं पा सकते, इसलिए इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। जो आज वहां की हालत है उस हालत को देखते हुए यह प्रवर समिति में जाना आवश्यक है ताकि बाद में विधेयक लाकर दुरुस्ती न करवानी पड़े। प्रवर समिति उन सारी चीजों का समावेश कर सकती है, इसलिए मैंने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : सभापति महोदय, मैं गालिब के शेर से शुरू करता हूं ''जिन्दगी इस दौर से गुजरी गालिब हम भी क्या याद रखें कि यह सरकार है''

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

यह सरकार किसे रखती है मैं इस बारे में इस बिल का जो स्टेटमेंट आफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीजन्स है, वह पढ़कर सुनाना चाहता हूं। इसमें क्या लिखा है। यह आर्डिनेन्स जैसी चीज कैसे आ गई ? एक्स्प्लेनेशन जिस तरह का दिया गया है वह मैं पढ़ देता हूं जिससे मैं समझता हूं यह मालूम हो जायगा कि किस प्रकार सरकार और यूनिवर्सिटी चलती है। मामला यह है :—

"The iexsting proviso to section 39 of the Jodhpur University Act, 1962 resitricts the making of any order thereunder to a period of only one year from the date of the commencement of that Act. It was, however, found necessary and advisable to provide that this power to issue such orders should be extended for a period to two years instead of only one year as initially provided."

इसका मतलब यह है कि एक साल में ऑर्डर्स कर देने चाहिए। एक साल में यह ऑर्डर्स पास नहीं कर सके। यह सरकार ऑर्डर पास नहीं कर सकी। ऑर्डर पास नहीं किया।

"It was, however,"

यह इस ओब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में से पढ़ रहा हूं और कोई बात नहीं बतलाता हूं।

"It was, however, found necessary..."

आप इसके बारे में क्यों नहीं कुछ कहते, क्या आपको साप सूंघ गया है ?

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : सरकार किसकी है ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : सरकार पहले आपकी है, बाद में मेरी है।

"It was, however .." क्या किस कमाल से इससे शब्द however को काम में लिया है।

"It was, however, found necessary and advisable to provide that this power to issue such orders should be extended for a period to two years instead of only one year..... "

हमने गुनाह किया जो आपको एक साल का पीरियड दिया। इसमें पढ़ने की गलती नहीं, नहीं तो मदेरना साहब आप कल की तरह कर देंगे। इधर ध्यान दीजिए, मदेरना साहब !

"It was, however .."

आप इसलिए तशरीफ लाये हैं कि एक साल के लिए जहां अधिकार दिया उसको दो साल के लिए कर दिया जाय। हमने गलती की थी जो आपको एक साल का पीरियड दिया to validate certain acts. आप अब तक यूनिवर्सिटी को गैर कानूनी

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

ढंग से चलाते रहे इस सदन की मरजी के खिलाफ।

"To validate certain acts of the University for the validity of which there appeared certain doubts, it was further found-necessary that such orders may be made so as to be retrospective to any date not earlier than the date of the commencement of the Act. An Ordinance providing for the same was, therefore, issued"

जनाब मुलाहिजा फरमाइये, मैं शिक्षा मन्त्री महोदय से तो क्या कहूं उप-शिक्षा मन्त्री जी से मैं अर्ज करूंगा, आप इसको ऑर्डिनेन्स के जरिये करवाना चाहते हैं। आपने जो एक साल के लिये प्रोवाइड किया है, आप एक साल तक सारा खर्चा बगैर मन्जूरी के करवाते रहे। यूनिवर्सिटी के पास सेंक्शन नहीं थी जैसा कि अभी सम्माननीय सदस्य ने कहा। मेल-एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में उन्होंने जानकारी आपको दी। वहां जो खर्च हुआ उस पैसे के बगैर सेंक्शन के कार्यवाही की। आप इतने दिन क्या सोते रहे? आपको साल भर के बाद पता चला। आपकी नींद जगी कि सब गैरकानूनी हो गया, सब ऑर्डर्स वगैरह हो गये। आप इसको जिस दिन से एक्ट हुआ है, उस दिन से इसको लागू करवाना चाहते हैं। आप सदन के हाल पर महरबानी करते। आप उस तारीख से मांगते हैं जिस तारीख से एक्ट पास किया। इसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट उस दिन से देना चाहते हैं। आपने आज तक, जिसने आपको इतनी देर से इत्तला दी क्या उस अधिकारी के खिलाफ आपकी हकूमत ने कोई एक्शन लिया है? मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज जो हमारी हकूमत इस प्रकार से चल रही है। आज इमरजेन्सी के समय में जबकि यह काम एज्यूकेशन विभाग का है, जहां सब पढ़े-लिखे हैं और समझा भी यह जाता है। इसमें पढ़े-लिखे लोगों को ही लिया जाता है जिस शिक्षा विभाग के आधीन हम अपने बच्चों की जिन्दगी छोड़ते हैं। आज जिस प्रकार की हालत यूनिवर्सिटी में हो रही है तो भगवान ही मालिक है हमारी प्राइमरी एज्यूकेशन का। उसकी हालत तो भगवान ही जाने। यूनिवर्सिटी के अन्दर जो अपॉइन्टमेंटस हुए वे सब गैर कानूनी हुए। उन सबको आप वेलीडेट कर रहे हैं। कुछ लोग इन्ट्रस्टेड थे, यूनिवर्सिटी ने इस हकूमत को खबर कर दी यह नोटिफिकेशन भेज रहे हैं मनमानी करने के लिये। उस अधिकारी ने अपने पास उसको रख लिया उसको आप तक भेजा नहीं एक जगह दबाकर रखवा दिया। आपने नहीं रखवाया किसी ने रखवाया होगा। आज तक उसको सस्पेण्ड नहीं किया। आपने उसको कोई सजा दी, यह प्रीजम्प्शन है। जो इसमें इन्ट्रेस्टेड थे उन्होंने इसको दबा कर रखा है। मैं उसके लिये इन्स्टान्सेज कोट कर सकता हूं, कपूर साहब और दूसरे साहब हैं। क्या आपने किसी को सस्पेन्ड किया है? अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप सही करें। उसके बाद ऑर्डिनेन्स निकाला एक आदमी के यहां पर वह दबा रहे। आप कहते हैं हम डेमोक्रेसी के अनुसार राज्य करते हैं, व्यवस्थित ढंग से राज करते हैं डिक्टेटर की तरह

(श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा)

काम नही करते । ने जिस यूनिवर्सिटी इल्लीगल तौर पर काम किया उसको आप हमसे वेलीडेट करवा रहे हैं और वह भी ऑर्डिनेन्स के जरिये । आज जोधपुर यूनिवर्सिटी की हालत क्या हो रही है उसके बारे में मैं गलत कहूं तो एज्यूकेशन मिनिस्टर मुझे टोक दें ।

(विराम)

यों, यों गरदन हिलाते है । हां करते हैं न ना, पता ही नही लगता । हां या ना में जवाब तो दे दो ।

(११·०० म० पू०)

श्री निरंजननाथ आचार्य : I would not like to interrupt his speech. I will reply in my speech.

आपके भाषण को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : श्रीमन्, मेरा निवेदन इतना ही है कि यह कब्रिस्तान है या सदन है । आपके चहरे से यह मालूम होना चाहिये कि आपको अफसोस हो रहा है या नहीं । पर यह पता नहीं लगता आपके चहरे से । लकड़ी का बना मालूम होता है आपका चेहरा ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : दोनों के ही चेहरे लकड़ी के हैं ।

श्री सभापति : Order ! Order please. ! !

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह ग्रेविटी है, जहां एक एक पैसे के लिये इमर्जेन्सी हो । जहां फाईनेन्स की हालत यह हो, जहां भूख और मंहगाई से तड़प रहे हों, वहा पर यह सरकार इस रूप से चले, यह बड़े अफसोस की बात है ।

करप्शन एक तरह का नहीं होता । करप्शन कई तरह से होता है । यह भी एक करप्शन है कि २५०) मिलता है किसी को जो जनता की पाकिट से मिलता है, जनता अपना पेट काटकर देती है उसमें से मिलता है, तो अगर मुझे मिलता है २५०) तो कम से कम मेरी लायकी के अनुसार में उतना काम करूं और अगर मेरी लायकियत उतनी नही है या उससे ज्यादा नहीं है तो ३००) क्यों लूं ? फिर यहां पर हाथ उठाकर हां या ना कर के लाखों रुपये का मामला इधर-उधर करते हैं । फिर भी हम इससे अधिक अपनी लियाकत नहीं समझते । पर जहां इनएफीशियेन्सी का साम्राज्य कर रखा है यह भी एक करप्शन है जहां मिनिस्टर या एक सरकारी नौकर जिसको जनता से लिये गये टैक्स के जरिये से लिये गये सरकारी खजाने से रुपया मिलता है जनता की रोटी पर टैक्स लगाकर उनको पैसा देते हैं, वह आदमी अगर अपनी ड्यूटी पूरी तरह से अन्जाम नहीं दे और फिर भी वह वहीं डटा रहे तो यह एक भयंकर भ्रष्टाचार है । फिर गुस्ताखी यह कि कहते हैं कि हमने अपनी ड्यूटी अन्जाम न दी तो नहीं दी, हम तो ऑर्डिनेन्स निकाल देंगे । मैं पूछता हूं आपसे कि क्या आपको इसके बारे में सैटिसफेक्शन है ? यह दूर की बात है । एग्जीक्यूटिव की एडवाइज पर सरकार को करना पड़ता है । पर मैं पूछता

(श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा)

हूं कि इस ऑर्डिनेन्स को निकालने के पहले क्या आपने अच्छी तरह से देख लिया कि इसके लिये कौन गुनाहगार है? किसका या किनका लैथार्जिक एटीट्यूड है? कौन ड्यूटी या कर्त्तव्य-पालन से विहीन है जिनकी वजह से यह सब करने की नौबत आई? चुने हुए हैं जनता के द्वारा इसलिये आपका आदर करते हैं। पर फिर भी आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि यह मामला आपकी नोटिस में कब आया, किसने यह किया, किसकी गलती से लापरवाही से यह हुआ, आपकी फाइलों में दबा रहा या आपके घर पर पड़ा रहा, सेक्रेटरी के यहां पड़ा रहा या क्लर्क के यहां पड़ा रहा? उसने काम शुरु कर दिया। आपने तो एक छोटे हकीम का नुस्खा सीख रखा है। टी० बी० हो या बुखार दो पैसे का नुस्खा दे दिया। कुछ भी हो, छोटा सा मामला हो या बड़ा, ऑर्डिनेन्स निकाल दिया।

श्री निरंजननाथ आचार्य : होमियोपैथी है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह होमियोपैथिक गवर्नमेन्ट एक्सेप्ट कर रही है? यह आपकी सरकार द्वारा रिकग्नाइज्ड नही है। यह होमियोपैथी गवर्नमेन्ट आपने मानी है लेकिन इसको रिकॉग्नीशन एलोपैथी में करना पड़ेगा।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : होमियोपैथी ऐसी दवा है जो थोड़ी-थोड़ी कई कामों में आ जाती है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपकी आयुर्वेद फेल हो गई, अब यह होमियोपैथी लेकर आये हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : तीनों प्रकार की दवाइयां, तीनों प्रकार के उपचार हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपके लिये तो केवल एलोपैथी रह गई है।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : आपके लिये तो केवल चीर-फाड़ काम देगी। कोई दूसरा उपाय नहीं है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा ; मैं जानना चाहता हूं, सदन को जानना चाहिये हमने इस मामले का यूनिवर्सिटी का एक्ट बनाया। यूनिवर्सिटी बनी, चालू हो गई। मैं तो साफ कहता हूं, आप इसे किसी पर मोटिव मत समझिये। मोटिव मैं नहीं लगाता। वे तो सरकम्सटॉन्सेज मोटिवेट कर देते हैं। मोटिव लगाने की किसी को फुर्सत नहीं है कि वह जबर्दस्ती किसी को बेईमान कहे। पर मोटिव, कारनामे वैसे होते हैं तो अपने आप लग जाता है। फिर तो उनकी सफाई की जरूरत हो जाती है। और वह सफाई ऐसी होनी चाहिये जो राम बोलता है आत्मा से वैसे बोला जाय। तब काम बनेगा।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : राम तो निकल गया, भाई।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मदेरणा का राम बोला था। सब चुप हो गये। रावण

Page No.79

(श्री ज्वलाप्रसाद शर्मा)

बोलता है तो सब गड़बड़ी हो जाती है। आप अपनी तारीफ करवाना चाहते हो। आप मत टोकिये मेरे को।

तो मैं यह कह रहा था कि इस स्थिति में इस ऑर्डिनेन्स की प्रक्रिया को, जो कि एक एक्सेप्शनल लॉ है, इस जनतन्त्र में लाइटली इस तरह से उपयोग नहीं करना चाहिये।

अब मैं आता हूं वहां की स्थितियों पर। आप कहते हैं यह कॉरपोरेट बॉडी है। आप कई मामलों में कॉरपोरेट बॉडी कह कर अपनी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश करते हैं। आपकी एस्केपिंग मैन्टेलिटी हो गई है, साइकोलोजिकली ऐसा लगता है मुझे इस मेन्टेलिटी में आदमी आत्म-विश्वास खो देता है और हर जिम्मेदारी से बचने की इच्छा करता है।

कार्पोरेशन या स्टेट्यूटरी चीज क्रीएट करने का आरगुमेन्ट देते हैं और कहते हैं कोई बात होती है बाद में तो कि यह इन्टरनल मैटर है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि इस कारपोरेट बॉडी को पैदा करने वाले लोग पूरी तरह से जिम्मेदार हैं वे आपकी इस प्ली से मानने वाले नहीं हैं। वह स्वतन्त्र बॉडी है। हमने कोई कारपोरेट बॉडी बनाकर अपना गला नहीं कटा लिया है। अपने कोई सिर पर नहीं चढ़ा लिया है। कोई राक्षस चढ़ा लिया है क्या? जो हमें कत्ल कर सकता हो। इस सदन की पूरी ताकत है। मैं कहूं कारपोरेट बॉडी की बात। खादी, यह कारपोरेट बॉडी है। तो क्या गड़बड़ी हो वहां घोटाले हों, और हम बात नहीं करें? आप यह चाहते हैं क्या? हमारी जबान बन्द करना चाहते हैं क्या? कारपोरेट बॉडी का मामला आता है यहां पर आपकी हालत क्यों खराब हो जाती है? मैं कहता हूं कारपोरेट बॉडी की आड़ में आप ४२० चलाते रहिये। क्या यह हो सकता है? हम चाहते हैं खादी कमीशन हमें हाथ से कते-बुने कपड़े की खादी दे पर इसके अन्दर चालीस हजार गज मिल का सूत चला देते हैं तो यह ४२० नहीं है क्या? मैं तो विश्वास करता हूं हमारे जैसे गरीब आदमी खद्दर खरीदते हैं तो शुद्ध समझ कर खरीदते हैं। वह प्रमाणित होती है, यह मानकर खरीदते हैं। ये गांधीजी के विश्वास से मैं खद्दर पहनता हूं। है बिचुअल बीयरर हूं। अब अगर उसमें मिल का सूत मिलाकर मुझे दिया जाता है तो उसका या तो प्रायश्चित बताया जावे या..........

श्री मथुरादास माथुर : मैं जानना चाहता हूं कि वे या तो ऐसी कोई मिसाल बतायें कि मिल का सूत मिलाकर खादी दी जाती है या फिर ऐसी बातें न करें।

श्री सभापति : नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : तो फिर यों ही रिमार्क कसना कि मिल का सूत मिलाया जाता है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : मैं इसके प्रमाण सदन के सामने रखने को तैयार हूं।

श्री मथुरादास माथुर : नाम बताया जाना चाहिये कि कौन है ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं बताता हूं, अगर नाम ही आप जानना चाहते हैं। वह संस्था है ग्राम सेवा मण्डल, हमारे दा साहब जिसके प्रेसीडेन्ट हैं। उसका इसकी बिना पर लाइसेन्स भी जब्त हुआ है। अब फिर लाइसेंस जब्त हुआ है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : I rise on a point of relevancy.

श्री सभापति : Yes, you are right. It is not relevant and he will please confine to the business before the House.

श्री रामकिशन (वैर) : यह तो योजना मन्त्रीजी ने जान बूझकर गड़बड़ कराई है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : इस प्रक्रिया की तरफ आप ध्यान दीजिये। नाम बता दिया, यह तो इर्रिलेवेन्ट हो गया पर उसका तो बतायें जिसने यह काम किया उसका क्या हुआ ? क्या आप उस पर ४२० का मुकद्दमा चलावेंगे ? आप बताते हैं सेक्रेटरी को तो हटा दिया है। ऑल इण्डिया खादी बोर्ड ने उसका लाइसेन्स कैंसिल कर दिया। पर सरकार उस कारपोरेट बॉडी की पैरवी कर रही है कि उस ग्राम सेवा मण्डल को फिर रिकग्नीशन दिया जावे। यह करती है कारपोरेट बॉडी के कामकाज में दखल यह सरकार इस तरह से। खादी कमीशन ने उसका रिकग्नीशन काट दिया। रिकग्नीशन काटने के बाद भी खरीद रहे हैं लोग खादी वहां से और उसके लिये प्रक्रिया यह है कि अध्यक्ष महोदय की तरफ से रिकॉग्नीशन के लिये फिर पैरवी की जा रही है कि सेक्रेटरी को तो पद से हटा दिया है। सेक्रेटरी अकेला नहीं रह सकता। सरकार का नोमीनेटेड ऐसे कैसे रह सकता है ? और जब हम यह सुबूत देने लगते हैं तो दूसरे कहते हैं इर्रेलेवेन्ट है। इस बिल के द्वारा सरकार ने यह सोचा है कि जो अब तक वहां गल्तियां हो चुकी हैं उनको वेलीडेट कर दिया जाये............

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : यह कौन सा अमेन्डमेन्ट बिल है ?

श्री ज्वालाप्रशाद शर्मा : आप आये नहीं हैं क्या ? हमें मालूम है सब कि आप कहां से आये हैं ?

सभापति महोदय, इस सरकार के पास स्टेटिस्टिक्स पूरे हैं। इस जोधपुर यूनीवर्सिटी में फोर्थक्लास सर्वेन्ट्स तक हमारे एम्पॉलायमेन्ट एक्सचेन्ज से नहीं मंगाये गये। हमारी बिल्ली हमसे ही म्याऊं। हमको इस तरह से चिढ़ाया जाता है, फोर्थ क्लास सर्वेन्ट को जगह नहीं मिलती वह भी दूसरी जगह से बुलाये जाते हैं। इनकी हमारे एम्पॉलायमेन्ट

Page No.81

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

एक्सचेन्ज से मांग नहीं की जाती है, उनको पूछा तक नहीं जाता है। हमारे क्लर्कस जो कि कालेजेज में थे आज इस यूनीवर्सिटी में चले गये, उनकी सीनियोरिटी नहीं मानी जाती है, बल्कि यू० डी० सी० बाहर से बुलाये जाते हैं। आज जोधपुर का इन्जीनियरिंग कॉलेज है उसका ऑल इन्डिया के अन्दर नाम है, उसने नाम कमाया है और उसके जो राजस्थान के बच्चे निकले इन्डिया में चाहे प्राईवेट या गवर्नमेन्ट उनकी मांग हुई कि पहला नम्बर उनको मिलेगा। जोधपुर का नाम ऊंचा था तो वह इन्जीनियरिंग कॉलिज की तरफ से था। आज उसका हाल क्या है? आप कानून ले आये कि जो गलतियां वहां हो गय। उनको रिट्रोस्पेक्टिवली वेलीडेट कर दिया जाये; थूका हुआ चाटो, थूका हुआ चाटो....

श्री सभापति : अब जरा संक्षेप में।

श्री मथुरादास माथुर : सभापति महोदय, यह जो 'रिट्रोस्पेक्टिव' शब्द का तर्जुमा किया गया है यह अनपार्लियामेन्ट्री है।

श्री सभापति : यह जवाब के समय कह दिया जाये, बजाय अभी डिस्कशन में कहने के।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : 'रिट्रोस्पेक्टिव' शब्द मैं जानता हूं। उसकी जानकारी काफी रखता हूं। रिट्रोस्पेक्टिव शब्द का मेरा मतलब तो रिट्रोस्पेक्टिव ही है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : यह सब एस्केपिज्म की बात है। एस्केपिज्म की थीम डेवलप कीजिए आप तो।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यहां इस स्थिति के लिए मैं सरकार से चाहूंगा कि यह मौका सदन को आज दिया गया, नहीं तो यह बॉडी कुछ भी करती रहे। एम्प्लॉयमेन्ट एक्सचेन्ज के जरिये मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इन्होंने रिक्रूटमेन्ट्स किये? क्या सीनियर प्रोफेसर्स को किया? क्या राजस्थान में जो सर्विस किये हुए थे उनको किया? आज वहां पर स्थिति इस तरह की कर दी है कि जोधपुर का जो इन्जीनियरिंग कॉलिज था, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज वहां से प्रोफेसर्स छोड़-कर चले गये। जिन्होंने अपनी लाइफ देकर हमारे जोधपुर और राजस्थान का नाम ऊंचा किया था उनको आज जाना पड़ा इनकी ज्याद-तियों की वजह से। हमारे माथुर साहब ने कहा कि एक यूनिवर्सिटी वहां पर जाये और वहां पर यूनिवर्सिटी गई और जो जोधपुर में अच्छा काम होता था वह सब रपटा-राप हो गया।

(व्यवधान)

मैं कहना चाहता हूं कि यह स्थिति वहां की किसलिए हुई। उसकी जिम्मेदारी से यह सरकार बच नहीं सकती। न डिप्टी मिनिस्टर बचते हैं और न एजूकेशन मिनिस्टर बचते हैं, और डिप्टी मिनिस्टर साहब जिनके पास पुलिस का काम ज्यादा हो गया होगा, लेकिन मैं आपसे ही कहना चाहता हूं कि आपके रहते हुए यह बात हुई है इसका मुझे ज्यादा अफसोस है। आपके रहते हुए इस तरह की चीज हो,

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

आपको अलर्ट समझते हैं—दा साहब तो वैसे ही बुजुर्ग आदमी हैं कोई बात नहीं है लेकिन यह आपकी निगहबानी में हुआ है यह हमारे लिए और भी शर्म की बात है।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

मैं समझता हूं कि जो तीन बातें मैंने रखी हैं उनका जवाब दिया जायेगा। मैं मांग करता हूं और सारे राजस्थान की ओर से मांग करता हूं कि इस इन्जीनियरिंग कॉलेज को यूनिवर्सिटी से अलग किया जाये। नहीं है जरूरत हमको इस यूनिवर्सिटी की। इन्जीनियरिंग कॉलेज की कीमत पर यूनिवर्सिटी की जरूरत नहीं है। उस शहर को और इन्स्टीट्यूशन को बचाइये। एक इन्स्टीट्यूशन ने जो साख बनाई है उसको सत्यानाश होने से बचाइये। यह जहर उसकी जिन्दगी में नहीं घोलना चाहिए। हम इसमें कोई राजनीति नही घुसने देना चाहते हैं। मैं सब जानता हूं यह कपूर-कपूर क्या हो रहा है। उस सब बात का अजमेर से भी ताल्लुक रहा है। मुझसे पूछेंगे तो मैं बताऊंगा। मैं इस ऑर्डीनेन्स का और इस प्रकार की प्रक्रिया का जो ऑर्डीनेन्स लगाने की आदत है क्या इमरजेंसी है वह कागज दबा लें, नोटीफिकेशन करें नहीं, नोटीफिकेशन रखे रह जायें उसको भेजते नहीं हैं—भगवान ही मालिक है। जब यूनिवर्सिटियों का यह हाल है तो हमारे प्राईमरी एजुकेशन के छोटे बच्चों का क्या हाल होगा—भगवान कृपा करना।

श्री सभापति : श्री रामकिशन ! आप अपना अमेन्डमेन्ट मूव करना चाहते हैं ?

श्री रामकिशन : मैंने अमेन्डमेन्ट रखा तो है लेकिन मैं दो लाइनों में ही खतम किये देता हूं।

श्री सभापति : तो आप मूव नहीं करना चाहते हैं ?

श्री रामकिशन : मूव कर रहा हूं।

दो लाइन में ही कहना चाहता हूं। मुझे यूनिवर्सिटी के संबंध में और उसके वादविवाद से अधिक निवेदन नहीं करना है। शायद अन्य माननीय सदस्य इस संबंध में निवेदन कर चुके हैं। मैं तो इतना समझ पाया हूं कि जो नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने शिक्षा विभाग का चित्र खींचा है उसमें केवल इतना ही जोड़ना चाहता हूं कि यह महकमा लावारिसों का महकमा है। माननीय मंत्री जी तो बूढ़े और उपमंत्री जी को फुर्सत नहीं और फिर कुछ असंतुष्ट से हैं। ऐसा मैं मानकर चलता हूं कि उनका ख्याल ऐसा है।

श्री मथुरादास माथुर : आपको क्या मालूम ?

श्री रामकिशन : वह तो आप दोनों को ही मालूम है।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा) : मेरा ख्याल आप कैसे कह सकते हैं और मैं आपका ख्याल कैसे कह सकता हूं ?

श्री मथुरादास माथुर : वे आपसे असन्तुष्ट हैं और आगे की बात नहीं मालूम।

श्री रामकिशन : तो सभापति महोदय, मेरा तो इस संबंध में केवल इतना निवेदन है कि शिक्षा मंत्रालय हालांकि राज्य का सबसे बड़ा विभाग है लेकिन इसकी तरफ सबसे कम ध्यान दिया जा रहा है। चाहे जोधपुर यूनिवर्सिटी ले लें, चाहे राजस्थान यूनिवर्सिटी ले लें, चाहे तमाम शिक्षा मंत्रालय ले लें इस मंत्रालय में भ्रष्टाचार और गैरजिम्मेदारी की भावना जितनी देखने को मिली है वह चिन्ता का विषय है। यह या तो मंत्री महोदय के स्वभाव के कारण या बुढ़ापे के कारण या गांधीजी और विनोबाजी का गलत असर पड़ने के कारण—सही असर पड़ता तो कोई बात नहीं थी लेकिन गलत असर पड़ने के कारण शायद वे इस काम को नहीं कर पाते हैं। इसलिए मेरा इस संबंध में पूरे सदन से निवेदन है कि शिक्षा मंत्रालय को दुरुस्त करने के लिए जितनी कटु से कटु आलोचना की जा सकती हो करनी चाहिए और निश्चित करनी चाहिए और इस संबंध में नसीराबाद से जो माननीय सदस्य आये हैं उनके विचारों का पूरा समर्थन करता हूं।

श्री सभापति : आपने संशोधन तो नहीं रखा है।

श्री रामकिशन : मैंने मूव तो किया है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : माननीय सभापति महोदय, मैंने एक संशोधन राजस्थान यूनिवर्सिटी पर और एक जोधपुर यूनिवर्सिटी के ऊपर रखा था। लेकिन वह दोनों एक साथ ही चले गये। इसलिए मुझे आप १० मिनट का समय दें ताकि मैं संक्षेप में उन प्रश्नों को उठाऊंगा जो कि अब तक नहीं उठे हैं।

श्री सभापति : बहुत संक्षेप में।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अच्छा।

सभापति महोदय, ऑर्डिनेन्स का विरोध इस सदन में पिछले तीन दिनों से चल रहा है और ऑर्डिनेन्स के विरोध के लिए मैं उन दलीलों को नहीं दोहराऊंगा जो कि कल और परसों दी थीं और ऐसा करना उचित भी नहीं होगा। लेकिन इस अमेन्डिंग बिल पर मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सिर्फ हम ऐसे ऑर्डिनेन्स का विरोध करें और सरकार यह कहे कि हमको ऑर्डिनेन्स निकालने का कानूनन अधिकार है तो कानून की दृष्टि से और भारत के संविधान की दृष्टि से यह बात समझ में आ सकती है, लेकिन जोधपुर युनिवर्सिटी एक्ट में सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस असेम्बली को जो अधिकार उस एक्ट ने दिये थे राजस्थान की सरकार ने इस असेम्बली को अपने उन अधिकारों का उपयोग नहीं करने दिया।

मैं मंत्रीजी और उपमंत्री जी का ध्यान दफा २२ जोधपुर युनिवर्सिटी एक्ट की तरफ दिलाना चाहता हूं और दफा २२ यह कहती है कि इस एक्ट के अन्दर स्टेट गवर्नमेंट स्टेट्यूट्स बनायेगी और उन स्टेट्यूट्स को राजस्थान की विधान सभा के सामने ले डाउन किया जायगा और विधान सभा एक सेशन में या दो सेशन में १४ दिन के अन्दर २ यह

(श्री माणकचन्द सुराणा)

विधान सभा उन स्टेट्यूट्स को एमेंड कर सकेगी, उनमें संशोधन ला सकेगी और संशोधन लाने के बाद में वह पोर्शन स्टेट्यूट का जो कि संशोधित किया गया है, उसके बाद में रद्द समझा जायगा। मैं मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं कि क्या आपने जोधपुर युनिवर्सिटी एक्ट के अन्दर जो स्टेट्यूट बनाये हैं वह इस विधान सभा के सामने ले डाउन किये और सदन की मेज पर आपने डाले, और यदि नहीं डाले तो उसका कारण क्या है ? मंत्रीजी को यह मालूम है कि ३० नवम्बर, ६३ तक वे स्टेट्यूट्स बना दिये गये थे और राजस्थान राजपत्र में उन स्टेट्यूट्स को प्रकाशित कर दिया गया और उसके बाद में इस विधान सभा के दो सेशन हो गये, एक ६२ मे हुआ और दूसरा सितम्बर मे और इस सेशन को चलते हुए भी १३ दिन हो गये, लेकिन इसके बावजूद भी यह ताज्जुब की बात है कि उन स्टेट्यूट्स को विधान सभा के समक्ष नहीं रखा गया और उन स्टेट्यूट्स में आगे लिखा है और उन स्टेच्यूट्स के तहत सारी बातों की व्यवस्था की गई है। उन स्टेट्यूट्स में यह दिया गया है कि किस तरह से रजिस्ट्रार का एपॉइन्टमेंट होगा। यह लिखा गया है उन स्टेट्यूट्स में कि किस तरह से सिलेक्शन कमेटी बनेगी और वह सिलेक्शन कमेटी किस तरह से प्रोफेसर्स और डीन्स वगैरह की नियुक्तियां करेगी। उन स्टेट्यूट्स को आज तक विधान सभा के सामने नहीं रखा गया है और उनमें जो संशोधन करने की व्यवस्था है जो कि विधान सभा का कानूनी अधिकार है उससे आपने इस विधान सभा को महरूम रखा है। और आज डेढ़ साल के बाद आप आते हैं और कहते हैं और जो रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज़ के ऑर्डर की दफा २६ के तहत एक साल का आपको अधिकार है कि आप कह सकते हैं कि इस एक्ट की यह धारा इस प्रकार से लागू नहीं की जायेगी और यह संशोधित तरीके से लागू की जायेगी। एक्ट की धाराओं को संशोधित करवाने का, कमियां दूर करवाने का जो अधिकार सरकार को दिया था मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज राजस्थान के विश्वविद्यालयों की जो हालत है उन विश्वविद्यालयों की हालत के बारे में एक तरफ जुडीशियरी के जजमेंट हैं कि युनिवर्सिटी एक्ट कन्स्टीट्यूशन के खिलाफ है। आज जो जयपुर की युनिवर्सिटी है उसका कॉन्स्टीट्यूशन उसके खिलाफ है और दूसरी तरफ जो जोधपुर युनिवर्सिटी का मामला आज चल रहा है उसके स्टेट्यूट्स आपने लेजिस्लेचर के सामने डाले नहीं। इस जनतन्त्र में तीन ही हाईएस्ट आथोरिटीज़ हैं; लेजिस्लेचर, जुडिशियरी और एक्जीक्यूटिव तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज राजस्थान विश्वविद्यालयों के पीछे न तो राजस्थान के लेजिस्लेचर का हाथ है और न उसकी कोई स्वीकृति है और न राजस्थान की जुडीशियरी का कि यह युनिवर्सिटी कान्स्टीट्यूशन से चल-रही है, उसकी स्वीकृति है। ऐसी स्थिति होगई है कि सिर्फ एक्जीक्यूटिव की सेन्कशन ही इन यूनिवर्सिटीज़ के पीछे है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो हालात हैं उसके लिए केवल राज्य सरकार ही जिम्मेदार है और आज जो युनिवर्सिटीज़ की स्थिति है वह

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

अनकन्स्टीट्यूशनल है और उनके जो सारे आर्गेनाइजेशन्स बने हुए हैं, जयपुर की युनिवर्सिटी का जो कन्स्टीट्यूशन है वह इन्वेलिड है और जो उसके तहत नियुक्तियां हुई हैं उनको डिस्ट्रिक्ट जज ने इन्वेलिड घोषित कर दिया है। उनको इन्वेलिड घोषित करने के बावजूद एक युनिवर्सिटी जिसकी चर्चा कल होगी उसमें काम हो रहा है।

आज जो पावर्स आप लेना चाहते हैं मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो स्टेट्यूट्स ३० नवम्बर, ६२ को बने हैं उन स्टेट्यूट्स की लेंग्वेज को उसकी स्प्रिट को एक्जीक्यूट नहीं किया गया है। रजिस्ट्रार के एप्वाइन्टमेंट में आपने उन प्रावधानों की अवहेलना की, और सिलेक्शन कमेटी का जो निर्माण आपने किया है वह निर्माण भी जो स्टेट्यूट्स बने हुए हैं उन स्टेट्यूट्स की धारा १६ में जो सिलेक्शन कमेटी का विधान दिया हुआ है उसके अनुसार आपने सिलेक्शन कमेटी नहीं बनाई है, और जो इर्रेग्युलर एप्वाइन्टमेंट्स, इल्लीगल एप्वाइन्टमेंट्स आपने किये हैं आप यह चाहते हैं कि उनकी रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से सेन्क्शन दे दी जाय और आर्डिनेन्स के जरिये आपने तो सेंक्शन दे दी और अब इस विधान सभा की सेन्क्शन इस एमेंडिंग बिल के जरिये आप लेना चाहते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि सिलेक्शन कमेटी आपने बनाई तो क्या उस सिलेक्शन कमेटी में कोई सब्जेक्ट एक्सपर्ट मौजूद थे? आपने प्रोफेसर्स, डीन्स और लेक्चरार्स की नियुक्तियां की तो क्या बिना सब्जेक्ट एक्सपर्ट के कोई भी नियुक्तियां की जा सकती हैं? लेकिन आपने सिलेक्शन कमेटी में कोई भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट नहीं बिठाया और यह कोई इस तरफ बैठने वाले लोगों की ही शिकायत नहीं है अभी उधर बैठने वाले माननीय सदस्य ने सिलेक्शन में जो कुछ हुआ है उसके लिए स्पष्ट रूप से चार्ज लगाया है कि सिलेक्शन में पक्षपात किया है। जो ज्यादा एक्सपीरियन्स्ड थे, जिनकी सर्विसेज ज्यादा थी, ज्यादा क्वालिफाइड थे उनको सिलेक्शन में रिजेक्ट किया गया सिलेक्ट कमेटी के द्वारा और जो कम काबिल थे, कम क्वालिफाइड थे, जिनको एक्सपीरियन्स नहीं था उन लोगों को आपने रीडर्स बनाया है और ६४० रुपये पर एपोइन्टमेंट दिया है।

यह महावीरसिंह गहलोत का एपॉइन्टमेंट जिसकी इतनी चर्चा है, जिसके लिए अभी सुजानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि पी० एच० डी० किस तरह से दे दी। अभी माननीय उप-मंत्रीजी ने कहा कि यहां वाइस चान्सलर नहीं है तो डिसकशन कैसे हो सकता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान असेम्बली के हैड और जो हमेशा और हर साल यहां भाषण देते हैं उन गवर्नर महोदय ने ताज्जुब प्रकट किया कि पी० एच० डी० उनको कैसे मिल गई? एक वर्ष के अन्दर पी एच० डी० किस तरह से दी गई उन्होंने कहा कि एक वर्ष में अगर पी० एच० डी० दे दी जायगी तो शिक्षा के स्तर का गिरना अवश्यम्भावी है। उनका कुछ एक्सपीरियन्स नहीं है। हमको उनसे कोई जलन नहीं है और न व्यक्तिगत रूप से उनको जानते हैं कि वे कौन हैं, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है कि उनको एक साल का भी किसी कॉलेज में पढ़ाने का अनुभव नहीं है और आपने उनका सिलेक्शन करके लेक्चरार बना दिया। आपकी सिलेक्शन कमेटी

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

ने उनकी ६४०) रुपये पर नियुक्ति कर दी पी० एच० डी० के बनते ही और इस तरह के एपोइन्टमेंट के लिए आप चाहते है कि हम सैन्क्शन दे दें। यह कोई एक अपॉइन्टमेंट नहीं, सभापति महोदय, बीसों एपांइन्टमेंट्स इस तरह के हैं।

स्पोर्ट्स ऑफिसर की जो नियुक्ति की गई है क्या उनको स्पोर्ट्स का अनुभव है। उनको स्पोर्ट्स का अनुभव नहीं है। वहां पी० टी० आई० के कारेसपोन्डेन्ट श्री लक्ष्मणस्वरूप माथुर, मैं यह नहीं जानता कि वे भूतपूर्व गृहमंत्री के सम्बन्धी हैं, उनको यूनिर्वसिटी का इन्फोर्मेशन ऑफिसर बनाया है। जहां डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के भूतपूर्व प्रेसीडेन्ट थे श्री तारका प्रसाद व्यास, उनके भाई को एकोमोडेट करने के लिए मुझे यहां तक इत्तिला मिली है कि चीफ मिनिस्टर के टेलीफोन पर उनकी नियुक्ति कल्चरल ऑफिसर के पद पर हुई है। उनको पहले लेक्चरारशिप के लिए रिजेक्ट कर दिया गया था, उसके बाद में उसी व्यक्ति को, जिसको कि पहले रिजेक्ट कर दिया गया था उसको लेक्चरार एपोइन्ट कर दिया गया है फिलोसोफी का और जो वहां पर कल्चरल ऑफिसर की पोस्ट थी चूंकि उनका एकोमोडेशन हो गया तो उस पोस्ट को समाप्त कर दिया गया। जहां एक पोस्ट क्रियेट की जाती है एक विशेष व्यक्ति को एकोमोडेट करने के लिए, चीफ मिनिस्टर उनकी सिफारिश करता है, सिलेक्शन कमेटी में सब्जेक्ट एक्सपर्ट न हों इस तरह की सारी कार्यवाहियों को आप चाहते हैं कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू कर दिया जाय। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की सिलेक्शन कमेटी का निर्माण भ्रष्टाचार या करप्शन का रूप नहीं है तो क्या है? केवल आर्थिक मामलों के पक्ष को लेकर या घूस लेकर जो आदमी क्वालिफाइड नहीं है उसको एप्वाइन्ट करे। यदि सिलेक्शन कमेटी का कांस्टीट्यूशन ही गलत है और जो व्यक्ति क्वालिफाइड नही हो उसको यह सिलेक्शन कमेटी एप्वाइन्ट करती है तो मैं पूछना चाहता हूं कि यह क्यों कोई कम भ्रष्टाचार है ? यह क्या कोई कम डिसग्रेसफुल एक्ट है। आप सरपंचों को हटाना चाहते हैं, पंचायत समितियों के प्रधानों को हटाना चाहते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि इस सिलेक्शन कमेटी को भंग करने के आपके पास मे अधिकार थे उन्होंने इर्रेग्युलर एपोइन्टमेट किये हैं उसको रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज आर्डर के तहत भंग कर सकते थे। आपने क्या किया ? आप सोते रहे। आप सारे इन्वेलिड एपोइन्टमेंट्स को वापिस वेलीडेट कराना चाहते हैं। सिर्फ एपोइन्टमेंट्स को ही नहीं, सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि ग्रेड्स के अन्दर भी भ्रष्टाचार किया गया है। लेक्चरार सर्वप्रथम जब एपोइन्ट किया जाता है तो उसको ४००) रुपये दिये जाते हैं। यू० पी० मे कोई एन० सी० सी० का इन्चार्ज था उसको ७५) रुपये का एलॉउन्स मिलता था, कोई होस्टल का वार्डन था उसको ६०) रुपये एलॉउन्स मिलते थे तो ५००) रुपये के साथ साथ ७५) रुपये और ६०) रुपये भी जोडे गये और उनको ५३६) रुपये पर लेक्चरार की पोस्ट पर एपोइन्टमेंट दिया गया और यह बिल्कुल इल्लीगल है कि फर्स्ट एपोइन्टमेंट पर, जिस पोस्ट पर वह वहां ऑलरेडी वर्क कर रहे थे वहां पर वार्डन या एन० सी० सी०

Page No.87

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

के इन्चार्ज थे, वे यहां उन पोस्टों को होल्ड नहीं करते हैं उसके बावजूद भी उनको उन पोस्टों का एलाउन्स दे रहे हैं, यह बिल्कुल इर्रेग्युलर बात है, लेकिन इसके बावजूद ऐसा किया गया है और जितने भी डीन्स बने हैं दो एक, वे, सारे राजस्थान के नहीं हैं।

राजस्थान से निश्चित रूप से हमको ज्यादा प्रेम है। हम चाहते हैं कि राजस्थानियों को अपॉइन्टमेन्ट्स पहले मिले यदि वे इक्वली क्वालिफाइड हैं दूसरों की अपेक्षा, हम यह चाहते हैं, हमको यह कहने में शर्म नहीं है कि यदि हमारे यहां के आदमी इक्वली क्वालिफाइड हैं तो राजस्थान सरकार को आदेश देना चाहिये कि राजस्थानियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये। लेकिन यहां राजस्थानियों को प्राथमिकता देने का सवाल नहीं है क्योंकि इस स्टेट के गवर्नर यू० पी० के हैं इसलिये यहां पर यू० पी० वालों का बाहुल्य है........

श्री निरंजननाथ आचार्य : I challenge it. It is a reflection on the Governor. It should be expunged. It means ... ...

(व्यवधान)

श्री मानिकचन्द सुराणा : Yes I will prove it further.

श्री सभापति (श्री केसरीसिंह) : Now here the controversy ends and you will please proceed with the debate.

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : मैं कहना चाहता हूं...........

कई माननीय सदस्य : आप बैठ जाइये चेयर का रूलिंग हो गया।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : He has given the ruling ...

श्री मानिकचंद सुराणा : इसलिये मैं यह निवेदन करूं...........

श्री सभापति : Let him have his say.

श्री मथुरादास माथुर : इस हाउस की यह परंपरा रही है........

एक माननीय सदस्य : पोइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज़ कर रहे हैं क्या ?

श्री मथुरादास माथुर : जब गवर्नर महोदय के नामसे इस प्रकार का चार्ज लगाया जाता है, पार्लियामेन्ट में जहां तक प्रेसिडेन्ट का संबंध है, जहां तक गवर्नर का इस सदन से संबंध है यह चार्ज उन पर नहीं लागू हो सकता। जोधपुर युनिवर्सिटी के वाइस चान्सलर गोरखपुर के हैं या कहीं के हैं इससे गवर्नर का संबंध नहीं है। वाइस चान्सलर की नियुक्ति गवर्नमेन्ट की रिकमन्डेशन पर होती है इसलिये आप गवर्नमेन्ट के बारे में यहां कह सकते हैं, लेकिन गवर्नर के बारे में नहीं कह सकते।

श्री सभापति : It is certainly unbecoming but the controversy has ended and you will please now proceed.

श्री मानिकचंद सुराणा : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो अपोइन्टमेन्ट्स या नियुक्तियां वहां पर की गई है उनमें राजस्थान

Page No.88

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

के बाहर के लोगों का बाहुल्य है । विशेष महत्व यू० पी० के लोगों का है । बी० पी० सक्सैना गोरखपुर के हैं, एन. सहाय बनारस के हैं । पूरी सूची है मेरे पास लेकिन समय कम है इसलिये मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहता । इसके साथ साथ इस युनिवर्सिटी में इतना ज्यादा खर्चा है क्योंकि यहां ग्रेड्स ज्यादा हैं, यह युनिवर्सिटी अंडर क्राउडेड नहीं है बल्कि ओवर क्राउडेड है । हिन्दी, अंग्रेजी, मैथमेटिक्स के जितने प्राध्यापकों की आवश्यकता है उससे ड्योडे नहीं बल्कि दूनी संख्या में हैं । युनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन के आदेश के अनुसार एक लेक्चरार को एक सप्ताह में कम से कम २० लेक्चर्स देने चाहिये लेकिन वहां के लेक्चरार्स ८ या ६ लेक्चर्स ही दे पाते हैं क्योंकि उनका नंबर ज्यादा हैं इस कारण से पीरियड्स का बंटवारा ८ या ६ से ज्यादा नहीं मिल सकता । इसलिये जितनी भर्ती, गैर कानूनी ढंग से सिलेक्शन कमेटी द्वारा, जिसका कान्स्टीट्यूशन इल्लीगल था, की गई है उस भर्ती को मैं नहीं चाहता कि कानूनी जामा पहनाया जाय । इसलिये मैं चाहता हूं कि इस ऑर्डिनेन्स और बिल के जरिये आप संशोधन लाना चाहते हैं उसको डिस्कार्ड किया जाय ।

जहां तक यहां के विद्यार्थियों और प्राध्यापकों की हालत है उनके बारे में बहुत कुछ कहा गया है । उससे आगे मैं यह बताना चाहता हूं कि वहां पर कम से कम १६ असिस्टेन्ट वेलफेयर ओफिसर्स की नियुक्ति की गई है और ६ वेलफेयर ओफिसर्स बनाये गये हैं । यह युनिवर्सिटी है कोई समाज कल्याण बोर्ड नहीं खोला है । इन वेलफेयर ओफिसर्स का काम क्या है ? उनका काम यह है कि स्टूडेन्ट्स में डिसीप्लीन पैदा करें और अध्यापकों के और उनके बीच में कोआर्डिनेशन स्थापित करें । प्रति असिस्टेन्ट वेलफेयर ओफिसर को १००) भत्ते के रूप में दिये जाते हैं और वेल फेयर ओफिसर्स को १५०) दिये जाते है । इतना भारी खर्चा इन पर किया जाता है । जो वाइसचान्सलर के पक्षपाती हैं उनको १५०) रु० माहवार दिया जाता है और लेक्चरार्स का भत्ता १००) माहवार है । इस तरह से २२ आदमी युनिवर्सिटी में वेलफेयर का काम कर रहे हैं…………

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बूंदी) : यह अलाउन्स के रूप मे है या अलग अलग ऑफिसर्स नियुक्त किये हैं ?

श्री मानिकचंद सुराणा : अलाउन्स के रूप में है प्रोफेसर्स और लेक्चरार्स को मिलता है । वेलफेयर ओफिसर्स, मैं समझता हूं हिन्दुस्तान की दूसरी किसी भी युनिवर्सिटी मे नहीं है लेकिन राजस्थान मे जोधपुर युनिवर्सिटी में है ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : राजस्थान का खजाना लुटाया जा रहा है ।

श्री मानिकचंद सुराणा : हमारी जनता के टैक्स की कमाई को पैसा जो राज्य के कोष में आता है एक्स्ट्राविगेन्ट तरीके से समाप्त किया जा रहा है । इस तरह की जिस युनिवर्सिटी की हालत है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस हालत को कायम रखने में राजस्थान सरकार जिम्मेदार है । यदि आप स्टेच्यू पर ले आते तो हमारी जिम्मेदारी

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

आती। प्रोपर अमेन्डमेन्ट आता तो आप कह देते कि राजस्थान विधान सभा की टेबल पर डाल दिया था इसलिये हमारी जिम्मेदारी नहीं है लेकिन आपने वैधानिकता नहीं निभाई.........

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : सदन की प्रतिष्ठा के लिये यह कहां तक उचित है कि एज्युकेशन मिनिस्टर और उप-मिनिस्टर दोनों उठ कर चले जाते हैं। मैंने पार्लियामेन्ट में भी ऐसा कभी नहीं देखा। दोनों को बैठना चाहिये। जरा उधर की तरफ निगाह तो फेरिये। हाउस को इन आर्डर तो करिये। यह मैंने कभी नहीं देखा। जवाहरलालजी को भी इस तरह जाते हुए कभी नहीं देखा।

श्री मानिकचंद सुराणा : जवाहरलालजी का उदाहरण इनके लिये फिट नहीं बैठता।

श्री सभापति : उपाध्यक्षजी ने व्यवस्था दी थी कि आवश्यकता पड़ने पर मंत्री महोदय पूछ सकते हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : लेकिन आधा घन्टा तक तो नहीं।

श्री मानिकचंद सुराणा : इसलिये सभापति महोदय, इन सारे तथ्यों के आधार पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सरकार को असेम्बली ने जो प्रिविलेजेज दी थी उनका इसने हनन किया है। हमने अधिकार दिया था स्टेच्यू बनाने का पहले साल के लिये। उसके बाद अधिकार होना चाहिये था सीनेट और सिन्डीकेट को। लेकिन आपने इस स्टेट्यूट के आधार पर उनका कांस्टीट्यूशन नहीं किया। इसलिये जो स्थिति है इस यूनिवर्सिटी की और राजस्थान यूनिवर्सिटी की उस पर कंट्रोल करने के लिये हाउस की स्पेशल कमेटी बनाई जाय। हमारा लाखों रुपयों का बजट विश्व विद्यालयों पर खर्च किया जाता है। जिन आटोनोमस बोडिज का निर्माण करते हैं और उनको हम ग्रान्ट्स देते हैं उन बोडिज में यदि इरेंगुलेरिटीज और गड़बड़ियां हों, भ्रष्टाचार हो, गलत अपॉइन्टमेन्ट्स हुए हों तो असेम्बली जो राजस्थान की सोवरिन बोडी है उसको अधिकार है कि उनका प्रूनिंग कर सके क्योंकि ग्रान्ट इन एड देने का उसका विशेष अधिकार है इसलिये मैं चाहता हूं कि यूनिवर्सिटीज में जो हमारा फिजूल खर्चा इस तरह से हो रहा है उसके लिये हाउस की कमेटी का निर्माण किया जाय और इस अमेन्डिंग बिल और आर्डिनेन्स को रिजेक्ट किया जाय। यदि इसमें सरकार को कठिनाई आती है और इसको सिलेक्ट कमेटी में सरकार देने को तैयार हो तो मैं निवेदन करता हूं कि इसे सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाय ताकि वह देख सके कि स्टेच्यूट्स क्यों नहीं लां पाये, कमेटीज का कांस्टीट्यूशन ठीक ढंग से क्यों नहीं हुआ, अपोइन्टमेन्ट्स ठीक ढंग से क्यों नहीं किये गये इनके बारे में प्रकाश डाला जा सके। मैं यह कहना चाहूंगा कि वहां पर रजिस्ट्रार की नियुक्ति हुई है जिनका नाम है सुरेन्द्रकुमार कुलश्रेष्ठ, मैं उनके बारे में कहूंगा तो डिप्टी मिनिस्टर साहब को बुरा लगेगा। ये वहां पर जहां कि पहले नाकर थे ६००) के ग्रेड में थे वहां पर नियुक्ति होने पर दूसरे ही दिन उनको ३००) रु० अधिक मिल गये ९००) रु० पर आसानी से रजिस्ट्रार के पद पर इनकी नियुक्ति हो गई। रजिस्ट्रार के अपॉइन्टमेन्ट की जो व्यवस्था स्टेट्यूट में

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

दी गई है उसके अनुसार यह अपॉइन्टमेन्ट नहीं हुआ है। मुझे सूचना है कि श्री सुरेन्द्रकुमार कुलश्रेष्ट हमारे गवर्नरसाहब के भाई परिपूर्णानन्दजी के निकट के रिश्तेदार हैं इसलिये उनको यहां पर रजिस्ट्रार बनाया गया है। और रजिस्ट्रार की ड्यूटी यह है कि यदि वाइस चान्सलर अपना पद वेकेट करदे या रिजाइन करदे तो उसका सारा काम रजिस्ट्रार करता है। गवर्नर महोदय और वाइसचान्सलर श्री झा का निकट का संबंध है और श्री कुलश्रेष्ट गवर्नर साहब के भाई के रिश्तेदार हैं इसलिये वायसचान्सलर की रिकमन्डेशन पर इनका अपॉइन्टमेन्ट हुआ है। इस तरह से जो अपॉइन्टमेन्ट्स हुए हैं वे बेजा तरीके से हुए हैं। आज हमारे वाइस चान्सलर की स्थिति यह है कि ३ साल के लिये उनको अपॉइन्ट किया है लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह डाक्टर मेहता के रहते हुए बीकानेर की मेडिकल कालेज में शान्ति नहीं हो सकती उसी तरह से डा० झा के रहते हुए जोधपुर यूनिवर्सिटी में शान्ति नहीं हो सकती। उसी तरीके से वर्तमान वाइस चान्सलर जो यूनिवर्सिटी के हैं वे वाइस चान्सलर जब तक वहां है तब तक इस यूनिवर्सिटी के अफेअर्स ठीक नहीं हो सकते। इसलिए यह सरकार को चाहिए कि इन वाइस चान्सलर को छुट्टी दे और उनके स्थान पर किसी दूसरे योग्य और काबिल वाइस चान्सलर को नियुक्त करे। इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री मुकिलाल मोदी (कोटपूतली) : सभापति महोदय........

श्री सभापति : आपने कोई संशोधन मूव नहीं किया था। मैं माननीय........

श्री मानसिंह महार (आमेर) : सभापति महोदय, दो दो मिनट दे दिये जायं। हम दो-तीन सदस्य बोलेंगे।

श्री सभापति : एक बिल और है।

श्री मानसिंह महार : वह भी पास कर देंगे।

श्री सभापति : उसमें बोलने का मौका मिल जायेगा।

श्री मानसिंह महार : वह भी पास कर देंगे।

श्री मुकिलाल मोदी : सभापति महोदय, हम दस दफा उठते हैं, एक दफा तो बोलने दें।

श्री सभापति : अब के मौका दिया जायेगा। आपने संशोधन मूव नहीं किया है। मेरा निवेदन है कि आप स्थान ग्रहण करें क्योंकि अधिक समय जाया जायेगा और बर्बाद होगा।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप मंत्री, शिक्षा) : सभापति महोदय, जो प्रस्ताव माननीय सदस्यों की ओर से प्रस्तुत हुए सिलेक्ट कमेटी को सुपुर्द करने के सम्बन्ध में अथवा इस विधेयक की आवश्यकता के सम्बन्ध में और इनके सम्बन्ध में कई माननीय सदस्यों ने मुद्दे उठाये हैं, उनके सम्बन्ध में मैं जरूर निवेदन करना चाहता था। लेकिन जो कुछ मुद्दे उठाये गये वे ऐसे हैं जिनके सम्बन्ध में मैंने आसन का ध्यान भी आकर्षित किया कि राज्य सरकार उनके सम्बन्ध में अन्डर दी एक्ट

(निरंजननाथ आचार्य)

अथवा और तरीके से भी प्रशासकीय अथवा इन्टरनल एडमिनिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में कोई फेर फार नहीं कर सकती। फिर भी यथाशक्ति यह प्रयत्न करूंगा कि माननीय सदस्यों ने जो सूचनायें दी उनका किस प्रकार से निराकरण किया जाय।

पहले तो मैं आॅर्डिनेन्स के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा। यह आॅर्डिनेन्स का प्रश्न सदन के अन्दर बराबर दो-तीन रोज से आ रहा है और इसकी एकेडेमिक और कॉन्स्टीट्यूशनल साइड का माननीय सदस्यों ने बड़े विस्तृत रूप से विश्लेषण किया। किन्तु इस विधेयक के सम्बन्ध में जो आॅर्डिनेन्स है उसकी स्थिति दूसरी है। और जैसा कि प्रश्न पहले उठाया था कि किन आधारों पर यह आर्डिनेन्स प्रामुलगेट किया गया है। उन आधारों के सम्बन्ध में मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा। यह बिल्कुल ठीक है, सभापति महोदय, कि आॅर्डिनेन्स असाधारण स्थिति में प्रामुलगेट किये जाने चाहिए। अब उस असाधारण स्थिति के तथ्य यहां पर क्या है उनका जिक्र मैं करना चाहूंगा। लेकिन पहले मैं यह अर्ज करता हूं कि जिस ढंग से इस विश्व विद्यालय के सम्बन्ध में, इसकी आन्तरिक स्थिति के सम्बन्ध में जो कुछ भी विवेचन किया गया है वह मैं अपनी मान्यताओं के आधार पर कह सकता हूं कि ऐसे विश्वविद्यालय के लिए हमारी ये मान्यतायें हितकर नही हैं........

(कुछ माननीय सदस्यों द्वारा अधिकारी दीर्घा के अधिकारियों से बात करने पर)

श्री सभापति : Lesser noise in that corner please.

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा : I think it does not concern me.

श्री सभापति : No. Not you.

श्री निरंजन नाथ आचार्य : The corner will take a note of it.

श्री सभापति : Longer discussions here are not admissible.

श्री निरंजननाथ आचार्य : तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि विश्व विद्यालय जिसके सम्बन्ध में आपके दिमाग में बड़ी प्रतिष्ठा है, बड़ी इज्जत है और विश्वविद्यालय जिसको हम शिक्षा का केन्द्र मानते हैं और उसके आधार पर हम समाज को सुधारना चाहते हैं और उस विश्व विद्यालय, जिसका प्रतिनिधित्व यहां नहीं है—के सम्बन्ध में आपने जो कुछ कहा....

एक माननीय सदस्य : आप उसके प्रतिनिधि नहीं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं उनके सम्बन्ध में कोई निराकरण नहीं कर सकता।

श्री सभापति : Order please ज्यादा लम्बी चौड़ी बात करनी हो तो मैं एडवाइज करूंगा कि चेम्बर में पधार कर करें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : उन सबका निराकरण करने की स्थिति में मैं नहीं हूं। सदन में व्यक्तिगत व्यक्तित्व अथवा उनकी कार्य-प्रणाली पर जो कुछ भी प्रकाश डाला

Page No.92

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

गया वह कहां तक सत्य हो सकता है, कहां तक असत्य। लेकिन मैं कह सकता हूं कि वाइस चान्सलर अथवा यूनीवर्सिटी के सम्बन्ध में जो कुछ भी कहा गया वह अनडिपेन्डेंड है। इस सम्बन्ध में शासन की ओर से भी कई बार व्यवस्थायें हुई हैं कि यूनीवर्सिटी के आन्तरिक मामलों में और कार्य प्रणाली के अन्दर विधेयक और एक्ट के अन्तर्गत भी न कुछ हम दखलन्दाजी कर सकते हैं और न करने की क्षमता रखते हैं। सभापति महोदय, इस एक्ट के सेक्शन १० के अन्दर प्रावधान है। वह प्रावधान चान्सलर के लिए है। अगर वहां ऐसी कोई स्थिति पैदा हो तो उसके अन्तर्गत इन्क्वायरी करा सकते हैं। यह इन्क्वायरी भी गवर्नर ही करा सकते हैं। तो सारे एक्ट में कहीं पर भी राज्य सरकार की ओर से कोई दखलन्दाजी की जा सकती हो—ऐसा प्रावधान नहीं है....

....

एक माननीय सदस्य : Point of information, sir.

श्री निरंजननाथ आचार्य : ऐसी स्थिति में मैं....

श्री सभापति : पाइन्ट आफ ऑर्डर और पाइन्ट आफ इन्फोमेंशन के प्रश्न....

श्री निरंजननाथ आचार्य : चान्सलर ही कर सकते हैं....

(व्यवधान)

श्री सभापति : Order please ऐसे प्रश्न भाषण के अन्त में उठाये जायें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : सभापति महोदय....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : सभापति महोदय, आपने फर्माया कि सेक्शन दस के अन्तर्गत इन्क्वायरी कर सकते हैं। यह स्पष्ट है कि गवर्नर की एडवाइज फुल गवर्नमेंट में इन्क्लूडेड है। इसलिए इस तरह बचना कहां तक उचित है। यह कोर्ट नहीं है फौजदारी की कि जिसके अन्दर इस तरह की बात रखी जायं। गवर्नर आपकी एडवाइज के ऊपर आर्डिनेन्स निकाल सकते हैं, तो गवर्नर को आप एड़वाइज कर सकते हैं। क्या गवर्नर ने कहा था आप आर्डिनेन्स निकालो। आप इनसिस्ट कर सकते हैं और उसके बाद गवर्नर कोई फैसला कर सकते हैं।

श्री सभापति : Order please ! आप पोईन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन वगैरह पूछने के लिए नोट करके रखिये और भाषण समाप्त होने के बाद मौका दे दें और थोड़ा बहुत क्लेरीफिकेशन करा देंगे। इस तरह बीच में डिस्टर्ब करने से फायदा नहीं है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं निवेदन कर रहा था कि गवर्नर से मेरा मतलब यूनिवर्सिटी के चान्सलर से है। कोई प्रावधान राज्य सरकार को ऐसी स्थिति नहीं देता कि वह उसके इन्टरनल एडमिनिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में देखभाल कर सके। हमारी विवशता है। जो एक्ट आपने बनाया है उसमें ऐसा प्रावधान नहीं है, इसके साथ ही विश्वविद्यालय की पवित्रता कायम रखने के लिए आपने जो विचार व्यक्त

(श्री निरंजननाथ ग्राचार्य)

किये उनको प्रोसीडिंग्स में देखा जाय। मैं ग्रर्ज कर सकता हूं कि राज्य सरकार की दखलन्दाजी पवित्र संस्थाग्रों में नहीं होनी चाहिए । ग्रगर उसके ग्रन्तर्गत ग्राप दखलन्दाजी करना चाहते हैं तो इसका मतलब यह हुग्रा कि ग्राप इसको राज्य सरकार के एक डिपार्टमेंट की तरह बनाना चाहते हैं। ग्रगर राज्य सरकार की दखलन्दाजी कराकर उसको एक डिपार्टमेंट बनाना चाहते हैं तो उसके कॉन्सीक्वेन्सेज क्या होंगे ? तो जैसा कि ग्राप कहा करते हैं, वह उन कान्सीक्यूएंसेज के ग्राधार पर सोचना होगा। मेरी मान्यता है कि यूनीवर्सिटी के इन्टरनल मामलों में ग्रौर यूनीवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन में उसकी सेंक्टिटी को कायम रखने के लिहाज से दखलन्दाजी न करना ही मुनासिब होगा। इसलिए यथाशक्ति कम से कम दखलन्दाजी राज्य सरकार की हो, इस पर विचार करें ।

एक सुझाव माननीय सदस्य ने दिया कि एक कमेटी बना दी जाय उसका हमें ग्रधिकार है ग्रौर इसलिए है कि ग्रसेम्बली सुप्रीम है। ग्रौर वह कमेटी विश्वविद्यालय के ग्रान्तरिक मामलों की छानबीन करे । कहना बहुत ग्रासान है, सभापति महोदय, लेकिन यहा कहने के ग्राधार पर करना मुश्किल है। ग्राप कमेटी बनाना चाहते हैं लेकिन किस ग्राधार पर, किस एक्ट के तहत, किस प्रावीजन के तहत ग्राप कमेटी बना कर उसके ग्रान्तरिक मामलों में दखलन्दाजी कर सकते हैं। ऐसा प्रावधान इस विधेयक में कही पर नही है ।

इसलिए, सभापति महोदय, यद्यपि कई मुद्दे उठाये गये हैं मैं उनके ग्रन्दर जाने का, जहां तक मेरी जानकारी है दूर से, प्रयास करूंगा। लेकिन मैं इस बात को ठीक नहीं समझता कि राज्य सरकार ग्रथवा कोई कमेटी ऐसे पवित्र संस्थान में ग्रान्तरिक मामलों में दखलन्दाजी करे जिसके कान्सीक्यूएंसेज बाद में जाकर बुरे हो सकते हैं।

इसके ग्रतिरिक्त एक प्रश्न उठाया कि ग्राडिनेन्स एक्स्ट्रा ग्रार्डिनरी कारणों से किया जाना चाहिए। इस प्रिन्सिपल से ग्रौर इस सिद्धान्त से मैं भी सहमत हूं लेकिन जहां तक इस विधेयक का प्रश्न है उसके ग्राधार पर एक तथ्य यहां प्रस्तुत करना चाहता हूं। यह एक्ट, सभापति महोदय, पास हुग्रा, १२-६-६२ को, इस एक्ट के पास होने के बाद सैक्शन ३९ के ग्रन्तर्गत कुछ डिफीकल्टीज ग्रगर कभी पैदा हों तो उनके लिए यह प्रावधान रखा गया था कि इन डिफीकल्टीज को यूनीवर्सिटी का कार्य संचालित करने के लिए रिमूव किया जा सकता है। सेक्शन ३९ के ग्रन्दर वैसा किया ग्रौर किया गया ग्रार्डर निकाल कर ग्रौर उसके प्रावधान के ग्रनुसार प्रभावशाली रहेगा एक वर्ष तक............

राजस्थान सरकार ने जैसा कि उनको ग्रधिकार दिया गया है निकाला। लेकिन इस बात को मैं स्वीकार करूंगा कि उसको निकालने के बाद धारा ३९ के प्रोविजन के ग्रन्तर्गत उसको गजट में प्रकाशित किया जाना चाहिये था लेकिन उसके विपरीत उसको भेज दिया गया यूनिवर्सिटी को ग्रौर गजट में यह प्रकाशित नही किया गया। इसको गजट में प्रकाशित करना चाहिये था क्योंकि यह प्रावधान है कि यह ग्रोबलीगेटरी ग्रौर मन्डेटरी है। यह

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

गजट में प्रकाशित नहीं होने से यह नहीं कहा जा सकता कि कोई इसमें मैलाफाइड इन्टेन्शन राज्य सरकार का है। गलती हुई है चाहे वह साधारण हो या असाधारण हो लेकिन इस गलती के आधार पर यह नही कहा जा सकता कि सरकार का कोई मेलाफाइड इन्टेन्शन था।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह गलती किस वजह से हुई है यह तो बताया जाए ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : सभापति महोदय, में आपका प्रोटेक्शन चाहता हूं कि मुझे इस तरह से इन्टरप्ट नही किया जाय।

श्री सभापति : मैं यह कहूंगा कि आप जितने भी प्रश्न आवे उनको नोट कर लें और भाषण के अन्त में आपके प्रश्न हों उनका जबाव दे देंगे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इससे यूनिवर्सिटी पर असर पडा और जो ऑर्डर हमने दिसम्बर १९६२ को निकाला उसके अन्तर्गत कई स्टेप्स एडमिनिस्ट्रेशन में लेने पडते हैं। इसलिये सारे पॉवर्स वाइस चान्सलर को इसके अन्तर्गत दिये गये। और वाइस चान्सलर ने कुछ किया। उसके बाद एक स्टेज आयी कि राज्य सरकार को पता चला कि यह गलती हुई है और यह आर्डर गजट में प्रकाशित होना चाहिये था जो नहीं हुआ। ज्योंही इस गलती का राज्य सरकार को पता चला कि यह गलती हुई है, मैं सभापति महोदय, यह निवेदन करूंगा कि इस गलती को रेक्टीफाइ करने का, इसको सुधारने का अधिकार सदन और राज्य सरकार को भी है। मैं समझता हूं कि यदि इस गलती को सुधारने के लिये मैं सदन में रखता तो यह सदन भी एक स्वर से अपनी सहमति देता, उन्ही आधारों पर इस गलती को रेक्टीफाई करने का प्रयत्न किया गया और उसको सुधारने का प्रयत्न किया गया इस ऑर्डीनेन्स को प्रकाशित करके, जो लेकुना रह गया था।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : यह गजट में किस तारीख को छपा ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं उसी पर आ रहा हूं। आपका मतलब यह है कि असेम्बली जो अगस्त और सितम्बर में हुई उसमें क्यों नहीं रखा गया। अगर राज्य सरकार की तरफ से कोई गलती हुई तो अरलीयेस्ट आपोरचुनिटी पर उसको असेम्बली में रख दिया जाना चाहिये था। यह प्रश्न जो आपने उठाया है पैदा ही नही होता।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि गलती हुई है चाहे वह मेजर हो या माइनर हो। लेकिन जब इस गलती का हमको मालूम हुआ कि इस प्रकार की गलती हुई है उस समय असेम्बली का अधिवेशन समाप्त हो चुका था। और यह बात हमारे नोटिस में बाद मे आई। ऐसी स्थिति में हम यह चाहते हुए नेक नीयती से कि यह प्रश्न ऑर्डिनेन्स का पैदा न हो फिर भी इसको पहले एसेम्बली में नहीं रखा जा सका इसके लिये यह कहना कि हमने जान बूझ कर इसको असेम्बली में रखने से एवोइड किया हो यह उपयुक्त नहीं होगा। सभापति महोदय, जब यह असेम्बली में नही रखा जा सकता था उस हालत में मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

हूं कि वाइस चान्सलर में पॉवर्स इस आर्डर के अन्तर्गत निहित हुए। उस स्थिति को सुधारना अत्यन्त आवश्यक था। आपने अपोइन्टमेंट के और कई कमेटियों के सम्बन्ध में यहां पर प्रश्न उठाये है, अगर यह ऑर्डिनेन्स मैं समझता हूं कि जारी नहीं किया जाता तो आप रोष प्रकट करते और आप यह मुद्दा यहां पर रखते कि इस गलती को ऑर्डिनेन्स प्रोमलगेट करके·······

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप गलती को मेजर और माइनर दोनों ही मानते हैं। इसके लिये किस को दोष दिया जावे। यह दोष एजूकेशन मिनिस्टर का है या एज्युकेशन सेक्रेट्री का है किसकी गलती है, जिस किसी की गलती हो वह इस गलती को मंजूर तो करे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह तो मैंने बता दिया है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : कन्डेम करना जानते हैं, इसके सिवाय कोई पोलिसी नही है।

एक माननीय सदस्य : On a point of Order, Sir. क्या मैं यह समझूं कि माननीय उप-मंत्री ने यहां पर यह कहा है कि जो गलती सदन में बयान की गई अगर इस ऑर्डिनेन्स के द्वारा नहीं सुधारी जाती तो स्थिति और की और होती और यह मानते हैं·······

श्री सभापति : Order please !

यह पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं है, यह तो प्रश्न है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : यह सिर्फ कन्डेमनेशन है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप कुछ भी मान लीजिये। हमने स्थिति को खराब होने से बचाया है। सदन इस बात को मानेगा। हमने असेम्बली के अधिवेशन के खत्म होने के बाद जब हमको मालूम हुआ तो गलती को रेक्टीफाई किया गया। अब आप इस वक्त यह कहते हैं और अगर रेक्टीफाई नहीं करते तो उस वक्त न मालूम आप यह प्रश्न सामनें रखते कि आपने उस गलती, को रेक्टीफाई क्यों नही किया। इसलिये हमने आपकी मान्यता के आधार पर यह लागू किया है और मैं समझता हूं कि इससे माननीय सदस्यों के मस्तिष्क में जो शंका है उसका निराकरण हो सकेगा।

एक माननीय सदस्य ने जो जयपुर से आये हैं उन्होंने एक पैम्फलेट पढ़ा और उसको गोपनीय रखने का प्रयत्न किया और छुपाने की कोशिश की। मालूम ऐसा होता है कि यह पैम्फलेट किसी गैर जिम्मेदार आदमी ने निकाला था इसलिये इसके संबन्ध में मैं कुछ कहना उचित नहीं समझता और न वह यूनिवर्सिटी पर रिफलेक्शन कहा जा सकता है।

अब सभापति महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया कि वाइस चान्सलर और यूनिवर्सिटी इनका दोनों का पारस्परिक संबन्ध है और मैं यह कहूंगा कि यह तो एक देवालय है और किसी देवालय में भ्रष्टाचार हो तो इसका असर समाज पर पडता है।

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

डिसिप्लिन के बारे में बहुत कुछ कहा गया। जोधपुर, जयपुर और बीकानेर यूनिवर्सिटीज के विद्यार्थियों के डिसिप्लिन के बारे में मैं, सभापति महोदय, यह समझता हूं कि हमारे पर भी इसका प्रतिबिम्ब पड़ता है। जब मैं यह कहूं तो मैं भी दोषी हूं। माननीय सदस्य को मैं नहीं कहना चाहता कि वे भी दोषी हैं या नहीं लेकिन अनडिसिप्लिन होने के नाते मैं दोषी हो सकता हूं। और सभापति महोदय मैं यह कहूंगा कि इस संबन्ध में आपसे क्या कहा जावे। वे कहां से प्रभावशील होते हैं कहां से प्रेरणा पाते हैं और उसका असर विद्यार्थियों पर क्या होता है और कौन यह असर पैदा करता है? आप स्वयं जानकारी रखते हैं इसलिये मैं कुछ नहीं कहना चाहता।

बीकानेर के प्रश्न पर जो कुछ कहा गया है हम भी उसको मंजूर करते हैं लेकिन क्या प्रयास किया गया है उससे भी हम अवगत हैं। और मैं आपसे बड़ी नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि प्रयास किया जाता और माननीय सदस्य जिनका बीकानेर से संबन्ध है उनके द्वारा सम्मिलित रूप से प्रयास किया जाता तो वहां के विद्यार्थियों के लिये जो कुछ यहां कहा जाता है नहीं कहा जाता।

मैं इस संबंध में उनकी आलोचना नहीं करना चाहता। माननीय सदस्य स्वयं जानते हैं कि हमारा सहयोग डिसिप्लिन मैंटेन करने में कितना है और कितना नहीं है।

श्री माणकचन्द सुराणा : Point of order --

श्री सभापति : There is a point of order.

श्री माणक चन्द सुराणा : मैं पोइंट ऑफ एक्सप्लेनेशन पर जानना चाहूंगा कि पहले तो आपने कहा कि बीकानेर से संबंधित माननीय सदस्यों का यदि सहयोग होता तो यह स्थिति नहीं आती। पहले तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इन माननीय सदस्यों में मुझे भी जोड़ा है। पहले तो पाइन्टेड सवाल मेरा यह है।

श्री सभापति : कई बार माननीय सदस्य मंत्रियों के बारे में कहते हैं कि मंत्रियों की वजह से ऐसा होगा, तो ऐसा कहने के लिए उनको इजाजत दी जाती है। इस प्रकार यदि मंत्री महोदय ने कह दिया कि वहां के जो विधायक हैं उनकी लापरवाही से ऐसा हो गया....

श्री माणक चन्द सुराणा : उन्होंने लापरवाह नहीं कहा। He has not used the word 'लापरवाही' इन्होंने हमारे सहयोग के बारे में कहा। हमारा सहयोग तो बराबर था।

श्री सभापति : लेकिन इनको कहने का हक है। आप उसको रिफ्यूट कर सकते हैं।

श्री माणक चन्द सुराणा : मुझे पर्सनल एक्सप्लेनेशन पर then I must have a chance to say.

श्री सभापति : But you need not disturb the speech.

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह सरकार सोती रही····

श्री सभापति : Let him finish first.

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपने न मालूम क्या-क्या कहा वाइसचांसलर के खिलाफ मैं खिलाफ भी नहीं कहता, हमारा तो प्रश्न ही नहीं। मैंने बड़ी सतर्कता से और सरसता से सिर्फ यह कहा कि यह विधान सभा डिसिप्लिन को रिफलेक्ट करने के लिए बहुत बड़ी सशक्त संस्था है। हमारा विश्वास है कि हम अच्छा डिसिप्लिन मेन्टेन करने के लिए एग्जाम्पल दे रहे हैं, हमारी भाषा को नियंत्रित करने के संबंध में, उसका अच्छा असर राजस्थान के विद्यार्थियों पर होने वाला है, लेकिन साइन आफ इन्टरोगेशन है इस प्रश्न पर ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): सभापति महोदय, डिसिप्लिन को चौपट करने वाले ये मन्त्री महोदय हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपको इसके लिए बहुत जानकारी है। यदि उपाध्यक्ष महोदय यहां होते तो........

श्री सभापति : Continue with your speech.

श्री निरन्जन नाथ आचार्य : डिसिप्लिन के सम्बन्ध में मैं नहीं कहना चाहता हूं। आपने अभी जो आपत्ति उठाई उसके बारे में बहुत कुछ कहना है। कि जिनका मेरी मान्यताओं से सम्बन्ध नही है, भावनाओं से सम्बन्ध नही है। मैं नहीं कह सकता इस सम्बन्ध में कुछ भी।

श्री सभापति : आप कहते बराबर जा रहे हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : जैसा मैंने कहा वाइस चान्सलर बड़े विद्वान् हैं। वाइस चांसलर कोई भी उस प्रावधान के अन्तर्गत हो सकता है। कोई भी माननीय सदस्य जो विद्वान् है, आगे चलकर वाइस-चान्सलर का पद ग्रहण कर सकता है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : You should exclude yourself atleast.

श्री निरंजननाथ आचार्य : हां कर लिया। मैं वह योग्यता नहीं रखता। आपकी मुझ पर नाराजगी है। मैं कह रहा था कि सिलेक्शन के प्रश्न को लेकर, वाइस चान्सलर के अपाइन्टमेंट को लेकर, रजिस्ट्रार के अपॉइन्ट-मेंट के अन्दर, या पी. एच. की डिग्री कैसे दो गई है ? ये बातें कही गई। आप बताइये कौनसा तरीका है जिससे यह डिग्री उनसे वापस छीन ली जाय, रजिस्ट्रार को समाप्त कर दिया जाय, विश्वविद्यालय के इन्टरनल अफेयर्स में जाकर हम हावी हो जायं। अब सवाल पैदा होता है, सभापति महोदय, कि कोई ऐसा प्रावधान बना दिया जाय जिससे आप और हम उसमें दाखिल हो सकते हों, जिसमे राज्य सरकार दाखिल हो सकती हो। यूनिवर्सिटी कानून अमेंडमेंट के लिए कहा जाता है तो सारे राष्ट्र की यूनिवर्सिटियों के जो कानून हैं उनसे हमें गाइडेंस लेनी पड़ेगी। किसी यूनिवर्सिटी के प्रावधानों में, उनके एक्ट्स में जो आपकी मान्यताएं हैं और भावनाएं हैं, उस दृष्टि से कोई दस्तन्दाजी किसी यूनिवर्सिटी में नहीं है, यह बिल्कुल स्वतंत्र ऑटोनॉमस है। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के एक्ट से गाइडेंस ले लेते हों तो हमारे लिए मार्ग-दर्शन होगा। यह ठीक है यूनिवर्सिटी की

(श्री निरन्जननाथ आचार्य)

स्थिति खराब है, उसके इन्टरनल अफेयर्स खराब हैं या अच्छे हैं लेकिन जो आप मार्ग-दर्शन दे रहे हैं कि दस्तंदाजी की जाय, यह भयंकर स्थिति होगी और इसके भयंकर परिणाम होंगे। हम क्षुब्ध हो जायं, इसलिए कहदें कि इसके प्रावधानों में परिवर्तन किया जाय, तो आने वाली पीढ़ी क्या कहेगी? वह कहेगी कि एक संस्था जो स्वतंत्र रूप से चलती थी उसको भी सरकार का डिपार्टमेंट बना दिया। एक तरफ तो आप स्वतंत्र संस्थाओं की रक्षा के लिए आग्रह करते हैं, वह तो अच्छी बात है। इसके अन्दर जो कुछ खराबियां हैं वे निकलनी चाहिए। सदन की यह राय है और मेरा विश्वास है कि चांसलर महोदय कागनीजेन्स लें, नोट लें। वाइस चांसलर नोट लें, वहां के प्रोफेसर्स नोट लें कि सदन बहुत उग्र है, वहां की आंतरिक स्थिति से परेशान है। लेकिन इसको राज्य सरकार का डिपार्टमेंट न बनाया जाय नहीं तो आप और हम इस आरोप के भागी होंगे जो आने वाली पीढ़ी हम पर लगाएगी।

मुझे थोड़ी सी जानकारी है उसके अन्दर की स्थिति के बारे में। मैं आपको थोड़ी सी रूप-रेखा देना चाहता हूं। अपॉइन्टमेंट्स के संबंध में कहा गया कि अपॉइंटमेंट्स के लिए एक सब-कमेटी बनाई गई और उसकी रिकमेंडेशन्स के आधार पर अपॉइन्टमेंट्स किए गए। सब-कमेटी में वाइस-चांसलर, श्री सक्सेना, श्री तिवाड़ी, श्री एल. एल. जोशी, श्री शर्मा और श्री कपूर थे। इस कमेटी ने अपॉइंटमेंट्स के संबंध में सारे रेकार्डस की छानबीन की, सभी राजस्थान एज्यूकेशन सर्विस के टीचर्स की। और उसके बाद १३० टीचर्स को रिकमेंड किया गया। अगर यह कमेटी यहां तक रह जाती तो फिर सवाल पैदा होता कि इस कमेटी ने मनमाने तरीके से कर लिया लेकिन यह नही है। इस कमेटी की सिफारिशों को और भी स्क्रुटिनाइज करने के लिए एक सब-कमेटी बनाई गई और उस सब-कमेटी में इस कमेटी की सिफारिशों को रखा गया। उसके बाद इन्टरव्यूज हुई। फिर भी जो एग्रीव्ड थे उनके रिप्रेजेन्टेशन्स पर वाइस चांसलर ने 30 persons from the R. E. S. were added to the previous list. फिर उसमें एडीशन्स किए गए उस लिस्ट में।

श्री मानिकचन्द सुराणा : सब कमेटी किस आॅर्डर के तहत बनाई गई? जो स्टेट्यूट मौजूद थे क्या उनमें कोई सब कमेटी का प्रावधान था?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : मैं उस पर भी आऊंगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं पूछता हूं आपने कैसे बनाई?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : I am in possession of the floor. I will answer every question that is put to me at the end of my speech.

श्री मानिकचन्द सुराणा : सब कमेटी की नियुक्ति किसके आदेश से की गई?

श्री सभापति : I hope you will. ..

श्री निरन्जननाथ आचार्य : I have taken down the point and I will reply at the end.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : फोर्थ क्लास सर्वेन्ट्स का क्या हुआ ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : मैं अभी तो फर्स्ट क्लास को ले रहा हूं ।

We will come down later to third class and 4th class.

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बूंदी) : Point of information Sir, इस कमेटी की कितने दिनों कितनी इन्टरव्यूज लगातार हुई ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : I have taken note of it and I will reply to it.

श्री मानिकचन्द सुराणा : रिप्रेजेन्टेशन पर ३० नाम जोड़े गये, इससे ज्यादा क्या सबूत हो सकता है इर्रेगुलेरिटीज का ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : तो सभापति महोदय, १८ रीडर्स का अपॉइन्टमेंट करना था, १४ रीडर्स राजस्थान एज्युकेशन सर्विस के लिये गये । उनमें से १ राजस्थान का, ३ आउट साइडर्स, बाकी राजस्थान एज्यूकेशन सर्विस के लिये गये । मैं मानता हूं कि कई लोग रहे हैं, मैं यह भी मानता हूं कि कई लोग परेशान हुए है, बड़ी मान्यताएं लोगों को अपनी योग्यता के बारे में हो सकती हैं, मेरे सामने भी उन्होंने हो सकता है अप्रोच किया हो।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : I object to the more vassiliating attitude of the Minister. He is changing his views.

श्री निरन्जननाथ आचार्य : मुझको तो यूनिवर्सिटी से जो कुछ मिला वही रखना पड़ रहा है।

I am in possession of the floor of the House, Sir.

तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि वह प्रश्न तो लोकल रुख का लगाया जाता है, सेलेक्शन का लगाया जाता है कि आउटराइट पोजीशन को रिजेक्ट किया जाता है, ऐसी पोजिशन नहीं है।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : हम आपको पूरी लिस्ट देने को तैयार हैं। आप जवाब देने को तैयार हैं क्या ? पूरी लिस्ट आपको दे दें आप जवाब देने की स्थिति में है क्या ?

श्री निरन्जनाथ आचार्य : मैं कोई जवाब देने की स्थिति में नहीं हूं ।

श्री फूलचन्द जैन : तो आप क्या जवाब देते हैं ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : आप ऐसे प्रावधान बना दीजिये, यूनिवर्सिटी को हमारे डिपार्टमेंट में मर्ज कर दीजिये तो मैं दूंगा ।

तो मैंने निवेदन किया कि रीडर्स की यह स्थिति रही । ३९ लैक्चरार्स में से 23 Lecturers were appointed. Four were appointed before the University was formed.

दो लेक्चरार्स पंजाब के, १ देहली का, १३ फ्रॉम राजस्थान, ७ फ्रॉम यू० पी० ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : ७ फॉम यू० पी० ?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : राजस्थान में हैं ही नहीं ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह स्थिति मैंने अपॉइन्टमेंट आफ लेक्चरार्स के बारे में रखी । यू. पी. और राजस्थान का सवाल उठाया गया, ७ यू. पी. के अपॉइन्ट हुए, उनमें से ५ पी. एच. डी और एक डबल पी. एच. डी. है । इसलिये भी मैं अर्ज कर रहा था कि यूनिवर्सिटी का स्टैन्डर्ड बढ़े, एक तरफ आप यह कहते हैं, टीचर्स का स्टेमिना, स्टैन्डर्ड बढ़े और उधर वाइस चान्सलर यह प्रयत्न करते हैं कि अच्छे आदमी आयें, और दूसरी तरफ यू. पी. से अच्छे आदमी आयें तो आपको एतराज ! मैं नहीं कहता कि एतराज नहीं होना चाहिये, सर्विसेज में राजस्थान का बहुमत हो, पर कई विवशताएं बीच में पड़ी हुई हैं, जो मैंने आपके सामने रखीं । उन विवशताओं को देख कर राय बनायें तो अधिक हितकर यूनिवर्सिटी के लिये हो सकता है ।

मैंने दूसरा अर्ज किया कि ये सिलेक्शन हो गये हों और अन्तिम रूप दे दिया गया हो इन्हीं कमेटीज के आधार पर, यह नहीं है । सिन्डीकेट की ६२ में १७ और १८ की बैठकों में अन्तिम रूप देने के लिये Sub-committee was appointed which constitued of two eminent-educationists.

सिन्डीकेट ने सब-कमेटी अपॉइन्ट की और उन्होंने इस सारे प्रश्न को शुरु से आखिर तक, योग्यता और अयोग्यता के आधार पर देखकर विश्लेषण किया और इस स्थिति को देखने के बाद जो आगे स्थिति आई है उसको स्थापित किया है ।

मैं यह कहना चाहता हूं, सभापति महोदय' कि जो चित्र खींचा गया वह स्थिति वहां नहीं है । आपके पास जो जानकारी अलग-अलग सूत्रों से आई है, उसमें मैं समझता हूं कही न कही कमी है ।

श्री फूलचन्द जैन : आप जांच करा लीजिये ।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : जांच कैसे करावें, किससे करवावें, कोई न कोई प्रावधान तो हो न ? पुलिस डिपार्टमेंट तो है नहीं कि जाच करवा लें ।

श्री सभापति : Why should you disturb his speech ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : प्राइमरी स्कूल्स हों, हायर सेकन्डरी स्कूल्स हों तो हम जाच करा लें, दा साहब से अर्ज कर दें कि जांच करा लें ।

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपुतली) : इतनी गड़बड़ियों को सामने रखा तो आप जांच क्यों नहीं करवा लेते ?

श्री सभापति : यदि आप इनके उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो उत्तर दे सकते हैं ।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : यह सिलेक्शन होने के बाद एक ऑप्शन दिया गया कि अगर आप राजस्थान सरकार की सर्विस में आना चाहें तो आ सकते हैं, यूनिवर्सिटी में

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

रह सकते हैं। उसको कई लेक्चरार्स ने माना, १४० लेक्चरार्स में ४० लेक्चरार्स ने और २० रीडर्स ऑप्टेड फोर गवर्नमेंट सर्विस।

मैं यह नहीं कह सकता, सभापति महोदय, कि मुझे पूरी जानकारी है, लेकिन जहां तक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन इन सिलेक्शन की है उसमें मेरा विश्वास है और जो कुछ सिलेक्शन के सम्बन्ध में जानकारी मिली है वह ऑथेन्टिक है उसको मै डाउट नहीं कर सकता हूं।

लेकिन इसके अतिरिक्त भी यूनिवर्सिटी के वाइस चान्सलर के बारे में बहुत कहा है। यह आप जरूर मानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में उनकी खिदमात हैं। मैं कह नहीं सकता कि आपकी जानकारी मेरे से अधिक हो। जहां वे रहे हैं वहां दंगे फिसाद होते रहे हैं मैं नहीं कह सकता। लेकिन मैं कह सकता हूं कि वाइस चान्सलर जो हैं उन जैसा आदमी आज आस-पास के प्रान्तों में शायद कोई बिरला ही हो, यह आपको भी मानना पड़ेगा और हमको मानना पड़ेगा। आप कहते हैं बीमार है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : उनकी उम्र क्या है यह बता दीजिये ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : यह नोट कर लिया है। लेकिन उनके द्वारा एजुकेशन के क्षेत्र में की गई खिदमात को, उनके व्यक्तित्व को, उनकी ख्याति को उन थोड़े से आधारों को लेकर, मैं कठोर शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं जैसा कहा गया, छिछालेदारी, भुला कर जो कुछ कहा गया यह उनके व्यक्तित्व के विपरीत है, उनकी खिदमात के विपरीत है। यह हितकर नहीं है।

तो मैं अर्ज कर रहा था, सभापति महोदय, कि जहां तक सिलेक्शन का प्रश्न था मैंने यथा सम्भव यह प्रयत्न किया है कि जो कुछ भी तथ्य राज्य सरकार के पास इधर-उधर से संग्रहित हो सकते थे, मैंने प्रस्तुत किये और इसके अतिरिक्त मैं कोई अधिक तथ्य ला सकता यह मेरी स्थिति नहीं थी। मैंने तो यह चाहा था, सभापति महोदय, की माननीय सदस्य प्रोसिजर और कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी वाकफियत रखते हैं। उसके आधार पर हमारे रूल्स और प्रोसीजर कहते हैं कि जो आदमी यहां न हो he is not to be condemned. कन्डेम उसी को किया जाना चाहिए कि जो फ्लोर पर आपको उसका जवाब दे सकें। अन्डर कॉन्स्टिट्यूशन एन्ड यूनिवर्सिटी एक्ट उसको यहां सदन में लाना उपयुक्त नहीं है। जब मैं यह निवेदन करता हूं तो जो हमारे यहां परम्परायें और व्यवस्थायें हैं उनके आधार पर निवेदन करता हूं। क्योंकि इस यूनिवर्सिटी की आमदनी और दूसरे विषय हमारे सदन मे बहस के लिए नहीं आते। ये तो एक्ट के अन्तर्गत है। चूंकि एक प्रावधान आया है इसलिए सारी यूनिवर्सिटी के प्रश्न पर वाद-विवाद छेड़ देना जब कि हम और यूनिवर्सिटी इस स्थिति में नहीं है, न होना चाहिए, चाहे आप कितना ही वाद-विवाद छेड़ें, यूनिवर्सिटी अपने क्षेत्र को छोड़ कर यहां अपना जवाब दें।

माननीय सदस्यों ने जो आपत्ति प्रकट की उसके पीछे उनकी सद्भावना है, वे चाहते हैं

Page No.102

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

कि यूनीवर्सिटी की प्रगति हो, उसका प्रशासन सुदृढ़ हो। इसका तो मैं आदर करता हूं। लेकिन एक प्रश्न जो माननीय सभापति महोदय, रखा गया है गलती के प्रश्न पर, आपने कहा कि गलती कहां हुई है ऑर्डर को प्रकाशित न करने में। दूसरा आपने यह बताया कि पहली विधान सभा में यह ऑर्डर क्यों नहीं रखा गया ? उसका तो शंका समाधान किया। लेकिन जिस गलती के प्रश्न पर माननीय सदस्य इतने उग्र हैं उसके सम्बन्ध मे मैं निवेदन करना चाहता हूं। यह सही है कि कहीं प्रकाशन के प्रश्न पर इग्नोरेन्स ग्रोफ लॉं के आधार पर कहीं गलती हुई है। प्रकाशन को अनिवार्य समझते हुए किसी ने गलती की हो ऐसी मेरी मान्यता नहीं। लेकिन यह गम्भीर विषय है जिससे माननीय सदस्य कुछ उग्र हुए हैं। इसलिए यह प्रश्न अछूता नहीं छोड़ा जा सकता, सभापति महोदय। इसकी सारी स्थिति पर कि दरअसल गलती किस तरह हुई, नेक नीयती से हुई या मेलाफाइडी इन्टेन्शन से हुई, इसकी जांच करना आवश्यक है और मैं माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाता हूं कि इस प्रश्न पर पूरी जांच की जायगी। और राज्य सरकार इस प्रश्न पर संतोष लेगी कि दर असल किस आधार पर गलती किन परिस्थितियों में हुई। इस प्रश्न को अधूरा नहीं छोड़ सकते हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : Ignorance of law is no excuse.

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने कहा है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : इसकी जानकारी विधान सभा को भी दी जाय।

श्री निरंजननाथ आचार्य : But it is a mitigating circumstance. मल्टीफेरियस एक्ट्स निकलते हैं, रोजमर्रा निकलते हैं। इसलिए ३९ के बाद में "Shall be published" रह गया। मैं वकालत नहीं करता उनकी। मैं तो यह कहता हूं कि किस स्थिति में हुआ जांच के द्वारा इत्मिनान से, क्योंकि यह प्रश्न सारा का सारा शिक्षा विभाग पर विपरीत असर डालता है और माननीय सदस्यों का डिस्प्लेजर इस सम्बन्ध में हुआ है और नहीं होता तब भी हमने तय कर लिया था इसकी जांच कराना। फिर भी आपके सुझावों से अधिक मदद मिलेगी कि किस प्रकार इसकी जांच हो।

दूसरा, सभापति महोदय, वाइस चान्सलर की उम्र के सम्बन्ध में बहुत कहा गया है। मेरा खयाल है कि यह डिस्प्यूटेबल पॉइन्ट नहीं है। थोड़े से बीमार हो गये थे।

श्री मानिकचन्द सुराणा : वे १२ महीने में दो महीने भी काम नहीं कर पाते हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अब तो स्वास्थ्य उनका अच्छा है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : डाइरेक्टर मेडीकल से रिपोर्ट ले लीजिये कि कितने दिनों से बीमार रहे हैं ?

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : यह तो एजुकेशन विभाग का स्वभाव है।

Page No.103

श्री निरंजननाथ आचार्य : स्वभाव किसका है, यह तो स्पष्ट है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : वाइस चान्सलर बीमार हैं, वृद्ध हैं। उनको आराम की आवश्यकता है। आप अब उनको आराम दीजिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी : यह तो कम से कम रूल बना दिया जाना चाहिये कि कितनी उम्र का वाइस चान्सलर हो सकता है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : रूल और कानून में बड़ा फर्क है, माननीय मुक्तिलालजी। यहां प्रजातन्त्र के अनुसार कानून बनते हैं। माननीय सदस्य रूस होकर आये हे वहां प्रजातन्त्र के अनुसार कानून नहीं बनते हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : स्टेच्यूट का क्या हुआ ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : वह रह गया था। उसके बारे में मैं अभी निवेदन कर देता हूं।

स्टेच्यूट के सम्बन्ध में आपकी यह आपत्ति है कि बन गया है अतः उसको विधान सभा में क्यों नहीं रखा गया है? इस विधान सभा में रखने का प्रश्न नहीं उठता। यह अप्रेल तक चलेगी। न मालूम कब आ जाय। लेकिन उस विधान सभा में क्यों नहीं रखा गया उसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा।

सभापति महोदय, स्टेच्यूट बनाने के साथ में हमारा एक दिमाग लगता है अलादीन के चिराग की तरह से नहीं। "And God said let there be light and there was light."

सभापति महोदय, आप स्वयम् जानते हैं कि लेकुनाज कितने रह सकते हैं स्टेच्यूट में। किन संविधान से उन कानून के प्रावधानों के, कानून की आत्माओं के माध्यम से बनाया जाता है और एक एक शब्द को चुनना पड़ता है, वाक्य को बनाना पड़ता है। सेमी कॉलम और फुलस्टॉप तक पर विचार किया जाता है। माननीय सदस्य वकील रहे हैं, वे जानते हैं, उन पर किस पर रूलिंग आती है। ऐसी स्थिति में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि स्टेच्यूट का ड्राफ्ट, ड्राफ्ट के बाद दूसरा दौर, उसका रिविजन। रिविजन के बाद में तीसरा दौर लॉ डिपार्टमेन्ट लॉ डिपार्टमेन्ट के बाद में फिर रिकास्टिंग और रिमॉडलिंग। उसके बाद में चान्सलर महोदय के पास में। ये सारे प्रोसीजर उसके हैं। यह सारा प्रोसीजर उसका है। वहां पहुंचने के बाद मैं then to be published in the Gazette. गजट में पब्लिकेशन के प्रश्न पर हम आ चुके है। यह पब्लिश हो चुका है। जब यह पब्लिश हो चुका है तो मैं विश्वास दिलाऊं कि इसे टेबल ऑफ दी हाउस पर रख दिया जायगा।

अब सवाल पैदा हुआ कि गत विधान सभा में वह क्यों नहीं आया? अगस्त और सितम्बर में विधान सभा थी। सारे का सारा प्रारूप स्टेज में था। प्रेस बाद में जा पाया प्रयत्न होने पर भी विधान सभा निकल चुकी थी। चाहते हुए भी टेबल ऑफ दी हाउस पर नहीं रखा जा सका मैं यह विश्वास

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

दिलाना चाहता हूं कि यह स्टेच्यूट इस सत्र में आ जावेगा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : सभापति महोदय........

श्री सभापति : That should do Please make your question pointed and brief.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उपमंत्रीजी ने अपना जवाब बड़े दिल फरेब तरीके से दिया।

श्री निरंजननाथ आचार्य : ऐसी बातें जब आवेंगी तो फिर वही आपत्ति के प्रश्न आवेंगे।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : हम भी अखबार पढ़ते हैं। कोई यूनिवर्सिटी खुदा नहीं बन गयी है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पर भी सेन्टर ने इन्क्वायरी बिठायी। सदन को यह समझा देना कि यह तो प्रतिष्ठा के खिलाफ होगा। यह सवाल नहीं है। यह तो दरवाजे बन्द करना है। जब सेन्ट्रल गवर्नमेंट के सामने भी ऐसे हालात आ जाते हैं तो इन्क्वायरी बिठायी है। गवर्नमेन्ट को माननीय सदस्यों ने खबर दी। सरकार ने कुछ नही किया। आप ऑटोनॉमी का प्रश्न कैसे करते हैं ? बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी का जब प्रश्न आया तो सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने क्या इन्क्वायरी नहीं करायी ? वह भी पुरानी यूनिवर्सिटी है।

दूसरा, मैं यह जानना चाहता हूं कि जो हालात माननीय सदस्यों ने बताये उन हालातों के अन्दर आपने जिस तरह से काम लिया उसके बाद ही बताया कि रूल्स क्यों नही रखे गये यहां पर। आपने सारा प्रोसेस बता दिया कि इसलिए देरी हुई। यह देर इसलिए हुई कि 'शैल बी पब्लिश्ड' शब्द आपकी गवर्नमेन्ट की चलनियों में छनते-छनते यह प्रकाश में नहीं आये। हजारों रुपया जिस आदमी ने खराब किया उसके लिए आप कहते हो कि जांच करा लेंगे। जांच नहीं कराते है। आपने तो ऑर्डिनेन्स निकाल दिया, पहल नही की।

पहले भी आपने रिग्रेट किया, इस ऑर्डिनेन्स के पॉइन्ट पर। इस ऑर्डिनेन्स के पॉइन्ट पर रिग्रेट नहीं चलेगा। देर से आपको क्यों मालूम हुई ?

श्री सभापति : भाषण तो आप मत करिये, पॉइन्ट रखिये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : "अगर-मगर" के साथ मैं प्रश्न कर रहा हूं।

आप कहते हैं कि हम जांच कर लेंगे आप अपने गिरहबान में मुंह डाल कर देखिये कि आपने पहले जांच क्यों नहीं की ? साल भर से आप इस बारे में सोचते ही रहे। आपने इसके लिये किसी पर रेस्पोन्सिबिलिटी फिक्स नही की। लाल बहादुर शास्त्री ने एक रेलवे की दुर्घटना पर रिजाइन कर दिया। आप यह कह करके बचना चाहते हैं कि हम जांच करवा लेंगे। हम यहां पर अफसरों को नहीं कह सकते, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स के लिये नहीं कह सकते। आप बताइये आप जो इसमें फेल हुए हैं या नहीं यह बताने की कृपा करें ?

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : मैं भी अपना प्रश्न साथ ही मैं पूछ लूं ताकि जवाब साथ ही आ जाय। उप मंत्री महोदय ने बहुत सी दलीलें दी, स्टेच्यूट को सदन की मेज पर क्यों नहीं रखा गया इस बारे में। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि ३० नवम्बर ६२ को गजट में छाप दिया गया। उससे पहले कानूनी कार्यवाही पूरी हो चुकी थी उसके बाद विधान सभा दो बार मीट हो चुकी, बजट सेशन हुआ, उसके बाद वर्षाकालीन सेशन हुआ, दोनों सेशनों में आपने इसको रखने का अबाइड किया। उसके बाद भी वर्तमान जो सत्र चल रहा है उसको चलते हुए भी १३ दिन हो गये। तेरह दिन निकलने के बावजूद टेबल ऑफ दी हाऊस पर क्यों नहीं रखा।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : On a point of Order, Sir ! माननीय उप-मंत्री शिक्षा विभाग ने तीन तीन गलतियों को स्वीकार किया; एक तो गजट में प्रकाशन होने पर भी सदन की मेज पर नहीं रखे स्टेट्यूट, यह बहुत ही सीरियस गलती थी। दूसरी गलती जो उन्होने स्वीकार की शिक्षा विभाग का डिसिप्लीन बिगड़ रहा है, उसका मैं भी दोषी हूं इस तरह से तीन दोषों को उप मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है सदन के सामने।

श्री निरंजननाथ आचार्य : What is this point of order, Sir ?

श्री सभापति : Leave that to me.

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : एक तरफ उप मंत्री महोदय गलती को स्वीकार कर लेते हैं वैसी हालत में सदन की स्वस्थ्य परम्परा रखने के लिये यह आवश्यक हो जाता है कि इस बात की जांच की जाय, उसके लिये एक कमेटी बिठायी जाय जो इस प्रकार से दोषों को स्वीकार करता है, उसके बारे में क्या व्यवस्था होनी चाहिये जिस किसी पर कोई चार्जेज लगाये जाते हैं और वे उसे स्वीकार कर लेते हैं तो उस हालत में उनको सही करने के लिये क्या दंड दिया जाना चाहिये, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री सभापति : I am sorry. I disagree with you. The point of order is ruled out.

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : सभापति महोदय, उपमन्त्री महोदय ने जो जवाब दिया वह कलात्मक जवाब हो सकता है....

श्री सभापति : आप भाषण न दें, आप जो जानकारी लेना चाहते हैं सीधा वही पूछिये।

श्री फूलचन्द जैन : मैं सिर्फ दो बातें पूछना चाहता हूं हमने आपको जानकारी देने की कोशिश की जो कुछ वहां हो रहा है उसकी। इस पर सरकार की ओर से जवाब मिलता है कि क्या उसको डिपार्टमेंट बना दिया जाय। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप राज्य सरकार की तरफ से इन सब बातों को दूर करने के लिये क्या सजेस्ट करते हैं ?

दूसरी बात जो कुछ भी वहां पर ईर्रेगुलैरिटिज हो रही हैं क्या राज्य सरकार अपने लैवल पर जांच कराने के लिये तैयार है ? आप अपने ढंग से जांच करें और

Page No.106

(श्री फूलचन्द जैन)

चान्सलर को रिकमन्ड करें। सदन के सदस्यों ने जो बातें उठायीं हैं हम चाहते हैं उनकी जांच करवाई जानी चाहिये।

श्री निरन्जननाथ आचार्य (उपमन्त्री, शिक्षा) सभापति महोदय, प्रश्न वे ही हैं जो माननीय सदस्यों ने अपने भाषण में रक्खें---

श्री सभापति : सुराणाजी का पॉइन्ट, that was a pointed one.

श्री निरन्जननाथ आचार्य : उन प्रश्नों का जवाब मैंने अपने भाषण में दे दिया था। जहां तक सुराणाजी का प्रश्न है मैंने यद्यपि यह विश्वास दिलाने का प्रयास किया है कि यह स्टैच्यूट क्यों नहीं रखे गये सदन की मेज पर। यह जरूरी है कि गजट में पब्लिकेशन हो जाने के बाद भी यह सदन की मेज पर क्यों नहीं आया, इस बारे में क्या स्थिति थी, सदन की मेज पर यदि समय पर रखा जा सकता था तो क्यों नही रखा गया। दोनों स्थितियों में जैसा मैंने निवेदन किया इसकी जांच करा रहा हूं और उन तथ्यों की भी जांच विभाग द्वारा कराऊंगा कि इसमें शिथिलता क्यों बरती गई ?

श्री सभापति : शिथिलता हुई है इतना तो मानते हैं। आयन्दा न हो इसके लिये क्या कर रहे हैं ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) Sir, the Minister is trying to justify an impossible thing. This is escapism.

श्री निरंजननाथ आचार्य : दर असल में शिथिलता हुई वह किस आधार पर हुई, किन सरकमस्टान्सेज में हुई इन सब स्थितियों की जांच कराने का विश्वास दिलाता हूं।

दूसरा यह कहा गया कि इस प्रकार की विषम परिस्थिति में भी राज्य सरकार युनिवर्सिटी के इनर एडमिनिस्ट्रेशन में हस्तक्षेप क्यों नही करती। मैं सिर्फ इस बारे में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि मौजूदा इस एक्ट के आधार पर राज्य सरकार के लिये दरवाजे बन्द है वह किसी भी प्रकार से दाखिल नहीं हो सकती। आप सवाल तो उठाते हैं लेकिन उसके लिये कोई सुझाव नहीं देते हैं जिससे हम प्रवेश करके अन्दर की गड़बड़ियों को इकट्ठा कर सकें।

मैं, सभापति महोदय, सेक्शन १० की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मौजूदा प्रावधान के विरुद्ध मौजूदा एक्ट के विरुद्ध बातें कहना उस वक्त उचित है जब कि उसकी रिमेडी आपके पास हो। आप जिस प्रकार की व्यवस्था चाहते हैं उसके लिये हमारी विवशता है। मैं इस बारे में अपनी मान्यताओं का जिक्र नहीं करूंगा इस कानून की दफा १० है वह पढ़ कर सुनाना चाहता हूं :

"The Chancellor shall have the right to cause an inspection to be made by such person or persons as he may direct of the University."

यह सेक्शन १० है। इसके अन्तर्गत जो कुछ भी अधिकार राज्य सरकार को है उस संबन्ध

(निरंजननाथ आचार्य)

में कुछ नहीं कहना चाहता। मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है बार बार वे इस प्रश्न को नहीं उठायेंगें। हमारी विवशता है जो इसमें साफ है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : On a point of Privilege, Sir. स्टेच्यूट्स को असेम्बली की टेबल पर रखने में क्यों देरी हुई क्या विवशता थी ? इस बारे में आप विभागीय जांच करायेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं इस एक्ट का सेक्शन २२ है जिसमें साफ है विभागीय जांच से कोई मतलब नहीं। इस असेम्बली के सामने रखने की राज्य सरकार की ड्युटी थी। एक्ट के तहत इस असेम्बली की टेबल पर स्टेट्यूट रखती।

श्री सभापति : आपने इसके लिये प्रिविलेज मोशन दिया है। उस पर नियमित रूप से जो कार्यवाही होनी चाहिये वह जरूर होगी, इसलिये इस समय इस पर ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप आज्ञा दें तो मैं अपना पॉइन्ट ऑफ प्रीविलेज एक्स-प्लेन कर दूं। I will be waiting for your judgment by tomorrow or day after-tomorrow.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संकल्प श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(मत-दान के पश्चात्)

'ना'पक्ष जीता।

श्री विजयसिंह झाला : हां पक्ष जीता।

(१२.४० म. प.)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

(मत-विभाजन घण्टी के पश्चात्)

श्री उपाध्यक्ष : मै फिर से प्रश्न रखता हूं। प्रश्न यह है कि संकल्प जो श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने रखा है, स्वीकार किया जाय।

ना पक्ष जीता....

श्री विजयसिंह झाला एवं विपक्ष के माननीय सदस्य : No, Sir, हां पक्ष जीता साहब।

श्री उपाध्यक्ष : Do you want division ?

श्री विजयसिंह झाला : We claim division.

श्री उपाध्यक्ष : Then 'Ayes' to 'Ayes' lobby and 'Noes' to 'Noes' lobby.

(१२. ५० म० प०)

(विभाजन के पश्चात्)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, विभाजन परि-णाम इस प्रकार है :

हां पक्ष	—	४५
नॉ पक्ष	—	६३

मेरे अनुसार संकल्प गिर गया।

Page No.108

विभाजन के अनुसार 'हां' व 'ना' पक्ष के माननीय सदस्य

"हां" पक्ष

१. श्री ए. जब्बार
२. श्री अभयसिंह
३. श्री आलूराम चौधरी
४. श्री भानुप्रसाद कराड़िया
५. श्री चन्द्रसिंह वर्मा
६. श्री चोसरसिंह बावेल
७. श्री दयाचन्द सौन
८. श्री डूंगाराम राजोरिया
९. श्री दुर्गालाल बादवार
१०. श्री फतेहसिंह
११. वैद्य श्री गोविन्द सहाय
१२. श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन)
१३. श्री हरिराम चौहान (तिजारा)
१४. श्री हीराभाई
१५. श्री जयलाल
१६. श्री जावन्दसिंह
१७. श्री केदारनाथ
१८. श्री केसरीसिंह (पाली)
१९. श्री कृष्णकुमार गोयल
२०. श्री लक्ष्मण प्रसाद पटेल
२१. श्री ललित मोहन
२२. महारावल श्री लक्ष्मणसिंह
२३. कु० श्री महेन्द्रसिंह गांवड़ी
२४. श्री मानिकचन्द सुराणा
२५. रावत श्री मानसिंह महार (आमेर)
२६. श्री मथुरेश बिहारी माथुर
२७. श्री माना
२८. श्री मोहनलाल सारस्वत (रतनगढ़)
२९. श्री मोहरसिंह राठौड़
३०. श्री मुरलीधर व्यास
३१. मास्टर श्री नत्थूसिंह (गोविन्दगढ़)
३२. श्री नत्थीसिंह (भरतपुर)
३३. श्री नाथूलाल करोल
३४. श्री राधाकृष्ण गोयल
३५. श्री रामानन्द अग्रवाल
३६. श्री रामकिशन
३७. श्री रामसिंह
३८. श्री सम्पतलाल बोहरा
३९. श्री श्रवणलाल
४०. श्री शिवनारायण छाछिया
४१. श्री उदयलाल वर्दिया

४२. रावत श्री उम्मेदसिंह

४३. श्री विजयपाल कटारा

४४. श्री विजयसिंह झाला

४५. श्री विठ्ठल

'ना' पक्ष

४६. श्री अलदाराम मीणा

४७. श्री बरकतुल्ला खां

४८. श्री भगराज चौधरी

४९. श्री भानुप्रसाद कराड़िया

५०. श्री भीखाभाई

५१. श्री भैरवलाल "कालाबादल"

५२. श्री भीमसेन

५३. श्री भीमसिंह

५४. महाराजकुमार श्री बृजेन्द्रपाल

५५. श्री बृजसुंदर शर्मा

५६. श्री चतुर्भुज उपाध्याय

५७. श्री दौलतराम सारण

५८. श्री देवेन्द्रकुमार मीणा

५९. श्री देवीलाल मीणा

६०. श्री धर्माराम आर्य

६१. श्री दिनेशराय डांगी

६२. श्री गणेशलाल

६३. श्री गणपतिलाल वर्मा

६४. श्री गिरधारीलाल व्यास

६५. श्री गोकुलचन्द

६६. श्री गोकुलप्रसाद शर्मा

६७. श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा)

६८. श्री हरिभाऊ उपाध्याय

६९. श्री हरिदेव जोशी

७०. श्री हरिकिशन

७१. श्री हरिराम घारू (सिवाना)

७२. श्री हरिश्चन्द्र

७३. श्री हरलाल

७४. श्री जगनसिंह

७५. श्री जयकृष्ण शर्मा

७६. श्री जेठमल बरबड़

७७. श्री जुगलाल

७८. श्री जुझारसिंह

७९. श्री ज्वालाप्रसाद

८०. श्रीमती कमला बेनीवाल

८१. श्री कानाभाई नुवाल

८२. श्री केशरीसिंह जंजावर (खारची)

८३. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत

८४. श्री लालाराम

८५. श्री माधोलाल खानपुरिया

८६. श्री मजलिस खां

८७. श्री मनफूलसिंह

८८. श्री मथुरादास माथुर

८९. श्री मोहनलाल सुखाड़िया

९०. श्री मोहनराज

९१. श्री मुक्तिलाल मोदी

९२. श्रीमती नगेन्द्र बाला

९३. श्री नाथूराम मिर्धा

९४. श्री निरंजननाथ आचार्य

९५. श्रीमती निर्मलादेवी नाहर

९६. श्री परसराम मदेरणा

९७. श्री फूलचन्द जैन

९८. श्रीमती प्रभा मिश्रा

९९. श्री रघुनाथ बिश्नोई

१००. श्री रामप्रसाद लढ्ढा

१०१. श्री रविशंकर याज्ञिक

१०२. श्री रूपाराम पंवार

१०३. श्री सांवलियाराम

१०४. श्री शीशराम ओला

१०५. श्रीमती सुमित्रा

१०६. श्री स्वरूपनारायण पुरोहित

१०७. श्री तेजाराम गहलोत

१०८. कुमारी उमा माथुर

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्ताव इस विधेयक के प्रवर समिति को सुपुर्द करने के लिए प्रस्तुत हुए हैं उन्हें स्वीकार किया जाये ?

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : कुछ वापिस लेना चाहते हैं। मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेने की सदन से अनुमति चाहता हूं।

श्री रामकिशन (वैर) : इन्हें इजाजत नहीं दी जाये। सदन का समय नष्ट करते हैं, पहले तो रख देते हैं और फिर वापिस लेते है।

श्री उपाध्यक्ष : जो माननीय सदस्य अपने संशोधन प्रस्ताव वापिस लेना चाहते हैं क्या उनको इसकी अनुमति दी जाये ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो अन्य संशोधन प्रस्ताव इस प्रस्तुत विधेयक पर आये हैं उन्हें स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गए।

(विराम)

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक विचारार्थ लिया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री निरंजननाथ आचार्य : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाये।

श्री मानिकचन्द सुराणा : कौन सा विधेयक ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : प्रस्तुत विधेयक। जोधपुर विश्व विद्यालय, (संशोधन) विधेयक, १९६४।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जोधपुर विश्व-विद्यालय (संशोधन) विधेयक १९६४ को पारित किया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित हुआ।

राजस्थान लैंण्ड रेवेन्यू (संशोधन) विधेयक, १९६४

(संकल्प की प्रस्तुति व विधेयक पर विचार-विमर्श)

श्री उपाध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री रघुनाथ विश्नोई : वह तो है ही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : I have got an authority.

एक माननीय सदस्य : ऑथोरिटी से नहीं हो सकता।

श्री उपाध्यक्ष : Yes, under rule 111 (3)

श्री कृष्णकुमार गोयल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान लैंण्ड रेवेन्यू (अमेण्डमेन्ट) बिल, १९६४ को अस्वीकृत किये जाने के बारे में जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने अपना एक मोशन रखा था और उसी पर मैं अपने विचार प्रकट कर रहा हूं। जैसा कि गत कई दिनों से सदन के अन्दर यह भलीभांति माना जा चुका है....

श्री उपाध्यक्ष : मैं प्रस्तावक महोदय से निवेदन करूंगा कि समय चूंकि कम है और आज ही इस बिल को पारित करना है इसलिए संक्षेप में कहें।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : मेरा संशोधन बाद में है, उसका समय नही लूंगा; इस पर ही बोलूंगा।

तो सदन ने और खासकर ट्रैजरी बेन्चेज ने इस बात को माना है कि सरकार को आर्डिनेन्स का सहारा बिलकुल नहीं लेना चाहिए जबकि उसके पास इस तरह का समय मौजूद है कि वह बिल को असेम्बली में ला सकते थे। उन बातों पर अधिक न जाते हुए केवल इस प्रश्न पर इस

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

समय इतना कहना चाहूंगा कि जो राजस्थान लैंडरेवेन्यू अमेन्डमेन्ट आर्डिनेन्स लाया गया है और जिन धाराओं में संशोधन चाहा गया है और इस आर्डिनेन्स को लाकर जो रिलीफ चाही गयी है मैं उपाध्यक्ष महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि उनके द्वारा ऐसी कोई इमरजेन्सी नहीं थी जिसके लिए आवश्यक था कि यह आर्डिनेन्स लाया जाये। अगर यह आर्डिनेन्स नहीं लाया जाता या बिल ही असेम्बली में समय पर लाया जाता तो मैं समझता हूं कि किसी प्रकार से कार्य में रुकावट या बाधा नहीं आने वाली थी लेकिन जिस प्रकार की आदत बन गयी है कि आर्डिनेन्स के द्वारा वह शासन करना चाहते हैं उन्होंने इसी मन्शा को पूरा करके इस आर्डिनेन्स को लाया है। इस आर्डिनेन्स के द्वारा धारा १० जो राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की है उसके अन्दर संशोधन किया गया है। धारा १० के अन्दर रेवेन्यू बोर्ड के अगर किसी एक सदस्य द्वारा किसी चीज पर निर्णय किया गया हो तो उसकी अपील का प्रावधान उसके द्वारा किया गया है।

(१, म. ч.)

उसको कण्ट्रोल करने के लिए यह ऑर्डिनेन्स जारी किया गया है और जैसा कि बिल के अन्दर ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स के अन्दर उसकी मन्शा बताई गई है वह यह बताई गई है कि इस प्रोविजों. के कारण निर्णय के अन्दर काफी विलम्ब होता है और डिस्पोजल काफी कम हो पाता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है जैसा कि इसके अन्दर यह बताया गया कि इस प्रकार राजस्थान हाई कोर्ट के अन्दर अपील्स का प्रावधान मौजूद है उसके समानान्तर रेवेन्यू बोर्ड को हम व्यवस्था करना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो यह आर्डिनेन्स लाया गया और उसके बाद जो यह विधेयक पेश किया गया है तो अगर हम राजस्थान रेवेन्यू एक्ट की धारा १० के साथ साथ राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा २२२ व लैंड रेकॉर्ड मेन्युअल के पार्ट फर्स्ट के पैरा ८ और पैरा ९, इन तीनों को एक साथ पढ़ें और तीनों को एक साथ पढ़कर के यह देखें कि वास्तव में जो आज धारा १० राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के अन्दर जो यह अपील का प्रावधान है क्या उसके द्वारा अपील होती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि धारा १०, धारा २२२ टिनेन्सी एक्ट व लैण्ड रेकार्ड मेन्युअल के पार्ट फर्स्ट के पैरा ८ व ९ के बारे में कोई व्यवस्था स्वयं रेवेन्यू बोर्ड ने १९६२ की आर० आर० डी० के पेज २१२ में इस प्रकार से किया है। उसके अन्दर दोनों एक्ट व मेन्युअल इन तीनों धाराओं का आपस में तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है और उसी के रूलिंग के अन्दर यह बताया गया है कि धारा १० के अन्दर........

श्री रामप्रसाद लड्ढा : किसमें मेन्शन है रूलिंग ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : १९६२ आर. आर. डी. पेज २१२।

इस निर्णय में यह बताया गया है। वास्तव में यह तो बताया है कि केसेज

Page No.113

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

की अपील का प्रोवीजन है लेकिन वास्तविकता इस प्रकार की है कि सिंगल जज किसी भी अपील को एन्टरटेन नहीं कर सकता । उसके अधिकार सीमित हैं केवल रिवीजन को एन्टरटेन करने का, वह भी केवल निगरानी सुन सकता है और निगरानी के अन्दर उसको यह अधिकार नहीं है कि वह लोग्रर कोर्ट के डिसीजन्स को किसी प्रकार रिवर्स करे, मोडीफाई कर दे । मगर उस रूलिंग में यह बताया गया है कि केवल रेवेन्यू बोर्ड का सिंगल जज वह केवल लोग्रर कोर्ट ने जो जजमेंट रखा है उसका रिवीजन किया है उसको केवल रिजेक्ट करने का अधिकार है, इस बात का अधिकार नहीं है कि इसका पूरा विश्लेषण करे । अगर उसको माना जाय तो जो धारा १० में जो संशोधन लाया गया है आर्डिनेन्स के द्वारा या इस बिल के द्वारा तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वह अपील का प्रावधान नहीं होकर निगरानी का जो अधिकार है और वह भी कुछ सीमित सीमा के अन्दर है, उस अधिकार को समाप्त करना चाहते है । अगर आप यह चाहते है कि सिंगल जज यह लिखे कि यह अपील किये जाने लायक है तब जाकर डिवीजन बैन्च मे हो तो मैं सोचता हूं कि जो मन्शा है धारा १० की वह समाप्त हो जायगी । धारा १० के अनुसार जज रिवीजन सुनकर रिजेक्ट कर सकता है । इसके बाद में वह नहीं सुनता है । इसके बाद धारा ११ है उसके अन्दर प्रावधान है कि अगर किसी कानूनी प्वाइन्ट पर कोई दिक्कत आ जाय सिंगल जज को तो वह रेफर कर सकता है लीगल क्वश्चन के बारे में डी० बी० को, उसकी सलाह लेने के बारे में । तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो कानून है उसमें धारा १० के अधिकार को सीमिति कर दिया है और केवल उसके द्वारा यह चाहा जा रहा है कि सिंगल जज जजमेंट के साथ साथ लिख दे कि यह अपील किये जाने के योग्य है तो ही डी० बी० के अन्दर अपील हो सकेगी, तो यह चीज अनुचित होगी ।

धारा १० के अन्दर कोई संशोधन लाया जाय यह अगर आप उचित समझते हैं तो आप इस प्रकार की व्यवस्था करें कि सिंगल जज कोई रिवीजन की एप्लीकेशन को एन्टर्टेन नहीं करेगा । यह व्यवस्था करें । आपने यह व्यवस्था रखी है कि वह रिवीजन सुन सकेगा । और अगर वह रिजेक्ट कर देता है तो डी० बी० में जाने का एग्रीव्ड पार्टी को अधिकार है । उसके आधार पर जाकर लोग्रर कोर्ट के सिंगल जज ने किसी प्रकार से लीगेलिटी से जजमेंट नहीं किया है और ठीक प्रकार से प्रोसीड नहीं किया गया है तो डी० बी० में जाकर उस अधिकार को मागें । तो मैं सोचता हूं कि उस संशोधन के द्वारा उस अधिकार को छीन लिया गया है । और आप हाई कार्ट में जिस केलिबर की व्यवस्था है, जिस प्रकार की केपेसिटी के व्यक्ति वहां आते हैं, जिस अनुभव के आधार पर वे आते हैं, उस आधार की तुलना आप रेवेन्यू बोर्ड से करना चाहते हैं । जो रेवेन्यू बोर्ड की व्यवस्था है उसके मेम्बरों की उतनी छान-बीन नहीं होती है । उसके मेम्बर्स और चेयरमैन के बारे मे यहां कई बार यह आता है कि वे किस प्रकार से नियुक्त किये जाते हैं और इच्छानुसार उनको हटा दिया जाता है और नये २ व्यक्तियों को लाद दिया जाता

Page No.114

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

है । कोई भी सदस्य वहां अपने को सुरक्षित नहीं समझता है कि कितने दिनों तक वे रेवेन्यू बोर्ड में मौजूद हैं । इस प्रकार की धारा आप चाहते हैं कि लगा दें कि अपने निर्णय के साथ साथ वह सर्टीफिकेट दे दें कि अपील के लायक है तो डी० बी० उसको सुन ले, तो मैं समझता हूं कि यह अनुचित होगा और धारा १० में जो अधिकार है उसको खत्म कर देगा। इसलिए मैं समझता हूं कि यह समस्या गम्भीर है इसलिए इस पर विचार करने के लिए इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : आप स्टेट्यूटरी मोशन कर रहे हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : ऑर्डिनेन्स के साथ-साथ मैंने यह भी ले लिया है । मैंने निवेदन किया कि आर्डिनेन्स लाया गया है तो ऐसी क्या जल्दी आ गई थी सरकार को ?

तो मैं निवेदन कर रहा था कि जो ऑर्डिनेन्स लाया गया है, धारा १० के संबंध में पेश किया गया है, जिसको स्वीकार करने की मांग पेश की जा रही है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह ऑर्डिनेन्स बिना किसी आवश्यकता के लाया जा रहा है । मैं सोचता हूं कि उस ऑर्डिनेन्स को लाया गया है लेकिन इस सरकार के सामने इस प्रकार के केसेज नहीं होंगे कि जिनमें कोई दिक्कत आई हो, कोई एनसाफिशियेन्सी रेवेन्यू बोर्ड के अन्दर नजर आई हो ।

इसी प्रकार इस ऑर्डिनेन्स में धारा १६ के अन्दर संशोधन लाया गया है वह मेरी समझ में नही आया है । यह ठीक है कि यदि किसी ट्रेसपासर ने जमीन पर कब्जा कर लिया हो तो तहसीलदार उसको इजेक्ट कर सकता है । उसमें एक प्रोवीजो है उसमें १५ टाइम्स पैनल्टी तय की गई है । अगर उसको वह दे देता है तो उसको खेत में से फसल लेने का अधिकार है । जो इसमें अध्यादेश जारी किया गया है, संशोधन लाया गया है वह इस नियत से लाया गया है कि इसको लाने की बहुत आवश्यकता है क्योंकि जो प्रोवीजन बना दिया है उसके कारण से अतिक्रमण के ज्यादा केसेज सामने आ रहे हैं, ट्रेसपासर्स बढ़ते जा रहे हैं । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार के पास अध्यादेश लाइने के पहले कितने केसेज थे और उनमे क्या कमी हुई और कितनी उससे सरकार की एफिशियेन्सी बढ़ गई है या उससे ट्रेसपास जमीन के ऊपर कम हो गया है । ऐसी चीज नहीं हुई है और न हो सकती है । यह कार्यवाही बिल के द्वारा भी की जा सकती थी । इस प्रकार के अध्यादेश लाने की जरूरत नहीं थी । आज हम देख रहे हैं कि देश के अन्दर बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और जमीन सीमित है । किसी आदमी के पास काश्त करने के लिए जमीन मौजूद नहीं है और मजबूरी से उसने किसी जमीन पर कब्जा कर लिया है और उसको काश्त के लायक बना कर काबिज होता है तो सरकार के पास जो अधिकार है उसको इस्तेमाल कर सकती है । उसके लिए शो-काज नोटिस जारी होता है और वह जवाब देता है और आपके अधिकारी देखते हैं कि वास्तव मे अतिक्रमण किया है तो पैनल्टी इम्पोज करके जो कि लगान से १५ गुना तक जा सकती है उससे

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

वह तावान ले सकते हैं। मैं नहीं समझता कि इसके बाद भी उस गरीब काश्तकार को यह अधिकार नहीं होता है कि उस जमीन को वह फसल उठाये, या जिसके पास सीलिंग से अधिक जमीन मोजूद है वह ट्रेसपास करने वाला है उसके लिए तो आप कर सकते है, लेकिन एक गरीब काश्तकार है जिसके पास जमीन नहीं है, भूखों मर रहा है उसको जमीन की आवश्यकता है और मजबूरी दर्जे वह ट्रेस पास करता है उसके लिए भी सरकार इस संशोधन के द्वारा, इस अध्यादेश के द्वारा यह रखती है कि वह उस जमीन पर खड़ी फसल को न काटे। जिस जमीन का अतिक्रमण करके उसने जमीन पर कब्जा किया है और साल छः महीने तक उस पर अपना तन-मन-धन लगाया है और काश्त की है, उस व्यक्ति को बाद में यह कहकर कि तुमने अतिक्रमण किया है इसलिए फसल नहीं ले सकते और जब कि उससे १५ गुना लगान ले लिया जाय, तो हम जो समाजवाद का ढिंढोरा पीटते हैं, सीलिंग लगाते है वह बेकार है। तो इस प्रकार की व्यवस्था अनुचित होगी। आप यह व्यवस्था कर सकते थे कि यदि कोई लैन्डलेस व्यक्ति जिसके पास जमीन नहीं है वह इससे एग्जेम्प्ट रहेगा। इस प्रकार का संशोधन लाया जाता तो बात समझने की थी।

एक जनरल संशोधन ले आये कि यदि कोई व्यक्ति ट्रेसपासर हो चाहे उसके पास सीलिंग की सीमा से भी कम जमीन हो, अगर वह १५ गुना लगान दे दे तो भी उसको उस जमीन से बेदखल किया जायगा। लेकिन फसलों से भी उन्हें महरूम रहना पड़ेगा। मैं समझता हूं यह व्यवस्था अनुचित है। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने वक्तव्य के द्वारा यह निवेदन करना चाहूंगा कि संशोधन से पहले सरकार ने जो ऑर्डिनेन्स की शरण ली है, यह पद्धति अनुचित है। यह ऑर्डिनेन्स नहीं लाया जाता तो भी कार्य चलता और इसको लाने के बाद कार्य या डिस्पोजल में गति आई हो ऐसी बात नहीं है लेकिन फिर भी यह लाया गया, मैं समझता हूं यह ठीक नहीं है इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि यह संशोधन और ऑर्डिनेन्स स्वीकृत नहीं किया जाय।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप--मंत्री, राजस्व) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान लैंड रेवेन्यू (संशोधन) बिल, १९६४ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : Motion moved.

श्री मथुरेशबिहारी माथुर।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के लिये मेरा यह प्रस्ताव है कि इसको जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जाय।

इस सदन में टिनेन्सी लॉज के विषय में जो बार बार संशोधन लाने की आम प्रवृत्ति है और इन लॉज को सिम्पलीफाइ करने के लिये एक ही मर्तबा संशोधन आने चाहिये इस बात को सरकार की ओर से स्वीकार करते हुए टीनेन्सी लाज और लैंड रेवेन्यू लॉज के लिये एक रेवेन्यू लॉज कमीशन बनाया गया। इस कमीशन ने अपने तरीके से टीनेन्सी लॉज के बारे में जो रिपोर्ट का ड्राफ्ट बनाया

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

है और जो रिपोर्ट होगी वह भी सदन में रखी जायगी। मुझे इस बात का आश्चर्य है कि जब टिनेन्सी लॉज के विषय में रेवेन्यू लॉज कमीशन काम कर रहा है और वह इस पर भी विचार कर रहा है तो इस बीच में कौनसी एमर्जेन्सी हुई जिसके कारण ऑर्डिनेन्स निकालना पड़ा और संशोधन बिल के रूप में वह हमारे सामने लाया गया है। इसकी क्या आवश्यकता थी। रेवेन्यू लॉज कमीशन के विचारार्थ जो विषय है उसके बारे में रेवेन्यू लॉज कमीशन की रिपोर्ट आने से पूर्व ही उसको सदन में लाया जाय और उसके ओब्जेक्ट्स और रीजन्स में इस बारे में प्रकाश नहीं डाला जाय इसका मतलब जैसा कि अभी बताया गया यहां पर यह प्रवृत्ति चल रही है कि ऑर्डिनेन्स जारी करना और सदन में दलील देना कि क्योंकि हम ऑर्डिनेन्स जारी कर चुके हैं इसलिये यह बिल पास होना ही चाहिये, इसलिये मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सरकार ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यह सही कदम नहीं है। आपने इसके ओब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में कोई दलील देने या प्रकाश डालने की तकलीफ नहीं उठाई है, यह सही तरीका नहीं है। मैं आशा करता हूं कि इसका जवाब देते समय इस बात पर जरूर प्रकाश डाला जायगा कि ऐसे कौनसे रीजन्स थे कौनसी एमर्जेन्सी और आवश्यकता आ गई थी कि जिसके कारण रेवेन्यू लॉज कमीशन की रिपोर्ट का इन्तजार न करके ऑर्डिनेन्स बिल के रूप में इसको यहां लाना पड़ा।

इसके साथ साथ मैं यह बताऊंगा कि इस बिल के तीन हिस्से हैं। इसमें सेक्शन १० पर अमेन्डमेन्ट लाया गया है, दूसरा सेक्शन ९१ पर लाया गया है और तीसरा सेक्शन २३५ पर लाया गया है और ये तीनों ऐसे विषय हैं जिन पर आपको विचार करना है कि क्या ऐसी आवश्यकता थी जिसके कारण ऑर्डिनेन्स लाया जाय। सेक्शन १० में यह अमेन्डमेन्ट है कि सिंगल बैंच का एप्रूवल होकर डिविजन बैंच में जासके। सन् ५६ में यह एक्ट बना था। ५६ से ६४ तक यह अमेन्डमेंट चाहते हैं। ५६ से अब तक कितने केसेज सिंगल बैंच से डी. बी. में गये हैं इस पर प्रकाश डाले बिना इसका अमेन्डमेन्ट लाना ठीक नहीं होगा। मैं बताना चाहता हूं कि रेवेन्यू बोर्ड में हजारों अपीलें होती हैं उनमें से केवल ३५ अपीलें सिंगल बैंच से डी. बी. में पेन्डिंग हैं। एक साल में कभी ३५,४० से ज्यादा डी. बी. में नहीं गई। जब यह पोजीशन है तो क्या एमर्जेन्सी थी जिसके कारण रेवेन्यू लॉज कमीशन की रिपोर्ट की इन्तजारी किये बिना इसे ऑर्डिनेन्स के रूप में निकाला गया। चेयरमेन ने रिपोर्ट कर दी और सरकार ने ऑर्डिनेन्स जारी कर दिया और कोई जांच फिगर्स के आधार पर नहीं की। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सही तरीका नहीं है। आप पर जो आक्षेप और आलोचना होती है वह इसलिये होती है कि आप अध्यादेश जारी करने से पहले अपने आप तसल्ली नहीं करते वरना ३५ अपीलों के कारण कोई आवश्यकता आ पड़ी हो या एमर्जेन्सी आ गई हो, ऐसा मुझे नजर नहीं आता।

दूसरी बात यह है कि आपने इस बात पर विचार नहीं किया होगा कि सिंगल बैंच के केसेज अपील में जाते कौनसे हैं? जो

Page No.117

(श्री मथुरेश बिहारी माथुर)

कॉम्पलीकेटेड केसेज आते हैं वे डी. बी. में या फुल बैंच में जाते हैं । बहुत मामूली केसेज सिंगल बैंच में रखे जाते हैं ।

आप रेवेन्यू बोर्ड की तरफ गौर करें, सदन के अंदर भाषणों में भी काफी विचार हुआ है और सदन के बाहर भी चर्चा चली है, हाई-कोर्ट में जो रेवेन्यू बोर्ड के जजमेन्ट्स गये हैं उनका पर्सेन्टेज देखें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको यह पता चल जायगा कि रेवेन्यू बोर्ड में योग्यता का स्तर कितना ऊंचा है । उनके ९० पर्सेन्ट फैसलों को रिट पिटीशन्स के जरिये कैंसिल किया गया ।....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : It is incorrect to say that 90 per cent. cases have been set aside.

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : अगर आपको इस बात में शक है तो आपको मैं डाइजेस्ट के जरिये फिगर्स बता सकता हूं, रिट पिटीशन्स के जरिये बता सकता हूं उनके जजमेन्ट का पर्सेन्टेज है, वे कैसे हैं । लॉ जानने वालों के दिमाग में आज यह बात घर कर गई है कि रेवेन्यू बोर्ड को कोई गाइडेन्स देने वाला नहीं होता । दो दिन पहले तक जिसने कभी केस वर्क नहीं किया. जिसने सेक्रेटरी के पद पर नोटिंग-ड्राफ्टिंग का ही काम किया उन पर यदि आपकी मर्जी नहीं हुई तभी उनको आपने रेवेन्यू बोर्ड में फेंक दिया । जिन लोगों को केस वर्क का काम किये १०-१५ वर्ष हो गये और वे आई० ए० एस० बन गये और इस कारण से वे आपकी नजर में योग्य बन गये उनको आपने रेवेन्यू बोर्ड में भेज दिया । आप यह देखने की तकलीफ नहीं करते कि उन्होंने कितने वर्षों तक केस वर्क किया है । जो लोग अपनी कोमन-सेन्स पर काम करना शुरू करते हैं उनके खुद के वर्डिग्ज हैं कि वे छोटासा डाइजेस्ट देखे बिना ही काम करते हैं और कभी कभी तो उनके खुद के दिये गये फैसले के खिलाफ फैसला कर देते हैं । जब उनके ध्यान में यह बात आती है कि उनके खुद के पहले दिये हुए फैसले के खिलाफ फैसला हो गया तो वे उस पर विचार करते हैं । आप ऐसे लोगों को उनकी कोमन-सेन्स से काम करने के लिये रेवेन्यू बोर्ड में भेज देते हैं लेकिन भेजने के बाद भी उनको वहां पर टिकने नहीं देते । वे कुछ दिन वहां टिकते हैं फिर उनकी या आपकी मर्जी आती है तो उनको फिर सेक्रेटेरिएट में ले लेते हैं । यह मान भी लिया जाय कि आई० ए० एस० में कॉमन-सेन्स बड़ा होता है तो भी कम से कम उनको वहां पर काम तो करने दीजिये । हाथा साहब वहां पर काम करने लगे तो उनको वहां से हटा लिया । खेमचन्दजी काम करने लगे तो उनको सेक्रेटेरियट में ले आये । आप किसी को वहां रहने दीजिये ताकि वे इस लाइन में वर्क करने लग जांय और उनके अनुभव का फायदा आम जनता को और बार को मिले । लेकिन आपका यह ध्येय नहीं है । आपने जो अमेन्डमेन्ट चाहा है और आपने जज का स्तर है उसकी लाइन यह दी है कि हाई-कोर्ट में ऐसा प्रावधान है लेकिन आपने कभी विचार नहीं किया कि हाई-कोर्ट के जजों की योग्यता और निष्पक्षता के मुकाबले में आपके रेवेन्यू बोर्ड के सिंगल बैंच के जज हैं क्या और वे उसी तरह से काम कर सकते हैं क्या ?

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

जहां फुल बेंच के फैसले रोजाना सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से बदलते है। जहां डी० बी० के फैसले हाई-कोर्ट में रिट से बदलने हैं। जब यह स्थिति आपके सामने हैं वहां जो ५६ का प्रावधान चला आ रहा था उसमें १९६४ में रेवेन्यू लॉज कमीशन की रिपोर्ट आने से कुछ महीने पहले अमेंडमेंट बिल बनाने के लिए आर्डिनेन्स निकालते हैं।

इतना कहने के बाद मैं यह भी कहूंगा

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

क्योंकि ज्यादा समय नहीं है इसलिए ज्यादा नहीं कहूंगा। लेकिन मैं सैक्शन ९१ की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा। १९५६ से यह प्रावधान चला आ रहा है और १९६४ में आप यह रीजन देते हैं कि इससे ट्रेसपासर्स को एन्करेजमेंट मिलता है। क्या आप इस पर प्रकाश डालेंगे कि १९५६ से लेकर १९६४ तक कितने ट्रेसपासर्स के केसेज आये और सैक्शन ९१ के प्रावीजो की वजह से उनमें दिक्कत पड़ी है जिससे कि इस रीजन को देने की आवश्यकता हो सकती हो? जिस वक्त आपने जमींदारी एबोलिशन किया उस वक्त ट्रेसपासिंग करने की आम प्रवृत्ति थी उस वक्त ट्रेसपासर्स को जमीन से डिस्पजेस करने के सम्बन्ध में विचार नहीं किया कि ट्रेसपासर्स को सेफगार्ड देना है या नहीं देना है। जब सेटलमेंट हो गया और कन्सोलिडेशन हो चुका, इजेक्टमेंट हो चुका उस वक्त ट्रेसपासर्स को लैंड लैस की तरह करके उनके बारे में सोचेंगे-यह सही नहीं है। मैं समझता हूं कि उनको मौका देना चाहिये और रेवेन्यू लॉज कमीशन की रिपोर्ट आने वाली है उसमें अगर ऐसी परिस्थिति हो कि इसकी आवश्यकता ही न हो तो उसके आने पर देख लें कि इसकी आवश्यकता है या नहीं। साथ ही जो रीजन दिये हैं उनके फेक्ट्स और फिगर्स जब तक सदन के सामने नहीं रखे जायेंगे तब तक उसके लिए अध्यादेश जारी करना और बिल लाना ही काफी नहीं होगा।

मैं सैक्शन २३५ की तरफ भी ध्यान दिलाना चाहूंगा। इसमें अमेंडमेंट चाहा गया है। यह जो प्रावधान था, यह १९५६ से चल रहा था। इस बीच में कितने केसेज अन्दर एरिअर्स के सम्बन्ध में कलेक्टर को रेवेन्यू बोर्ड से सैक्शन लेने में अड़चन पैदा हुई, कितने केसेज में वसूली करने में दिक्कत हुई-ये फिगर्स बतलाने की चेष्टा नहीं करेंगे तब तक मेरे ख्याल से यह नहीं कह सकते कि इसकी वजह से कलेक्टर साहब को तकलीफ होती है। क्या गवर्नमेंट ने रेवेन्यू बोर्ड को इस सिलसिले में लिखा या उन्होंने वसूली के लिए और एरिअर्स के लिए यह लिखा कि इसमें से यह यह हटा दिया जाय और फिर आपने आर्डिनेन्स जारी करके कर दिया? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि १९५६ से लेकर १९६४ तक यह प्रावधान चलता रहा है, इस बीच में कितने केसेज में इस कानून के कारण अड़चन पैदा हुई? इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। और इसलिए ही मैंने प्रस्ताव किया है कि इस को जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाय। इसके पीछे भावना यह है कि चूंकि इसका असर सब लोगों पर पड़ता है इसलिए इस पर जनमत लिया जाना चाहिए।

Page No.119

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

साथ ही मुमकिन है कि रेवेन्यू लॉज कमीशन की रिपोर्ट आ जाय, उसको मद्दे नजर रखते हुए आप संशोधन बिल पेश करें, यह ज्यादा उपयुक्त होगा वरना जैसा अमेंडमेंट बिल पेश किया है वह सही नहीं है।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि टाइम निश्चित कर दिया जाय ताकि सबको बोलने का मौका मिले।

श्री उपाध्यक्ष : देखिये। श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय आज हम इस अध्यादेश पर विचार कर रहे हैं जो इस सरकार ने पिछले असेम्बली के सेशन और इस बजट अधिवेशन के बीच के समय में जारी किया है। उपाध्यक्ष महोदय, हम पांच अध्यादेश देख चुके हैं, उनकी उपयुक्तता, मेरिट्स और आवश्यकता के आधार पर कितनी जरूरत थी इन अध्यादेशों को रखने की उन पर हमने विचार किया है। और उसी दृष्टि से इस अध्यादेश पर भी हम विचार करें तो यह साफ नजर आता है कि हमारे कॉन्स्टीट्यूशन में जो धारा २१३ है उसका नितान्त उपहास करने की इस सरकार ने कोशिश की है। मुझे तो ऐसा मालूम पड़ रहा है यह अध्यादेश निकाल कर, अनावश्यक चीजों के लिए, बहुत कन्ट्रोवर्सियल मैटर्स के लिए, बिलकुल छोटी छोटी बातों के लिए अध्यादेश निकाल कर सरकार इस बात को साबित करना चाहती है कि इस माननीय सदन से इस सरकार के अधिकार अधिक हैं, इस मंत्रिमंडल के अधिकार अधिक हैं। कान्स्टीट्यूशन की आर्टिकल २१३ में जो अधिकार दिये हैं वह इस सदन के जो सामान्य अधिकार हैं, उनसे कहीं ज्यादा है—उनकी सुप्रिमेसी साबित करने की कोशिश कर रही है। वरना मेरी समझ में यह बात नहीं आती है कि इस प्रकार की चीजों के लिए, जिसकी कोई फौरी आवश्यकता नही, क्यों अध्यादेश जारी किया गया? इस अध्यादेश में सरकार ने बताया कि रेवेन्यू बोर्ड का यह कहना है कि सिंगल मेम्बर बैंच की अपील अगर बैंच में जाय तो उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शन होने चाहिए। अगर मेरिट्स पर यह बात सही भी हो तो इतने दिनों से यह रेवेन्यू एक्ट चला आ रहा था और उसके तहत अपीलें हो रही थीं तो फिर कौनसी ऐसी एमर्जेन्सी सरकार ने महसूस की—विशेष रूप से जब कुछ अवधि बाद ही यह बजट अधिवेशन आ रहा था, उससे पहले ही इस अमेंडमेंट के लिए एक आर्डिनेन्स निकालने की आवश्यकता महसूस की? इस तरीके से केवल इस बात के लिए कि धारा ९१ में सब-सेक्शन दो में जो प्रोवीजो है उस प्रोवीजो को हटाना है। जब ट्रेसपासर्स को ५० टाइम्स पैनल्टी देने के बाद अधिकार है तो सरकार ने किसकी रिपोर्ट पर ऐसा महसूस किया, किससे एन्करेजमेंट मिला कि आर्डिनेन्स के जरिये फौरन अमेंडमेंट करने की आवश्यकता महसूस हो गई जब कि यह ८ वर्ष से इस कानून के अन्दर धारा मौजूद है? उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से जो तीसरी बात है जिसके लिए अमेंडमेंड करना सरकार ने आवश्यक समझा, वह धारा २३५ है। अगर कोई लगान अदायगी में बकाया रह जाय और उसकी जमीन सरकार लेना चाहे तो रेवेन्यू बोर्ड की इजाजत न लेकर भी रेवेन्यू आथोरिटी

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

को उसे सैल करने का अधिकार हो। इस बात में केवल मात्र इतना अमेंडमेंड करने के लिए यह आर्डिनेन्स निकाला। उपाध्यक्ष महोदय, में निवेदन करना चाहता हूं कि जितने आर्डिनेन्स पर हमने विचार किया, उनमें अलग अलग भिन्न भिन्न रूप से नये नये प्रपोजीशन्स इस सरकार ने स्थापित करने की कोशिश की, चाहे वह नर्सेस और दाइयों से सम्बन्धित आर्डिनेन्स था उसमें सरकार ने इस बात को जाहिर किया कि केवल रेगुलेट करने के लिए भी चूंकि धारा २१३ में प्रोविजन है—चाहे सैटिसफाइड हों या नहीं हों गवर्नर, यह चीज किसी अदालत में बहस नहीं हो सके इसलिए इन पावर्स को सरकार व्यापक बनाना चाहती है....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : एक मिनट।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समय समाप्त होने जा रहा है और कल अन्तिम दिन है और दो आर्डिनेन्स बाकी है; एक तो इस आर्डिनेन्स का बिल है और एक कल आ रहा है जो इस सदन को कल डेढ़ बजे तक पारित करने हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें इस प्रकार की व्यवस्था हो जाय जिससे समय पर दोनों बिल पारित हो सकें। अगर माननीय सदस्यों की राय हो तो कुछ समय आज बढ़ाना आवश्यक हो तो बढ़ा दिया जाय और कल समय बढ़ा कर समाप्त करना हो तो कल बढ़ा दिया जाय। यदि सदन के सभी सदस्य स्वीकार करें और कल दोनों बिल पास कर दिये जायं तो मुझे आपत्ति नहीं। कल डेढ़ बजे तक पास हो जाने चाहिए।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : सभापति महोदय ने आदेश किया था कि आज दो बिल पास हो जायं और समय बढ़ाने की आवश्यकता हुई तो बढ़ा दिया जाय।

श्री दुर्गालाल वाढ़दार (हवा महल, जयपुर) : समय इतना बढ़ाना चाहिए कि चार चार मिनट, पांच पांच मिनट का समय सबको मिल सके।

श्री उपाध्यक्ष : सदन का समय आध-पौन घन्टे के लिए बढ़ा दिया जाय ताकि कुछ माननीय सदस्य अकोमोडेट हो जायं।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई) : दस आदमी और बोलने वाले हैं इसलिए आज पूरा नहीं हो सकता।

श्री नत्थीसिंह : कल बढ़ा दें।

श्री उपाध्यक्ष : कल समय बढ़ाने के अन्दर यह होगा कि कल बजट भाषण भी है और फिर माननीय सदस्यों को बिल्कुल एडीक्वेट समय नहीं मिलेगा। मैं निवेदन करता हूं कि कुछ समय आज बढ़ा दिया जाय, कुछ कल नियंत्रण रखा जाय।

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, सामान्य प्रशासन) : आधा घन्टा बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रारम्भ में निवेदन किया था और माननीय सदस्यों का आश्वासन मिला था कि दोनों बिल पारित करने का प्रयत्न किया जायगा।

Page No.121

श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा) : सदन की समय बढ़ाने के अन्दर सहमति नहीं है । साथ ही यह महत्वपूर्ण प्रश्न है इसलिए....

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि सदन का समय आधा घन्टा के लिए बढ़ाया जाय ।

(स्वीकृत)

सदन का समय आध घन्टे तक बढ़ाया जाता है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस सरकार ने ऐसे कामों के लिये जहां इस प्रकार के आर्डिनेन्स की जरूरत नहीं थी, जहां रेगुलेटरी मेटर थे, अध्यादेश निकाले । इस सरकार ने केवल ऐसे मेटर थे जिनमें टैक्सेज की रेट में कमी या बढ़ोतरी करनी थी उसके लिये अध्यादेश निकाले । यह सरकार आगे और कितनी बढ़ी, यह न केवल अपने मंत्रि-मंडल तक ही अधिकार को सीमित न रखा वलिक मंत्रि-मंडल के नीचे जो अधिकारीगण किसी काम को अवैध तरीके से कर गये तो उनको भी रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिला कर उसमें भी अध्यादेश का सहारा लेने का तरीका हमारी सरकार ने निकाला है और अब इस अध्यादेश के जरिये सरकार इस प्रकार की कानून में विशेष तब्दिलियो को भी जो बहुत अर्से से कानून में चली आ रही हैं और जो तब्दिलियाँ बहुत कन्ट्रोवर्सियल हैं उनको भी यह सरकार इस तरह से करती रही तो मैं बहुत अदब से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इन अध्यादेशों के जरिये जो प्रपोजिशन स्थापित करना चाहती है, कि इस सदन से और जो धारा २१३ के तहत राज्यपाल महोदय को पॉवर्स हैं वे सुप्रीम हैं और इस सदन की इच्छा का खयाल न रखते हुए वे धारा २१३ का उपयोग करके इस सुप्रीम पॉवर को एस्टेबलिश करना चाहते हैं तो मैं यह कहूंगा कि यह बहुत गलत प्रिन्सीपल है जिसको कभी सदन स्वीकार नहीं कर सकता । मैं सरकार को वार्न कर देना चाहता हूं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट और किंग के बीच में ब्रिटेन में झगड़ा चला । वहां पर किंग ने हाउस ऑफ कोमन्स में अपने पॉवर ऑफ प्रिविलेज को एस्टेब्लिश करने की कोशिश की । इतिहास इस बात का साक्षी है । वहां की जनता ने इसका जवाब दिया और इस मामले पर बहुत बड़ा संघर्ष हुआ और यह संघर्ष यहां तक बढ़ा कि वहां के किंग को वहां की जनता ने फांसी लगा दी । मैं राजस्थान की सरकार को कह देना चाहता हूं कि इस सदन के बीच में और कान्स्टीट्यूशन में दी गई धारा २१३ के बीच में गवर्नर और सदन में कौन सुप्रीम है, इस कन्ट्रोवर्सी को पैदा करके गलत परम्परा को मनवाने का प्रिन्सीपल और प्रेक्टिस लाने की कोशिश न करे और इस हाउस को मजबूर नहीं करें कि वे सुप्रीमेसी से इन्कार करें और इस बात को मंजूर करावें । चाहे एमर्जेन्सी हो या न हो, चाहे कोई लेजिस्लेशन हो या नही, चूंकि धारा २१३ में प्रोविजन है इसको चैलेन्ज नहीं किया जा सकता और चूंकि आप मेजोरिटी में हैं और आपका मंत्रि-मंडल है और आपकी पार्टी पॉवर में है और इस मेजोरिटी की जिद्द पर इस तरह के सिद्धान्त को एस्टेब्लिश करावेंगे तो वह मैं यह कहूंगा कि आपके लिये भी खतरनाक होगा । आज केबिनेट ने गलत

Page No.122

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

काम किया उसके लिये, तो कल कलेक्टर ने गलत काम किया उसके लिये और उसके बाद स्थिति यहां तक पहुंच जावेगी कि पटवारियों ने भी अगर गलत काम किया हो तो रीमूवल ऑफ डिफिकल्टीज एक्ट या वेलिडेटिंग एक्ट के द्वारा ठीक कराया जाने क परम्परा डाल देते हैं तो वह परम्परा ठीक नहीं होगी और इसका नतीजा यह होगा कि आप अपनी सारी शक्ति आखिर में एक पटवारी के हाथ में दे देंगे जो यह जानते हुए कि यह उसको नहीं करना है फिर भी वह उस काम को कर देगा और आप इस प्रकार के ऑर्डिनेन्स के जरिये उसको....

(समय-समाप्ति सूचक घण्टी)

वेलिड करा देंगे और सदन से मंजूरी प्राप्त करेंगे। तो आप देखिये कि किस दिशा में आप जा रहे हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

दूसरी बात मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि इस बिल के जरिये जो तीन धाराओं में संशोधन करने की सरकार ने अनुमति मांगी है विधान सभा से, उसके आखिर में २३५ धारा है। उसमें आपने एग्जिक्यूटिव के हाथ में पॉवर्स मागे हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान रेवेन्यू लॉज कमीशन मुकर्रर किया हुआ है। जिसकी रिपोर्ट अभी विचाराधीन है। धारा २३५ में कोई किसान पहले बिना रेवेन्यू बोर्ड की आज्ञा के भू-संपदा को बेच नही सकता था उस पॉवर को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को न देकर एग्जिक्यूटिव के हाथ में ज्यादा पॉवर्स मांगे है। मैं समझता हूं कि यह जो आपने रखा है वह राजस्थान रेवेन्यू लॉज कमीशन की जो रिपोर्ट है उसके विपरीत है। राजस्थान रेवेन्यू लॉज कमीशन ने अपनी रिपोर्ट के पैरा २२ में साफ तौर से यह कहा है कि हम नहीं चाहते कि किसी टीनेन्ट को नोन पेमेन्ट ऑफ रेन्ट के कारण हटाया जाए। उसको इजेक्टमेंट किया जाए। इसको वसूल करने के और भी तरीके हैं और उसको बगैर इजेक्टमेंट किये भी जो एरियर्स है उसको सरकार वसूल कर सकती है। इसलिये मैं यह कहूंगा कि जब राजस्थान रेवेन्यू लॉज-कमीशन इजेक्टमेंट तक की बात को पसन्द नहीं करता तो यह सरकार टीनेन्ट को बेदखल करने और उनके होल्डिंग्ज को बेचने की बात सोचे और जो बेचने के लिये प्रतिबन्ध अभी है, उसको हटाने के लिये बात सोचे तो यह गलत दिशा होगी। अभी राजस्थान सरकार ने रेवेन्यू लाज़ कमीशन की रिपोर्ट पर कोई निर्णय नही लिया है। जब तक सरकार इस सम्बन्ध में कोई निर्णय न ले ले तब तक इस दिशा में कोई कदम सरकार को नहीं उठाना चाहिये--जिस दिशा में रेवेन्यू लाज कमीशन ने अपनी एक डिफनेट ओपीनियन सरकार के सामने रखी है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि धारा २३५ में सेल पर जो रेवेन्यू बोर्ड से संक्शन लेने की आवश्यकता है वह हटाई जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि जरूरत इस बात की थी कि धारा २३५ हटा दी जावे। सेल करने के

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

अधिकार को हटा दिया जावे और इसमें कोरस्पोन्डिंग सैक्शन है उसको हटा दिया जावे । मैं यह नहीं चाहता कि सरकार पॉवरलेस हो जावे । मैं यह नहीं चाहता कि सरकार के एरियर्स वसूल न हों और सरकार उनको वसूल नहीं कर सके । लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि सदन इस बात पर विचार करे कि जो सरकार के पास पावर्स हैं, उससे लैंड का अटेचमेंट कर सकती है, जब तक कि उसके मेन प्रोफिट से, उसकी लैंड के प्रोड्यूस से एरियर्स वसूल नहीं हो जाय तब तक अटेच रख सकती है ।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

इस क्लॉज से सरकार अटेचमेंट कर सकती है और अपने एरियर्स को उसकी प्राड्यूस से वसूल कर सकती है तो क्या जरूरत है कि इजेक्टमेंट के अधिकार सरकार ले रही है ? यदि सरकार जेन्यूइन लैंड रिफार्म्स में विश्वास करती है तो उसे मानना पड़ेगा कि जमीन टिनेन्ट की जिंदगी से जुड़ी हुई है उसको उसकी जमीन से अलग नहीं किया जा सकता । आप उसका मकान नीलाम कर सकते हैं, उसकी और प्रोपर्टी को नीलाम कर दें पर जो उसको जिंदा रखने वाली चीज है, जो नेशनल वैल्थ को पैदा करने वाली है, उसको उससे अलग करने की कोशिश करें चाहे सेल के जरिये, चाहे इजेक्टमेंट के जरिये तो यह आपकी दकियानूसी पॉलिसी होगी ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह मोशन मूव करता हूं कि इसको जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री चन्द्रसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री दुर्गालाल बाढ़दार ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट में संशोधन लाया गया है और वह भी लाया गया है ऑर्डिनेन्स के द्वारा, जो संशोधन इस कानून के प्रावधानों में लाया गया है उस संशोधन के अन्दर केवल दो महत्वपूर्ण बातें हमारे सामने आती हैं, जिन्हें कि राज्य सरकार महत्वपूर्ण समझती है, आम जनता की दृष्टि में, कानून के विशेषज्ञों की दृष्टि में, कानून के पंडितों की दृष्टि में वे महत्वपूर्ण बातें नहीं हो सकतीं । लेकिन फिर भी राज्य सरकार ने उसे महत्वपूर्ण समझा और ऑर्डिनेन्स के द्वारा तरमीम की । यह तरमीम की कि अगर सिंगल जज ने रेवेन्यू बोर्ड में फैसला दे दिया है तो जब तक फैसला देने वाला जज यह स्वीकृति नहीं दे दे कि मेरे फैसले की अपील कर सकते हो तब तक कोई भी अपील नहीं कर सकेगा । बड़ा अजीब सोचने का तरीका है आपका ! आप इंसाफ की मांग उसी हाकिम के द्वारा करवाना चाहते हैं जिसने एक बार अपनी जैसी भी बुद्धि है, उस बुद्धि के अनुसार निर्णय दे दिया । आप उससे यह आशा करते हैं कि निर्णय तो दे दिया है पर मैं संदेह करता हूं अपने निर्णय पर इसलिये आप किसी दूसरे हाकिम के पास जाइये और अपील कीजिये, वे फैसला कर सकते हैं । वह इन्साफ कर सकता है या नहीं

Page No.124

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

कर सकता है यह अलग बात है पर यह आपके इन्साफ का तरीका है जिसको आपने जरूरी समझा कि इसको आर्डिनेन्स के द्वारा तरमीम किया जाना चाहिये । और इसके लिये कारण यह बताया कि रेवेन्यू बोर्ड में इतनी अपीलें हो गई हैं कि रेवेन्यू बोर्ड का काम ठप्प हो गया है । यह स्पेशल अपील का प्रोविजन है वह रेवेन्यू बोर्ड के सारे समय को खा जाता है ।

मन्त्री महोदय, आप दौरे करने गये हैं, आपने अपीलें भी देखीं, उस निरीक्षण के आधार पर आप बता सकते हैं कि कितनी अपीलें इस आधार पर रेवेन्यू बोर्ड में पैंडिग थी जिनके कारण कहा जा सकता है कि रेवेन्यू बोर्ड का काम ठप्प हो गया । फिर आर्डिनेन्स जारी करने की क्या आवश्यकता पड़ी ? आप जानते हैं कि कितने मेम्बर रेवेन्यू बोर्ड में अपोइन्ट कर रखे हैं, कितनी डिविजन बैंचेज रोज बनती हैं, कितने केसेज वहां रोज जाते हैं, कितनी अपीलों का डिस्पोजल होता है, कितना समय एक अपील के डिस्पोजल में लगता है । फिर जजमेंट्स के मेरिट्स को देखिये कि किस प्रकार के जजमेंट निकलते हैं जिन व्यक्तियों को इन आसनों पर निर्णय देने के लिये आपने बैठाया है वे किस तरह के हैं यह किसी से छुपा हुआ नहीं है । आपने नजीर दी है कि हाई-कोर्ट की सिंगल बैंच के खिलाफ अपील करनी होती है तो अपील करने के लिये उसी की आज्ञा लेनी पड़ती है । हाई कोर्ट के आसन पर वही बैठ सकता है जिसने ७ साल ८ साल तक वकालत हाई कोर्ट से की हो, या डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेशन्स जज रह कर उलझे हुए मुकदमों को सुलझाता रहा हो, जिसको जुडिशियरी का एक्सपीरियेन्स हो, जिससे कि कानून की बाल की खाल निकाल सकता हो । पर रेवेन्यू बोर्ड में आप जिन मेम्बर्स का अपॉइन्टमेंट करते हैं वे किस तरह के हैं, आपने रेवेन्यू बोर्ड को राजस्थान का ट्रेनिंग बोर्ड बना रखा है ।

सेक्रेटेरियेट मे आप किसी से नाराज हो गये, या राजी हो गये, या नाराज थे उससे राजी हो गये तो उसको आप रेवेन्यू बोर्ड की कुर्सी पर बैठा देते हैं दो महीनों के लिये, चार महीनों के लिये, ६ महीनों के लिये और उसके बाद वहां बैठने वाला व्यक्ति भी सोचता है कि सेक्रेटेरियेट में रात दिन फाइलों से, कागजों से उलझे रहना पड़ता था अब अच्छा रिलीफ का टाइम मिला है, मर्जी आये जैसा फैसला करो । रेवेन्यू बोर्ड, राजस्व मंडल जो राजस्थान के मसलों का निर्णय करने के लिये एक प्रकार से सारे राजस्थान का भाग्य विधाता माना जा सकता है, जिसके फैसलों की इतनी प्रधान मान्यता है कि इसके खिलाफ कोई अपील का प्रोविजन नहीं है । बड़ी आसानी से मंत्री महोदय ने जवाब दे दिया कि ९० प्रतिशत रेवेन्यू बोर्ड की अपीलों को हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, १० प्रतिशत को एक्सेप्ट किया । मन्त्री महोदय, आप खुद कानून के पंडित है । संविधान की आर्टीकल २२६ के तहत हाई कोर्ट का एक्स्ट्रा आर्डिनरी जूरिस्डिक्शन करने का अधिकार है, किस हालत में इन्टरफीयर करना चाहिये यह आपको पता है । तहसीलदार के निर्णय पर सैकिण्ड अपील का रिविजन का प्रोविजन रखा, तहसीलदार किस प्रकार निर्णय देते हैं, असिस्टेन्ट कलेक्टर किस प्रकार निर्णय देता हैं, रेवेन्यू अपीलेंट ऑथेरिटी बदल कर रखी

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

वहां किस तरह निर्णय होते हैं, रेवेन्यू बोर्ड में किस प्रकार के निर्णय होते हैं, यह सब आप जानते है पर इलाज करने की चेष्टा नहीं करते, तब आघात पहुंचता है। यदि डिप्टी मिनिस्टर रेवेन्यू के पद पर कोई ऐसा व्यक्ति बैठ जाता जिसको कि कानून का ज्ञान नहीं तो मैं मानता कि मूर्ख आदमी बैठा है पर दुर्भाग्य इस बात का है कि स्वयं डिप्टी मिनिस्टर रेवेन्यू वकील रह चुके हैं और रेवेन्यू के मसलों को समझते है, यह समझते हुए भी उनके कान पर जूं तक नही रेंगती कि रेवेन्यू बोर्ड का सुधार करें।

मैं रेवेन्यू बोर्ड की नजीर देता हूं जो पहले दो मेम्बर बैठा करते थे, उनमें से एक मेम्बर यहां सदन के उस ओर बैठे हैं, उनके केसेज के डिस्पोजल को हम आज भी देखते हैं जब वह हमारे सामने आता हैं। उन्होंने एक एक दिन में दस दस, पन्द्रह २ केसेज के फैसले दिये हैं और पन्द्रह २ बीस २ पेजेज के जजमेंट आपको देखने को मिलेंगे। आज के आपके निर्णयों को देख लीजिये कितने फैसले रोज होते हैं। दो बैंच, तीन बैंच आसानी से रेवेन्यू बोर्ड की बन सकती हैं लेकिन एक बैंच, वहां बैठेगी। दो-तीन केसेज का डिस्पोजल मुश्किल से होगा। कारण यह बताया जाता है कि वर्क ऑफ दी वर्क रेवेन्यू बोर्ड में बढ़ गया है इसलिये यह जरूरी हो गया कि ऑर्डिनेन्स पास कर दें और जनता को जो इन्साफ मिल सकता है उससे भी जनता को महरूम रख दें। यह ऐसा महत्व पूर्ण प्रश्न है जिस पर आपको सोचना पड़ेगा।

दूसरी बात आप यह जानते हैं कि रेवेन्यू लॉज कमीशन का अपॉइन्टमेंट इसी राजस्थान सरकार ने किया....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

माननीय उपाध्यक्ष, It is second point. I am expected to speak on this point.

श्री उपाध्यक्ष : But How long. ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : दो पोइन्ट्स हैं। Because it is my favourite subject and I wish to emphasise on this point.

जहां तक रेवेन्यू लॉज कमीशन का सवाल है एक नहीं अनेकों कमीशन इस प्रकार से जांच करने के लिए राज्य सरकार की ओर से बिठाये जाते हैं। मंत्री महोदय जानते हैं कि जब कमीशन नियुक्त किया जाता है तो साधारण बात नहीं होती। उसमें बहुत से आदमी विचार-विमर्श के लिए बिठाते हैं। राज्य सरकार को भी उसमें व्यय करना पड़ता है, लाखों रुपये खर्च होते हैं। इन कानूनों का प्रभाव सारे राजस्थान में फैल रहा है उसके लिए आपका धन लगता है और अपनी एक रिपोर्ट सदन के सामने प्रस्तुत भी करते हैं। जब ये सारी बातें आपके सामने हैं। तो फिर कोनसा आसमान फटता था कि आपने इतना जल्दी यह आर्डिनेन्स बनाया, यह शोभनीय बात नहीं है। आप प्रजातन्त्र का दमन करना चाहते हैं। जब हम आपकी कार्य प्रणाली देखते हैं तो हमारी आस्था आपके प्रति टूटती जा रही है। मजबूर

(श्री दुर्गालाल वाढ़दार)

होकर आपके प्रतिकूल ये शब्द इस्तेमाल करने पड़ते हैं। जहां तक इन्साफ की मांग का सवाल है उसमें क्या आशा की जायगी। उस स्वस्थ मांग के प्रति भी आप आघात पहुंचाना चाहते हैं, जनता का गला घोंटते हैं। जैसे आपने ऑर्डिनेन्स जारी किया है यह किसी भी प्रकार से मान्यता प्राप्त नहीं हो सकता, आपको विचार करना चाहिए। वह समय दूर नहीं बहुत जल्दी ही रिपोर्ट आने वाली है। मैं मानता हूं कठिनाइयां आपके सामने आ सकती हैं। यह भी हो सकता है कि राजस्थान के बहुत से राज्यों के लेकर जिसमें विभिन्न प्रकार के राजस्व के कानून थे, उन सबको लेकर राजस्थान का संगठन हुआ। उन सबका एकीकरण, समन्वय लाने में बहुत सी दिक्कतें आईं। कई तरमीमें की गईं। मैं पूछना चाहता हूं कि जब राजस्थान रेवेन्यू लॉज कमीशन की रिपोर्ट आने वाली है तो ऐसी कौनसी आपत्ति आ गई थी कि आपको ऑर्डिनेन्स की बात लानी पड़ी। मैं जवाब चाहूंगा कि लैंड रेवेन्यू एक्ट फोर्स में आने के बाद आज तक कुल कितनी स्पेशल अपीलें वहां दायर की गईं। जितनी स्पेशल अपीलें दायर की गईं उनमें से फैसला कितनी अपीलों का कर दिया गया। उनका फैसला करने में रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर साहबान का कितना घण्टे का समय खर्च हुआ।

दूसरा रीजन, जो आपने दिया वह बड़ा सुन्दर है। मैंने बताया कि डेली वर्क किस प्रकार से रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर्स करते हैं, यह आप भी भलि-भांति जानते हैं लेकिन क्योंकि उनके ऊपर क्वालीफिकेशन्स का सर्टीफिकेट राजस्थान के मंत्रिमंडल का लगा हुआ है, राजस्थान के किसी मंत्री महोदय ने प्रमाण पत्र दिया है, इसलिए उन्हें अयोग्य कहने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता हर आदमी काबिल है लेकिन जिस प्रकार से जिस काम को लेने के लिए एक आदमी को बिठाते हैं वह तरीका आपका सही नहीं है। पहले उनको जुडिशियरी का एक्सपीरियेंस कराया जाय। कानूनों के प्रावधानों को समझने के लिए थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है। कानून लोहे के चने के बराबर हैं, उनको चबाना पड़ेगा। हुकूमत करने वाले व्यक्तियों को जब आप वहां बिठाते हैं तो कानून का इन्टरप्रिटेशन सही नहीं दिया जायगा, उनकी आदत है हुक्म पास करने की। मैं छोटी सी बात बताता हूं कि जिसका जुडिशियल माइंड नहीं है अगर वह निर्णय करने में कोई ऐसी गलत बात करता है तो वकील उसे कह सकता है कि you have no jurisdiction to entertain this particular point. लेकिन आज हुकूमत करने के लिए हाकिम जाता है। कोई शब्द प्रतिकूल सुनने की आदत नहीं रखता है। वह कहता है कि तुम मेरे ऑर्डर को चैलेंज करते हो, जाओ, मैं तो यह निर्णय करता हूं, जो कुछ कहना हो या करना हो करते रहना। अब बेचारा वह कहां जायगा। हाकिम का मिजाज तेज और केवल इसी बात पर मनमाना निर्णय दिया इन्साफ कहां मिला....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इस प्रकार आपका जो दूसरा मसला है वह ट्रेस्पासर्स का है। वह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार को इसलिए आर्डिनेन्स बनाना पड़ा कि

(श्री दुर्गालाल वाढ़दार)

गया: लाखों बीघा जमीन इन लोगों के पास दबी हुई थी, ऐसी भयंकर स्थिति उत्पन्न हो गई और ऐसे भयंकर वातावरण को देख कर राज्य सरकार को मजबूर होकर यह ऑर्डिनेन्स बनाना पड़ा । लेकिन आंकडे उठाकर देखिए कि कितने आदमियों ने ट्रेसपास किया ? कितने आदमियों ने ट्रेसपास करने के बाद १५ गुना मुआवजा लेकर कितने आदमियों ने आवेदन-पत्र प्रस्तुत किए जिसके आधार पर फसल उनको वापस लौटाई गई ? आप देखिए जितने भी ट्रेसपास के केसेज़ होंगे मंत्री महोदय, के शह के होंगे। इस प्रकार राजस्व विभाग के अन्दर केसेज़ का एक्युम्युलेशन हो गया । तो राजस्थान सरकार यह नहीं सोच सकती कि हमको इन केसेज़ का न्यायपूर्वक निर्णय करना है। बिल्कुल मजबूरी उनके सामने आई, उनका गला घोंटा गया और सारे ट्रेसपास मैटर्स को रेग्युलराइज़ करने के लिए ऑर्डिनेन्स के अलावा नोटीफिकेशन्स जारी करने पडे, ऑर्डर्स जारी करने पडे । ट्रेसपास किसने कराया, कौन जिम्मेदार है....

(समय-सामप्ति-सूचक घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : Extended period is coming to an end.

श्री दुर्गालाल वाढ़दार : Only ten miniutes.

श्री उपाध्यक्ष : It cannot be.

श्री दुर्गालाल वाढ़दार : I want some more time.

श्री उपाध्यक्ष : Your speech shall be deemed to have been finished after the time.

श्री दुर्गालाल वाढ़दार : My respectful submission is that the time may be extended for five minutes more.

श्री उपाध्यक्ष : All right five minutes.

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : अब तो समय हो गया ।

श्री उपाध्यक्ष : Two minute more.

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : आप कल के लिए रख दें ।

श्री नाथूराम मिर्धा : आज नहीं, दो बज गए ।

श्री उपाध्यक्ष : समय समाप्त हुआ । सदन की कार्यवाही कल प्रातः ८ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

श्री दुर्गालाल वाढ़दार : I shall continue.

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म० पू० २ बजे दिनांक ६ मार्च, ६४ के म० पू० ८ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

संक्षिप्त-विवरण

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक

(गुरुवार दिनांक ५ मार्च, १९६४)

स्तम्भ

कृषि फार्म के लिए प्रदत्त रकम की वसूली—ग्राम नमाना । १

रिड़मलसर मंडी ।

भू-दान बोर्ड द्वारा काश्त के लिए दी गई भूमि ।

लेडी हैल्थ विजिटर्स-एम्प्लोईज स्टेट इन्श्योरेन्स स्कीम ।

अण्डर ग्राउन्ड जल बोर्ड द्वारा बोरिंग-ग्राम डबाल ।

बांध का सर्वे—ग्राम सिमर ।

गिरदावरी स्लिप्स, फार्म्स तथा रजिस्टर्स ।

बस्सी डिस्पेन्सरी की इमारत ।

खरताणा तालाब योजना-तहसील मावली ।

डिस्पेन्सरी भवन, सिकराय ।

वाटर सैस-तहसील चेचट ।

सैकेन्डरी हैल्थ सैन्टर ।

भीम सागर बांध में आई भूमि का मुआवजा ।

नल योजना—कस्बा कामां व

स्तम्भ

पहाड़ी ।

झलमली बन्ध--तहसील दौसा ।

चौधरियों से लगान ।

पोस्ट-मॉर्टम की रिपोर्ट ।

हिन्डौन के टूटे तालाब ।

सवाई माधोपुर स्थित जयपुर उद्योग लिमिटेड को दी गई भूमि ।

पानी के बिलों की भाषा ।

बाढ़ रोकने हेतु योजना—वाली क्षेत्र ।

फसल का नुकसान—जिला बांसबाड़ा ।

मोबाइल सर्जीकल केम्प्स ।

प्लाट्स की खरीद-हथरोई फोर्ट एरिया में ।

थाना खेडली गंज में रजिस्टर किए गये केसेज ।

जालोर नगरपालिका अध्यक्ष के विरुद्ध शिकायत ।

सिपाही की हाजिरी-थाना डीग ।

Page No.129

स्कम्भ

नगर निगम, जयपुर ।

कैदियों का चरित्र सुधार ।

पीने के पानी की व्यवस्था झुंझुनू ।

कृषि सहकारी समितियां—जिला झुंझुनू ।

म्यूनिसिपल बोर्ड दौसा के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच ।

२- अतारांकित प्रश्नों के शीर्षक । ६०

अजान व खनुआ बांध से सिंचाई ।

नहरों में कनवर्ट की गई भूमि का मुआवजा ।

तावान वसूली ।

लैन्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा ६१ के तहत मुकदमे--जिला टोंक ।

किसानों से मुतालबा—तहसील कामां ।

भरतपुर जिले की अदालतों में जमीन संबंधी मामले ।

सहरिया परिवार को दी गई भूमि-बस्ती परानिया ।

पक्की गंगनहर क्षेत्र का रकबा ।

पंचायत समितियों में कृषि फार्म ।

चीनी का कोटा-पंचायत समिति दूदू ।

स्कम्भ

खान मालिकों पर बकाया-जिला भीलवाडा ।

प्राईमरी हैल्थ सेन्टर, खानपुर ।

अनुसूचित जाति के लोगों के मकानों के पट्टे—बीकानेर ।

जोधपुर व बीकानेर सेनीटेशन प्लान ।

नई बस्ती, उदयपुर ।

मुन्दर्जा रेकार्ड शुदा भूमि का अलॉट-मेन्ट-असावरा ।

जागीरदारों द्वारा रिजम्पशन वर्ष में लगान की वसूली-सोजत सब-डिविजन ।

होम गार्ड्स ट्रेनिंग व राईफल ट्रेनिंग सेन्टर्स ।

मोटर एक्सीडेन्ट्स से हत्याएं ।

भारत सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तारियां ।

डकैती की घटनाएं-धौलपुर सब डिविजन में ।

नकबजनी की घटनाएं-जिला भरतपुर ।

३. स्थगन प्रस्ताव ८४

(१) प्रकाश हैण्डलूम फेक्ट्री अजमेर के मजदूरों द्वारा भूख हड़ताल

किये जाने से संबंधित, श्री रामानन्द अग्रवाल के स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी गई।

श्री भीखा भाई, श्रम मंत्री, ने उपरोक्त विषय में स्थिति को स्पष्ट करने हेतु एक वक्तव्य दिया।

(२) पाकिस्तान की ओर से राजस्थान की सीमा पर लूट-खसोट, चोरी आदि के कारण उत्पन्न स्थिति से संबंधित श्री कृष्ण कुमार गोयल के स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नही दी गई।

गृह मंत्री स्थिति के स्पष्टीकरण हेतु एक वक्तव्य देंगे।

(३) जिला टोंक में खरीफ एवं रबी की फसलें कम तथा देर से वर्षा होने के कारण खराब हो जाने से संबंधित श्री जयनारायण सालोदिया के स्थगन प्रस्ताव को भी सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी गई।

४. सदन की मेज पर रखे गये पत्र ९९

श्री रामप्रसाद लड्ढा, उप-राजस्व मंत्री, ने निम्नांकित नियम सदन की मेज पर रखे:—

(क) राजस्थान टेनेन्सी (भूमि का अधिकतम-क्षेत्र निर्धारण)(सरकारी) नियम, १९६३।

The Rajasthan Tenancy Fixation of Ceiling on land (Government Rules, 1963]

(ख) अजमेर शामलात कमेटियां (विघटन) नियम, १९६४।

[The Ajmer shamlat Committees (Dissolution) Rules, 1964]

(ग) राजस्व 'बी' विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. ६ (८०) रेवेन्यू (बी.) जी. आर. १।६३ दिनांक २७ नवम्बर, १९६३ जिसके द्वारा राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (लैण्ड रेकार्ड) नियम, १९५७ में संशोधन किये गये हैं।

५. अनुपूरक अनुदानों की मांगों के विवरण का उपस्थापन। १००

श्री बालकृष्ण कौल, वित्त मंत्री, ने अनुपूरक अनुदानों की मांगों, १९६३-६४ (द्वितीय संग्रह) के विवरण को सदन की मेज पर रखा।

६. विधायी कार्य

(१) जोधपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६४। १०१

[The Jodhpur University (Amendment) Bill, 1964]

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने निम्नांकित परिनियत(Statutory) संकल्प प्रस्तुत किया :—

"यह सदन राज्यपाल महोदय द्वारा प्रख्यापित जोधपुर विश्व-विद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, १९६३ (सं० ३) को अस्वीकृत करता हैं।"

श्री निरंजन नाथ आचार्य, उप-शिक्षा मंत्री, ने विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

सर्व श्री दुर्गालाल बाढ़दार, सम्पतिलाल बोहरा, केदारनाथ, रघुनाथ विश्नोई, गिरधारीलाल व्यास, फूलचन्द जैन, ज्वालाप्रसाद, रामकिशन एवं श्री मानिकचन्द सुराना ने विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने के संशोधन-प्रस्ताव रखे।

उप-शिक्षा मंत्री के उत्तर के पश्चात् संकल्प अस्वीकार किया गया तथा संशोधन-प्रस्ताव या तो अस्वीकार किये गये या वापस ले लिये गये।

विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया एवं तत्पश्चात् विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया।

(२) राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (संशोधन) विधेयक, १९६४ २२१

The Rajasthan Land Revenue (Amendment) Bill, 1964

श्री कृष्णकुमार गोयल ने निम्नांकित परिनियता संकल्प प्रस्तुत किया :—

"यह सदन राज्यपाल महोदय द्वारा प्रख्यापित राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) अध्यादेश, १९६४ (सं० १ सन् १९६४) को अस्वीकृत करता है।"

श्री रामप्रसाद लड्ढा, प्रभारी मंत्री ने विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

श्री मथुरेश बिहारी माथुर एवं श्री रामानन्द अग्रवाल ने विधेयक को जनमत जानने हेतु प्रसारित करने के संशोधन-प्रस्ताव रखे।

शुक्रवार, दिनांक ६ मार्च, १९६४ को कार्य-सूची

राजस्थान लैण्ड (रेवेन्यूसंशोधन) विधेयक, १९६४ (खण्डशः विचार-विमर्श एवं पारित)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १८७ का उत्तर देखिए)

नमाता फर्म (श्री सोभागचन्द तापड़िया)

डिपार्टमेन्ट की:-

क्र० सं०	सन्	गेहूं	जमा		बकाया		रकम
१	५६–५७	१६० मन	१६० मन		—		—
२	५७–५८	४०० मन	४०० मन		—		—
३	५८–५९	६५ मन ४४५–१२–८ मय बाढ़ी	—		४४५–१२–८	रु०	६२६२. ५० न०पै०
४	५९–६०	२१० मन	२०० मन	१० मन	११–३५–०	,,	२१५.०० ,,
५	५९–६०	७ मन २० सेर (चना)	—		६–२०–०	,,	१६१.२५ ,,
६	६०–६१	२० (केस्टर)	—		२०–०–०	,,	३५२.२८ ,,
							रु० १०००१.०३

		खाद		रकम			
७	५६--५७	४ टन ०--०--०	दर ३४५	१३८०.००	७००.००	रु०	६८०.००
८	५७--५८	४ टन १०--०--०	दर ३८०	१७१०.००	—	,,	१७१०.००
९	५७--५८	१४ टन ०--०--०	दर ३८०	५३२०.००	—	,,	५३२०.००
१०	५७--५८	२१ टन ८--०--०	दर २८०	६२०६.००	—	,,	६२०६.००
११	५८--५९	२२ टन ०--०--०	दर ३८०	८३६०.००	—	,,	८३६०.००
१२	५८--५९	३० टन ०--०--०	दर २९०	८७००,००		,,	८७००.०
							३०,८७६.००
						योग	४७,८७७.०३
					वसुलिया हुई		—२००००,००
						शुद्ध योग	२७,८७७.३
	पंचायत समिति						
१३	६०--६१	१० टन ०--०--०	दर ३६०	३६००. ०	—	रु०	३६००.००
१४	६१--६२	२५ टन ०--०--०	दर २९०	७२५०.००	—	,,	७२५०.००
१५	६१--६२	५ टन ०--०--०	दर ७४०	३७००.००	—	,,	३७००.००
							१४५५०.००

परिशिष्ट २

(समयाभाव के कारण प्रश्न काल में न लिए जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

हिन्डौन के टूटे तालाब

२०७. श्री श्रवणलाल, (हिन्डौन) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सच है कि निजामत हिन्डौन के बहुत छोटे छोटे बांध कई सालों से टूटे पड़े हुए हैं?

(२) क्या यह भी सच है कि इन बांधों के टूटने से जनता को काफी नुकसान हुआ है?

(३) क्या यह भी सही है कि उन बांधों के टूटने से जानवरों को पीने तक का पानी भी नही मिल पाता है?

(४) क्या यह भी सच है कि इन बांधों के टूटने से पैदावार भी नही के बराबर होती है?

(५) यदि हां, तो सरकार इन छोटे छोटे बांधों के बारे में क्या विचार रखती है और इन्हें कब तक बनवा रही है?

उत्तर

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

सवाई माधोपुर स्थित जयपुर उद्योग लिमिटेड को दी गई भूमि

२०८. श्री रामानन्द अग्रवाल, (अलवर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर में सीमेन्ट फैक्टरी और हवाई अड्डे के बीच, लालसोट जाने वाली सड़क के पूर्व का मैदान जयपुर उद्योग लिमिटेड को दे दिया गया है? यदि हां तो किस कीमत पर और किन किन शर्तों के साथ? कृपया शर्तनामा सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) क्या यह सही है कि यही जमीन शेरपुर की पंचायत ने भी आबादी बसाने के लिये मांगी थी? यदि हां, तो उन्हें न देने के क्या कारण थे?

(३) क्या यह भी सही है कि इसी जमीन के नजदीक आदर्श नगर में जो जटवाड़ा खुर्द पंचायत में बसाया गया है, जमीन की कीमतें बहुत ऊंची हैं?

उत्तर

(१) यह सही है कि सवाई माधोपुर में सीमेन्ट फैक्ट्री और हवाई अड्डे के बीच लालसोट जाने वाली सड़क के पूर्व का मैदान जयपुर उद्योग लि० सवाई माधोपुर को जिलाधीश सवाई माधोपुर की आज्ञा संख्या. एफ. ६ : एल. ए. : डी. आर. ए. । ६० । ४३८. ४२ दिनांक १-२-६३ द्वारा लीज पर दिया गया है इसके शर्तनामे की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) सरपंच पंचायत शेरपुर ने इस जमीन को आबादी के लिये प्रथमबार जनवरी सन् ६४ में मांगी थी, जबकि जयपुर उद्योग लि० को यह भूमि पूर्व ही में लीज पर दे दी गई थी।

(३) ग्राम पंचायत जटवाड़ा खुर्द द्वारा जो आदर्श नगर में प्लाट दिये जाकर आबादी बसाई गई है उसमें निम्न रेट के अनुसार जमीन दी गई थी।

रु० १-५० न. पै.	फी वर्ग गज	उच्च जाति को
रु० १-२५ न. पै.	,,	शिड्यूल्ड कास्ट को
रु० ०-३५ न. पै.	,,	कच्चे से पक्का मकान तामीर करने हेतु नजराना।

OFFICE OF THE COLLECTOR, SAWAI MADHOPUR.

No. F. 9 (LA) DRA/60/430 Dated the 1st February, 1964

ORDER

In persuance of Govt. in Industries, (A) Depratment, No. F. 4 (26) Ind (A) 61 dated the 19th. January, 1963, sanction is hereby accorded under the provisions of the Rajasthan Industrial Areas Allotment Rules 1959, for the Allotment of 9. 94 acres of land adjacent to the factory boundary of K. 126 and 127 of village Chak Chainpura of Tehsil Sawai-Madhopur which is 79' wide near factory school and 101' wide near village Chak Chainpura to the Jaipur Udyog Ltd , Sawai Madhopur on 99 years lease on the following terms and conditions :—

1. That out of this 9 94 acres of land, 8 4 acres of land which is transferable to the said Co., under clause 8 of the original Lease Deed dated 7. 5. 59 and for which the Company is already paying an annul rent of Rs. 2500/- will be free of

charge. Development charges @ Rs. 100/- per acre and Lease rent Rs. 15/- per acres per annum will, be chargeabe on the remaining 1.54 acres of land.

2. That the lease will be renewed for a further period of 99 years at the option of the lessee.

3. That the revision of rent shall liable to be regulated in view of rules 6 of the rules.

4. That the land given to the company shall not be used for any other purpose exept constructing factory premises and such other residential quarters as are required for thoe engaged in that industry. No construction shall be permitted which may have the object of using it as a Commercial undertaking other than the industry permitted to be established.

5. The lessee shall have the limited ownership on the land leased till the lease subsiats and shall have the right of assignment only for the purpose of taking a loan for the develop-ment of the industry. The lessee shall have no right to sell the land.

7. That the lessee shall execute lease deed to the lesser In form appendix III appended to the said Rules.

Sd/- D. C. Joseph
Collector, Sawai Madhopur.

पानी के बिलों की भाषा

२०६. श्री जयनारायण सालोदिया, (निवाई)—क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार पानी के बिलों की भाषा हिन्दी करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

सरकार पानी के बिलों की भाषा हिन्दी में रखना उचित समझती है परन्तु फिलहाल अंग्रेजी में छपे हुए बिल बहुत तादाद में मौजूद हैं इनके समाप्त होने पर ही हिन्दी में बिल

जारी किये जा सकेंगे। मूलतः सरकार माननीय सदस्य की भावना का आदर करती है।

बाढ़ रोकने हेतु योजना-बाली क्षेत्र

२१०. श्री मोहनराज, (बाली) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि बाली निर्वाचन क्षेत्र के ग्राम जीवन्द कलां (तहसील देसूरी) व ग्राम सेवतलाव (तहसील बाली) में नदी में बाढ़ आने से आबादी की भूमि का काफी बडा भाग बह कर चला गया है और भविष्य में भी जान व माल के भारी नुकसान का खतरा बना हुआ है ?

(२) क्या सरकार इन नदियों में आने वाली बाढ़ को रोकने व प्रति वर्ष हजारों-लाखों रुपयों के नुकसान को रोकने हेतु कोई योजना बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक प्रारम्भ हो जायगा ?

उत्तर

(१) जी नहीं इस विभाग को ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

(२) स्थिति की जांच करने के बाद ही इस विषय में कुछ कहा जा सकता है।

फसल का नुकसान-जिला बांसवाड़ा

२११. श्री विट्ठल भाई, (बांसवाड़ा) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा में पानी की कमी होने से चौमासू फसल में नुकसान हुआ है ?

(२) यदि हां, तो ऐसे कितने गांव हैं जिनकी फसल नष्ट हो गई है और सरकार ने वहां के लोगों की जीविका के लिये अभी तक क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं की है, तो क्यों ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

मोबाइल सर्जीकल केम्प्स

२१२. श्री अब्दुलजब्बार खां, (निम्बाहेड़ा) : क्या चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार मोबाइल सर्जीकल कैम्प्स को प्रोत्साहन देना चाहती है ?

(२) क्या आज तक का तजुर्बा यह है कि इस प्रकार के सर्जीकल कैम्प्स से गरीबों को काफी राहत मिलती है ?

(३) यदि हां, तो क्या तजुर्बे के आधर पर सरकार यह उचित समझती है कि इस कैम्प के साथ एक्सरे मशीन और टी. बी. स्पेशलिस्ट और अटेच कर दिये जायें ?

(४) क्या सरकार सर्जीकल यूनिट के डाक्टरों व अन्य स्टाफ को स्पेशल वेतन देना भी उचित समझती है ? अगर हां, तो कब से और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) एक्सरे मशीन अटेच्ड हैं। टी. बी. स्पेशलिस्ट की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

(४) जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

प्लाट्स की खरीद--हथरोई फोर्ट एरिया में

२१३. श्री देवीलाल, (सराड़ा) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या हथरोई फोर्ट जयपुर एरिया में प्लाट्स नं० ४६, ४७, ७७, ७८ को किसी सरकारी अधिकारी ने खरीद की है ? अगर हां, तो क्या उक्त अधिकारी ने जमीन खरीदने के सम्बन्ध में सरकार से स्वीकृति ली है ?

उत्तर

इन प्लाट्स का वितरण सरकार द्वारा नहीं किया गया। इस विभाग को इसकी जानकारी नहीं है। इस विभाग से स्वीकृति का प्रश्न ही नहीं उठता।

थाना खेड़ली गंज में रजिस्टर किए गये केसेज

२१४. श्री नत्थीसिंह, (गोविन्दगढ) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) थाना खेड़ली गंज (अलवर) में १९६१-६२ के वर्ष में कितने केस दायर हुए

तथा उन में कितनों का चालान किया गया और कितनों को अदम पैरवी में खत्म किया गया है ?

(२) क्या उक्त वर्ष में इस थाने में कोई कत्ल का केस भी रजिस्टर हुआ है ? अगर हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(१) १-४-६१ से ३१-३-६२ तक थाना खेड़लो जिला अलवर में कुल ५२ मुकदमे दर्ज हुये जिनमें से २७ का चालान किया गया। ६ मुकदमे अदम बकूआ पाये गये एक में तफतीश नहीं की गई और १५ अदम पता रहे। इसी अवधि में जुर्म नाकाबिल दस्तन्दाजी पुलिस के २६ इस्तगासे अदालत में पेश किये गये। अदम पैरवी में कोई मुकदमा खारिज नहीं हुआ।

(२) उक्त अवधि में कोई कत्ल का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ।

जालोर नगरपालिका अध्यक्ष के विरूद्ध शिकायतें

२१५. श्री भगराज चौधरी, (रानीवाड़ा) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह बात सही है कि सरकार ने जालोर नगरपालिका अध्यक्ष के विरुद्ध जालोर के एक नागरिक द्वारा धारा ६३ के अन्तर्गत शिकायत पर तहकीकात कर रिपोर्ट भेजने के आदेश के साथ वह शिकायत कलैक्टर जालोर के पास भेजी ?

(२) क्या यह सही है कि कलैक्टर जालोर ने जब नगरपालिका अध्यक्ष से इस शिकायत का जवाब मांगा और शिकायत से सम्बन्धित रेकार्ड मांगा तो नगरपालिका अध्यक्ष ने कलैक्टर को जवाब देने से व रेकर्ड भेजने से इन्कार करते हुए कलैक्टर को तहकीकात न करने के लिये चुनौती दी ? यदि हां, तो सरकार ने इस बात की जानकारी होते हुए भी, नगरपालिका अध्यक्ष से कलैक्टर से इस प्रकार के व्यवहार के बावजूद भी, अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्यवाही क्यों नहीं की ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) अध्यक्ष को लिखा गया कि चाहा गया रेकार्ड जांच हेतु उपलब्ध करें।

जिलाधीश की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि अध्यक्ष के विरूद्ध न्यायिक जांच की जावे।

सिपाही की हाजिरी--थाना डीग

२१६. श्री रामकिशन, (वैर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या भंवरसिंह नामक किसी सिपाही को थाना डीग में लगाया गया था ? यदि हां, तो कब से कब तक ?

(२) क्या अपनी सर्विस के दौरान वह कभी थाने से बाहर भी कहीं गया ? यदि हां, तो कब कब ? विवरण सदन की मेज पर रखा जाये।

(३) क्या यह सत्य है कि सिपाही की हाजिरी थाने में लगती रही है लेकिन थाने में हाजिर वह कभी भी नहीं रहा ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

नगर निगम, जयपुर

२१७. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि जयपुर "बी श्रेणी" का नगर घोषित होने के कारण यहां पर "नगर निगम" की स्थापना के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ?

(२) यदि हां, तो क्या इस प्रकार की व्यवस्था राज्य के अन्य बडे नगरों में भी लागू की जावेगी।

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

कैदियों का चरित्र सुधार

२१८. श्री भैंरोसिंह, (किशनपोल, जयपुर) क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) सेन्ट्रल जेल, जयपुर तथा ग्रन्य जेलों से कितने कैदियों को राजस्थान केनाल तथा ग्रन्य स्थानों पर खुले हुए रूप में रह कर ग्राजीविका कमाने तथा चरित्र सुधार की ग्रोर जेल से रिलेक्सेशन के माध्यम से कार्य करने के लिए निकाला गया ?

(२) इनमें से कौन-कौन कैदी फरार हो गया ? फरार कैदियों का पूरा विवरण लिखने का कष्ट करें ।

(३) सरकार को इस कार्यवाही में कहां तक सफलता मिली है ?

उत्तर :

१) सेन्ट्रल जेल जयपुर तथा ग्रन्य जेलों से कैदियों को खुले में रहकर ग्राजीवका कमाने तथा जेल सुधार की दृष्टि से निम्न संख्या मे निकाला गया :—

नाम केन्द्र	कुल भेजे गये बन्दियों की संख्या	वर्तमान में बन्दियों की संख्या
१—राजस्थान नहर निर्माण बन्दी शिविर, ग्रनूपगढ़ ।	१४७	६५
२—बन्दियों का खुला कृषि केन्द्र दुर्गापुरा ।	१११	१८
३—श्री सम्पूर्णानन्द बन्दी शिविर, सांगानेर ।	४६	३४
४—कृषि फार्म, मन्डोर (जोधपुर)	११	३

५—कृषि फार्म, तबीजी (अजमेर)	५	३
६—कृषि फार्म बोरखेड़ा (कोटा)	५	—
	३२८	१५३

२) अब तक कुल ५ कैदी फरार हुये हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार है :—

क्र०सं० नाम व वल्दियत	जुर्म	सजा	नाम जेल जहां से भेजा गया	सजा जो भुगतली	सजा जो बाकी हो	कहां से फरार हुआ	तारीख फरारी
१	२	३	४	५	६	७	८
१—भैंरूंसिह पुत्र सोहन सिंह राजपूत, कुशलसिंह की ढानी, थानागाजी (अलवर)	३०४	३ साल	जयपुर	२ साल ८ माह	४ माह	दुर्गापुरा फार्म	२३-१-६०
२—मघसिंह पुत्र शोनार्थसिंह राजपूत, चांपासर, थाना भोजासर (जोधपुर)	३०२	२० साल	जोधपुर	९ साल ११माह	१०साल १ माह	अनुपगढ़	१९-८-६३
३—राजतिया पुत्र दानाभील, बड़गांव थाना रानीवाड़ा ।	२०२	,,	,,	१५ साल	५ साल	,,	३-१०-६३

४—पादाबून सिंह पुत्र जबर सिंह राजपूत, करेरो (जयपुर)	३०२	,,	जयपुर	७ साल ५ माह	१२ साल ६ माह	,,	२०-११-६३
५—नग्गा पुत्र नाथा गिरासिया पीपला जिला पाली, त० बाली	३०२	,,	जोधपुर	११ साल	६ साल	,,	१३-२-६४

३) सरकार को इस परीक्षण में आशातीत सफलता मिली है। बन्दियों को इस प्रकार खुले केन्द्र में रहने की सुविधा मिलने से उनके चरित्र उत्थान के साथ उनमें जुम्मेदारी वहन करने की क्षमता भी पैदा हुई है। बहुत से बन्दियों ने सन् १९५५ से अब तक सैंकड़ों रुपया कमा कर अपने घरवालों को भेजा है। बाहर के समाज में भी इस प्रकार के इनके जीवन को देखकर इनके प्रति दृष्टि कोण में परिवर्तन हुआ है।

Page No.144

पीने के पानी की व्यवस्था झुंझुनू

२१९. श्रीमती सुमित्रा, (झुंझुनू)—क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) झुंझुनू नगर के लिए पीने के पानी की व्यवस्था के लिए जल प्रदाय योजना द्वारा कब तक पानी देने की आशा है ?

(२) क्या सरकार मानती है कि योजना के पूर्ण होने में अनुचित बिलम्ब हुआ है ? यदि हां, तो इस देरी का क्या कारण है ?

(३) क्या पानी का कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं को मीटर दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

१. एक माह के अन्दर पानी देने की आशा है।

२. जी नहीं।

३. यदि मीटर कनेक्शन देते वक्त उपलब्ध हुए तो दे दिये जायेंगे।

कृषि सहकारी समितियां–जिला झुंझुनू

२२०. श्री शिवनारायण छाछिया, (सूरजगढ़) क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) जिला झुंझुनु में कितनी कृषि सहकारी समितियां हैं।

(२) हरिजन कृषि सहकारी समिति, शिमला को कब जमीन एलॉट की गई थी ? क्या यह सही है कि इस समिति को अभी तक जमीन का कब्जा नहीं दिया गया है ?

उत्तर

१. जिला झुंझुनू में ८ कृषि सहकारी समितियां हैं।

२. हरिजन कृषि सहकारी समिति, शिमला को सन् १९५९ में जमीन अलॉट की गई थी। हां, यह सही है कि समिति को अभी तक जमीन का कब्जा नहीं दिया गया है।

म्युनिसिपल बोर्ड दौसा के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच

२२१. श्री मथुरेश बिहारी माथुर, (बांदीकुई) - क्या स्वायत शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या म्युनिसिपल बोर्ड दौसा के सदस्य, श्री छाजूलाल के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच डाईरेक्टर द्वारा हो चुकी है ? यदि हां, तो डाईरेक्टर लोकल बोडीज की रिपोर्ट पर सरकार द्वारा क्या निर्णय हुआ और यदि नहीं हुआ तो उसके क्या कारण है ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त श्री छाजूलाल द्वारा अनियमित रूप से ठेका लेने व जमीन पर जबरन कब्जा करके तामीर करने के आरोप एस. डी. ओ. व कलैक्टर व डाइरेक्टर द्वारा सही माने जाकर सरकार को सदस्यता से पृथक् करने की रिपोर्ट पेश की गई ? यदि हां, तो उक्त सदस्य को निर्णय तक सस्पेन्ड न करने के क्या कारण है ?

उत्तर

(१) जी हां। सहायक निर्देशक द्वारा जांच की गई थी। सदस्य को शो काज नोटिस दिया गया था। उत्तर प्राप्त होने पर सब डिवीजनल ऑफीसर, दौसा को जांच हेतु लिखा गया है।

(२) सरकारी जमीन पर कब्जा करने व तामीर करने के आरोप हैं। एस० डी० ओ० दौसा जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर आगे कार्यवाही की जावेगी।

परिशिष्ट ३

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ६६ का उत्तर देखिये)

Extract Copy of Report of additional District Magistrate, Bharatpur.

16. Thus the allegation that Irrigation of Rajasthan area was made to suffer at the cost of Irrigation in U P. obviously seems as baseless and the only cause of poor Irrigation or no Irrigation in some of the Villages was lesser storage received in Ajan Bund and left in the tank after feeding Chana lake which enuoys its international importance.

17. We therefore find no material to frame a charge even against any official of Irrigation Department.

परिशिष्ट ४

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ७२ का उत्तर देखिए)

........सूची मुकदमात....

सन्	गुजिश्ता मुकदमात	दायर	मीजान	फैसला	बाकी
१	२	३	४	५	६
१६५६	२६१	४६३७	४६२८	४५५२	३७६
१६६०	३७६	२४६५	२८४१	२४२२	४१६
१६६१	४१६	४१०३	४५२२	२०६३	२४२६
१६६२	२४२६	५७६६	८२२५	३८३८	४३८७
१६६३	४३८७	६४८३	१३८७०	७७५०	६१२०

परिशिष्ट ५

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ७८ का उत्तर देखिए)

मान चित्र पंचायत समिति को माह जून से माह दि. सन् ६३ तक चीनी वास्ते वितरण दी गई

क्र०सं०	नाम केन्द्र	जून	जौलाई	अगस्त	सितबर	अक्टूम्बर	नवम्बर	दिसम्बर	कुल योग
१.	काचरोदा	—	—	—	—	२६	२३	—	४९
२.	बोराज	—	—	—	—	१५	२१	—	३६
३.	महला	—	२०	२५	२०	११	१७	—	९३
४.	आशलपुर	—	—	५	११	११	११	—	३८
५.	सातरदा	—	—	१५	२०	२०	११	—	६६
६.	मोजमाबाद	४०	५०	५५	२०	८	१३	५	१९१
७.	सेवा	—	—	—	—	११	११	—	२२
८.	दूदू	—	—	४५	२०	१५	११	५	९६
९.	भाग	—	—	—	—	१०	१८	—	२८
१०.	रहलाना	—	—	—	—	५	११	—	१६
११.	मरवा	—	—	—	—	४	—	—	४
१२.	नरयना	—	—	—	—	२४	२०	—	४४

१३.	नरयना	—	४५	४५	२४	१०	२०	—	१४४
१४.	साली सांखून	—	२०	३५	२०	५	२६	—	१०६
१५.	गांगुरड्ड	—	२५	२५	२०	१४	[illegible]	—	८९
१६	धामाणा	—	—	—	—	—	२०	८	२८
१७.	हरसोली	—	—	—	—	—	५	—	५
१८.	धांधोली	—	—	—	—	—	५	—	५
१९.	हरनोदा	—	—	—	—	—	१०	४	१४
२०.	ढाणी बोराज	—	—	—	—	—	७	५	१२
२१.	कोरसीना	—	—	—	—	—	४	—	४
२२.	बीचून	—	—	—	—	—	—	५	५
२३.	ग्राकोदा	—	१०	१२	१७	—	—	—	३९
२४.	बरडोती	—	—	—	८	—	—	—	८
						२८ अमानता			
	टोटल	४०	१७०	२६२	१८०	२१७	२६९	३२	११७७

परिशिष्ट ६

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ८५ का उत्तर देखिए)

तारांकित प्रश्न संख्या ३८ सी० एम० का उत्तर

प्रश्नः—

१—सोजत सब डिवीजन में किन २ जागीरों में रिजम्पशन की साल काश्तकारों से लगान जागीरदार या उसके रिप्रेजेन्टेटिव द्वारा वसूल किया गया ?

उत्तरः—

१—

गावों के नाम जिनमें रिजम्पशन की साल जागीरदार द्वारा लगान वसूल किया गया।	जागीर रिजम्पशन की साल व तारीख	डिमाण्ड बनने की साल।	रेन्ट की किश्त विशेष ली या नहीं, विवरण	
तहसील सोजत,				
१—कामावास	२६--१०--५४	(५५-५६)	२०१२	नहीं
२—नापावास	१--८--५६	(५७-५८)	२०१४	नहीं
३—रामासनीकलां	१५--८--५४	(५५-५६)	२०१२	नहीं
तहसील खारची।				
१—पूमालिया	२६-१०-५४	संवत्	२०११	नहीं
२—वागडिया	१-१-५६	,,		,,
३—पांचेटिया	१-८-५४			
४—गोदावास	१-८-५४			
५—वांता (जागीर)	१-८-५४			
६—नयागांव	१-७-५६			
७—घामली	२३-८-५४			
८—चौकडिया	२६ १०-५४			
९—फुलाद	१-७-५६			
१०—आगूदा	१-८-५४			
११—वासणीजाजावर	२०११ संवत्			

१२—धनला	१-८-५४
१३—इमाली	१-८-५४
१४—चेलावास	१५-८-५४
१५—गोमावास	१५-८-५४
१६—कुसालपुरा	संवत २०१२
१७—दुदोड़	२३-८-५४
१८—कन्टालिया	१-८-५४
१९—सवराड़ा	१-८-५४
२०—बोरनडी	१-८-५४
२१—नीमली नाडा	१-८-५४
२२—सिरियारी	१५-८-५४
२३—बोपारी	१-८-५४

परिशिष्ट ७

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ८६ का उत्तर देखिए)

होम गार्ड्स व राईफल ट्रेनिंग सैन्टर्स में प्रशिक्षणार्थियों की संख्या

क्रम संख्या	जिला	जो राईफल ट्रेनिंग सैन्टर्स में प्रशिक्षण समाप्त कर चुके हैं।	जो होम गार्डस में प्रशिक्षण समाप्त कर चुके हैं।	जो होम गार्डस प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।
१	२	३	४	५
१.	अजमेर	२७२१	६३१	—
२.	अलवर	१२४	२८२	—
३.	भरतपुर	४६२	२२६	—
४.	जयपुर	६८८	८६६	७३
५.	झुन्झुनू	६१	२१६	११०
६.	सवाईमाधोपुर	७६१	२६६	—
७.	सीकर	२५०	१९६	५१
८.	टोंक	३१८	१४२	—
९.	बीकानेर	२२२	३६८	—
१०.	चुरू	५१४	३२५	—
११.	गंगानगर	७०२	२०४	—
१२.	बाड़मेर	१७६	१२७	—
१३.	जैसलमेर	८८	२११	—
१४.	जालोर	२२४	५२	—
१५.	जोधपुर	३६३	६३५	—
१६.	नागोर	५०६	२१३	—
१७.	पाली	५६४	११०	—
१८.	सिरोही	८८	—	प्रशिक्षण २ मार्च से ही प्रारम्भ हुआ है।
१९.	बांसवाड़ा	५२७	१६	२१

Page No.152

२०.	भीलवाड़ा	११४०	३०५	—
२१.	बूंदी	११६	११०	—
२२.	चित्तौड़गढ़	४१७	१०६	—
२३.	डूंगरपुर	३३५	—	२३
२४.	झालावाड़	८६	११०	—
२५.	कोटा	६१६	४००	४७
२६.	उदयपुर	१२३७	५३८	—
	योग	१३६६६	७००५	३२५

शुद्धि-पत्र

(वृहस्पतिवार, दिनांक ५ मार्च, १६६४)

स्कम्भ सं०	पंक्ति सं०	अशुद्धि	शुद्धि
१	१	दिनांक मार्च ५, १६६४	दिनांक ५ मार्च, १६६४
,,	२	म० प० ८. ०० बजे	म० पू० ८.००
,,	५ के बाद	————	तारांकित प्रश्नोत्तर
१४	१३	श्री सदस्य	एक माननीय सदस्य
१७ से ४६	शीर्षक	–५ मार्च १६६४	--५ मार्च, १६६४--
१७	शीर्ष	(श्री उपमन्त्री राजस्व)	(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
२१	१	श्री उपाध्याय	श्री उपाध्यक्ष
,,	३	श्री उपाध्याय	————
२३	शीर्ष	————	(श्री बरकतुल्ला खां)
२६	१६	श्री उपमन्त्री, सिंचाई	उप-मन्त्री, सिंचाई
३४	शीर्षक	तारांनित प्रश्नोत्तर	तारांकित प्रश्नोत्तर
४५	शीर्ष	(श्री मुरलीधर व्यास)	————
,,	११	(श्री बरकतउल्ला खां)	(श्री बरकतुल्ला खां)
,,	अन्तिम से ४	श्री बरकतउल्ला खां	श्री बरकतुल्ला खां
४६	४,२०	,, ,, ,,	,, ,, ,,
,,	१०	श्रामती प्रभा मिश्रा	श्रीमती प्रभा मिश्रा
४७	शीर्ष	(श्री मानिकचन्द सुराणा	————
,,	अन्तिम से ५	श्रीमता प्रभा मिश्रा	श्रीमती प्रभा मिश्रा
५०	२१	(भुंभतूं)	भुंभुनूं
५१	शीर्ष	(श्री बरकतुल्ला खां)	————
५४	३	श्रा मुकट बिहारीलाल गोयल	श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल
५४	८, २२	श्री मुकट बिहारीलाल गोयल	श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल
,,	१३ के बाद	————	(व्यवधान और शोरगुल)
,,	२२	श्री उपाध्यक्ष महोदय	————
५५	५	श्री रामकिशन वैर :	श्री रामकिशन (वैर) :

१	२	३	४
५७	शीर्षक	--५ माच १६६४--	--५ मार्च, १६६४--
५६	शीर्षक	प्रश्न का समय बढ़ाने--५ मार्च, १६६४--सम्बन्धी वाद-विवाद	तारांकित प्रश्नोत्तर--५ मार्च, १६६४-- तारांकित प्रश्नोत्तर
,,	अन्तिम से ३	श्री उपाध्यक्ष (सरकारी पक्ष) : No, Sir	सरकारी पक्ष : No, Sir.
६५	शीर्ष	(कु० महेन्द्रसिंह)	(सिंचाई मन्त्री)
६६	२०	श्री मजलिस खां	७३. श्री मजलिस खां
६७	अन्तिम से ४	में	में
७१	शीर्ष	(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)	(राजस्व मन्त्री)
७७	शीर्ष	(श्री विजयसिंह झाला)	(स्वायत्त शासन मन्त्री)
७६ से ८१	शीर्षक	५--मार्च, १६६४	--५ मार्च, १६६४
७६	शीर्ष	(तेजाराम गेहलोत)	(श्री तेजाराम गहलोत)
८१	शीर्ष	(श्री मुरलधर व्यास)	(गृहमन्त्री)
८५	शीर्ष	————	(श्री उपाध्यक्ष)
८८	५६	(उप मन्त्री) शिक्षा)	(उपमन्त्री, राजस्व)
८६	शीर्ष	(श्री भीखाभाई)	————
६७	शीर्षक	सीमा पर लूट खसोट--५ मार्च, १६६४--सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव	मजदूरों द्वारा भूख हड़ताल --५ मार्च, १६६४--सीमा पर लूट खसोट
६६	६	रामप्रसाद लड्ढा	श्री राम प्रसाद लड्ढा
,,	११,१२	(उपमन्त्री,) राजस्व) :	(उपमन्त्री, राजस्व) :
१००	शीर्षक	सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव	सदन की मेज़ पर रखे गये नियम
१०२	शीर्षक	विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक	विश्व विद्यालय (संशोधन) विधेयक
१०३	शीर्षक	--५ मार्च. १६६४	--५ मार्च, १६६४
१०५	शीर्षक	विश विद्यालय	विश्व विद्यालय
१०६	शीर्षक	संशोधन विधेयक	(संशोधन) विधेयक
१०७	शीर्षक	५—मार्च १६६४	--५ मार्च, १६६४--

१	२	३	४
११३ से १२० तक	शीर्षक	कार्यवाही संचालन सम्बन्धी व्यवस्थापक--५ मार्च, १९६४-- जोधपुर विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक	जोधपुर विश्वविद्यालय-- ५ मार्च, १९६४-- (संशोधन) विधेयक
११३	५	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
११६	शीर्ष	(श्रा दुर्गालाल बाढदार)	(श्री दुर्गालाल बाढदार)
११२ से २२० तक	शीर्षक·	सशोधन विधेयक	(संशोधन) विधेयक १९६४
१२७	अन्तिम	(१०.५ म. प.)	(१०.५ म. पू.)
१३५	शीर्षक	विश्व विद्यालया	विश्व विद्यालय
१३९	शीर्ष	(श्री रघुनाथ बिश्नोई)	(श्री गिरधारीलाल व्यास)
१४५	शीर्ष	(श्री फूलचन्द जैन)	(श्री फूलचन्द जैन)
१४७	शीर्षक	—५ मार्क १९६४	—५ मार्च, १९६४
,,	शीर्ष	—	(श्री फूलचन्द ैन)
,,	२०	श्री फूलचन्द जन	श्री फूलचन्द जैन
१५३	शीर्षक	—५ मार्क १९६४	—५ मार्च, १९६४
१५७	शीर्ष	(श्री ज्वला प्रसाद शर्मा)	(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)
१६५	शीर्षक	—५ मार्क १९६४—	—५ मार्च, १९६४
१६०	शीर्ष	(श्री माणकचन्द सुराणा)	(श्री मानिकचन्द सुराणा)
१९१	अन्तिम से २	श्री माणकचन्द सुराणा	श्री मानिकचन्द सुराणा
१९२	३,१८,२५	,, ,, ,,	,, ,, ,,
२१५ से २१९ तक	शीर्ष	—	(श्री उपाध्यक्ष)
२१५	९	श्री चौसरसिंह बावेल	श्री चौसरसिंह बाबेल
२१६	अन्तिम से ४	श्री सम्पतलाल बोहरा	श्री सम्पत्तिलाल बोहरा
२१७	४	श्री विट्ठल	श्री विट्ठल
,,	९	श्री भानुप्रसाद कराडिया	—
,,	१५	श्री ब्रजसुद शरर्मा	श्री ब्रजसुन्दर शर्मा
२१९	८	श्रीमती नगेन्द्रवाला	श्रीमती नगेन्द्रबाला
,,	१६	श्री रामप्रसाद लढ्ढा	श्री रामप्रसाद लड्ढा
२२१	शीर्षक	राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू--५ मार्च १९६४—संशोधन, (विधेयक) १९६४	जोधपुर विश्व विद्यालय —५ मार्च, १९६४--राजस्थान लैंड रेवेन्यू

१	२	३	४
२२५	शीर्षक	रेवन्यू	रेवेन्यू
२४०	५	श्री दुगालाल वाढ़दार	श्री दुर्गालाल वाढदार
२४६	शीर्षक	रेवन्यू	रेवेन्यू
,,	शीर्ष	(श्री दुगांलाल वाढदार)	(श्री दुर्गालाल वाढदार)
२५३	अन्तिम से ३	श्री दुर्गालाल वाढदार	श्री दुर्गालाल वाढदार
२५४	१६	,, ,, ,,	,, ,, ,,
,,	अन्तिम से ३, २, १	कार्यवाही म० पू० २ बजे दिनांक ६ मार्च, ६४ के म० प० ८ बजे तक	कार्यवाही म० प० २ बजे दिनांक ६ मार्च, ६४ के म० पू ८ बजे तक
२२५	शीर्षक	संक्षिप्त-विवरण-५ मार्च १९६४ —संक्षिप्त विवरण	—
,,	२	तारांकित प्रश्नों के शीर्षक	—
,,	कॉलम २२५ में	— स्कम्भ	स्कम्भ १ तारांकित प्रश्नों के शीर्षक
२७६	१४	हथ ोई	हथरोई
,,	२३	र जस्टर	रजिस्टर

★ नोटः—विस्तृत शुद्धि पत्र बाद में पृथक से मुद्रित होगा।